नए विश्व की ओर

निर्णायक दौर

अटल बिहारी वाजपेयी

नए विश्व की ओर

निर्णायक दौर

नए विश्व की ओर

निर्णायक दौर

अटल बिहारी वाजपेयी

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2004 (शक 1925)

ISBN : 81-230-1176-8

मूल्य: 150.00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110 001 द्वारा प्रकाशित
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

परिकल्पना एवं सम्पादन
प्रो० उमाकांत मिश्र
स्मिता वत्स शर्मा
प्रवीण उपाध्याय

उत्पादन
डी.एन. गांधी

आवरण सज्जा
आशा सक्सेना

विक्रय केंद्र • प्रकाशन विभाग • पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001, (फोन : 23386096) • सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003, (फोन : 24367260) • हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054, (फोन : 23890205) • कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400 038, (फोन : 22610081) • 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700 069, (फोन : 22488030) • राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600 090, (फोन : 24917673) • बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800 004, (फोन : 2301823) • प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस, तिरुअनंतपुरम-695 001, (फोन : 2330650) • हाल नं. 1, दूसरी मंजिल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ-226024 (फोन : 2325455) • ब्लाक नं. 4, गृहकल्प काम्प्लेक्स, एम.जे.रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001, (फोन : 24605383) • प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560 034, (फोन : 25537244) • अंबिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380 007, (फोन : 26588669) • नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781 001, (फोन : 2516792) • 80, मालवीय नगर, भोपाल-462 003, (फोन : 2556350) • सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर, (म.प्र.), (फोन : 2494193) • बी-7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 001, (फोन : 2384483)

टाइप सेट : प्रिंटो-वर्ल्ड, 2579, मंदिर वाली गली, शादीपुर, नई दिल्ली-110008
मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20, अन्सारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-2.

प्राक्कथन

भारत ने विश्व पटल पर अपनी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हाल के वर्षों में विकास की जो तीव्र गति हासिल की है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी के चुने हुए भाषणों का यह संग्रह अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुस्तक के इस खंड में उन्हीं भाषणों और वक्तव्यों को शामिल किया गया है जो विदेश नीति के क्षेत्र में की गई विशेष पहल से संबंधित हैं।

इन भाषणों को प्रत्येक अध्याय में कालक्रम के अनुसार न देकर विषयवार दिया गया है। सरकार में उच्चतम स्तर पर देश की विदेश नीति के बारे में लिए गए निर्णय और उसके पीछे जो सोच है उससे पाठक वर्ग को अवगत कराना, इस संग्रह का मुख्य उद्देश्य है।

विषय-सूची

विश्व-शांति की पहल

एक बेहतर विश्व का निर्माण

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58वें सत्र की अध्यक्षता करने हेतु चुने जाने पर आपको बधाई। हमारी कामना है कि हम सबके साझे प्रयासों में आपको पूर्ण सफलता मिले। आपके प्रयासों में हमारा भरपूर सहयोग मिलेगा। गत वर्ष की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हम यहां एकत्र हुए हैं। इसलिए यह अपरिहार्य है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तथा इसकी प्रासंगिकता के बारे में कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके चार्टर द्वारा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए हमारी 'शक्ति को एकजुट' करने हेतु हमारे सामूहिक दृढ़-संकल्प की भी बात कही गई है। यह एक अंतर्निहित धारणा थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समस्त सदस्य-राष्ट्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। इसकी अनूठी वैधता के पीछे यह आम सोच है कि यह किसी एक देश अथवा देशों के एक छोटे समूह के हितों पर ही ध्यान देने की बजाए व्यापक उद्देश्य को लेकर चले। एक प्रबुद्ध बहुपक्षवाद का यह सपना साकार नहीं हो पाया है। लड़ाई-झगड़ों से मुक्त, एक युद्धविहीन विश्व सुनिश्चित करने में कठिनाइयां और खामियां रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्रों के झगड़ों को रोकने अथवा उनको सुलझाने में हमेशा सफलता हाथ नहीं लगी है।

पिछले वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ को और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इराक के मामले में मूल उद्देश्यों पर पूर्ण सहमति होते हुए भी हमने देखा कि सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्य कार्रवाई करने को लेकर सहमति बना पाने में किस प्रकार विचित्र रूप से विफल रहे। अभी हाल ही में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से वहां चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। यदि हाल के वर्षों की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो हम इस अथवा उस संकट में संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं तथा विफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। किंतु इस पर चिंतन करना अधिक सार्थक होगा कि बहुपक्षवाद के प्रति हमारी क्या प्रतिबद्धता है, आज के वास्तविक विश्व में इसकी कितनी व्यवहार्यता है तथा संयुक्त राष्ट्र के जरिए किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। असलियत

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58वें सत्र में दिए गए भाषण का मूल पाठ; न्यूयार्क, 25 सितंबर, 2003

यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं उतनी ही प्रभावी हो सकती हैं, जितना इसके सदस्य-राष्ट्र इन्हें बनाना चाहेंगे।

आत्ममंथन की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमें तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला, हमें उन कुछ अवधारणाओं पर आत्म-निरीक्षण करने की जरूरत है, जो वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की इच्छा-शक्ति तथा पहुंच के बारे में बनी हुई हैं। शीतयुद्ध के बाद के खुशनुमा माहौल में एक ऐसी गलत सोच पनपी कि संयुक्त राष्ट्र कहीं भी और हर समस्या को हल कर सकता है। कई मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के उत्साह और सक्रिय प्रयासों से इसके सराहनीय इरादे प्रतिबिंबित हुए। किंतु हमें जल्दी ही यह महसूस होने लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास वे जादुई शक्तियां नहीं है, जिनसे विश्व के सभी भागों में हर संकट का हल निकाला जा सके, अथवा विश्व के नेताओं और समुदायों के प्रयोजन को रातो-रात बदला जा सके। हमें हकीकत को देखकर यह स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों की सीमाएं क्या हैं और आज के विश्व में अनुकूल भूमिका निभाने के लिए इसके स्वरूप और कार्यों में क्या बदलाव लाए जाने चाहिए।

सामूहिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति

दूसरा, इराक मसले ने सुरक्षा परिषद् और स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा क्षमता पर एक बहस को अपरिहार्य रूप से जन्म दिया है। दशकों से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में काफी वृद्धि हुई है। नई विशेषज्ञ एजेंसियों तथा नए कार्यक्रमों को शामिल करने से इसके कार्यकलापों का दायरा अत्यधिक बढ़ा है। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा तथा राजनीतिक पहलुओं से जुड़े अपने कार्यकलापों में विश्व में हो रहे बदलावों के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाया है। सुरक्षा परिषद् को अपने निर्णयों और कार्रवाइयों में सच्चे बहुपक्षवाद को प्रदर्शित करने के लिए इसकी सदस्यता में विश्व की मौजूदा वास्तविकताएं अभिव्यक्त होनी चाहिए। आज संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश सुरक्षा परिषद् का विस्तार तथा पुनर्गठन करने की जरूरत को स्वीकारते हैं, जिसमें और अधिक विकासशील देशों को स्थायी तथा अस्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए। परिषद् के स्थायी सदस्य उन्हें मिले विशेष दर्जे को बचाए रखना चाहते हैं। ऐसे देश, जिनका स्थायी सदस्य बनने का दावा कमजोर है, वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्य देश सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों के रूप में प्रवेश न कर पाएं। आत्म-प्रवंचना तथा नकारात्मक सोच के इस गठजोड़ का मुकाबला एक सशक्त राजनीतिक इच्छा-शक्ति के साथ करना होगा। हाल ही में जो संकट के हालात पैदा हुए हैं, वे हमें इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जब तक सुरक्षा परिषद् में सुधार नहीं लाया जाता और उसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, तब तक इसके निर्णयों में राष्ट्रों के समुदाय की सामूहिक इच्छा-शक्ति सही मायने में परिलक्षित नहीं हो सकती।

प्रभावोत्पादक प्रक्रिया का विकास

तीसरा, इस प्रकार का सुधार लाने के बाद भी सुरक्षा परिषद् को निर्णय लेने के ऐसे उपयुक्त तंत्र विकसित करने होंगे, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक इच्छा का बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। बहुपक्षवाद को असली रूप में कैसे अमल में लाया जा सकता है ? एक अकेला वीटो आज के विश्व में अप्रासंगिक है। दूसरी ओर, सर्वसम्मति की जरूरत आदेशक कार्रवाइयों को बेकार कर सकती है। एक साधारण बहुमत का वोट बड़े गंभीर मुद्दों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। क्या हमें उच्चतम समापवर्तक (highest common factor) का लक्ष्य रखना चाहिए अथवा न्यूनतम सामान्य हर (lowest common denominator) से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए ? लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय अनुभव कार्य-तंत्रों के व्यवहार्य मॉडल उपलब्ध कराते हैं, जो यह बता सकते हैं कि विशिष्ट कार्रवाई के प्रभाव के आधार पर कितनी सहायता की जरूरत होगी।

महासचिव महोदय ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और प्रक्रियाओं में सुधार लाने की आवश्यकता पर उचित रूप से बल दिया है। हम इस दिशा में उनके प्रयासों का समर्थन करते हैं। हमें एक निश्चित अवधि के भीतर इन सुधारों को कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए।

इराक का मसला संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौजूदा समय में विगत में खोए रहना अधिक लाभप्रद नहीं है। हमारे विचार तथा हमारी चिंताए इराक के लोगों के दु:ख-तकलीफों के बारे में होनी चाहिए। यह जरूरी है कि इराक के लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करने तथा अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का अधिकार मिले।

सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना, मूलभूत सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचा बहाल करना और एक प्रतिनिधिक इराकी सरकार के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं की एक रूपरेखा तैयार करना हमारी तात्कालिक प्राथमिकताएं हैं। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र को उस देश के राजनीतिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभानी है। इसका समर्थन उन्होंने भी किया है, जो सैनिक कार्रवाई का विरोध करते थे तथा उन्होंने भी, जिन्होंने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अनुमोदन नहीं मांगा।

आतंकवाद के विरुद्ध जंग

विश्वव्यापी आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर 11 सितंबर के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उल्लेखनीय सर्वसम्मति दिखाई है। सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1373 तथा 1456 सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करने तथा आतंकवाद अथवा आतंकवादियों की मदद करने, उन्हें पनाह देने, प्रायोजित करने और उन्हें हथियार, प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का आह्वान करने के संबंध में स्पष्ट थे। इस संबंध

में विचारों में जो एकता दिखाई दी, दुर्भाग्य से वह संगत और प्रभावी कार्रवाई के रूप में परिणत नहीं हो पाई है। मोम्बासा से मास्को तक, बगदाद से बाली तक आतंकवादी कार्रवाइयां हमारी शांति के चिथड़े उड़ा रही हैं। भारत के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों के चलते हमें समस्या से सबसे अधिक जूझना पड़ रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता से अफगानिस्तान में तो सफलता मिली है, किंतु यह एकजुटता अन्यत्र नहीं बन पाई है। इसके कुछ सदस्य देश स्वयं इस समस्या का हिस्सा हैं। कभी-कभी हमें आतंकवाद की परिभाषा को लेकर शब्दों के जाल में फंसाया जाता है। इसके 'मूल क.रणों' की खोज अथवा किसी काल्पनिक 'आजादी के संघर्ष' के बहाने से निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र बहुत-कुछ कर सकता है। इसकी आतंकवाद-विरोधी समिति को ऐसे उपाय सुनिश्चित करने चाहिए, जिनसे सदस्य-राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1373 तथा 1456 के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। हमारे पास ऐसे विश्वसनीय बहुपक्षीय तंत्र होने चाहिए, जो इन संकल्पों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों का पता लगा सकें। आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही वित्तीय सहायता का पता लगाने और उस पर रोक लगाने के लिए बहुपक्षीय कार्यतंत्र बनाए जाने चाहिए।

सूचना तथा खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान की एक अधिक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्रीय सीमाओं से पार आतंकवादियों के जाने के कारण पकड़े जाने से बचने पर रोक लगाई जा सके। जो देश एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा दे तथा उसे प्रायोजित करे और दूसरी ओर, आतंकवाद के खिलाफ विश्व-गठजोड़ में भागीदारी करने का प्रदर्शन करे, उसे ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के दोहरे मानदंडों की अनदेखी करना आतंकवाद को अत्यधिक बढ़ावा देना है। कल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस प्रबुद्ध सभा में पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को प्रयोजित कर रहा है। यह दावा करने के बाद कि कश्मीर में संघर्ष 'स्थानीय लोगों द्वारा छेड़ा गया संघर्ष' है, उन्होंने 'पारस्परिक बंधनों और संयमों' की शर्त पर हिंसा को पूर्ण विराम देने की पेशकश की।

आतंकवाद से समझौता नहीं

आतंकवाद को ब्लैकमेल का हथियार बनाने को हम पूरी तरह से नामंजूर करते हैं। जिस प्रकार पूरी दुनिया ने अल-कायदा या तालिबान के साथ बातचीत नहीं की, उसी प्रकार हम भी आतंकवाद से कोई वार्ता नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह जम्मू-कश्मीर के हमारे लोगों के साथ धोखा होगा, जिन्होंने हमारी सीमाओं के पार से प्रायोजित हिंसा तथा भय के सर्वाधिक घिनौने अभियान की परवाह न करते हुए चुनावों

में हिस्सा लिया। इन चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की सराहना पूरी दुनिया में हुई। यह उनके दृढ़ संकल्प और आत्म-निर्णय, दोनों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति थी।

जैसे ही सीमा-पार से आतंकवाद रुक जाएगा या जब हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तब हम पाकिस्तान के साथ हमारे बीच के अन्य मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ, मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह बताना चाहता हूँ कि वे राष्ट्रों की समानता की न्यायोचित आकांक्षाओं को सैन्य बराबरी की घिसी-पिटी अवधारणाएं समझकर भ्रम में न पड़ें।

व्यापक विनाश के हथियारों तथा उनकी प्रौद्योगिकियों के चोरी-छिपे हस्तांतरण के बारे में हाल ही में जो विभिन्न रहस्योद्घाटन किए गए हैं, उनके बारे में हमें विशेष रूप से चिंतित होना चाहिए। आतंकवादियों के हाथों में इन हथियारों और प्रौद्योगिकियों के पहुंच जाने से भयावह परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की सौदेबाजियों, जिनसे स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की लाचारी को देखते हुए निश्चय ही कुछ किया जाना चाहिए। यही व्यवस्थाएं जिम्मेदार राष्ट्रों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित न करने के अनेक भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाने में अपनी काफी बड़ी शक्ति बर्बाद कर देती हैं।

आतंकवाद से निपटने को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उससे मानवता तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति असैनिक खतरों से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता में कमी नहीं आनी चाहिए। हमें नशीली दवाओं, मानव तथा छोटे हथियारों के अवैध व्यापार, एच.आई.वी./एड्स की विश्वव्यापी महामारी, मलेरिया तथा क्षयरोग जैसी बीमारियों, जिनकी चपेट में विकासशील देश हैं; और प्रदूषित हो रहे सामान्य पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना है। खाद्य-सुरक्षा, ऊर्जा-सुरक्षा तथा स्वास्थ्य-सुरक्षा महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

बातचीत की जरूरत

उत्तर तथा दक्षिण के देशों—विकसित, विकासशील तथा परिवर्तन के दौर से गुजर रही अर्थ-व्यवस्थाओं — को वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर विश्व का निर्माण करने हेतु संवाद फिर से शुरू करना चाहिए। वैश्वीकरण के एजेंडा के संदर्भ में कानकुन सम्मेलन निराशाजनक रहा। सतत् विकास प्राप्त करने की दिशा में जोहनेसबर्ग में काफी प्रगति हुई थी, किंतु जलवायु-परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल को अमल में लाने में कोई प्रगति नहीं हो सकी। जैव-विविधता सम्मेलन से विश्व के गरीब देशों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में अनिष्पक्षता तथा असमानताएं जारी हैं। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के कुछ वर्गों को मदद मिली है, जिनमें कुछ विकासशील देश भी शामिल हैं। किंतु, व्यापक समुदाय इसकी परिधि से बाहर ही छोड़ दिए गए हैं। इससे अनेक विकासशील देशों, जहां तेजी से गरीबी बढ़ी है, में आर्थिक संकट तथा अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है।

गरीबी-उन्मूलन

गरीबी के कई आयाम हैं। यह पैसे की बात नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल-वृद्धि, स्थानीय और विश्व के सभी स्तरों पर राजनीतिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, स्वच्छ जल तथा हवा और अपनी संस्कृति तथा सामाजिक संगठन का विकास भी शामिल है। गरीबी दूर करने के लिए हमारे पास इस समय जितने वित्तीय संसाधन मौजूद हैं, उनसे कहीं अधिक संसाधनों की जरूरत है। वैश्वीकरण विकासशील देशों की सरकारों के लिए गरीबी दूर करने हेतु सार्वजनिक संसाधन जुटाने के मार्ग में बाधाएं पैदा करता है। विनिवेश तथा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जुटाने हेतु जलवायु-परिवर्तन और जैव-विविधता संधियों के वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास-एजेंसियों के संसाधन औद्योगीकृत देशों द्वारा विकास बजट न बढ़ाए जाने से सीमित हैं।

इसलिए यदि वैश्वीकरण तथा सतत विकास की वर्तमान व्यवस्थाओं का विस्तार किया जाना है अथवा उन्हें जीवित रखना है तो उन्हें सीधे तौर पर गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा पहलों, जिनसे विकासशील देश प्रभावित हो रहे हैं, का गरीबी पर उनके प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विकासशील देशों को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में उन व्यवस्थाओं, जो गरीबी-उन्मूलन में सहायक हो सकती हैं, को अपनाने में अपने दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करें। भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका के बीच इस वर्ष गठित संवाद-मंच इस दिशा में एक प्रयास है।

हम विकासशील देशों के पास अधिक समय नहीं है। राजनीतिक मजबूरियां हमें अपने लोगों की आकांक्षाओं को जल्दी से पूरा करने के लिए बाध्य करती हैं, जबकि हमें नए और अधिक कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा मानदंडों से बंधे रहना पड़ता है। अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास करें। इस संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों के परस्पर हित जुड़े हुए हैं। आज विश्व में पारस्परिक-निर्भरता का अर्थ यह है कि विकासशील देशों में आर्थिक संकट से विकसित देश भी प्रभावित हो सकते हैं। हमें आशा है कि विश्व अपने हित के लिए इस प्रबुद्ध भावना के साथ कार्य करेगा। □

समान लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास

गुटनिरपेक्ष देशों के इस शिखर सम्मेलन में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिसकी ज्योति को पिछले तीन वर्षों से कोलंबिया के राष्ट्रपति श्री सैम्पर पिजानो ने बड़ी सावधानीपूर्वक जलाए रखा है और जो अब आपके हाथों में आ जाएगी।

यह सर्वथा उपयुक्त तथा गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति ने 20वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, वही व्यक्ति (श्री नेल्सन मंडेला) अब इस आंदोलन की बागडोर संभालेंगे। हम अपने दक्षिण अफ्रीकी मित्रों के लिए इस आंदोलन के नेतृत्व में उनकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं और उनके इस प्रयास में अपना हर संभव सहयोग देने का प्रस्ताव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह हमारी शुभकामना होगी, क्योंकि यहीं मोहनदास करमचंद गांधी गुमनामी के अंधेरे से निकलकर 'महात्मा' बनकर निकले, जो आज मानवता के लिए आशा की एक किरण है। इस शताब्दी का हमारा यह अंतिम शिखर सम्मेलन भी है—एक ऐसी शताब्दी का, जो काफी खून-खराबे और पीड़ा-वेदनाओं की साक्षी रही है। अब यह हमारे, इस विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या के प्रतिनिधियों के हाथों में है कि हम सुनिश्चित करें कि अगली शताब्दी शांति और समृद्धि वाली हो।

इस शताब्दी के अधिकतर भाग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची में दक्षिण अफ्रीका छाया रहा है, क्योंकि यह राजनीतिक और सामाजिक दमन का शिकार रहा है। ठीक ही है कि इतिहास का चक्र पूरा घूम चुका है और अब एक बहुनस्लीय लोकतंत्र के रूप में दक्षिण अफ्रीका अगली शताब्दी में इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची को मूर्त रूप देने के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका को पूरा-पूरा सहयोग करेगा। इस शिखर सम्मेलन में और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता वाले आगामी वर्षों में, इस आंदोलन को 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने में विकासशील देशों की समस्याओं को मुखरित करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह सर्वोच्च उपलब्धि होगी।

सन् 1947 में, जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है, निरस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का आधार-स्तंभ रहा है। हमारे नेताओं ने इसे ऐसे देश के लिए एक स्वाभाविक मार्ग के रूप में चुना, जहां 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' के आधार पर

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; डरबन, 3 सितंबर, 1998

ही हमने अपने अनूठे स्वतंत्रता-संग्राम का संचालन किया था। उनका कहना था कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व से सभी देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। आज भी यह अवधारणा उतनी ही मजबूत है, जितनी सन् 1954 में थी, जब भारत ने परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाने के समझौते का आह्वान किया था। लक्ष्य एक ऐसा प्रतिबंध लगाने का था, जिससे परमाणु हथियारों के लिए अनुसंधान और विकास पर रोक लग जाती। यह लक्ष्य अभी भी हमारी पहुंच से बाहर लगता दिखाई देता है। 1963 की आंशिक परमाणु हथियार परीक्षण संधि का परिणाम यह हुआ कि भूमिगत परीक्षण शुरू होने लगे। 1996 की कथित व्यापक परमाणु अस्त्र परीक्षण (निषेध संधि, सी.टी.बी.टी.) भी एक अन्य आंशिक परीक्षण प्रतिबंध-संधि है, जो परमाणु हथियार से संपन्न देशों को अपने शस्त्र-भंडार को परिष्कृत करने और उन्नत बनाने की छूट देती है।

परमाणु-अप्रसार संधि के बारे में हमारा दृष्टिकोण सर्वविदित है और पहली बार जब यह संधि प्रस्तावित की गई थी, तब से हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह एक भेदभावपूर्ण संधि है। इससे परमाणु-अप्रसार का उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं है, बल्कि इसने परमाणु हथियारों की मौजूदगी के खिलाफ सार्वभौमिक राय की अवहेलना करते हुए प्रसार का अधिकार पांच देशों को दे दिया है। परमाणु हथियार से संपन्न देशों द्वारा सामान्य व संपूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करने की अपनी वचनबद्धता की पूरी तरह अवहेलना की गई है, यहां तक कि परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के वचन का भी पालन नहीं किया गया है।

निरस्त्रीकरण के बारे में 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष अधिवेशन में भारत ने कई गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मिलकर यह प्रस्ताव रखा था कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को मानवता के खिलाफ एक अपराध घोषित किया जाए। 1982 में महासभा के दूसरे विशेष अधिवेशन में परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने के बारे में एक संधि के मसौदे से इस अवधारणा को और मजबूत किया गया। आज भी परमाणु हथियार से संपन्न पांच देशों और उनके मित्र देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में इस भारतीय प्रस्ताव का भी विरोध किया है कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे में आने वाले अपराधों की सूची में शामिल किया जाए।

सन् 1980 के दशक के दौरान, जब परमाणु हथियारों की दौड़ पुनः शुरू होने पर काफी चिंता व्यक्त की जा रही थी, तब स्वीडन, यूनान, मेक्सिको, अर्जेन्टीना और तन्जानिया के साथ मिलकर भारत ने छह देशों की पांच महाद्वीप पहल की शुरुआत की थी, जिससे एक बार फिर सभी परमाणु-परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था; एक ऐसे प्रतिबंध की बात की गई थी, जो निरस्त्रीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। दो प्रमुख परमाणु शक्तियां इस अपील का विरोध करती रहीं।

निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1988 के तीसरे विशेष अधिवेशन

में भारत ने एक परमाणु हथियारमुक्त और गैर-हिंसापूर्ण विश्व-व्यवस्था की स्थापना के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। यह एक चरणबद्ध योजना थी, जिसमें परमाणु अस्त्रों के सभी जखीरों को प्रमाणनीय तरीके से समाप्त करने की दिशा में क्रमबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से परमाणु हथियार से संपन्न देशों ने इसे 'अव्यावहारिक' कहकर रद्द कर दिया।

हममें से कई ने मेक्सिको द्वारा आंशिक परमाणु हथियार-परीक्षण प्रतिबंध संधि को एक व्यापक परमाणु-परीक्षण-निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) में बदलने के लिए उठाई गई संशोधन की मांग का समर्थन किया था। भारत उन देशों में से एक था, जिन्होंने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष बयान देने की पहल की थी, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने परमाणु हथियारों के खतरे या प्रयोग की अवैधता के बारे में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ईमानदारी से समझौता करने की जिम्मेदारी हमारी है।

सन् 1961 के पहले शिखर सम्मेलन से अब तक हमारे इस आंदोलन को कई उल्लेखनीय सफलताओं का श्रेय मिला है। लेकिन विश्वव्यापी परमाणु-निरस्त्रीकरण के मसले, जिसे हमारे नेताओं ने 1961 में एक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया था, पर हमें अभी भी निर्णायक प्रगति करनी है। शीत-युद्ध की समाप्ति के साथ ही हमें विश्वास हो चला है कि अवसरों की एक किरण मौजूद है, जिसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई वर्ग अब अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों पर पुनः विचार कर रहे हैं तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया के लाभों के बारे में संतुष्ट होते जा रहे हैं, जिसे वे 1998 में बहुत अधिक आदर्शवादी मानते थे। परमाणु हथियारों की समाप्ति के बारे में कैनबरा आयोग ने घोषणा की थी कि ''आज ऐसे अवसर मौजूद हैं, जो शायद पहले नहीं थे और आगे भी न हों, जिनसे हम एक नया व स्पष्ट विकल्प ढूंढ सकते हैं, जिससे परमाणु हथियारों के बिना ही विश्व अपना काम चला सके।''

कई अन्य देश महसूस कर रहे हैं कि परमाणु अप्रसार संधि, प्रसार की समस्या का स्थायी व वास्तविक हल नहीं प्रदान कर सकती है। इस मोड़ पर हमारे आंदोलन के लिए यह जरूरी है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और इस माहौल का फायदा उठाएं। कार्टाजेना शिखर सम्मेलन द्वारा पारित दस्तावेज के आधार पर हममें से कई देशों ने बहुपक्षीय समझौतों की जरूरत पर बल दिया है, जिनसे शीघ्र ही एक परमाणु हथियार संधि की जा सके, जिसके फलस्वरूप परमाणु हथियारों के विकास, निर्माण, परीक्षण, तैनाती, भंडारण, हस्तांतरण, धमकी या प्रयोग पर रोक लगा सकें और जिसमें इन हथियारों की समाप्ति का प्रावधान हो।

भारत के हाल के परमाणु-परीक्षण एक ऐसे भौगोलिक-राजनीतिक परिवेश में किए गए, जिसमें हमारी सुरक्षा को खतरा था। यह खतरा हमारे आस-पास के ढके-

छिपे या खुलेआम परमाणुकरण से और भी गंभीर हो गया था। वैसे, हम पहले की तरह अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमाणु हथियार हमेशा बने ही रहेंगे। इसके विपरीत, यदि स्थापित परमाणु हथियार से संपन्न देश परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए राजी हो जाएं तो हम इसमें शामिल होने वालों में प्रथम होंगे। आज मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे भारत पहले भी कई बार उनसे यह अनुरोध कर चुका है कि आइए, हमारे साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन से मिलकर एक परमाणु हथियार संधि करें, जिसके जरिए व्यापक जनसंहार वाले हथियारों की इस अंतिम श्रेणी को हम समाप्त कर दें। आज यह आंदोलन अपनी चिरकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक आह्वान कर रहा है। आइए, हम वचन लें कि 2001 में हम जब अगले शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हों, तब हम ऐसे सामूहिक निर्णय का स्वागत करें कि नई सहस्त्राब्दी में परमाणु हथियार का खतरा मौजूद नहीं होगा।

कुछ क्षेत्रों में आशंका व्यक्त की गई है कि दक्षिण एशिया में हाल के घटनाक्रम से हथियारों की दौड़ की काली छाया उठ खड़ी हुई है और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ये आशंकाएं निर्मूल हैं। भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों का इच्छुक है और उनके साथ मिलकर अपनी समानताओं और समान आकांक्षाओं के आधार पर काम करना चाहता है। मतभेदों को बुद्धिसंगत, शांतिपूर्वक और आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कोलंबो में सद्भावनापूर्ण माहौल में मेरी बातचीत हुई और हमारा प्रतिनिधि-मंडल यहां भी बातचीत जारी रखे हुए है। अपने दृष्टिकोणों के बारे में मतभेद व्यक्त करने की यह जगह नहीं है। शिमला समझौता (जिसकी पुष्टि भारत और पाकिस्तान, दोनों ने की है) इन मतभेदों को आपस में शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की एक सहमत व्यवस्था प्रदान करता है। मैं बड़े जोरदार ढंग से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में किसी भी तीसरे पक्ष के शामिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, चाहे उनका इरादा कितना भी नेक क्यों न हो। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। वहां की वास्तविक समस्या सीमा-पार द्वारा संपोषित आतंकवाद की है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें यह आंदोलन काम कर रहा है, असमानताओं और अनिश्चितताओं से भरी है। यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में जातीय झगड़े चालू हैं। मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया में रुकावट बनी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद से प्रतिदिन निर्दोष व्यक्तियों की जानें जा रही हैं। संरक्षणवाद, मुद्रा की सट्टेबाजी और पूंजी के बाहर जाने से कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी हैं। व्यापार, निवेश, विकास, सहयोग, पर्यावरण और मानवाधिकारों के बारे में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के नए ढांचे से विकासशील देशों को उपलब्ध राजनीतिक दायरा सिकुड़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप उन पर दबाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके वित्तीय संसाधनों का आधार लड़खड़ा रहा

है। सुरक्षा परिषद् के विस्तार तथा सुधारों के लिए विश्वव्यापी और गैर-भेदभावपूर्ण मापदंड अपनाए जाने चाहिए। गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों को परिषद् की कार्रवाइयों का निशाना प्राय: बनना पड़ता है। परिषद् में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका समानता के आधार पर होनी चाहिए। अपने सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ऐसी ताकत विकसित करनी होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी संख्या एक प्रभावी आवाज बन पाए, इसे बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में फिर से अपना स्थान बनाना है।

एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक कार्यसूची तय करने का है। विकसित देशों के बाजारों में संरक्षणवाद फिर से लौट आया है, व्यापार और निवेश का प्रयोग श्रम-मानकों, बौद्धिक संपदा-अधिकारों, मानवाधिकारों और पर्यावरण के मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। कुछ विकासशील देशों की हाल की सफलताओं के खिलाफ ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमारे आंदोलन के ये सदस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के अग्रजों के रूप में उभरे हैं, लेकिन दूसरे देशों को विश्वव्यापीकरण ने न केवल हाशिए पर ला पटका है, बल्कि उनके समाजों की स्थिरता को ही खतरे में डाल दिया है। स्थिति कोई भी हो, हमारी आवाज अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। इसके विपरीत, हमें सुनने को मिला है कि बाजार के जादू पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमारा अनुभव है कि जादू जल्दी ही छू-मंतर हो जाता है। और प्रत्येक देश में बाजार का नियमानुसार होना भी तो जरूरी है। इस संबंध में वही देश निर्णय करे, क्योंकि वही अपने नागरिकों के कल्याण का एकमात्र संरक्षक है।

लेकिन हमें बताया जाता है कि विश्व बाजार एक अराजकतापूर्ण जगह होगी, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह एक रहस्यमय स्थान होगा, जिसमें निवेशित धन के प्रबंधक जब चाहें, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। हमें दक्षिण पूर्व एशियायी अनुभव से सबक सीखने को कहा जाता है, जिसके अनुसार विकासशील देशों में वित्तीय संस्थानों पर कड़े घरेलू नियंत्रणों का होना अनिवार्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति जवाबदेही लाने या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व मौद्रिक प्रणाली के ढांचे की कमियों को जांचने या अर्थव्यवस्था के सभी नाजुक क्षेत्रों पर इसके पड़ने वाले विनाशक प्रभावों के लिए कोई कार्यसूची तय नहीं है।

आंदोलन को अब तक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने अर्थशास्त्रियों की जिस तदर्थ समिति का गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हाल के महीनों में इस संकट के परिणामों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कई महत्त्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। जैसा हाल के घटनाक्रम ने दर्शाया है कि आर्थिक संकटों से राजनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं, ये हमारे देशों के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार कर देते हैं। पूर्वी एशिया में जो संकट शुरू हुआ था, वह वहीं समाप्त नहीं हो जाएगा, हम सब इसकी लपेट में आएंगे। इसलिए हमें अपने स्तर पर फैसले करने

होंगे कि इस अनिश्चित विश्व में हमारे कदम क्या हों। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी ही होगी, जिसके जरिए गुटनिरपेक्ष देश आज के नाजुक आर्थिक मुद्दों पर लगातार काम कर सकें। यदि निरंतर ध्यान देकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को नहीं संवारता है, तो इस उदासीनता के परिणाम हमको ही सबसे अधिक भुगतने पड़ेंगे। हमें राजनीतिक इच्छा-शक्ति का परिचय देना पड़ेगा कि चाहे कितनी ही गंभीरता से हमें विचार-विमर्श करना पड़े, हम इससे उबरेंगे और हमें इस शिखर सम्मेलन में निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे विश्लेषणात्मक संसाधनों, समझौते की क्षमता और परस्पर समर्थक कार्रवाइयों के विभिन्न तरीकों से मजबूती आए। इसके लिए हमने आपस में जो प्रभावपूर्ण क्षमताएं विकसित की हैं, उनका लाभ उठाना होगा।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में सरकारी विकास सहायता, विशेषकर बहु-राष्ट्रीय संगठनों के जरिए मिलने वाली सहायता में कमी आती जा रही है, जो चिंता का गंभीर विषय है। विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की इन संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारीय संस्थानों में निर्णय-प्रक्रिया को अधिक समानता-आधारित बनाने और अपनी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के तौर-तरीके ढूंढने होंगे। विकास पर उनके जोर देने की प्रवृत्ति को बहाल करना होगा। विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन इस आंदोलन की एक लंबी चली आ रही मांग है, जो इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आरंभिक प्रक्रिया में इस आंदोलन के सदस्यों की कारगर भागीदारी इसकी सफलता के लिए अनिवार्य है।

अपने अथक प्रयासों से हमारे देशों की क्षमताओं में जो शानदार वृद्धि हुई है, उससे न केवल हमारे लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार हुआ है, बल्कि विकासशील देशों में सहयोग की संभावनाओं के नए द्वार भी खुले हैं। हमें मौजूदा परस्पर पूरकताओं को तो आगे बढ़ाना ही होगा, परस्पर निर्भरताओं की दिशा में नए प्रयास भी करने होंगे। निष्कर्ष तो यही है कि आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।

एक और क्षेत्र, जिस पर अधिक ध्यान देना होगा, वह है—अफ्रीका। इस महाद्वीप को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर सुरक्षा परिषद् ने गौर किया था, लेकिन संकट के कारणों पर तो अन्य मंचों तथा अन्य साधनों से ही विचार किया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् शीघ्र ही अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेगी। हमारे मेजबानों के कुछ अपने विचार हैं; इसी प्रकार अन्य अफ्रीकी देशों के भी हैं। यदि आंदोलन यह सोचता है कि अफ्रीकियों द्वारा की गई पहलों को वह कुछ समर्थन दे सकता है तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अफ्रीका की विषेष जरूरतों के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन की उपयोगिता पर विचार कर सकते हैं।

हमारे लिए विकास का संपूर्ण उद्‌देश्य अपने नागरिकों को वे मानवाधिकार पुनः दिलाना है, जिन्हें उपनिवेशवाद ने रौंद डाला था। गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन और जातीय व अन्य प्रकार के भेदभावों से इन अधिकारों को अभी भी खतरा बना हुआ है। विडंबना यह है कि कभी-कभी गुटनिरपेक्ष देश भी मानवाधिकारों के मामले में रक्षात्मक मुद्रा में दिखते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि हम ऐसे आंशिक तथा स्वार्थी दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो इन अधिकारों की, विशेषकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समग्र प्राप्ति के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और कर्तव्यों की अनदेखी करते हों। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के इस 50वें वर्ष में यह जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहयोग के परस्पर संबंधों को गहराई से समझने की दिशा में कार्य करे।

आतंकवाद का विषधर अपने पंजे फैला रहा है और इसे सीमाओं की कोई परवाह नहीं है। एक महीने पहले नैरोबी और दार-ए-सलाम में अत्यंत घृणित हिंसक घटनाओं में कई निर्दोष जानें गईं। आतंकवाद की ये घटनाएं सुर्खियां बनीं, लेकिन आतंकवादी हिंसा में लोगों के मारे जाने की रोज की घटनाएं हममें से कई के देशों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन पर शेष विश्व या तो मौन रहता है या फिर उदासीन; और ईमानदारी से की गई आतंकवाद की परिभाषा को राजनीतिक सुविधा या अन्य निकृष्ट कारणों से, मानने से इनकार कर देता है। कुछ अपनी नाक के नीचे न देखने के अक्खड़पन में लोकतंत्र को उन आतंकवादियों के बराबर रखकर देखने के लिए ही तैयार हैं, जो खुले समाजों में अपने आतंक से लोगों का जीना मुहाल करते रहते हैं। आतंकवाद मानवता पर और सभ्य समाजों के जीवन-मूल्यों पर खुल्लम-खुल्ला आक्रमण है। यदि हम गांधी की विरासत का और मादिबा के उदाहरण का सम्मान करते हैं, तो गुटनिरपेक्ष देशों को नैतिक समकक्षता के खोखले दावे को नकार देना चाहिए। बुराई को अच्छाई के बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अधर्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ न्याय-संगत लड़ाई है, जो लड़ी ही जानी चाहिए। यह एकतरफा या चयनात्मक कार्रवाई से नहीं हो सकता है। इसके लिए एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है। इस खतरे तथा सामूहिक कार्रवाई से इसके विरुद्ध लड़ने और इस पर काबू पाने के उपायों पर विचार करने और फैसला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का समय आ गया है।

हमें अंतिम दस्तावेज की बारीकियों पर बहस करने में ही समय बर्बाद नहीं करना है। निर्धनता एक सच्चाई है, भेदभाव वास्तविकता है, हिंसा सत्य है, ये ऐसी वास्तविकताएं हैं, जो हमारे नागरिकों की जानें ले रही हैं। आंदोलन को इन वास्तविकताओं से जूझना होगा और परिभाषाओं पर अनुपयोगी बहस में उलझ कर नहीं रह जाना होगा। सबके भले के लिए सामूहिक कार्रवाई करने हेतु ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। आपकी अध्यक्षता में हमें यही करना है। हम यह आशा करते हैं कि डरबन शिखर सम्मेलन अफ्रीकी पुनर्जागरण की एक शुरुआत होगी, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपना योगदान होगा और जो आंदोलन को मजबूत बनाएगा। □

इक्कीसवीं सदी की चुनौतियां

आज इस प्रख्यात संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। संस्थान की अर्जित ख्याति अमरीका के कुछ अत्यंत प्रखर बुद्धि-जीवियों के वर्षों के निरंतर और समर्पित परिश्रम का परिणाम है।

एशिया सोसाइटी ने पूर्व और पश्चिम के मिलने का एक मंत्र उपलब्ध कराया है और कई अवसरों पर भारत और अमरीका को रू-ब-रू होने के मौके प्रदान किए हैं।

जैसा कि हम सब अपने अनुभवों से जानते हैं कि देशों के बीच सबसे अधिक लाभदायक बैठकें अकसर वे होती हैं, जो राजनय और शिखर सम्मेलनों के औपचारिक दायरे से बाहर होती हैं। ऐसे मौकों पर दो या अधिक देशों के राजनेता, बुद्धिजीवी और नीतिनियंता मिलते हैं और अनौपचारिक तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचार-विनिमय करते हैं, जो भरोसे और समझदारी से और भी गहरा होता है।

इसलिए शुरू में ही मैं लोकप्रिय राजनय कहे जाने वाले क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एशिया सोसाइटी को बधाई देना चाहता हूं।

भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अमरीका की यह मेरी पहली यात्रा है। इस साल मार्च में हमारे यहां 60 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं वाले विश्व-इतिहास में सबसे बड़े माने गए चुनाव संपन्न हुए हैं। आज भारतीयों के लिए, जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्र भारत में जन्मा है, 'लोकतंत्र' शासन का स्वाभाविक और एकमात्र स्वीकृत स्वरूप है।

पिछले 50 वर्षों में भारत ने जो उल्लेखनीय यात्रा तय की है, उसकी यह विशेषता है। इस यात्रा के दौरान भारत अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहा है और अपनी विविधताओं को एक सुदृढ़, सामंजस्यपूर्ण और बहुवादी समाज के रूप में ढालने में सफल रहा है।

सरकारों के बदलने के बावजूद राजनीतिक प्रणाली उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही है। यह भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों की निहित शक्ति और स्थायित्व का प्रमाण है। लोकतांत्रिक बहुवाद के प्रति भारत की वचनबद्धता भी मेरी सरकार में परिलक्षित होती है। हमारी एक गठबंधन सरकार है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने एक साझा कार्यक्रम बनाया है, जिसमें शासन का राष्ट्रीय एजेंडा परिभाषित किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय भारत को गठबंधन-राजनीति की परिपक्वता की ही जरूरत है।

एशिया सोसाइटी में दिया गया भाषण; न्यूयार्क, 28 सितंबर, 1998

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम एक ऐसा मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत बनाना चाहते हैं, जिसका राष्ट्रों की बिरादरी में उचित स्थान हो।

हम जानते हैं कि सात से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की काफी ऊंची वृद्धि-दर प्राप्त करने की भारत की क्षमता है। हम जानते हैं कि लागत और गुणवत्ता में विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल करके एक बड़ी उत्पादक, व्यापारिक और निर्यातक शक्ति बनने की सामर्थ्य भारत में है।

हम यह भी जानते हैं कि हमारे लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से को बेरोजगारी और भौतिक पिछड़ेपन की जिस ऐतिहासिक विरासत से जूझना पड़ रहा है, उस पर पार पाने की कुंजी तेज आर्थिक विकास में है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं का ज्ञान हमें भली-भांति है, लेकिन हम आश्वस्त भी हैं कि सभी मामलों में राष्ट्रीय हितों का ध्यान अगर हम रखें तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं।

व्यक्तिगत तौर पर मैंने सदैव ही राष्ट्रीय हित को पार्टी और निजी स्वार्थों से ऊपर रखा है। यही वायदा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोहों में 15 अगस्त को भारत की जनता के सामने मैंने किया था।

आज इस सम्मानित सभा के समक्ष मैं 21वीं सदी की दहलीज पर उम्मीदों के साथ खड़े भारत और विश्व, दोनों ही के बारे में बात करना चाहता हूं। ऐसा मैं भारतीय दृष्टिकोण से कर रहा हूं। लेकिन साथ ही मैं यह दावा करने की हिम्मत भी कर रहा हूं कि भारत का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि अमरीका और विश्व की प्रत्येक प्रगतिशील विचारधारा इस पर सम्मानपूर्वक ध्यान देगी।

20वीं सदी भारत में पूर्व परिवर्तनों की साक्षी रही है। मानव-जाति के ज्ञात इतिहास में इस सदी में हुए परिवर्तनों के स्तर पर नएपन की कोई सानी नहीं है। इस सदी के बारे में वास्तव में कहा जा सकता है कि यह दौर सर्वश्रेष्ठ रहा और सबसे निकृष्ट भी रहा है।

यह विश्वयुद्धों और टकरावों की, व्यापक विनाश के हथियारों की, जखीराबंदी की, उपनिवेशवाद के आधिपत्य की, आतंकवाद की और धर्मांधता की सदी रही है।

साथ ही, यह सदी स्वतंत्रता, अपेक्षाकृत शांत, समृद्धि, लोकतंत्र की प्रगति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार उन्नति, विशेषकर सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति और विश्व-सहयोग के अभूतपूर्व दौर की भी रही है।

विश्व के सामने आज यह चुनौती है कि इस सदी की सबसे बुरी बातों पर अंकुश कैसे लागया जाए, कैसे इन्हें विपरीत मोड़ दिया जाए तथा कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। चुनौती यह भी है कि 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं का इस्तेमाल समाज के सभी वर्गों के फायदे के लिए हम कैसे कर सकते हैं, और यह केवल उन्हीं गिने-चुने, सुविधासंपन्न देशों और वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि अब तक होता आया है।

क्या नई सदी वास्तव में मानवता के लिए नहीं होगी या फिर हाल के दौर में हमारे सामने वाली वही पुरानी समस्याओं, संकटों और टकरावों का क्रम वैसे ही चलता रहेगा?

क्या शांति व निरस्त्रीकरण की दिशा में विश्व निर्णायक ढंग से आगे बढ़ेगा? क्या व्यापक निर्धनता, अल्प-पोषण और भुखमरी बीती बातें हो जाएंगी? क्या विश्व की वित्तीय प्रणाली कम विस्फोटक और अधिक स्पष्ट होगी? और क्या न्यायोचित व समतापूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था कायम होगी?

क्या हम आने वाली सदी में आतंकवाद, जातीय टकरावों और धार्मिक विद्वेष पर काबू होने में सफल हो पाएंगे?

ये वे सवाल हैं, जो 20वीं सदी की सांझवेला में विश्व-नेताओं के सामने उपस्थित हैं। नेताओं से मेरा तात्पर्य केवल शासनाध्यक्षों से नहीं है। जी नहीं। इतिहास ने हम सबके सामने—सरकार, राजनीति, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, शिक्षण-संस्थानों, मीडिया और सांस्कृतिक संगठनों के नेताओं के सामने चुनौती रखी है। क्या हम इसका सामना कर पाएंगे?

आज भारत और अमरीका विश्व-इतिहास के एक अप्रतिम मोड़ पर खड़े हैं। जब हम भविष्य में झांककर देखते हैं तो हमें लगता है कि यह बिलकुल दूर नहीं है। पांच सौ से भी कम दिनों में हम 20वीं सदी और दूसरी सहस्त्राब्दी को पीछे छोड़ चुके होंगे तथा एक नई सदी तथा एक नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर चुके होंगे।

जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया-भर में कंप्यूटर, विशेषकर वाई 2 के कही जाने वाली समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। दरअसल यह समस्या सॉफ्टेवयर को पुनः प्रोग्राम करने की है, ताकि कंप्यूटरों को पता चल जाए कि वर्ष 2000 शुरू हो चुका है। यदि वाई 2 के समस्या हल न की गई तो कंप्यूटर बड़े विचित्र और एकदम अविश्वसनीय ढंग से काम करने लगेंगे।

कंप्यूटर-शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने, विश्व के राजनेताओं, शासनाध्यक्षों, नीतिनियंताओं और बुद्धिजीवियों ने अपनी राजनीतिक व आर्थिक सोच को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है, ताकि हमें इस बात का ध्यान रहे कि शीघ्र ही हम सब एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं? मैं इसे पीई-वाई टू के, अर्थात् 'राजनीतिक-आर्थिक वर्ष 2000 समस्या' कहता हूं।

मित्रो, इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए दुनिया-भर के नेताओं को एक नई सोच की जरूरत है—ऐसी सोच की, जो विश्व को स्थायित्व देते रहने के लिए जरूरी है।

इक्कीसवीं सदी की मांग है कि सबसे पहले हम इस सदी का सबक सीखें, शांति सबसे बड़ा आदर्श है। 20वीं सदी ने दो विश्व-युद्ध देखे—हरेक से पहले की सभी लड़ाइयां कहीं अधिक खूंखार। इन दो विश्व-युद्धों की जो कीमत मानवता ने चुकाई है, वह इतनी

भयावह है कि विश्व के सामने विकल्प स्पष्ट है—एक ओर विश्व-युद्ध का, परमाणु-युद्ध और विनाश का, या फिर शांति, अस्तित्व और प्रगति का।

पचास सालों से परमाणु हथियारों के निवारण सिद्धांत पर विश्व-शांति टिकी रही। लेकिन यह शांति का स्थायी आधार नहीं हो सकता है। मानवता की अंतरात्मा की आवाज यह है कि दुनिया निवारण के स्थान पर निरस्त्रीकरण की ओर बढ़े।

दुर्भाग्य से पारंपरिक परमाणु ताकतों ने इस सार्वभौमिक मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। पहले उन्होंने नई व महंगी हथियार-होड़ के लिए शीतयुद्ध का सहारा लिया। अब शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी भेदभावपूर्ण अप्रसार संधियों के जरिए वे अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। ऐसी संधियों का नाकाम होना निश्चित है।

इसी दोमुंहेपन और धौंस के चलते भारत को हाल ही में अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 सालों से हमारा देश लगातार और पूरी निष्ठा के साथ शांति और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की दिशा में प्रयास करता रहा है।

हमने अपनी तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की तरफ से हर बहुराष्ट्रीय व द्विपक्षीय मंचों पर निरस्त्रीकरण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। तब न केवल हमारी मांग की अनदेखी ही की गई, बल्कि परमाणु विकल्प खुला रखने के भारत के प्रभुसत्ता-संपन्न अधिकार को छीनने की भी कोशिश की गई।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और परमाणु-भेदभाव के हाकिमों के शक्तिशाली चुनौती के तौर पर हमें अपना परमाणु विकल्प अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। इस दृढ़निश्चयी कार्रवाई के साथ ही हमने परमाणु क्लब को फिर से याद दिला दिया है कि मानवता के छठवें हिस्से की आवाज अनसुनी नहीं की जा सकती।

इस प्रकार 20वीं सदी का सबक सीधा-सा है : वास्तविक, स्पष्ट और विश्वसनीय निरस्त्रीकरण ही परमाणु अप्रसार का लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि अमरीका के नेतागण आने वाले वर्षों में सही कदम उठाएंगे, क्योंकि इस देश के पास परमाणु हथियारों और मारक प्रणालियों का सबसे विशाल भंडार है और इसी वजह से पृथ्वी पर शांति-स्थापना के प्रति उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।

आशंका व्यक्त करने वाले दलील देते हैं कि पिछले 50 वर्षों में भारत और पाकिस्तान ने तीन लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इन 50 वर्षों में से अंतिम 25 वर्षों में कोई लड़ाई नहीं हुई है और इसकी वजह शिमला-समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था।

कुछ लोगों की सोच के विपरीत, आपसी समझौते सफल होते हैं। गड़बड़ तो तीसरे पक्ष के आने से होती है, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो। इससे जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

निरस्त्रीकरण के लिए विश्व-व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण जरूरी है। और इससे हम 20वीं सदी के दूसरे बड़े सबक पर आते हैं।

हकीकत में यह सदी लोकतंत्र की सदी नहीं रही है। दुनिया-भर में लोकतंत्र अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। हां, यह बात और है कि उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी स्थानीय फेरबदल किए। लेकिन यहां हम एक विचित्र दुहरापन देख रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मापदंड स्थापित करने वाले एक ढांचे के रूप में विश्व-स्तर पर लोकतंत्र, राष्ट्रीय शासन-प्रणाली के रूप में लोकतंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाया है। अमीर और शक्तिशाली देश अपने पक्षपातपूर्ण हित साधने के लिए नियम बनाते हैं और तोड़ते हैं।

अब जबकि विश्व 21वीं शताब्दी में दाखिल हो रहा है, यह स्थिति तो पूरी तरह से न बनी रहने वाली है। कोई भी देश, चाहे कितना भी अमीर और सैनिक दृष्टि से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बहुत देर तक ऐसे हितों पर अमल नहीं कर सकता, जो विश्व-समुदाय के हितों से मेल न खाते हों।

सामंतवाद का युग, जो पिछली कुछ शताब्दियों का अभिशाप था, सदा के लिए समाप्त हो चुका है। असमानता पर आधारित संबंध उस युग की विशेषता थे, जिन्हें किसी भी हालत में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से शांति और स्थायित्व गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक अमरीका विश्व-व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगा। प्रक्रिया की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण से हो सकती है।

मित्रो, हम भारत में समझते हैं कि समानता के आधार पर विकसित होने वाले भारत-अमरीका संबंध कल की लोकतांत्रिक विश्व-व्यवस्था के ढांचे का महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं, लेकिन मैं यह भी स्वीकार करना चाहूंगा कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों की वर्तमान असंतोषजनक स्थिति से मैं हैरान-सा हूं।

हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारी राजनीतिक संस्कृतियां भी एक जैसी हैं—एक जैसा स्वतंत्र प्रेस है और एक जैसा ही कानून का शासन। हम दोनों की निजी उद्यम और स्वतंत्र बाजारों की एक परंपरा है।

लेकिन निकट भविष्य में मुझे दोनों देशों के हितों में कोई टकराव दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी यहां पर एकत्र हम सब मानेंगे कि हमारे संबंधों की पूरी संभावनाएं इन 50 सालों में उभर कर सामने नहीं आ पाई हैं।

चाहे अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की बात हो, जहां हमारे अनिवार्य सुरक्षा तथा अन्य हित जुड़े हैं, या फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग-संबंधी व्यवस्थाएं हों, जहां हमारी भूमिका स्पष्ट रूप से रचनात्मक, संतुलनकारी और स्थायित्व प्रदान

करने वाली है, या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् जैसे विश्व-संगठन हों, या भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि हो—इन सभी में अमरीका ने भारत के हितों और सरोकारों को न तो समझा है, और न ही उनका ध्यान रखा है।

दूसरे, जबसे हम स्वतंत्र हुए हैं, वस्तुतः तब से ही प्रौद्योगिकी प्रदान करने में आनाकानी होती रही है। हमारी अपनी निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाएं अत्यंत कठोर हैं और भारत से कभी भी उपकरणों व प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण के मामले में हमारा ध्यान रखने में अमरीका हमें अनिच्छुक लगा है।

इसी तरह दक्षिण एशियायी मुद्दों पर जहां हमारे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं, हमें अमरीका के ऐसे नीतिगत दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है, जो हमारी बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा-जरूरतों के विपरीत होता है।

एक और गंभीर मामला भारत को न समझने का अमरीकी नेताओं द्वारा उन मामलों में दिए गए बयान हैं, जो हमारे लिए संवेदनशील हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन की चीन-यात्रा के दौरान दक्षिण एशिया पर जारी बयान और भारत के साथ अपना रक्षा व वैज्ञानिक सहयोग समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालने की अमरीकी कोशिशें ऐसे ही दो प्रमुख उदाहरण हैं।

अमरीका के साथ घनिष्ठ सद्भाव विकसित करने की इच्छुक हमारी जैसी सरकारों के लिए ऐसी सार्वजनिक घोषणाओं के चलते आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है।

मित्रो, मैंने भारत-अमरीका संबंधों को नए सिरे से बनाने की बात सिर्फ इसलिए नहीं की है कि इनसे भारत को मदद मिलेगी, बल्कि इसलिए भी मैंने इन पर जोर दिया है, क्योंकि इनसे अमरीका को भी मदद मिलेगी। मैंने आरंभ में जो कहा था, उसे मैं फिर से दुहरा रहा हूं। समानता और परस्पर हितों पर आधारित भारत-अमरीका संबंध कल की स्थायी, लोकतांत्रिक विश्व-व्यवस्था का आधार बनने वाले हैं।

दोस्तो, अब यह बात अच्छी तरह से स्वीकार की जाने लगी है कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दोनों में आर्थिक संबंध लोकतंत्र का मर्मस्थल है। लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के काल में जो वित्तीय प्रणाली अस्तित्व में आई है, वह लोकतांत्रिक तो किसी तरह से सिद्ध नहीं हुई है।

इस प्रणाली की निहित असमानताओं को यह कहकर कि ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त बाजारी शक्तियों का परिणाम हैं, तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। साम्यवाद के सिद्धांतों ने भारी कीमत 20वीं सदी से वसूली है।

आज विश्व एक और सिद्धांत की कीमत चुका रहा है और वह है—बाजार-शक्तियों के अदृश्य हाथ का सिद्धांत। हमने देखा है कि बाजारों में कितने अविवेकपूर्ण उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।

बाजारों की अस्थिरता के साथ ही सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता आती है। रातो-रात सामान्य आदमी देखता है कि उसकी मेहनत की कमाई गायब हो जाती है,

निवेश.क बाजार की अपनी पूंजी खो बैठते हैं तथा देश अपनी मुद्राओं का मूल्य गंवा बैठते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जो देश सही सिद्धांतों पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं करते हैं, उन्हें इस प्रणाली में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अकसर उन्हें था उनकी निर्दोष जनता को बेरोजगारी का खामियाजा भुगतना पड़ता है और ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता है।

सही कहा गया है कि विश्वव्यापीकरण के दौर में सामान, सेवाओं, निवेश और मानव-श्रम का विश्व-बाजार हमारे ग्रह को घेरे हुए वायुमंडल की तरह से अविभाज्य होता है। वायुमंडल में किसी भी एक स्थान पर नुकसान पहुंचाने से इस ग्रह में रहने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

इसलिए पश्चिमी गोलार्द्ध के समृद्ध देशों को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि एशियायी बाजारों में आज जो संकट चल रहा है, उससे वे अछूते हैं। विश्व वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए सामूहिक विश्व-प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से दिशा देनी होगी कि यह मानव-जाति की प्राथमिक विकासीय जरूरतों को पूरा कर सके।

भारत में हम लोगों ने विश्वव्यापीकरण के प्रति एक सतर्क, नपा-तुला और उत्तरोत्तर संबंध का एक सैद्धांतिक रवैया अख्तियार किया है। इस दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्रीय हितों की हत्या हुई है। एशियायी बाजारों के उथल-पुथल से हम मोटे तौर पर अप्रभावित रहे हैं।

हम जानते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए हमें और भी कई आंतरिक व बाह्य सुधार लागू करने होंगे। ऐसा हम अवश्य करेंगे। साथ ही, स्थायी व शांतिपूर्ण 21वीं शताब्दी के लिए प्रमुख आश्वासन के रूप में विश्व की आर्थिक व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

बीसवीं सदी का चौथा महत्त्वपूर्ण सबक यह है कि अपनी विविधताओं का प्रबंध हम कैसे करते हैं। इस ग्रह पर रहने वाले हम सब विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं के लोग हैं। हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और राजनीति व जीवन के बारे में हमारे दृष्टिकोण भिन्न हैं। लेकिन हम एक ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि हम सभी एक ही मानव-परिवार के हिस्से हैं।

भारत के वैदिक ऋषि-मुनियों ने इस मूल्य को इस प्रकार व्यक्त किया था: एकम् सत विप्नः बहुधा वक्षंति, अर्थात् सत्य एक है, लेकिन चिंतक इसकी व्याख्या अलग-अलग तरह से करते हैं।

यह सदैव से ही सत्य रहा है। लेकिन विश्वव्यापीकरण के दौर में जब परस्पर सेवाएं और परस्पर निर्भरता अपवाद नहीं, बल्कि एक जरूरी बात बन गई है, तब

'विविधता में एकता' और 'एकता में विविधता' की सच्चाई केवल विकल्प-भर नहीं रह गया है। यह एक ऐसी जरूरत है, जिससे बचा ही नहीं जा सकता।

बड़े दुख की बात है कि इस सच्चाई को स्वीकार करने की अनिच्छा ही आज विश्व के कई हिस्सों में उत्पन्न हिंसा और टकरावों का कारण है। जब इस प्रकार की एकांतिकता और असहिष्णुता संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों के साथ मिल जाती हैं तो आतंकवाद जन्म लेता है।

मित्रो, आतंकवाद सभ्य समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीरतम खतरा बन गया है। यहां भी भारत और अमरीका, दोनों ही इसके शिकार हुए हैं। हाल ही में नैरोबी और दार-ए-सलाम में अमरीकी दूतावासों पर हुए हमलों में निर्दोष अमरीकियों और अफ्रीकियों की मौतों ने हमें दहला दिया।

हम भी आपकी व्यथा और गुस्से में भागीदारी थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की ताकतों ने कायराना हमले शुरू किए हैं और ये लोग हमारे क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। भारत लगातार आतंकवादी हिंसा का निशाना बनता रहा है। आपके पास लाकरबी है, हमारे पास कनिष्क। आपके यहां विश्व व्यापार केंद्र हैं, हमारे यहां वंधामा है।

सूत्र एक ही और समान स्रोत की ओर जाते हैं, सोचकर नफरत हो उठती है कि इसे हमारी सीमा के पास से चलाया और बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारा देश पहले ही रूढ़िवाद का निशाना बन चुका है। इस छूत को फैलने से रोकने के दृढ़ निश्चय के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्यवाही करनी ही होगी।

जब विश्व अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहा है तो हमें बहु-संस्कृतिवाद को स्वीकार करना ही होगा और जीने के एक ढंग के रूप में विविधता का सम्मान करना होगा। यहां मुझे इस बात की खुशी है कि विविधताओं को शांतिपूर्वक संभालने के अपने समृद्ध अनुभव से भारत और अमरीका, दोनों मिलकर मानवता के भले के लिए इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं।

मित्रो, आज हमारे सामने ये जो प्रमुख चुनौतियां मौजूद हैं, मेरा मानना है कि उनके बारे में विश्व-भर के प्रगतिशील लोगों के दृष्टिकोण समान हैं। मुझे यह समानता विशेष तौर पर भारत और अमरीका के भविष्योन्मुख नेताओं, नीति-निर्माताओं और बुद्धिजीवियों में देखने को मिलती है।

यही समानता है सरोकारों और बोध की। यही समानता मेरे इस विश्वास को मजबूती प्रदान करती है कि 21वीं सदी में विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य की खोज में भारत और अमरीका स्वाभाविक मित्र हैं।

एशिया सोसाइटी जैसे गैर-सरकारी और गैर-पक्षपातपूर्ण संस्थानों की पहल की बदौलत, मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में यह गठजोड़ सुदृढ़ से सुदृढ़तर होता जाएगा।

अंत में, इस सहज भारत-अमरीकी गठजोड़ के प्रति, आधुनिक युग के महान

भारतीय मनीषियों में से एक स्वामी विवेकानंद की एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

ओ प्रभु, अपने निष्कंटक पथ पर आगे चलो
जब तक भरी दुपहरिया दुनिया पर न छा जाए
जब तक पृथ्वी आपके प्रकाश को प्रतिबिंबित न करे
जब तक सिर ऊंचा किए स्त्री-पुरुष
अपनी जंजीरों को टूटते न देखें, और
छलकती खुशियों में न जानें कि नवजीवन आया है।

□

पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का निमंत्रण दिया था। उनकी यात्रा से पहले मैंने भारत-पाकिस्तान संबंधों की भावी संभावनाओं के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मीडिया-प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया था। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से हमारे इस विचार का समर्थन किया था कि इस यात्रा को पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए अवसर तलाशने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शिमला-समझौता तथा लाहौर-घोषणा के आधार पर हम चाहते थे कि निमंत्रण तथा तत्पश्चात् यात्रा के माध्यम से बातचीत के व्यापक ढांचे को सुदृढ़ किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया द्विपक्षीय मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सके। हमने सीमा-पार से जारी आतंकवाद को भी बातचीत के एक महत्त्वपूर्ण विषय के रूप में रखा था।

यात्रा से पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण और विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की थी, जो शांति और सुरक्षा, परमाणु और गैर-परमाणु हथियारों के बारे में विश्वास पैदा करने के उपायों, दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क, जनहित से जुड़े मुद्दे, शिक्षा, युवाओं का एक-दूसरे के देश में आना-जाना तथा व्यापार से संबंधित थे। हमारा विश्वास है कि भारत तथा पाकिस्तान के लोगों द्वारा इन निर्णयों का व्यापक स्वागत किया गया है। सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ, बेगम मुर्शरफ के साथ 14 जुलाई को नई दिल्ली आए थे। उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने उन्हें राजकीय भोज दिया। उप-राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने उनसे मुलाकात की। मैंने उनके सम्मान में दोपहर का भोज दिया। दिनांक 15 और 16 जुलाई को आगरा में प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुशर्रफ और मैंने 5 घंटे से भी अधिक समय तक आमने-सामने बैठकर व्यापक चर्चा की। हमने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत की।

भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता के संबंध में संसद में वक्तव्य, 24 जुलाई, 2001

इन चर्चाओं के दौरान मैंने जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दों पर प्रगति के लिए विश्वास का माहौल पैदा करने के महत्त्व पर बल दिया। मैंने अन्य विशिष्ट मुद्दे भी उठाए, जो शांति की प्रक्रिया में सहायक हो सकते थे। इनमें पाकिस्तान की जेलों में कैद 54 भारतीय युद्धबंदियों का मुद्दा, कुख्यात आतंकवादियों और अपराधियों जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है का प्रत्यर्पण करने, पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिंदू मंदिरों की देखरेख करने, पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा परस्पर लाभ वाले व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे शामिल थे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में यह बात उन्हें बता दी कि भारत के पास आतंकवाद और हिंसा को पूरी तरह से कुचल देने के लिए दृढ़ संकल्प, शक्ति और क्षमता है। मैं इसी दृढ़ संकल्प को आज इस सदन में दोहराना चाहता हूं।

अपनी बात में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने केवल जम्मू और कश्मीर पर ही चर्चा की। माननीय सदस्य उनके सभी विचारों से अवगत होंगे। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया—दोनों द्वारा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था।

हमारे विचारों में स्पष्ट मतभेद होने के बावजूद हम संयुक्त दस्तावेज के मसौदे में इस मतभेद को कम करने की दिशा में आगे बढ़े। हम दस्तावेज में अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर और शिखर स्तर पर बैठकों के आयोजन सहित सभी मुद्दों पर भावी वार्ता प्रक्रिया की रूपरेखा को शामिल करना चाहते थे। हमने परमाणु और परंपरागत हथियारों के प्रति विश्वास का माहौल बनाने के उपायों सहित शांति तथा सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर, आतंकवाद के मुद्दों और संयुक्त बातचीत से उभरकर सामने आये अन्य सभी मुद्दों के समाधान के प्रस्ताव रखे, किंतु अंत में हमें संयुक्त दस्तावेज के अपने प्रयासों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के समाधान पर अड़ा रहा। पाकिस्तान सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को स्वीकार करने और उसका हल निकालने का भी इच्छुक नहीं था। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और मैं इस बात पर सहमत थे कि हम संयुक्त दस्तावेज जारी करने के लिए अपने बुनियादी सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते।

यद्यपि भारत और पाकिस्तान—दोनों के बीच जम्मू और कश्मीर के समाधान के बारे में गहरे मतभेद हैं, किंतु हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ताना संबंधों में चहुमुखी प्रगति का जम्मू और कश्मीर के संबंध में हमारी बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस वाद-विवाद से कि जम्मू और कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है या नहीं, कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम इस राज्य में सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद और हिंसा की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जम्मू कश्मीर में भाड़े के विदेशी

आतंकवादियों द्वारा और विदेशी धन से जो हिंसक गतिविधियां जारी हैं, वे और कुछ नहीं, सिर्फ आतंकवाद है। निर्दोष स्त्री, पुरुष और बच्चों की हर रोज हो रही हत्या को हम न 'जेहाद' कह सकते हैं और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन। यह विचारणीय है कि आगरा शिखर वार्ता के समाप्त होते ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर जा रहे हमारे तीर्थयात्रियों को मार दिया गया। और, अभी दो दिन पहले एक और नरसंहार हुआ, जिसमें एक ही समुदाय के लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए। इसीलिए सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को खत्म करने से पाकिस्तान का इनकार ही परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है।

पाकिस्तान 'कश्मीरी लोगों' की इच्छा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान चाहता है। मुझे विश्वास है कि हरेक कश्मीरी, चाहे वह कश्मीर घाटी का हो या जम्मू, लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उत्तरी क्षेत्र या शाक्सगाम घाटी का, उसकी सबसे पहली इच्छा अमन-चैन, सुरक्षा और आजादी के साथ रहने की है, ताकि वह आर्थिक प्रगति कर सके। हमारी यह लगातार कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें उनका यह मौलिक अधिकार दें। अधिकतर कश्मीरियों के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी जायज मांगों को सामने लाते हैं। कश्मीर की सभी अन्य विचारधाराओं को सुनने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वे कितने ही छोटे तबके का प्रतिनिधित्व क्यों न करते हों, बशर्ते वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इसी भावना के साथ हमने ऑल पार्टी हुर्रियत कांफरेंस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की पेशकश की थी।

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मुझे पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी हमारे विदेश मंत्री को आमंत्रित किया है। इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार, पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध जारी रहेंगे। हम बातचीत और परस्पर मेल-मिलाप को जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान को यह समझाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमारा द्विपक्षीय सहयोग केवल किसी एक मुद्दे के समाधान की खातिर रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम आगरा में संयुक्त दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सके, फिर भी हम आपसी समझ पैदा करने में कुछ हद तक सफल हुए। इसी आधार पर समझौतों के दूसरे क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ेंगे। निस्संदेह सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की चिंता को भावी बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दस्तावेज में शामिल किया जाना होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम किसी प्रचार या बहस के किसी मुद्दे की तलाश में नहीं हैं। हम संयम और गंभीरता से कूटनीति जारी रखेंगे। शांति, मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों के लिए हमारे प्रयास प्रबलता से जारी रहेंगे। □

विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण : भारत की वचनबद्धता

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस 53वीं महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूं। हम संयुक्त रूप से कामना करते हैं कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह करें तथा इसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। पूर्व अध्यक्ष को भी उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं तथा पिछले वर्ष किए गए उनके कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

मुझे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा को संबोधित करने का अवसर 1977 में मिला था, जब मैं विदेश मंत्री था। तब से मुझे कई वर्षों तक महासभा के अधिवेशनों में आने का मौका मिला, परंतु उस समय मैं किसी मंत्री के पद पर आसीन नहीं था। मैं उन प्रधानमंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझमें विश्वास जताया। मेरे लिए इसका महत्त्व इसलिए भी है कि इससे राष्ट्रीय हितों और भारत की विदेश नीति के विषय में आम सहमति का पता चलता है। जब मैंने 1977 में महासभा को संबोधित किया, तब वह कई अर्थों में भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ था। जनता सरकार कई दलों का एक मिला-जुला रूप था, जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए एकत्र हुए थे। तब से लेकर अब तक हमारे यहां कई सरकारें आईं और गईं, परंतु लोगों की राजनीतिक जागरुकता और हमारी संवैधानिक प्रणाली को कायम रखने वाली संस्थाओं में उनका विश्वास हमेशा अडिग रहा है। आज, जब मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से यहां आया हूं, तब मैं एक मिली-जुली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत ने यह दिखा दिया है कि विकासशील देश में भी लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा सकता है। मुझे विश्वास है कि भारत के अनुभवों से यह साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र विकासशील देशों में स्थायी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार ही बन सकता है। इसी मार्ग को भारत के लोगों ने चुना है और आज मैं आपके सामने इसी नए उभरते भारत के प्रतीक के रूप में खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय, 1970 के दशक की बातें अब इतिहास बन चुकी हैं। शीतयुद्ध की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। पिछले दो दशकों की विशिष्ट बात यह रही है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। उदाहरण के लिए, हम उन देशों में से एक हैं,

---

संयुक्त राष्ट्र की 53वीं महासभा में भाषण; न्यूयार्क, 24 सितंबर, 1998

जिन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा है। इसी आधार पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ का भी लोकतंत्रीकरण देखना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को न तो प्रतिबिंबित करती है और न ही उनके अनुरूप बदलती है, निश्चित रूप से विश्वास खो देगी। इसलिए हम एक पुनर्गठित और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं, जो अपने अधिकतर सदस्य देशों की चिंताओं के प्रति पहले से अधिक जिम्मेदार हो और 21वीं शताब्दी में हमारे समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो।

सुरक्षा परिषद् समसामयिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रजातंत्र का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। शीत-युद्ध की समाप्ति के बाद इसे कार्रवाई करने की स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु अनुभवों से पता चलता है कि परिषद् ने तभी कार्रवाई की है, जब ऐसा करना इसके स्थायी सदस्यों के लिए सुविधाजनक रहा। सोमालिया में जो कुछ हुआ, वह सुरक्षा परिषद् की गरिमा के अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, और भी उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। शांति कायम रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों को स्थायी सदस्यों के भौगोलिक एवं राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। शांति-बहाली के कार्यक्रमों को बाह्य राजनैतिक प्राथमिकताओं तथा धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

इसका एक ही समाधान है—सुरक्षा परिषद् में नए सदस्यों को शामिल करना। सुरक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। विकासशील देशों को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह वह अधिकार है, जिसके हकदार विकासशील देश है। यदि सुरक्षा परिषद् को सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है तो कुछ विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब, जब हम यह देखते हैं कि सुरक्षा परिषद् केवल विकासशील देशों में ही कार्रवाई करती है। यह स्वाभाविक ही है कि विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर ये देश समान आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्य उपायों के साथ-साथ, सुरक्षा परिषद् का भी पुनर्गठन कर इसकी अस्थायी सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और विकासशील देश भी इसे अपना सहयोग दे सकें। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक सुरक्षा परिषद् के अधिकार स्थायी सदस्यों के हाथों में रहेंगे, तब तक विकासशील देशों के हितों की न तो सुरक्षा हो सकती है और न ही उनको बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा तभी होगा, जब उन्हें भी वर्तमान स्थायी सदस्यों की भांति सदस्यता मिलेगी। ऐसा होने पर ही सुरक्षा परिषद् अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का सामना करने योग्य एक प्रभावी संगठन बन पाएगी। हां, यह जरूरी है कि नए स्थायी सदस्यों में इस उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। हममें यह क्षमता है और हम मानते हैं कि जैसाकि हमने इस मंच से पहले भी कहा है, भारत स्थायी सदस्य के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है और हम इसके लिए सक्षम हैं।

वह दिन महत्त्वपूर्ण होगा, जब लोकतंत्र सार्वभौमिक मानदंड बन जाएगा और जब संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को अपनी संस्थाओं और कार्यकलापों में शामिल कर लेगा। तथापि लोकतांत्रिक देशों में आतंकवाद से जूझना काफी कठिन कार्य है। मेरे देश और अन्य लोकतांत्रिक देशों के समक्ष अपना लोकतंत्र बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और आतंकवादियों पर नियंत्रण पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझसे पहले अनेक वक्ताओं ने जिक्र किया है कि आतंकवादियों ने लोकतांत्रिक देशों की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए विश्वभर में भयंकर तबाही मचाई है। मुझे याद है कि लगभग दो दशक पूर्व भी 7 देशों के शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद को सभ्य देशों के लिए सर्वाधिक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद से एयर इंडिया के कनिष्क विमान, लॉकरबी में पेन-एम एयर लाइन्स में हुए विस्फोट से लेकर नैरोबी और दार-ए-सलाम में हाल में हुए विस्फोट की घटनाओं ने इस बात की पुष्टि की है।

अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एक ऐसा खतरा है, जो हम सभी को समान रूप से चुनौती दे रहा है। आतंकवाद के कारण विश्वभर में रोजाना मौतें होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में से सर्वाधिक दुर्दम्य, व्यापक और जघन्य अपराध है और इससे समाज में पुरुषों और महिलाओं के जीवन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारी खतरा है। भारत में हमें लगभग दो दशकों से आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, जिसे हमारे एक पड़ोसी देश द्वारा मदद देकर भड़काया जा रहा है। हमने इसका सामना काफी सहनशीलता से किया है, लेकिन इस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसी को हमारी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसकी जड़ें विश्वभर में फैल चुकी हैं। आज नशीली दवाओं, हथियारों तथा धन के अवैध व्यापार से इसके संबंध हैं। संक्षेप में, आतंकवाद आज विश्व स्तर पर खतरा बन चुका है, जिसका मुकाबला एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से ही किया जा सकता है।

हम सबको अपने मन-मस्तिष्क में यह बात हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए कि आतंकवाद मानवता के प्रति एक अपराध है। एक खुले समाज में एकतरफा उपायों को शायद ही मान्यता मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति पाना तो और भी कठिन है। अत: विश्व के सभी खुले और सर्वसंग्राहक समुदायों का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि वे इस खतरे से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करें। डर्बन में हुई शिखर बैठक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे सामूहिक उपाय विकसित करने के लिए 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया है। हमारा आग्रह है कि 1999 में सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन देशों और संगठनों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की जा सके और आतंकवाद की पहल करते हैं, उसमें मदद देते हैं तथा उसे बढ़ावा देते हैं।

मानव-अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की इस 50वीं वर्षगांठ पर इस बात की

बढ़ती हुई आवश्यकता महूसस की जा रही है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एक ही ताने-बाने में जुड़े हों। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा हाल के वर्षों में किए गए विश्लेषणों से उस दुष्चक्र का पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन से नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मानव-विकास की रिपोर्ट में अपनी विषय-वस्तु निर्धारित करने में विकासशील देशों के लिए आर्थिक मानदंडों को अधिक महत्त्व दिया जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए इस मानदंड को कम महत्त्व दिया जाता है और विकासशील देशों के लिए विकास के अधिकार के महत्त्व का उल्लेख प्रमुखता से किया जाता है। अत: यह चिंता का विषय है कि मानव-अधिकारों के संवर्द्धन में एक पक्ष की वकालत अकसर विकास के अधिकार की कीमत पर होती है।

भारत ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध तथा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध—दोनों को ही अपना समर्थन दिया है। हमारे देश में अन्य संस्थाएं, जैसे—राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक स्वतंत्र मीडिया, एक स्वतंत्र न्यायपालिका—सभी इस आश्वासन के साथ अपना-अपना कार्य करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकारों से संबंधित कानूनों से सभी नागरिक लाभ उठाएं। हमें इस बात का यकीन रहा है कि जब तक विकास के अधिकार सहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की दिशा में प्रगति नहीं ली जाती, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से निजात नहीं मिल पाएगी। फलस्वरूप प्रवासन, लोगों के विस्थापन तथा मानवाधिकारों के हनन जैसी बुराइयां उठ खड़ी होंगी।

20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दूसरी प्राथमिकता परमाणु निरस्त्रीकरण की चुनौती है। हमने हाल के दशकों में रासायनिक और जैविक हथियारों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान शताब्दी में परमाणु अस्त्रों का विकास और उनका विध्वंसकारी प्रयोग हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि महा-विनाश के इस अस्त्र के इस्तेमाल की परंपरा अगली शताब्दी में न रहे।

पिछले 50 वर्षों से भारत विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सभी के लिए समान तथा न्यायोचित सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत रूप से लगा हुआ है। ये अवधारणाएं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों में निहित हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस उद्देश्य के साथ विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन अस्त्रों से मुक्त विश्व में न केवल भूमंडलीय सुरक्षा, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मजबूती आएगी।

व्यापक परमाणु-परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर बातचीत आखिरकार 1993 में इस जनादेश से शुरू हुई कि ऐसी संधि "परमाणु अस्त्रों के अप्रसार, परमाणु निरस्त्रीकण की प्रक्रिया तथा इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की इस दिशा में सभी पहलुओं पर प्रभावी ढंग से अपना योगदान देगी।" भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय

और रचनात्मक ढंग से हिस्सा लिया और दुनिया से समस्त परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव करके इस संधि को निरस्त्रीकरण के ढांचे में ढालने की मांग जाहिर की।

यह पुरानी बात है कि भारत के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। जिस रूप में यह संधि सामने आई, उसे भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्वीकार नहीं किया। हमने अपनी आपत्ति जता दी। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देने के बावजूद संधि के कार्यान्वयन के लिए भारत के हस्ताक्षर और स्वीकृति को पूर्व शर्त बना दिया गया।

सुरक्षा-वातावरण में आए बिगाड़ को ध्यान में रखते हुए 1996 में सी.टी.बी.टी. से दूर रहने पर मजबूर होना पड़ा और फिर भारत ने 11 और 13 मई, 1998 को पांच सीमित भूमिगत परीक्षण किए। ये परीक्षण निकट भविष्य में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।

इन परीक्षणों का यह अर्थ नहीं है कि विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता में कोई ढील आई है। तदनुसार इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद भारत ने भविष्य में और भूमिगत तथा परमाणु-परीक्षण विस्फोटों पर एक स्वैच्छिक रोक लगाने की घोषणा की। हमने इस वचनबद्धता को कानूनी जामा पहनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाकर भारत ने पहले ही सी.टी.बी.टी. की बुनियादी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। 1996 में भारत इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सका होगा, क्योंकि इससे हमारी क्षमता कुंठित रहती तथा हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, भारत अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा-संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहयोग करने का इच्छुक है तथा सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हम इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष तक ले जाना चाहते हैं, ताकि सी.टी.बी.टी. में शामिल होने से सितंबर, 1999 के बाद विलंब न हो। हमें उम्मीद है कि जैसा कि सी.टी.बी.टी. के अनुच्छेद-14 में दर्शाया गया है, अन्य देश इस संधि को बिना शर्त मंजूर करेंगे।

लंबी चर्चाओं के बाद जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन अब अप्रसार संधि पर बातचीत प्रारंभ करने की स्थिति में है, जो परमाणु हथियारों अथवा अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के लिए विखण्डन सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा। हमें पुनः इस बात की जानकारी है कि यह एक आंशिक कदम है। ऐसी संधि जब कभी पूर्ण एवं प्रदत्त होगी, उससे वर्तमान परमाणु हथियार समाप्त नहीं होंगे। फिर भी, हम ऐसी संधि, जो भेदभावपूर्ण न हो और भारत की सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करती हो, तो सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छी भावना के साथ इस विचार-विमर्श में भाग लेंगे। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में अन्य किसी भी बहुपक्षीय पहल पर गंभीरता से ध्यान देगा।

परमाणु-अप्रसार के प्रति वचनबद्ध एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने यह निर्णय लिया है कि वह इन हथियारों अथवा इससे संबंधित जानकारी को अन्य देशों को हस्तांतरित नहीं करेगा। परमाणु शक्तिसंपन्न भारत के संदर्भ में हमारे पास निर्यात नियंत्रण की एक कारगर प्रणाली है और जहां कहीं आवश्यक होगा, इसे और अधिक कड़ा बनाया जाएगा। इसमें उपकरणों और प्रौद्योगिकी की नियंत्रण सूची का विस्तार शामिल है, ताकि इनको समकालिक और प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ-साथ एक विकासशील देश होने के नाते हम इस बात के प्रति भी जागरूक हैं कि परमाणु प्रौद्योगिकी के अनेक शांतिपूर्ण प्रयोग हैं और हम अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप में सहयोग जारी रखेंगे।

कुछ सप्ताह पहले डरबन में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रस्ताव रखा था और निर्गुट आंदालेन इस पर सहमत भी हुआ था कि सभी परमाणु अस्त्र को चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले, बल्कि 1999 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। मैं विश्व समुदाय के सभी सदस्यों, विशेष-रूप से परमाणु-शक्ति से संपन्न देशों का आह्वान करता हूं कि वे इस अभियान में साथ दें। आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि नई शताब्दी में इस वचनबद्धता का स्वागत करने के लिए हम एकत्र हों कि मानव जाति परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की धमकी अथवा इसके प्रयोग से कभी भी आशंकित नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, 1990 का दशक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा; और यह बात कहीं भी उतनी स्पष्ट नहीं है, जितनी विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य में। विजय की उस भावना, जिसने विश्वव्यापी पूंजीवाद को जन्म दिया, की जगह आज सावधानी और यथार्थवाद का आविर्भाव हो रहा है। आरंभ में जिसे एशियायी फ्लू कहा गया, अब यह अन्य महाद्वीपों में भी फैलता दिखाई दे रहा है।

यह अनुमान कि मुक्त पूंजी के प्रभाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा विश्वव्यापी वित्तीय बाजार विनियम-दरों का समायोजन कर सकेंगे, गलत साबित हुआ है। केवल बड़ी मात्रा में 'अप्रत्यक्ष धनराशि' की वृद्धि हुई है, जो उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के कारण सृजित नहीं हुई है। परंतु 'अप्रत्यक्ष धनराशि' की शक्ति ही वास्तविक हो गई है, जो इस बात से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली मुद्राओं के तीव्र आंतरिक और बाह्य लेन-देन के प्रभाव का सामना करने में अक्षम है। अल्पावधि में इसकी अस्थिरता आर्थिक नियमों का अनुपालन नहीं करती, बल्कि अफवाहों और भावनाओं पर आधारित होती है, जिसके परिणाम और गंभीर हो जाएंगे। विकासशील देशों में और पश्चिमी वित्तीय पूंजी-बाजारों में अब इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि पूंजी-बाजारों का समय-पूर्व उदारीकरण वर्तमान संकट का मुख्य कारण रहा है।

क्या इसका अर्थ यह है कि विश्व को भू-मंडलीकरण से मुंह मोड़ लेना चाहिए?

हमारा स्पष्ट उत्तर है—'नहीं'। एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता द्वारा जनित एक घटना है। लेकिन हमें परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्था करना सीखना होगा। भारत उतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ है, जितना अन्य देश प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमने मुख्य तौर पर उन नीतियों को ही अपनाया, जो अधिक विवेकपूर्ण थीं। लेकिन एक वर्ष में वस्तुओं के मूल्य में 30 प्रतिशत की गिरावट और नए उभरते बाजारों में निवल पूंजी के प्रवाह के 50 प्रतिशत की कमी का प्रतिकूल प्रभाव विकसित देशों सहित किसी भी राष्ट्र के विकास पर पड़ेगा।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत जैसे खुले विकासशील देशों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अनियंत्रित मुक्त बाजार प्रणाली के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। वास्तव में, हमें असमानताओं को कम करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में एक स्थायी माहौल बन सकेगा। ऐसी नीतियां जवाबदेह लोकतंत्रों में आवश्यक होती हैं और किसी भी प्रकार से यह व्यवस्थित उदारीकरण के प्रति असंगत नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम विश्वव्यापी और परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में एक नई अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का सूत्रपात करें। यह महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संप्रभुत्वसंपन्न राष्ट्रों का कार्य है और इसे केवल एक अनियमित बाजार की परिवर्तनशीलता पर नहीं छोड़ा जा सकता।

देवियो एवं सज्जनो और मित्रो, जब मैं यह कहता हूं कि हम एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं तो मैं ऐसा सबके लिए कहता हूं। ऐसा हम बहुत बार पहले कह चुके हैं, परंतु हम सब इस बात से अवगत हैं कि हम एक नए रोमांचकारी विश्व में पदार्पण करने वाले हैं। कई शताब्दियों पहले आइसॅक न्यूटन ने अपनी वैज्ञानिक खोजों को समुद्रतट पर बिखरे हुए पत्थरों की तरह बताया, जबकि सत्य का समुद्र अज्ञात ही रहा। यह उस महान वैज्ञानिक की विनम्रता थी कि उसने अपनी खोजों का वर्णन इस प्रकार किया, परंतु मेरा विश्वास है कि अब हम वास्तव में सत्य के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। हमने आश्चर्यजनक खोजें की हैं तथा हम और भी खोजें करेंगे, जिनसे मानव जाति प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगी।

परंतु फिर भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है, जो ठीक नहीं है। पूरा विश्व अपने आप में परेशान है। विश्व के लगभग सभी हिस्सों में ऊपरी शांति के नीचे शक्तियों के बुलबुले बन रहे हैं, जिनसे पिछले शताब्दी की हमारी उपलब्धियां खतरे में पड़ गई हैं तथा जिनका उद्देश्य विश्व को कट्टरता, हिंसा और अस्वस्थ ऐकांतिकता की ओर ले जाना है।

भारत एक संदेश देना चाहता है : यह कोई नया संदेश नहीं है, क्योंकि लगभग सभी धर्मों ने इस चिंतन को पहले भी व्यक्त किया है। परंतु हमने अपने दैनिक जीवन

में स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता के सिद्धांतों को संजोकर रखा है। यदि 21वीं शताब्दी में विश्व में अब तक के विश्व से अच्छा बनाना है तो इन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। इतिहास साक्षी है कि इन मूल्यों को अपनाने का उपदेश देना तो आसान है, परंतु इन पर अमल करना मुश्किल है। लेकिन अब, जबकि हमारी परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विश्व और इसके नेताओं को पूरी इच्छाशक्ति के साथ समय की मांग को देखते हुए नए युग में एक नए दृष्ट्रिकोण के साथ प्रवेश करना चाहिए। हमारे सामने यही कार्य है और मैं घोषणा करता हूं कि आने वाली परीक्षा की घड़ी में भारत अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार है।

अंत में, मैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद में लिखे एक मंत्र के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं—

स्वस्तिर्मानुषेभ्यः।
ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्।
शं नो अस्तु द्विपदे।
शं चतुष्पदे।
ओम शांतिः शांतिः शांतिः।

भावार्थ—

सभी मुनष्य समृद्ध हों,
सभी वनस्पतियां और जीव-जंतु, जो सभी प्राणियों
के जीवन का आधार हैं, फूलें-फलें,
सभी मनुष्यों में सद्‌भावना हो,
सभी पशुओं में परस्पर प्रेम हो,
हर तरफ शांति, शांति और शांति ही रहे। □

भविष्य का आह्वान

आज जब हम यहां एक-दूसरे से रू-ब-रू हैं, एक नई सदी और एक नया युग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारी आजादी के 50 साल गुजर गए। जहां हमें इस पर फख्र है, वहां अफसोस भी है। फख्र इसलिए, क्योंकि दोनों मुल्क अपनी-अपनी आजादी को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं; अफसोस इसलिए कि 50 साल के बाद भी हम गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं पा सके हैं।

मैं वजीरे आजम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तवारीखी जगह पर मेरे लिए दावत का इंतजाम किया है। यह वह शानदार किला है, जिसकी गोद में शाहजहां ने जन्म लिया था और जहां अकबर ने अपनी जिंदगी के 10 से भी ज्यादा साल गुजारे थे। आपने जिस गर्मजोशी के साथ ख़ैर-मक़दम और मेहमान-नवाजी की है, उससे मुझे और मेरे डेलीगेशन को बहुत खुशी हुई है।

जनाब वजीरे आजम साहब, आप इस तवारीखी किले और शहर लाहौर की रवायत को पूरी तरह कायम रखे हुए हैं। इस मौके पर ग्यारहवीं सदी के शायर मसूद बिन साद बिन सलमान के इस शेर को याद करना मुनासिब होगा :

शुद दार गम 'लोहुर' रवानम या रब!
या रब! कि दार आरजू-ए-अनाम या रब!

प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 10 सालों में हिन्दुस्तान के किसी वजीरे-आजम का यह पहला दौरा है। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देखा, उस वक्त मेरे दिल में मिले-जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैग़ाम लेकर आपके बीच आ रहा हूं। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। भारत और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों के बीच 50 सालों तक आपसी मनमुटाव चलते रहना हमें शोभा नहीं देता।

जब मैं आपके बीच विदेश मंत्री के नाते आया था, तब मैं अकेला आया था, आज मेरे साथ हिंदुस्तान के सभी तबकों के जन-प्रतिनिधि और नुमाइंदे आए हैं।

पाकिस्तान में राजकीय भोज के अवसर पर व्यक्त उद्‌गार; लाहौर, 20 फरवरी, 1999

लाहौर और दिल्ली के बीच बस का चलना सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही को आसान बनाना नहीं है। दोनों देशों के बीच दौड़ती और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती यह बस दोनों मुल्कों के लोगों की इस चाह को प्रकट करती है कि हमारे संबंध सुधरें और हम मिल-जुलकर रहें। अगर बस सिर्फ बस होती, अगर बस लोहे और इस्पात की बनी सिर्फ एक गाड़ी होती तो दोनों मुल्कों में ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया में इतनी हलचल और उम्मीदें पैदा नहीं करती।

जनाब वजीरे आजम, हमारा यह फ़र्ज है कि हम अपने लोगों की आशाओं और इच्छाओं के अनुसार भरोसा और भाईचारा पैदा करें और दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत ढांचा खड़ा करें।

हाल ही के कुछ महीनों में हमारी बातचीत में ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जिनसे लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दोनों मुल्क इस मिली-जुली बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, ताकि यह तय हो सके कि इंसानियत से जुड़े हुए मुद्दों को जल्दी हल किया जाए। चीनी और बिजली की ख़रीद जैसी आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए, आपसी यकीन पैदा करने के तरीकों पर बातचीत की जाए और उन पर आम राय बने। यह एक शुरुआती कदम है। मुझे यकीन है कि हम जो कुछ भी मिल-जुलकर करना चाहते हैं, उस पर अमल करने के लिए हम अपने-अपने अफसरों को हिदायत देंगे।

हमने अपने रिश्तों के उन पहलुओं पर भी बातचीत की है, जिन पर हम एक राय नहीं हो रहे हैं। उन पर बातचीत जरूरी भी है। चूंकि हम मसलों को हल करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस बात का ख़्याल रखना होगा कि ऐसा कोई सवाल नहीं है, जिसे सीधी बातचीत के जरिए सुलझाया न जा सके। दरअसल यही एक रास्ता है।

आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसका हल हिंसा और खून-खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ-सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। जो लोग हिंसा की वकालत करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनसे मुझे एक ही बात कहनी है। वह यह कि वे अमन और समझ-बूझ के रास्ते की सचाई को समझें। यही वजह है कि हम कंपोजिट डायलॉग के सिलसिले में सभी बकाया मुद्दों, जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, पर बातचीत का स्वागत करते हैं। जैसे-जैसे हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य हमें दावत दे रहा है। वह हमें पुकार रहा है, सचमुच हमसे मांग कर रहा है कि हम अपनी संतानों की संतानों और उनकी संतानों और आने वाली नई पीढ़ियों की भलाई के बारे में सोचें।

हिंदुस्तान से मैं एक संदेशा लाया हूं। वह यह कि हम एक ऐसा रास्ता बनाकर जाएं, जिससे बेएतबारी दूर हो, विरोध व आपसी मतभेद मिटें तथा पुख्ता अमन-चैन

कायम हो। दोस्ती, भाईचारे तथा कोऑपरेशन का माहौल बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि इकट्ठी कोशिशों के जरिए ऐसा करने में हम कामयाब होंगे।

मैं प्रधानमंत्री महोदय तथा बेगम साहिबा को तहेदिल से भारत आने की दावत देता हूं। भारत में आपके आने का इंतजार है। आपने हमारा इस्तकबाल जिस गर्मजोशी से किया है, हम भी उसी तरह आपका स्वागत करेंगे। मैं आपकी खुशहाली और तरक्की, भारत और पाकिस्तान के बीच अमन-चैन तथा सहयोग की कामना करता हूं। □

पड़ोसी देशों के साथ संबंध-सार्क

दक्षिण एशिया को एक आर्थिक शक्ति बनाना

दक्षेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मैं अपने अन्य सहयोगियों के साथ बधाई देता हूं। पाकिस्तान सरकार की इस बात के लिए मैं खुले दिल से सराहना करता हूं कि उसने इस शिखर सम्मेलन के लिए उत्तम प्रबंध किये और हमारे शिष्टमंडल का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। मैं इस अवसर पर दूसरे शिष्टमंडलों के साथ दक्षेस के पिछले अध्यक्ष नेपाल की भी सराहना करता हूं, जिसने विगत दो वर्षों के दौरान दक्षेस गतिविधियों का मार्गप्रदर्शन पूरी शक्ति और मनोयोग से किया। नेपाल ने महाराजाधिराज की सरकार के कई महत्वपूर्ण घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। आज हमारे सामने जो सफल परिणाम आ रहे हैं, उनमें से कई बातों की रूपरेखा काडमांडू में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकों में तैयार की गई थी।

आर्थिक और सामाजिक यथार्थ

काडमांडू में विगत शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि दक्षेस के 16 वर्ष पूरे होने पर अब इसे आर्थिक और सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह अपनी किशोरावस्था से निकलकर प्रौढ़ता की ओर बढ़ सके।

दक्षेस को बने 18 वर्ष हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि गत शिखर सम्मेलन से अब तक दक्षेस ने काफी संतोषजनक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने एक सामाजिक चार्टर को अंतिम रूप दिया है। हम अधिमान्य व्यापार प्रबंधों की दिशा में आगे बढ़े हैं और साफ्टा हेतु समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। हम एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर सहमत हुए हैं, जिसके कारण सन् 1987 के आतंकवाद-संबंधी हमारे अनुबंध को और अधिक समीचीन बनाया जा सका है। गरीबी-उन्मूलन से संबंधित स्वतंत्र आयोग ने गरीबी-उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें करके एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है।

लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। दक्षेस को अस्तित्व में आए 18 वर्ष हो गए हैं और अब इस क्षेत्र के लोग इससे काफी अपेक्षाएं करने लगे हैं। हमें यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि लोगों की इन अपेक्षाओं को उस अनुपात में पूरा नहीं किया जा सका है, जितनी क्षमता दक्षेस में है। दक्षेस के लाभ अभी साधारण

बारहवें दक्षेस शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिया गया भाषण; इस्लामाबाद, 4 जनवरी, 2004

लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। माले शिखर सम्मेलन में हमने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जिस समूह का गठन किया था, उस समूह ने दक्षेस की शक्तियों और कमियों की पुनरीक्षा की है, और इस दिशा में कुछ सिफारिशें भी की हैं। अभी इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस समूह द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें का कार्यान्वयन करने की दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। हमें अब विचारों की दुनिया से निकलकर कार्ययोजना के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हमें अपने सद्‌भावनापूर्ण वक्तव्यों को अमल में लाए जा सकने वाले कार्यक्रमों में परिवर्तित करना होगा।

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम

गरीबी-उन्मूलन संबंधी हमारे स्वतंत्र आयोग ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आयोग ने यह नोट किया है कि हमारे सभी देशों में स्थानिक और चहुंओर व्याप्त गरीबी के बावजूद दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठते हुए, सर्वोत्तम परिपाटियों की बहुमूल्य धरोहर है। इनमें से कई परिपाटियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तथापि हमने उनको व्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए उनसे प्राप्त संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए तथा क्षेत्रीय गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों में उनके उपयोग के लिए उन्हें कहीं भी लिपिबद्ध नहीं किया है। मैं अपने सभी सहभागी दक्षिण एशियाई देशों से अनुरोध करता हूँ कि अब हमें एक उद्‌देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आइए, हम अपने प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों के साथ एक ऐसे समर्पित कार्य-बल का गठन करें, जो इस दिशा में कार्यान्वयन को गति प्रदान करे। यह कार्य-बल दक्षेस सचिवालय के अंगर्तत अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यदि यह कार्य-बल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो भारत इसकी मेजबानी करना चाहेगा। यह कार्य-बल चाहे दक्षेस सचिवालय के अंगर्तत कार्य करे या स्वतंत्र रूप से, हम इस कार्य-बल की स्थापना और इसके परिचालन पर होने वाले व्यय का वहन करेंगे।

इसके अतिरिक्त हम एक गरीबी-उन्मूलन कोष का भी प्रस्ताव करना चाहेंगे, जिसका प्रबंधन पेशेवर ढंग से किया जा सके और जो हमारे देशों में विशिष्ट गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सके। इस तरह के कोष के सृजन से संबंधित बातों और इसके चार्टर पर एक बार सहमति बन जाने पर भारत इस कोष में आरंभ में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान देगा। इस बारे में भारत यह भी चाहेगा कि यह धनराशि पूरी तरह भारत के बाहर दक्षेस के दूसरे देशों में चलाई जा रही परियोजनाओं पर खर्च की जाई। गरीबी-उन्मूलन आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि दक्षिण एशिया सन् 2010 तक अपने यहाँ व्याप्त गरीबी को आधा कर सकता है और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता से वंचित लोगों की संख्या में भी 50 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है।

आपसी विश्वास की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का ध्येय 2015 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी जनशक्ति आधार और अपने हाल के आर्थिक सुधारों के दम पर दक्षिण एशिया इन लक्ष्यों को और जल्दी प्राप्त कर सकता है और इसे ऐसा करना भी चाहिए। आइए, हम सब यह संकल्प करें कि हम सन् 2010 तक सभी सहस्त्राब्दी विकास-लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेंगे। पुनः भारत एक ऐसे दक्षेस समूह की स्थापना हेतु सहायता राशि प्रदान करेगा, जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करे, और वह उन देशों की सहायता विशेष रूप से करेगा, जो इस दिशा में काफी पिछड़े हैं।

किसी भी संयुक्त उद्यम में आपसी विश्वास और भरोसे की आवश्यकता होती है। कई दशकों से दक्षिण एशियाई देश, जो एक जटिल और कष्टकर उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, एक समेकित आर्थिक समझ बनाने और अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करने में विफल रहे हैं। हम आपसी अविश्वास और छोटी-छोटी प्रतिद्वंद्वताओं में उलझे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारा क्षेत्र शांति से मिलने वाले लाभों से वंचित रहा है। इतिहास हमें सचेत कर सकता है, हमारा मार्गप्रदर्शन कर सकता है, हमें सिखा सकता है या हमें सावधान कर सकता है, लेकिन इसे हमारी प्रगति में बाधक नहीं बनाना चाहिए। अब हमें एक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले ही मैंने अंडमान द्वीप की यात्रा की थी। उपनिवेशवाद के दौरान इसी द्वीप पर हमारे राजनीतिक बंदियों को कैद में रखा गया था। वहां की सेल्यूलर जेल के अभिलेखों में मैंने ऐसे कई बहादुर शहीदों और स्वतंत्रता-सेनानियों के नाम पाए हैं, जो दक्षिण एशिया के वर्तमान तीन देशों के वासी थे। हमारे पूर्वजों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम में धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषायी मतभेदों से ऊपर उठकर आततायी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष किया था। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हममें से अनेक का इतिहास साझा है और यह इतिहास हमारे बीच के विभाजनों से काफी पहले का है। दो वर्षों बाद हम उस ऐतिहासिक क्रांति की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे। कदाचित् भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समान प्रतिरोधी के विरुद्ध चलाए गए अपने संयुक्त संघर्ष की स्मृति में एक साथ मिलकर यह वर्षगांठ मना सकते हैं।

क्षेत्रीय सहयोग

हमें दूसरे देशों के अनुभवों से उचित सबक सीखना होगा। आपसी संघर्षों और लड़ाइयों के शताब्दियों बाद अब यूरोप एक हो रहा है और विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक समूह के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। अपने निकट में ही, आसियान देशों ने आर्थिक सहयोग के रास्ते में अपनी राजनीतिक समस्याओं को आड़े नहीं आने दिया। अफ्रीका, लातीनी अमरीका तथा कैरेबियन क्षेत्र में भी निरंतर घनीभूत होते क्षेत्रीय

सहयोग के उदाहरण हमारे सामने हैं। यहां के देशों में भी एक समय आपस में बहुत अधिक शत्रुता रही है। ये सभी उदाहरण हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक पूर्वाग्रहों पर तर्कसंगत अर्थिक सहयोग की जीत होनी चाहिए।

निःस्संदेह, हम दक्षेस क्षेत्र में लोगों की बेरोकटोक आवाजाही को प्रोत्साहन देंगे। साथ ही, इस दिशा में हमें समुचित रूप से सख्त नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है, ताकि दक्षेस देशों में अवैध घुसपैठ न हो सके। हमें अपने बीच अवरोधमुक्त व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना होगा। इसके लिए हमें तस्करी, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, अवैध धन गतिविधियां तथा हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। आपसी प्रतिद्वंद्विता और अपर्याप्त समन्वय के कारण आज ये सभी बातें हमारे सीमा-क्षेत्रों में हो रही हैं।

एक दूसरे के यहाँ अधिकाधिक आर्थिक कार्यों के विकास से स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की चिंताओं के प्रति अधिकाधिक संवदेशीलता बढ़ेगी। इससे मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक आर्थिक संघ, अवरोधमुक्त सीमाएं तथा पूरे क्षेत्र के लिए समान मुद्रा जैसे दूसरे अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ा जा सकता है और इन्हें पूरी तरह प्राप्त भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मैं महामहिम भूटान नरेश और उनकी सरकार द्वारा उन विद्रोही गुटों के विरुद्ध उठाए गए साहसिक कदमों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए भूटान की जमीन से हरकतें करते थे। यह पड़ोसी राज्य की सुरक्षा-संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही, दीर्घकालिक रूप से यह सीधे तौर पर स्वयं भूटान की सुरक्षा के लिए हितकर है। त्वरित विकास के लिए विश्वस्तर की संपृक्तता का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिए सड़क, रेलमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग तथा समुद्री मार्गों की एक आधुनिक बहुविध यातायात अवसंरचना की स्थापना हमारी वरीयता सूची में होनी चाहिए।

पुनः हम अपने देशों के प्रतिनिधियों को लेकर एक दक्षेस कार्य-बल का गठन कर सकते हैं। यह कार्य-बल महत्वपूर्ण यातायात-संपर्कों के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन शुरू कर सकता है अथवा इस तरह के अध्ययनों की रूपरेखा तैयार कर सकता है। भारत इस उद्यम में पूरी तरह से सहयोग करेगा। साथ ही इस कार्य-बल द्वारा संस्तुत अर्थक्षम अवसंरचना संपर्कों के वास्तविक सृजन के लिए बड़ी मात्रा में धन देने के लिए भी हम तैयार हैं। विकास मुख्यतः मुक्त सूचना-प्रवाहों पर निर्भर करता है। पूरे विश्व में एक सूचना-संपन्न समाज उभरकर सामने आ रहा है। दक्षेस देशों के बीच डिजिटल बंटवारा यहां के विकास में बाधक बन सकता है और सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकता है।

दक्षेस देशों को अपने 'समाजों' को ज्ञान-आधारित अर्थ-व्यवस्थाओं में परिवर्तित करना होगा। भारत इस संबंध में अपने अनुभवों को दक्षेस के दूसरे देशों के साथ बांटने के लिए तैयार है। सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने

के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दूसरे आदानों के प्रयोग से संबंधित यथासंभव सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। इस क्षेत्र में जल और ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं हमारे वरीयताक्रम में सबसे ऊपर हैं। हमारी साझी नदियां ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन का बहुमूल्य साधन हैं। हमारे यहां हाइड्रो-कार्बन के ऐसे विशाल स्रोत हैं, जिनका दोहन अभी तक नहीं हो सका है। इन साझे स्रोतों का युक्तियुक्त दोहन, जिससे सभी पक्षों को समान लाभ पहुंचे, हमारी दक्षिण एशियाई अर्थ-व्यवस्था के वास्तविक एकीकरण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

जब मैं कल यहां इस्लामाबाद पहुंचा, तो हवाई अड्डे के निकट एक होर्डिंग पर मेरी निगाह पड़ी। इस पर लिखा था, ''एकजुट होकर हम विश्व में अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं।'' मेरी समझ से यह मात्र एक नारा नहीं है। यह एक ऐसे गहन तथ्य को उजागर करता है, जिसका मर्म अभी दक्षिण एशिया को समझना है। विश्व में दक्षिण एशिया की छवि को हमें बदलना होगा। अविश्वास को छोड़कर विश्वास की ओर, घृणा को छोड़कर मैत्री की ओर तथा तनाव को छोड़कर शांति की ओर हमें दृढ़ता से बढ़ना होगा।

हमने राजनीतिक पूर्वाग्रहों की जो बाधाएं खड़ी कर रखी हैं, उनकी तुलना में धर्म, भाषा, जातीयता और संस्कृति के बंधनों ने दक्षिण एशियाई परिवार को काफी अधिक मजबूती से बांध रखा है और वे हमारे लिए कहीं अधिक प्रिय हैं। हमें अपने इन बंधनों को नया रूप देना चाहिए, ताकि हम गरीबी, बीमारी और भूख जैसी समस्याओं पर संयुक्त रूप से विजय प्राप्त कर सकें। हमारा यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र समृद्ध और विविध मानव संसाधनों, युवाओं, अंतरक्षेत्रीय व्यापार हेतु विशाल बाजारों, बृहत् ऊर्जा-स्रोतों तथा समृद्ध जैव-विविधता से संपन्न है।

दूसरे शब्दों में, हमारे पास ऐसी क्षमता, प्रतिभा और संसाधन हैं कि हम दक्षिण एशिया को विश्व की एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बना सकते हैं। लेकिन इसे मूर्त रूप में बदलने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में हम दक्षेस के नेताओं को इसी एजेंडा पर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। □

दक्षिण एशियाई समुदाय का सामूहिक दर्शन

मैं अपने सहयोगियों के साथ नेपाल सरकार और यहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत-सत्कार किया है। इस सम्मेलन के लिए किए गए अति उत्तम प्रबंधों की मैं सराहना करता हूं। भगवान पशुपतिनाथ के ऐहिक निवास-स्थल, इस सुंदर शहर काठमांडू में आकर तथा एक ऐसे देश में आकर, जिससे भारत भौगोलिक रूप से, सगोत्रता की दृष्टि से तथा पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपके देश ने हाल ही में भयावह त्रासदी और आंतरिक परेशानी का सामना किया है, लेकिन आप इनसे और अधिक लचीले समाज तथा लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाले देश के रूप में उभरे हैं।

सार्क के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर मैं आपको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आपके कार्यकाल में यह नई ऊंचाइयों को छुए। इस संगठन को और आगे बढ़ाने में हम अपना भरपूर सहयोग देंगे। अब, जबकि श्रीलंका इसकी अध्यक्षता नेपाल को सौंप रहा है, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति के अथक प्रयासों को नमन करते हैं, जिन्होंने सार्क के इतिहास के सर्वाधिक मुश्किल और अशांत समय में इस संगठन का बड़ी ही दृढ़ता और कुशलता के साथ नेतृत्व किया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे अधिकारियों और मंत्रियों के शिष्टमंडल आपस में मिलते रहे हैं और हमारे उन सामूहिक निर्णयों पर कार्य करते रहे हैं, जो 21वीं सदी में सार्क की कार्यदिशा तय करेंगे।

गत माह सार्क को बने 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने शुरुआती वर्षों में सार्क ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए सुदृढ़ नेटवर्क हेतु एक आधार विकसित किया था। हमारे समेकित कार्यवाही कार्यक्रम में एक विस्तृत कार्यसूची निर्धारित की गई है। विशिष्ट व्यक्तियों के समूह ने सामाजिक कार्यसूची के उन तत्त्वों की पहचान की है, जो सार्क के सोशल चार्टर का केंद्रबिंदु हो सकते हैं। सार्क सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए श्रीलंका द्वारा की गई पहल हमारी बेजोड़ दक्षिण एशियाई पहचान की साझा सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करती है। चिकित्सा और लेखाकार, लेखक और चित्रकार, व्यवसायी तथा पत्रकार आदि अधिक से अधिक पेशेवर लोग सीमा-पार के अपने समान व्यावसायिक वर्ग के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं।

सार्क शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, काठमांडू; 5 जनवरी, 2002

सार्क को इसकी किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में ले जाने के लिए आज जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है परिपक्वता। इससे हम अपने आपसी वैमनस्य को दूर रख पाने में समर्थ हो सकेंगे, ताकि हमारे अल्प संसाधनों को गरीबी, भूख, बीमारी, निरक्षरता आदि के उन्मूलन जैसे अत्यधिक आवश्यक कार्यों पर केंद्रित किया जा सके। इससे शक्तिशाली और समृद्ध दक्षिण एशियाई समुदाय का हमारा सामूहिक दर्शन राजनीतिक विद्रूपताओं की चपेट में नहीं आ पाएगा।

कुछ महीने पहले मैंने एक दक्षिण एशियाई सहयोगी को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने उन्हें स्मरण कराया था कि हम दोनों देशों की समान शत्रु गरीबी है और उन्हें इस बात के लिए आमंत्रित किया था कि आइए, हम अपने देश की जनता की समान आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोग और मेल-मिलाप के पथ पर आगे बढ़ें। आज भी इस मंच से मैं सभी दक्षिण एशियाई नेताओं से वही अपील दुहरा रहा हूं कि आइए, हम सब मिलकर उस गरीबी के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा करें, जिसने केवल इसी क्षेत्र में आधे बिलियन से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। आइए, हम सब मिलकर ऐसे क्षेत्रीय गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम तैयार करें, जो हमारी राष्ट्रीय योजनाओं के पूरक हों और जिनके लागू करने में हमारी प्रतिबद्धताएं दृढ़ हों।

दस वर्ष पहले हमने विशिष्ट दक्षिण एशियाई व्यक्तियों की सदस्यता वाले गरीबी उन्मूलन-संबंधी एक स्वतंत्र दक्षिण एशियाई आयोग की स्थापना की थी। ढाका शिखर सम्मेलन ने इस आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन किया था और दक्षिण एशिया को इसके लिए वचनबद्ध किया था कि वह सन् 2002 तक निर्धनता के समग्र उन्मूलन के लिए कार्य करें। दुर्भाग्य से यह संयुक्त उद्यम आरंभ न हो सका। मेरा मानना है कि हम इस मामले में जनता के ऋणी हैं तथा हमें इस दिशा में एक और गंभीर प्रयास करना चाहिए। निर्धनता-उन्मूलन आयोग अब भी विद्यमान है, इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए तथा इसकी सन् 1992 की रिपोर्ट को अद्यतन करने और उसे कारगर बनाने के लिए आयोग को पुन: आहूत किया जाना चाहिए। कम से कम इस बार तो हमें यह अवश्य दिखा देना चाहिए कि हमारा यह सहकारी तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है। भारत इस पुन: आहूत निर्धनता-उन्मूलन आयोग की बैठक की मेजबानी करने का इच्छुक है और वह आयोग को वे सभी सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे आयोग अपना कार्य तेजी से पूरा कर सके।

आर्थिक कार्यसूची की प्रमुखता

हमारे क्षेत्र के चार देश सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि तीन अन्य विकासशील देश हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकीय क्रांति फैल रही है और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया सिमट रही है, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी नए ढंग से हल किए जाने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमारी आज की सामाजिक-आर्थिक विषमताएं कल के आंकड़ा-विभाजक में परिवर्तित हो जाएं। हमें उदारीकरण

की गति के अनुरूप तथा नवस्थापित उद्योगों की आवश्यकताओं तथा समान विकास को ध्यान में रखकर कुछ कड़े निर्णय करने पड़ेंगे। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि हम सार्क में आर्थिक कार्यसूची की प्रमुखता को मान्यता देते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग इस क्षेत्र में वास करता है। यहां विशाल बाजार, प्राकृतिक संपदा, मानव-संसाधन, तकनीकी दक्षता और बौद्धिक शक्ति सभी कुछ तो है और एकीकृत दक्षिण एशिया अपने साहचर्य का रचनात्मक उपयोग करके अपनी घटक अर्थव्यवस्थओं को आपस में पूरक बनाकर आर्थिक शक्ति का एक केंद्र बन सकता है।

हमें अपना अंतरक्षेत्रीय व्यापार बढ़ाना है, जो फिलहाल तरह-तरह के राष्ट्रीय अवरोधों के कारण सीमित है। इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाले विश्व में क्षेत्रीय आर्थिक समूह निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति का सृजन करते हैं। व्यापक मंदी के दौर में क्षेत्रीय व्यापार उसके विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। साप्टा से आगे मुक्त व्यापार-क्षेत्र, उसके बाद दक्षिण एशिया आर्थिक संघ अपने आप में आर्थिक विकास की एक स्पष्ट शृंखला है। सरकारी उद्योग सहभागिता भी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है और मैं इस पहल के लिए सार्क वाणिज्य संघ को बधाई देता हूँ। हमारे सामने ऐसे भी अजीबोगरीब मामले हैं कि इस क्षेत्र के दो पड़ोसी देशों के बीच दूर के किसी तीसरे देश के माध्यम से व्यापार हो रहा है। विकासशील देश, जिनके सामने भुगतान-संतुलन की गंभीर समस्या है, अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अथवा उपभोक्ताओं के सिर पर यह अतिरिक्त बोझ डालने की फिजूलखर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंतरक्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देते समय हमें सबसे कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं और स्थितियों की ओर भी ध्यान देना होगा। भारत इन देशों के उत्पादों पर और अधिक रियायती सीमाशुल्क पर विचार कर सकता है। हमने नेपाल और भूटान को यह लाभ पहले से ही दे रखा है। दक्षिण एशिया की चहुंमुखी वृद्धि में जान डालने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों की पहचान हेतु अपने मंत्रियों के बीच मैं विचार-विमर्श करने की सिफारिश करता हूं। मैं यह प्रस्ताव भी कर रहा हूं कि इस तरह के व्यापार को सरल बनाने संबंधी मुद्दों पर विचार के लिए वाणिज्य सचिवों की एक बैठक यथाशीघ्र हो।

आतंकवाद का दमन

भारत दो दशक से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे क्षेत्र के अन्य देश भी इसी तरह आतंकवाद से प्रभावित हुए हैं। आतंकवाद ने अलग-अलग देशों में अलग-अलग धार्मिक, क्षेत्रीय, आर्थिक और जातीय कारणों को आधार बनाया है। लेकिन इन सबका अंतिम लक्ष्य, अर्थात् हिंसा और रक्तपात, नागरिकों की हत्या, आर्थिक विनाश तथा सामाजिक तनाव—सर्वत्र एक जैसा ही है। अब हमने आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है, जो इस बात से सहमत है कि आतंकवाद का मुकाबला विश्वस्तर पर व्यापार ढंग से किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर सहमत हुआ है कि कोई भी देश सक्रिय या निष्क्रिय रूप से अपनी भूमिका का इस्तेमाल

आतंकवादी गुटों को वित्तीय सहायता पहुंचाने, शरण देने, हथियार उपलब्ध कराने अथवा उन्हें प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नहीं होने देगा। हाल में अफगानिस्तान के अनुभव ने भी स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि मौन सम्मति, सहनशीलता अथवा आतंकवाद का आयोजन एक ऐसे दैत्य को जन्म देता है, जो उसके जन्मदाता के नियंत्रण से ही परे हो जाता है।

चौदह वर्ष पूर्व इसी काठमांडू शहर में सार्क देशों ने आतंकवाद के दमन से संबंधित एक समझौते पर अपनी स्वीकृति दी थी। एक अंतरराष्ट्रीय उपाय के रूप में वह दस्तावेज अपने समय से कुछ पहले था। दुर्भाग्य से कुछ देशों द्वारा उत्तरवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। हम दक्षिण एशियाई देशों को यह बात समझनी होगी कि हमारा सहकारी भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह हम साथ मिलकर आतंकवाद की समस्या से निपटते हैं। सार्क के इस समझौते को समीचीन और सुदृढ़ बनाने से इस क्षेत्र में सहयोग का एक समकालीन ढांचा उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह आपसी विश्वास पैदा करने का एक शक्तिशाली उपाय भी होगा, जो सार्क के अंदर वस्तुत: हमारी अंत: -क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक हलचल पैदा करेगा।

सभापति महोदय! सार्क का यह शिखर सम्मेलन आज लगभग साढ़े तीन वर्षों बाद आहूत किया गया है। आज आशा की यह किरण दिख रही है कि हम शायद इन वर्षों में अपने क्षेत्रीय सहयोग में इस अवसर को प्राप्त कर सकें। इसके लिए कुछ लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और कुछ पुराने दुराग्रहों को उतार फेंकना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैंने आप सबकी उपस्थिति में उनसे हाथ मिलाया है। अब राष्ट्रपति मुशर्रफ को पाकिस्तान में अथवा वर्तमान के इसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र में ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो आतंकवादियों को भारत में हिंसा फैलाने में मदद करती है। मैं अपने विगत के अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। मैं मित्रता का पैगाम लेकर लाहौर गया था, लेकिन इसका सिला हमें कारगिल के युद्ध तथा काठमांडू से उड़ान भरने वाले इंडियन एयर लाइन्स हवाई जहाज के अपहरण के रूप में मिला। मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को आगरा आमंत्रित किया। इसका ईनाम हमें जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर तथा गत माह भारत की संसद् पर आतंकवादी आक्रमण के रूप में मिला। लेकिन यदि हम दक्षिण एशिया के साझे भविष्य के अपूर्ण वायदों को पूरा करने की दिशा में कोई योजना तैयार नहीं करते तो देश के लोगों की आकांक्षाओं के साथ हम धोखा करेंगे।

□

सार्क के विकास हेतु भारत वचनबद्ध

पिछले कुछ सप्ताहों में सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की विदेश-नीति के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में सदन को नियमित रूप से जानकारी देती रही है। मैं आज सम्माननीय सदस्यों को हाल की घटनाओं के बारे में सूचित करना चाहता हूं। ये घटनाएं विशेष रूप से सार्क, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों और हाल ही में हुए आसियान प्रादेशिक फोरम तथा आसियान के सदस्य देशों के विचार-विमर्श से संबद्ध हैं।

मैं सार्क देशों के 10वें शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 से 31 जुलाई 1998 तक कोलंबो में रहा। मेरे साथ वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री भी कोलंबो गए थे। सार्क शासनाध्यक्ष सम्मेलन में मंत्री स्तर की बैठक में विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

शासनाध्यक्ष सम्मेलन में सार्क के सदस्य देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा फिर व्यक्त की। हमारे इस विचार से सदस्य देश आम तौर पर सहमत थे कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा आधारभूत रूप से बदली हुई भूमंडलीय आर्थिक स्थिति से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए द्विपक्षीय तथा सार्क के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना अनिवार्य है। शासनाध्यक्ष-सम्मेलन की कार्य-सूची में और विचार-विनिमय में इन्हीं बातों की चर्चा मुख्य रूप से की गई।

यह निश्चय किया गया कि उन्मुक्त व्यापार-क्षेत्र स्थापित करने के लिए सार्क को उद्‌देश्यपूर्ण कदम अवश्य उठाने चाहिए। इस उद्‌देश्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ दल बनाया जाएगा, जो इस संबंध में व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करेगा। ऐसा करते समय सबसे कम विकसित देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार के उदारीकरण और सुविधाएं देने के बारे में समय-सूचियां बनाई जाएंगी। दक्षिण एशियायी रियायती व्यापार-प्रबंध के अधीन व्यापार-वार्ता का तीसरा दौर पूरा करने के लिए और अगला दौर शुरू करने के लिए समानांतर कदम भी उठाए जाएंगे।

हमने अपना एक वायदा दुहराया है कि हम व्यापार का उदारीकरण जल्दी से जल्दी करने और इस दिशा में साहसपूर्ण कदम सबसे पहले उठाने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी सरकार के इस निश्चय की भी घोषणा की कि भारत एक अगस्त, 1998 से सार्क देशों से आयात किए जाने वाले माल पर यात्रा-संबंधी सभी प्रतिबंध रियायत के तौर पर हटा देगा।

संसद में दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली; 3 अगस्त, 1998

सार्क के क्षेत्र में विकास और आर्थिक दृष्टि से इस निर्णय के दूरगामी और लाभप्रद परिणाम होंगे। हमारे इस निर्णय का स्वागत किया गया है। हमने यह भी कहा कि भारत सार्क के सदस्य के साथ द्विपक्षीय उन्मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए तैयार है। श्रीलंका ने हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है।

विचार-विमर्श में स्वीकार किया गया कि व्यापार से संबद्ध संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने से पूंजी-निवेश तथा पर्यटन जैसी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से व्यापारिक उदारीकरण के लाभ कहीं अधिक तथा संतुलित होंगे। भारत के इस निर्णय का भी स्वागत किया गया कि सार्क देशों में भारत के उद्यमियों के लिए पूंजी-निवेश की अधिकतम राशि अस्सी लाख अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ अमरीकी डॉलर कर दी गई है और इस बारे में सरकार की ओर से आवश्यक अनुमति जल्द-से-जल्द दी जाएगी। इस निर्णय से और अधिक भारतीय पूंजी लगाई जाने लगेगी तथा व्यापार में वृद्धि होगी।

सामाजिक क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण कदम उठाने के निर्णय लिये गए हैं। उदाहरणार्थ, सार्क के लिए सामाजिक घोषणापत्र, स्त्रियों और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति। अगले सार्क शासनाध्यक्ष-सम्मेलन में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। बाल-कल्याण के लिए प्रादेशिक समझौता भी किया जाएगा।

सदस्य देशों के बीच ऊर्जा का आदान-प्रदान कर क्षेत्र में सहयोग के महत्त्व पर भी हमने बल दिया। भारत ने यह भी कहा कि यह सार्क देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की विशेष बैठक भारत में करने को तैयार है। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी प्रादेशिक परियोजनाओं के लिए सार्क की ओर से विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने पर विचार करने के लिए भारत में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक करने का निमंत्रण दिया। भारत ने व्यापक पर्यावरण से संबद्ध प्रस्तावों का समर्थन करने की भी बात दुहराई।

शासनाध्यक्ष-सम्मेलन के अवसर पर मैंने समय निकाल कर मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति, बंगलादेश और नेपाल के प्रधानमंत्रियों, और भूटान की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष से भी बातचीत की। इन विचार-विनिमयों में हमने अपने मैत्री-संबंध मजबूत किए, संबंधों की समीक्षा के दौरान उपयोगी विचार-विमर्श किया, सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और अपने विचार से अवगत कराया।

इस अवसर पर मैंने अन्य देशों के नेताओं को बताया कि भारत, शांति और स्थिरता के प्रति वचनबद्ध है। पिछले दिनों भारत के परमाणु-विस्फोटों के बारे में जो भ्रम फैल गया था, उसे भी मैंने दूर किया। राष्ट्रों के बीच विश्वास का वातावरण बनाने और निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के प्रयत्नों की सराहना की गई। इस बारे में सहमति थी कि परमाणु अस्त्ररहित संसार के लिए और व्यापक तथा भेदभाव-शून्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण संधि के लिए सार्थक बातचीत शुरू की जानी चाहिए।

शासनाध्यक्ष-सम्मेलन के लिए श्रीलंका सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगे ने अत्यधिक योग्यता और दूरदर्शिता से शासनाध्यक्ष-सम्मेलन का संचालन किया। इसके लिए हमने श्रीलंका सरकार की विशेष रूप से श्रीमती कुमारतुंगे की सराहना की। हमारी कामना है कि सार्क की अध्यक्षा के नाते अपने नए उत्तरदायित्व पूरे करने में श्रीमती कुमारतुंगे सफल हों। हम श्रीलंका को पूरा सहयोग देते रहेंगे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी मैंने बात की। 29 जुलाई को भी उनके साथ काफी देर तक बात हुई। इस अवसर पर मैंने उनसे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता के आधार पर संबंध बनाने को उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित, स्थिर तथा समृद्ध रहे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमें आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए तथा आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक सहयोग के अनेक अवसरों का फायदा उठाना चाहिए, ताकि दोनों देशों की जनता का जीवन-स्तर हम सुधार सकें। मैंने इस पर भी जोर दिया कि हमें अपने मतभेद विवेकपूर्ण ढंग से और वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी बातचीत सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में हुई। मुझे आशा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ सार्थक विचार-विमर्श जारी रहेगा।

श्री नवाज शरीफ के साथ अपनी बातचीत के दौरान हमने दोनों देशों की अधिकारी-स्तर की बातचीत पर भी जोर दिया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत फिर शुरू हुई थी। जून, 1997 में बातचीत के विषय संयुक्त रूप से निश्चित कर लिये गए थे। इस बारे में प्रक्रियाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हमने अपने-अपने विदेश सचिवों को आदेश दिए हैं कि वह बातचीत कर यह काम पूरा करें।

भारत ने सदा कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी विषयों पर सीधे बातचीत करना चाहता है। ऐसी व्यापक और निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा, पारस्परिक लाभप्रद सहयोग बढ़ेगा और द्विपक्षीय मामले सुलझाने में सहायता मिलेगी। बातचीत दोनों देशों के समग्र संबंधों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। हमें संकीर्ण और आंशिक दृष्टि से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विचार-विमर्श का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हमारा उद्देश्य व्यापक और स्थायी संबंध स्थापित करना है। दोनों देशों के बीच विश्वास उत्पन्न करने और क्रियात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई आपसी बातचीत से दोंनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ेगा, ऐसा निश्चयात्मक वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी, जिसमें जटिल समस्याओं पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार-विमर्श किया जा सकेगा। संसार के सभी देश स्वीकार करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादग्रस्त मामले,

जिनमें जम्मू-कश्मीर की समस्या भी शामिल है, दोनों देशों को आपस में बात करके शांतिपूर्वक सुलझाने चाहिए। हमने जो उपाय सुझाए हैं, उनसे इस समन्वित प्रक्रिया को व्यापक आधार पर रचनात्मक रूप में जारी रखा जा सकेगा। साथ ही विश्वास उत्पन्न करने के उपायों, सहयोग और विवादास्पद मामलों पर विचार करने के लिए उपयोगी अवसर मिल सकेगा।

कोलंबो में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बारे में बातचीत की। हम यह प्रक्रिया जारी रखेंगे और राजनयिक स्तर पर संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि दोनों देशों की बातचीत जारी रखने के बारे में समझौता किया जा सके।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान मैंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देना और इसका समर्थन करना दोनों देशों के बीच शांति और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी समान इच्छा के विपरीत है। अत: ऐसी कार्यवाहियां तत्काल बंद की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने इस वर्ष के आसियान मंत्री सम्मेलन के बाद की बैठक में भी भाग लिया। यह सम्मेलन आसियान के विचार-विर्मश करने वाले सहयोगियों के साथ बातचीत का महत्त्वपूर्ण अंग है। हमने 24 से 29 जुलाई तक आयोजित आसियान के प्रादेशिक फोरम की बैठकों में भी भाग लिया। भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। भारत सरकार ने अपनी यह नीति दुहराई कि यह आसियान क्षेत्र के देशों और संपूर्ण एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहता है।

द्विपक्षीय संपर्कों के अतिरिक्त, हमने आसियान प्रादेशिक फोरम और विचार-विमर्श के लिए साझेदारी के ढांचे के अधीन इन देशों के साथ सक्रिय संपर्क भी स्थापित किया। इस वर्ष इन बैठकों में हमारी उपस्थिति विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रही, क्योंकि इनके कारण एक बार फिर हमें यह अवसर मिला कि हाल ही के परीक्षणों के संदर्भ में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में हम अपनी नीति स्पष्ट कर सकें। साथ ही हमने यह भी बता दिया कि इस क्षेत्र की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता में हमारी रुचि सदा रहेगी। हमने प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी विचार-विनिमय किया। आसियान प्रादेशिक फोरम के 'अध्यक्ष के वक्तव्य' में एक पैराग्राफ में दक्षिण एशिया में हाल में परीक्षणों का समर्थन नहीं किया गया, हमने इस अंश से असहमति प्रकट की। हमने पाया कि आसियान क्षेत्र के देश हमारी नीति के तर्कसम्मत आधार को अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं। इन देशों को भेदभाव से रहित व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। हम आसियान क्षेत्र के देशों को भरोसा दिलाते हैं कि भारत, दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु अस्त्ररहित क्षेत्र बनाए रखने का पूरी तरह समर्थन करता है।

आसियान संगठन से हमारे विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप पता चला कि भारत के साथ बातचीत और सहयोग की दिशा में अच्छी प्रगति हुई और हमें इस प्रगति को संयुक्त रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए व्यापार और पूंजी-निवेश, आधारभूत संरचनाओं और मानव-संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति तथा देशों की जनता के बीच व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के बारे में बातचीत द्वारा सहमति के उपायों पर तथा परियोजनाओं पर अमल किया जाना चाहिए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने आसियान देशों के तथा रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों, अमरीकी विदेश मंत्री तथा जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ सार्थक और आशाजनक विचार-विमर्श किया। आसियान की और ए.आर.एफ. की बैठकों में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विचार-विमर्श के कारण पोखरण में दूसरा परीक्षण करने के बाद शुरू किए गए हमारे राजनयिक प्रयत्नों को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो कदम उठाए हैं, उनके महत्त्व और दृष्टिकोण को अब भली-भांति समझा जाने लगा है। यह बात भी स्वीकार की जाने लगी है कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक है। □

भविष्य के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण

मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दसवीं 'सार्क' शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए मैं कोलंबो आया हूं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा है और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यह यात्रा मैं पहली बार 'सार्क' शिखर वार्ता में भाग लेने और एक ऐसे देश श्रीलंका आने के लिए कर रहा हूं, जिसके साथ प्राचीन काल से हमारे घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे समान संघर्ष और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक ढांचे में विकास करने के इच्छुक देशों के अपने साझे अनुभव से हाल के इस दौर में हमारे पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं।

हम श्रीलंका की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में मिल रहे हैं। इससे हमारी इस बैठक का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। श्रीलंका ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है और गर्व की सच्ची भावना के साथ यहां के निवासी अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाठ उमंग और उल्लास से मना रहे हैं। मैं आपको तथा श्रीलंका की सरकार और यहां के देशवासियों को इस आनंददायक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

आज यहां हमारी उपस्थिति आपके प्रति हमारे स्नेह और सम्मान का परिचायक है। अपने इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को आपकी व्यक्तिगत रुचि और आपके द्वारा सुझाई गई पहलों से काफी बल मिला है। वास्तव में श्रीलंका ने हमारे इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग के महत्त्वपूर्ण मसलों पर आम सहमति बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए एक ठोस व दूरदृष्टिपूर्ण कार्यसूची तैयार कर सकेगा। महामहिम राष्ट्रपति गयूम के प्रति भी पिछले वर्ष हमारी इस संस्था को उनके बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श और कुशल नेतृत्व के लिए मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सन् 1985 में 'सार्क' की स्थापना के बाद, इस संगठन ने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में योगदान दिया है। पहले कदम सदैव ही कठिन होते हैं। इन वर्षों में 'सार्क' अनुभवी हो गया है। क्षेत्र के निवासी चाहने लगे हैं कि क्षेत्रीय सहयोग के लाभ उनके जीवन तक भी पहुंचें। यही एक वचन है और एक चुनौती है, जिसका सामना सामूहिक रूप से हमें करना होगा।

दसवीं 'सार्क शिखर वार्ता' के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, कोलंबो, 29 जुलाई, 1998

आज, जब हम नई शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं, हमें अपने क्षेत्र के भविष्य की एक साक्षी रूपरेखा बनानी होगी और ऐसी रूपरेखा का हमारे साझे मूल्यों की गहराई तक जमा रहना जरूरी है। यह हमारी निजी और सामूहिक शक्ति पर आधरित होनी चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया आगामी शताब्दी में अपनी पूरी क्षमताओं को पहचान सके।

हमारे आस-पास दुनिया में बड़े-बड़े आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका हमारे क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण की दुहरी प्रवृत्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश की गति को ही नाटकीय ढंग से बदल दिया है। आर्थिक प्रक्रियाओं के बढ़ते विश्वव्यापीकरण के साथ-साथ नए आर्थिक समूह उभरे हैं और मजबूत हुए हैं। पूर्वी एशिया समेत कई देशों में वित्तीय संकट ने अपेक्षाकृत गतिशील विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियों को तो उजागर किया ही है, विश्वव्यापी वित्तीय उदारीकरण के तनावों और दबावों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को प्रकट भी किया है। जरूरी है कि सार्क देश इन चुनौतियों को पहचानें, समझें और उनका सामना करें। अब तक दक्षिण एशिया में हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है। हमें अपने ढांचों और नीतियों की मजबूती और कमजोरियों को पहचानना होगा, ताकि सुनिश्चित कर सकें—कि विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का पूरा-पूरा लाभ उठाने के साथ-साथ हम कठिनाइयों को दूर करें। विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का मार्ग हमें अपनाना ही है। मेरा प्रस्ताव है कि हमारे रिज़र्व बैंकों के गवर्नर और वित्त सचिव हर वर्ष मिलें और बृहद् आर्थिक नीतियों पर चर्चा करें तथा अपने अनुभवों व विचारों का आदान-प्रदान करें।

अपने आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूत करना 'सार्क' कार्यसूची का केंद्र-बिंदु रहना चाहिए। सभी सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि 'सार्क' की प्रक्रियाओं में कोई विलंब न हो और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहमत समय-सारणियों का पालन किया जाए। विशेष रूप से हमें व्यापारिक उदारीकरण के लाभों से स्वयं को वंचित नहीं रखना है। ऐसे उपायों से न केवल प्रगति होगी, बल्कि हमारे क्षेत्र में विदेशी पूंजी और संसाधन भी आएंगे और शांति एवं विकास का अनुकूल वातावरण भी बनेगा।

व्यापारिक उदारीकरण के दो दौर संपन्न हो चुके हैं। इन दो दौरों में भारत ने अधिकतम रियायतों की पेशकश की है, जिनमें 1,000 से अधिक टैरिफ लाइनें शामिल थीं। हमने न्यूनतम विकसित देशों के लिए टैरिफ में सर्वाधिक कटौती की विशेष छूट दी है। इन प्रयासों के परिणामों को सामने आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि पिछले सात मार्च और दिसंबर के बीच ही ये लागू हुई थीं।

'साप्टा' बातचीत के तीसरे दौर में पिछले साल जुलाई में बड़ी संभावनापूर्ण शुरुआत हुई। सभी शिष्टमंडलों ने उत्पाद-दर-उत्पाद दृष्टिकोण से आगे जाने पर सहमति व्यक्त की और क्षेत्रवार या विषयवार रियायतों के लिए बातचीत की। दुर्भाग्य से इन वार्ताओं को संपन्न करने में अभी विलंब है। हमें मिलकर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस गति

को बनाए रखा जाए और वार्ता तेजी से संपन्न हो।

व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत अपनी ओर से ठोस कदम उठाने को तैयार है। इस अवसर पर विशेष सद्‌भावनास्वरूप, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत पहली अगस्त, 1998 से 'सार्क' देशों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भुगतान-संतुलन के कारणों से लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लेगा। इससे 2,000 से अधिक उत्पादों पर प्रतिबंध उठ जाएगा और 'सार्क' के हमारे साझेदार देशों के लिए हमारे बाजारों में पैठ के अवसर बढ़ेंगे और वे अपने निर्यात बढ़ा सकेंगे। हमारे वार्ताकारों को 'साप्टा' विचार-विमर्श के दौरान टैरिफ में काफी रियायतें देने के भी निर्देश होंगे।

हमने पिछले वर्ष माले में निर्णय लिया था कि मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना निर्धारित समय से पहले हो जाए। हमारे इस निर्णय से व्यापारी समुदाय प्रेरित हुआ है। हमें वर्ष 2001 तक 'साप्टा' के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दुहरानी होगी और इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम उठाने होंगे। मेरा प्रस्ताव है कि हम फौरन एक पृथक 'साप्टा' संधि पर बातचीत करें, जिसमें व्यापार को मुक्त बनाने के लिए समय-सीमाओं का ब्यौरेवार वर्णन हो तथा भेदभावपूर्ण व्यापार-पद्धतियों को समाप्त करना, गैर-शुल्क अवरोधों को हटाना तथा शुल्क में कमी लाना भी इसमें शामिल हो। इस प्रक्रिया में न्यूनतम विकसित देशों की विशेष जरूरतों को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इससे 'साप्टा' के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट व पारदर्शी मार्ग सामने आएगा और हमारी संस्था की विश्वसनीयता और महत्ता बढ़ेगी। हमें इस संधि को करने और 2001 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखना होगा।

तेजी से आगे बढ़ने के इच्छुक देशों के साथ परस्पर मुक्त व्यापार समझौतों पर भी विचार करने के लिए भारत तैयार रहेगा।

व्यापार और निवेश का चोली-दामन का साथ है। संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने से व्यापार की पूरकताएं विकसित होंगी और 'सार्क' देशों में परस्पर व्यापार बढ़ेगा, जो आज चिंताजनक रूप से बहुत ही कम है। निवेशकों में आवश्यक विश्वास जगाने के लिए निवेश संवर्द्धन और संरक्षण के परस्पर या क्षेत्रीय समझौते के जरिए एक संस्थागत ढांचा अत्यावश्यक है। पिछले वर्ष सितंबर में निवेश संवर्द्धन और संरक्षण पर प्रथम 'सार्क' बैठक में एक क्षेत्रीय निवेश समझौता प्रचारित किया गया था, जिस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार दुहरे कराधान को रोकने और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाएं करनी होंगी। इस संबंध में दुहरे कराधान को रोकने के बारे में अगले महीने पाकिस्तान के बैठक बुलाने का हम स्वागत करते हैं।

संस्थागत स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि निजी क्षेत्र वास्तविक विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करे और उन्हें लागू करे। 'सार्क' चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री द्वारा वार्षिक 'सार्क' निवेश मंच की बैठक बुलाने का निर्णय स्वागत योग्य है। भारत में इसने 'सार्क' देशों में भारतीय उद्यमियों द्वारा निवेश

को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस वर्ष जनवरी में हमने 'फास्ट ट्रैक' के तहत सार्क देशों में भारतीय विदेशी निवेश की सीमा को दुगुना कर दिया है। अब मैं और अधिक वृद्धि की घोषणा कर रहा हूं, ताकि 1.5 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के निवेश को 'फास्ट ट्रैक' के तहत मंजूरी मिलेगी, जिससे 'सार्क' देशों में अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

दुनिया-भर में सामूहिक स्वार्थ क्षेत्रीय सहयोग को प्रेरित करते रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय समूहों की सफलता की वजह एक साझा क्षेत्रीय आर्थिक दायरा बनाना रहा है—एक ऐसा दायरा, जिसमें वस्तुओं, पूंजी और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो। हमें चाहिए कि हम 'साप्टा' से परे देखें और अगली शताब्दी की शुरुआत में 'सार्क' आर्थिक समुदाय बनाने की कोशिश करें।

हालांकि हमारे क्षेत्र के कुछेक देशों में ऊर्जा के अछूते भंडार मौजूद हैं, फिर भी हमारे इस क्षेत्र में ऊर्जा की कमी है। हम इस दिशा में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं, जिनसे उत्पादनकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के आर्थिक कल्याण में मदद मिलेगी। इसे आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर माल के आवागमन-संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे प्रयासों से हमारे बीच घनिष्ठ संपर्क कायम होंगे और हम आर्थिक समुदाय की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

यदि हमारे अधिकतर लोग भुखमरी और अस्वस्थता की स्थितियों में रहें और उन्हें सिर छुपाने को जगह, पीने के लिए साफ पानी तथा जीवन की अन्य बुनियादी सुविधाएं न मिलें, तो आर्थिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए गरीबी हटाना हमारी विकास-नीति का केंद्र-बिंदु रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर 'सार्क' ने एकजुट कार्यसूची के जरिए इस क्षेत्र में गरीबी हटाने के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है। एक-दूसरे के अनुभवों, सूचनाओं और आंकड़ों के आदान-प्रदान से गरीबी हटाने के 'सार्क' के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रभावशाली उपयोग हमें करना होगा और एक-दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से सबक लेना होगा। इन वर्षों में हम सबको नियोजन का अच्छा खासा अनुभव हुआ है। हमारे नियोजक संगठनों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए शायद कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है।

'सार्क' के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी विशिष्ट प्रौद्योगिक पहलों की पहचान करें और उन्हें लागू करें, जिनका सीधा असर हमारे गांवों के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर पड़े, जहां हमारी अधिकांश जनसंख्या रहती है। इस संबंध में ग्रामीण दूरसंचार, पेयजल और स्वच्छता, पौधों की उन्नत प्रजातियों से संबंधित प्रौद्योगिकियों की बात दिमाग में आती है। भारत को ऐसी 'सार्क' प्रौद्योगिकी पहल पर विचार करने के लिए 'सार्क' देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों का विशेष सम्मेलन आयोजित करने में प्रसन्नता होगी। हम अपने स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का भी प्रस्ताव करते हैं,

जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार किया जा सके, क्योंकि हमारे सभी देशों में ऐसी पद्धतियों की एक समृद्ध परंपरा है।

कहीं-कहीं संदेह व्यक्त किया गया है कि दक्षिण एशिया के हाल के घटनाक्रम से 'सार्क' प्रक्रिया को धक्का लग सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये आशंकाएं निर्मूल हैं। 'सार्क' सहयोग तो सभी दक्षिण एशियायी देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने, गरीबी कम करने व समाप्त करने और अपने निवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने से प्रेरित है। इसी बात को ध्यान में रखकर 'सार्क' के संस्थापकों ने समझ-बूझकर निर्णय लिया कि इस पर आपसी विवादों का बोझ न लादा जाए, और 'सार्क' को विवादास्पद मुद्दों से बाहर रखा जाए। भारत ने ईमानदारी से 'सार्क' के चार्टर के प्रावधानों का पालन किया है। दरअसल 'सार्क' हमें याद दिलाता है कि हमें उन मुद्दों को तलाशना चाहिए, जो हमें एकजुट करें और अपने विवादों को अलग रखना चाहिए। साथ ही, हम यदि यह उम्मीद करते हैं कि अपने इस क्षेत्र में एक रचनात्मक ढांचे के निर्माण से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, तो हम कुछ गलत नहीं करते। 'सार्क' सदस्य देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर अलग से अनौपचारिक वार्ता के अवसर भी प्रदान करता है। ऐसे विचार-विनियम से आपसी विश्वास व सद्‌भाव निश्चित ही बढ़ते हैं।

मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने का इच्छुक है और अपनी समानताओं तथा विकास की सारी आकांक्षाओं के आधार पर उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। मतभेदों को युक्तिसंगत ढंग से शांतिपूर्ण तथा आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर गंभीर तथा निरंतर बातचीत के पक्षधर हमेशा रहे हैं।

हमारी नीति का मुख्य तत्त्व यह रहा है कि हम विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित हैं तथा हमारा यह विश्वास है कि हमारी तथा शेष विश्व की सुरक्षा, परमाणु हथियारविहीन विश्व में ही सुनिश्चित हो सकती है। हम इस उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों और पहलों पर अमल करते रहेंगे। विशेष रूप से हम एक परमाणु हथियार संधि की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते रहेंगे, जिसमें समयबद्ध तरीके से दुनिया-भर में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की व्यवस्था हो। यह कोई सपना नहीं है। रासायनिक और जैविक हथियारों की संधिवार्ताओं के अनुभवों से पता चलता है, सफलता का एकमात्र रास्ता ऐसी संधियां करना है, जिनका दायरा व्यापक हो, जो सब पर लागू होती हों और भेदभावपूर्ण न हों। हमें विश्वास है कि परमाणु हथियारों से निपटने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है। हमें विश्वास है कि सब सदस्य देश भी इस उद्‌देश्य से सहमत होंगे।

मैं समझता हूं कि अगले दो दिनों तक चलने वाला हमारा विचार-विमर्श महत्त्वपूर्ण होगा। हमें आर्थिक और सामाजिक कार्यसूची पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसी

गति से आगे बढ़ना होगा, जिससे हमारे इस क्षेत्र के एक अरब से अधिक लोगों को सुनिश्चित और ठोस परिणाम तथा लाभ मिलें, 'सार्क' में उनकी आस्था मजबूत हो और समान लक्ष्य की पूर्ति में हम सब लोगों के एकजुट होकर काम करने की क्षमता के प्रति विश्वास बढ़े।

मिल-जुलकर साथ रहने के पांच हजार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तथा छठवीं सहस्त्राब्दी शुरू होने को है। हमने मिलकर एक लंबा रास्ता पार कर लिया है और हमें तय करना है कि कैसे और कहां हम जाना चाहते हैं। हम प्राचीन, परंतु जीवंत तथा जीवित सभ्यताओं से जुड़े हैं तथा हमारे लोग प्रतिभाशाली हैं, हमारी भूमि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। फिर भी हम दुनिया के सबसे गरीब देश हैं।

हमने, सबने मिलकर स्वतंत्रता की एक लंबी और सफल लड़ाई लड़ी और विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य को हरा दिया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 50 वर्ष बाद, अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत से निकलें और अपनी राष्ट्रीय विविधताओं के बावजूद अपनी परस्पर निर्भरता और अनिवार्य एकजुटता की घोषणा करें। मैं आपके विचारार्थ कुछ मुद्दे रखता हूं:

— बहुत हो चुका निष्फल चिंतन
— बहुत तो चुका बैरपूर्ण राष्ट्रवाद
— बहुत हो चुका धर्म और नस्ल पर आधारित टकराव
— बहुत हो चुकी निर्धनता और पिछड़ापन

आइए, हम मिलकर समृद्धि की दिशा में बढ़ें।

यही लोगों की मर्जी है, समय की मांग है और नेताओं का कर्तव्य है। हमसे चूक न हो। □

परस्पर समृद्धि के लिए भारत-मालदीव साझेदारी

मालदीव की यह मेरी पहली यात्रा है। यह बात अब मेरी समझ में आई है कि क्यों मार्कोपोलो ने इन द्वीपसमूहों को 'इंडीज द्वीपों का गुलदस्ता' कहा। और यह भी कि क्यों सदियों से घुमंतू समुद्री नाविक सूर्य से जगमगाते, चांदी की तरह चमचमाते समुद्र-तटों वाले, सुंदर समुद्री झीलों वाले और अपनी गर्मजोशपूर्ण मेजबानी के लिए मशहूर निवासियों वाले इन द्वीपों की तरफ अनायास खिंचे चले आते थे। इस आकर्षक नगर में कई संस्कृतियों का विलक्षण संगम है। मुझे हर्ष है कि आज मुझे शहर की यात्रा करने और इस्लामिक सेंटर की सुनहरी गुंबद तथा मीनारों, राष्ट्रपति महल तथा अली रसगीफानू जियारयी स्मारक को देखने का अवसर मिला, जो उसके विविधतापूर्ण इतिहास व संस्कृति के प्रतिमान हैं।

भारत के साथ भी आपका रिश्ता जाहिर है। इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल और तकनीकी शिक्षा संस्थान जैसे भारत-मालदीव सहयोग के आधुनिक प्रतीक-चिह्नों के अलावा आपके यहां फेनफुशी मस्ज़िद है, जिसका जीर्णोद्धार लखनऊ के एक संरक्षाकारी संगठन द्वारा किया गया है। भारत में लखनऊ मेरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र है। हमने इसी भांति माले की एक और ऐतिहासिक मस्जिद के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा है।

मैं इस देश में बसे प्रवासी भारतीयों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समुदाय यहां का सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय समाज है। मुझे खुशी है कि विश्व के अन्य देशों में बसे भारतीयों की भांति आप भी अपने अधिवासी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। मित्रो, भारत और मालदीव के आपसी सूत्र इतिहास, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति के माध्यम से जुड़े रहे हैं। हम सही मायनों में निकट पड़ोसी हैं। भारत ने हमेशा मालदीव के साथ रचनात्मक साझेदारी चाही है और उसका उद्देश्य रहा है—दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि। आज इसी भावना को लेकर राष्ट्रपति गयूम से मेरी बातचीत हुई, जो काफी सार्थक रही।

दोनों देशों के सहयोग से चल रही वर्तमान परियोजनाओं की समीक्षा हमने की और आधुनिक युग की प्रौद्योगिकी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान भी की। मैंने राष्ट्रपति गयूम से मालदीव के आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

माले में नागरिक अभिनंदन के अवसर पर दिया गया भाषण; 23 सितंबर, 2002

पुन: दोहराई। विश्व के सभी देश चाहे वे बड़े हों या छोटे, निर्धन हों या संपन्न—समान रूप से हमारे आदर के पात्र हैं। पृथ्वी के मुक्त संग्रहालय में प्रत्येक देश एक सुंदर रत्न की तरह है! इसलिए भारत-मालदीव के रिश्ते में आकार अधिक मायने नहीं रखता।

हमारे सहयोग के नए क्षेत्रों में हैं—डिजिटल मैपिंग और मालदीव की भूमि तथा समुद्री तटों का जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण। हमारे अंतरिक्ष विभाग का एक दल, सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना का जलविज्ञान एकक मिलकर इस कार्य को करेंगे। हम एक दूरसंवेदन केंद्र की स्थापना तथा आपके देश के स्वास्थ्य-केंद्रों और भारत के प्रमुख अस्पतालों के बीच उपग्रह-आधारित टेलीमेडिसिन सेवा-संयोजन किए जाने पर भी बात कर रहे हैं।

आपके देश में डाक-सेवा नेटवर्क का कंप्यूटरीकरण करने के लिए एक भारतीय सलाहकार कंपनी आपके डाक विभाग के साथ एक अनूठी परियोजना पर काम कर रही है। सरकार और उद्योग जगत् के बीच साझेदारी का यह एक नवीन मॉडल है, जिसे विकास के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाकर बढ़िया परिणाम लिये जा सकते हैं।

ये परियोजनाएं हमारे द्विपक्षीय सहयोग की गतिमानता और अग्रता को ही विशेपत: व्यक्त करती हैं। हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को समसामयिक स्वरूप देने का प्रयास लगातार प्रयास कर रहे हैं। मालदीव के साथ अपने सहयोग-संबंधों में हमारा विशेष बल मानव संसाधन-विकास पर है। आपके देश में युवाओं की संख्या अत्यधिक है; यहां की आबादी में आधे से अधिक लोग 30 वर्ष से कम आयु के हैं और साक्षरता-दर भी लगभग शत प्रतिशत है। इससे ऊर्जा, नवीन प्रयास करने की मानसिकता और तेज से भरा हुआ एक कर्मीवर्ग दिखता है, जो आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली आधार सिद्ध हो सकता है। अपार संभावनाओं से भरे हुए इस मानव संसाधन के प्रशिक्षण में सहभागिता करके भारत गौरवान्वित है। भारत स्थित संस्थानों के विभिन्न निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में मालदीवी छात्र-छात्राओं के लिए स्थानों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। अगले वर्ष के लिए हमने अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, आई.टी.ई.सी., के तहत भारत में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। दीर्घावधिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी हम मालदीवी छात्र-छात्राओं के लिए स्थान बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

साथ ही साथ, हम मालदीव में क्षमता-निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त निवेश करने की महत्ता को समझते हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थान और आतिथेय व पर्यटन अध्ययन क्षेत्र में तैयार हो रहे विशेषज्ञों की बदौलत आपकी अर्थव्यवस्था में कुशल कर्मियों की बढ़ती मांग की पूर्ति होगी। हमें अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को भी मालदीव में कार्यार्थ प्रतिनियुक्त करके प्रसन्नता होगी। राष्ट्रपति गयूम ने आज मुझे आपके देश में एक 'सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम' स्थापित करने की अपनी सोच के बारे में बताया। भारत इस उद्यम में मालदीव के साथ अपनी विशेषज्ञता बांटने के लिए अति उत्सुक रहेगा।

इस सुंदर देश में आने वाला यात्री इसके पारिस्थितकी तंत्र की नजाकत को देखकर चकित रह जाता है। भूमंडलीय तापमान बढ़ाने वाले कारणों का निदान करने में वैश्व-सहयोग जुटाने के राष्ट्रपति गयूम के अथक प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। रियो-डि-जेनेरो में हुए पृथ्वी शिखर-सम्मेलन में इस मसले को जोर-शोर से उठाए जाने के काफी पहले से ही वे यह बात करते रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल और जैवमंडल को तो राष्ट्रीय सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। पर्यावरण में नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी वैश्व कार्यक्रम बनाने की मांग में हम मालदीव और अन्य समान विचारों वाले देशों के साथ हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

पर्यावरण के खतरे की बात तो है ही, लेकिन आज कोई भी भूखंड आतंकवाद के खतरे से भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। एक वर्ष पूर्व की ही स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अब दुनिया भर में अपनी पहुंच और विनाशकारी मानसिकता को लेकर छा गया है। हमारा देश तो दशकों पहले से ही आतंकवाद की बर्बरता झेलता रहा है। भारत और मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह एक विश्वव्यापी लड़ाई है, जो आपसी साझेदारी की मांग करती है, खासकर उन लोकतांत्रिक समाजों के बीच, जिन्हें आतंकवाद की जननी, कट्टरताभरी मानसिकता से सर्वाधिक खतरा है। चूंकि भारत और मालदीव लोकतंत्रात्मक देश हैं, अतएव हमारे इस क्षेत्र में और विश्व मंच पर भी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ हमारी सहयोगात्मक भूमिका है।

आपके देश की यात्रा करने और विशेषकर भारत-मालदीव साझेदारी की व्यापक संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर मुझे मिला, मैं उसे एक बड़ी बात मानता हूं। हमारी साझेदारी सीधे दिलों के बीच की रिश्तेदारी है। अपने सहयोगियों के साथ आपके देश से जाते हुए मुझे यह विश्वास रहेगा कि इसकी मधुरता और आवश्यकता वक्त के साथ कभी कम नहीं होगी। □

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता

महासभा का यह सत्र 11 सितंबर की उस बर्बरतापूर्ण आतंकवादी कार्रवाई के साये में हो रहा है, जिसने नाटकीय रूप में यह याद दिलाया है कि न तो दूरी और न ही ताकत किसी देश को आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा-कवच दिला सकती है। आतंकवाद ने स्वतंत्रता और सहिष्णुता के उन मूल्यों को अपनी हठधर्मिता से नकार दिया है, जिनका लोकतांत्रिक और बहुलवादी राष्ट्र सम्मान करते हैं।

उनके दुःख की इस घड़ी में जहां विश्व के सभी राष्ट्र एकजुट हुए हैं, वहीं इस भयानक दुर्घटना ने विश्व को हर तरह के आतंकवाद, चाहे वह कहीं भी मौजूद हो और किसी भी नाम से प्रचलित हो, का दृढ़ता से मुकाबला करने का मौका भी दिया है।

भारत को अपने कटु अनुभव से मालूम है कि आतंकवादियों का जाल पूरे विश्व में बिछा हुआ है, जिसे मज़हबी कट्टरवादियों द्वारा उकसाया जाता है। वे अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, जबरन धन-वसूली तथा हथियारों की तस्करी का सहारा भी लेते हैं। उनका मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के घनिष्ठ समन्वित प्रयासों से ही किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1368 तथा 1373 सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, किंतु इनका कड़ाई से पालन करने के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर राष्ट्रों की दृढ़ राजनीतिक इच्छा-शक्ति की जरूरत है। इसमें दो महत्त्वपूर्ण बातें हैं। पहली यह कि आतंकवादियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के स्रोतों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए और दूसरी, उन्हें उन जगहों से हटाना होगा, जहां से वे सुरक्षित होकर प्रशिक्षण और हथियार पाते हैं तथा अपने दुष्कृत्यों को अंजाम देते हैं।

हमें आतंकवाद के लिए किसी भी वैचारिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक औचित्य को दृढ़ता से अस्वीकार करना होगा। हमें ऐसे स्वार्थपूर्ण तर्कों को भी अस्वीकार करना चाहिए, जो आतंकवाद के मूल करणों के अनुसार उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं और इसलिए, वे एक जगह तो आतंकवाद को उचित ठहराते हैं और दूसरी जगह उसकी निंदा करते हैं। जो लोग यह तर्क पेश करते हैं, वे यह बताएं कि 11 सितंबर की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के मूल कारण क्या थे?

भारत अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क के विरुद्ध इस समय चल रहे अभियान

संयुक्त राष्ट्र संघ की 56वीं महासभा में भाषण; न्यूयार्क, 10 नवंबर, 2001

का समर्थन करता है। हमें आशा है कि जल्दी ही यह सफल होगा। अफगानिस्तान को इस समय जिस घोर विपत्ति से गुजरना पड़ रहा है, उसका अंत केवल तभी हो सकता है। जब वहां एक ऐसी व्यापक समर्थन वाली, प्रतिनिधिक तथा तटस्थ सरकार स्थापित की जाए, जो आतंकवाद और कट्टरवाद को रोके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में चल रहे सैनिक अभियान के बावजूद इस दिशा में कार्य करे, ताकि इस अभियान के समाप्त होने के बाद वहां कोई राजनीतिक शून्यता पैदा न हो।

हमें यह समझ लेना होगा कि तालिबान के बाद राजनीतिक समाधान के लिए वर्तमान ढांचा बिना किसी प्रतिनिधित्व के है और इसलिए वह निष्प्रभावी है। अफगानिस्तान के पड़ोस में स्थित होने के कारण वहां की घटनाओं से भारत के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे परंपरागत संबंध हैं। यह देखते हुए हमारा विश्वास है कि भारत अफगानिस्तान में राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करने पर भी विश्व समुदाय को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता की जरूरत होगी, ताकि वहां ऐसी आर्थिक स्थिति बनाई जा सके, जो इस क्षेत्र के अन्य देशों में शरणार्थियों के रूप में रह रहे लाखों अफगानियों की जल्दी से अपने देश में वापसी और उनके पुनर्वास का कार्य शुरू करने में सहायक हो।

भारत इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में साथ देने हेतु तैयार है। हमने अफगानिस्तान में तथा उसके बाहर जरूरतमंद अफगानियों की मदद के लिए दस लाख टन गेहूं, दवाइयों तथा चिकित्सा सहायता के रूप में तत्काल राहत देने की घोषणा पहले ही कर दी है। हमने अफगानिस्तान में लड़ाई के बाद पुनर्निर्माण-कार्यों के लिए 100 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने का भी वचन दिया है। हम इससे भी अधिक योगदान देने के लिए तैयार हैं।

11 सितंबर की घटना में लगभग छ: हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किंतु इस घटना के बाद विश्व की अर्थ-व्यवस्था में आई गिरावट से मुख्य रूप से विकासशील देशों में इससे भी कहीं अधिक लोगों को काल का ग्रास बनना पड़ सकता है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि विश्व भर में लाखों बच्चे मर जाएंगे और लगभग एक करोड़ लोग प्रतिदिन एक डॉलर पर निर्धारित गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने पर मजबूर हो जाएंगे।

विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर विचार करने के लिए दोहा में जारी मंत्रियों के सम्मेलन में इन निराशाजनक आंकड़ों पर भी चर्चा करना उचित रहेगा।

जबकि हम वैश्वीकरण और सतत विकास के लिए नए प्रयास कर रहे हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि उनके लिए राजनैतिक समर्थन गरीबी पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आधार पर ही हासिल किया जा सकेगा।

उरूग्वे सम्मेलन ने अधिकतर विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास की दिशा में अधिक कुछ नहीं किया, बल्कि गरीबी के स्तर तथा आर्थिक खाई में और भी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों को गरीबी दूर करने के लिए अपने सार्वजनिक संसाधनों को काम में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

यही कारण है कि विकासशील देशों में वैश्वीकरण को न के बराबर जन-समर्थन मिला है। इसीलिए हमने अपना ठोस तर्क रखा है कि हमें विश्व व्यापार संगठन के एजेंडा का और विस्तार करने से पहले कार्यान्वयन-संबंधी मुद्दों का समाधान पहले कर लेना चाहिए। हमारी जनता उस स्थिति में *पोस्ट*-डेटेड चेक को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है, जब उसके पास पहले ही *बाउन्स्ड* चेक पड़ा हो।

इसी तरह, सतत विकास की दिशा में की गई पहल से निराशा ही हाथ लगी है। विकासशील देश अपने सर्वोत्तम जैव-विविधता संसाधनों तथा परंपरागत ज्ञान का उचित मूल्य ही प्राप्त नहीं कर सके हैं।

जलवायु-परिवर्तन तथा जैव-विविधता पर हुई संधियां भी विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा प्रत्याशित निवेश को बढ़ावा देने में विफल रही हैं।

औद्योगिक देशों ने उनके विदेशी बजटों को बढ़ाने में अपनी राजनैतिक इच्छा-शक्ति नहीं दर्शाई है। बहुदेशीय विकास संस्थाओं के पास जो धन आता है, वह भी बहुत थोड़ा है। वैसे भी इस अल्प धनराशि का बहुत ही कम हिस्सा रियायती दरों पर मिल पाता है।

इसका ठोस परिणाम यह निकलता है कि यदि वैश्वीकरण और सतत विकास की वर्तमान प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है या उसे जीवित रखना है तो उन्हें किसी भी तरह गरीबी दूर करने के लिए संसाधन पैदा करने होंगे। वैश्वीकरण का उत्साह इससे पीड़ितों के प्रति सहानुभूति से गति पकड़ सकता है।

दु:ख की बात है कि विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों को यह बात ठीक से समझ में नहीं आई है। उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों में भी इस वास्तविकता को नहीं दर्शाया जाता कि उनकी मंद अर्थ-व्यवस्था में तब तक तेजी आना संभव नहीं है, जब तक वैश्वीकरण तथा सतत विकास की प्राथमिकताएं दो-तिहाई आबादी की विकास संबंधी जरूरतों के अनुरूप नहीं बना दी जातीं।

मैंने विकास के संबंध में एक व्यापक विश्वस्तरीय बातचीत का सुझाव एक वर्ष पूर्व अमरीकी कांग्रेस में दिए अपने भाषण में दिया था। इस बातचीत का उद्देश्य उस अत्यधिक असंतुलित स्थिति पर ध्यान देना होगा, जिसमें विश्व की एक-तिहाई आबादी खुशहाली में जी रही है और शेष दो तिहाई जनता को गरीबी और अभाव की दोषी मानती है। आबादी का यह भाग ऐसा है, जिसकी वजह से राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक अव्यवस्था तथा सामाजिक दरार आसानी से पनपती है।

भारत को विकासशील देशों में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए संसाधन

जुटाने के तात्कालिक उद्देश्य के साथ इस बातचीत में समन्वय करने में खुशी होगी। बातचीत के आरंभिक एजेंडा में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जा सकता है-

- कम आय और अत्यधिक ऋण-भार वाले देशों के विदेशी कर्जों की जल्दी से वापस-अदायगी;
- गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रम, जो विशेष रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे विकासशील देशों पर लक्षित हों;

  और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण;
- विश्व के सभी जरूरमंद बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए, और हानिकारक तथा अमानवीय काम-धंधों से बचाने के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम।

समान विकास के लिए हमारा संघर्ष तथा गरीबी के विरुद्ध लड़ाई उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी आतंकवाद के विरुद्ध हमारा अभियान और सुरक्षा के लिए हमारा सामूहिक प्रयास। आज, जबकि हमें आतंकवाद के विरुद्ध तथा सुरक्षा के लिए एकजुट होने की प्रेरणा बाहर से मिली है, हमें चाहिए कि हम विकास के लिए तथा गरीबी दूर करने के लिए उसी तरह मन से दृढ़-संकल्प लें। यह विश्व-व्यवस्था के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि अपने आप में शांति।

अध्यक्ष महोदय! शांति, सुरक्षा तथा विकास के बीच इस मौलिक और घनिष्ठ संबंध को महान भारतीय कवि रवींद्र नाथ टैगोर ने दार्शनिक शब्दों में कहा है, जिसको मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं—

'अब से आगे कोई भी राष्ट्र जो केवल अपने हितों के लिए अकेले ही, दूसरों की परवाह न करते हुए निर्णय लेता है तो वह नए युग के अंतर्बोध के बिलकुल विपरीत होगा और वह शांति से नहीं जी सकता है। अब से आगे प्रत्येक राष्ट्र को अपनी निजी सुरक्षा तथा विकास हेतु पूरे विश्व के कल्याण के लिए जूझना होगा।' □

एशिया में शांति व विकास को प्रोत्साहन

राष्ट्रपति जी, कल अलमाटी में महात्मा गांधी के नाम पर एक मार्ग का नामकरण करने के अवसर पर आपके साथ शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। सीका (परस्पर संवाद एवं विश्वास निर्माण) शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर शांति के इस मसीहा को सम्मानित किया जाना एक विशेष संयोग है। महात्मा गांधी एशिया और विश्व की उत्कृष्ट परंपराओं तथा सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों के प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। यह कोई पहला मौका नहीं है कि भारत और आपके खूबसूरत देश के बीच मार्गों ने शांति का संदेश पहुंचाया है। बहुत समय पहले बौद्ध धर्म हमारे महाद्वीप के अनेक भागों में 'सिल्क मार्ग' से होकर पहुंचा। बाद में सूफी संतों के सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के संदेश की गूंज भारत, मध्य एशिया और विश्व के अन्य भागों में फैली।

आज एशिया के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप से सहयोग और एकता की उस प्रक्रिया के ही अंग हैं, जो प्राचीन समय से एशिया में चलती आ रही है। इसलिए हमें आज विवादों पर अपना ध्यान केंद्रित करते समय अपने साझे ऐतिहासिक संबंधों को न तो भूलना चाहिए और न ही उनके महत्त्व को कम आंकना चाहिए। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि एशिया के देशों की एकता कहीं अधिक मजबूत और स्थायी है, हालांकि हमारे बीच अस्थायी तौर पर मतभेद हो सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति जी, मैं आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा राजनीतिक दूरदृष्टि की सराहना करता हूं। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'सीका' के इस प्रथम शिखर सम्मेलन के आयोजन का श्रेय पिछले दस वर्षों में किए गए आपके अथक प्रयासों को जाता है। यहां अलमाटी में एकत्र हुए नेतागण इस बात का प्रमाण हैं कि हम सभी आपके दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों को जारी करने जा रहे हैं, वे निश्चित रूप से हमारे सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल हैं। लेकिन 'सीका' को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु दिए गए आपके उपहार के रूप में लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, हम यहां एशिया और विश्व के इतिहास की एक अद्वितीय जगह पर एकत्र हुए हैं। पिछली सदी के प्रारंभ में, एशिया के अधिकतर देश औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन थे। आज अनेक विद्वानों ने घोषणाएं की हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से एशिया के कई देश भविष्य की ओर

अलमाटी (कजाकिस्तान) में सीका शिखर सम्मेलन के अवसर पर भाषण; 4 जून, 2002

अग्रसर हो चुके हैं। एशिया में यह हम सभी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे हमें एक नई आशा की किरण दिखाई दी है। इसके बावजूद, एशिया अनेक गंभीर समस्याओं से भी घिरा हुआ है, जो इसकी प्रगति में बाधा बनी हुई है और जिनके कारण इसकी क्षमता में कमी आ रही है तथा ये समस्याएं हमारे लिए तथा विश्व के सभी लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई हैं। इनमें से कुछ समस्याएं हमारे औपनिवेशिक काल की दुखद देन हैं। मेरा मानना है कि इन विवादास्पद मुद्दों में से ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, जिसे धैर्य, ईमानदारी तथा आपसी समझ-बूझ से बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है।

आतंकवाद के जोखिम

दुर्भाग्य से, हाल ही में बातचीत के जरिए विवाद का समाधान खोजने के तर्कसंगत विचार को एक भयानक और विकट शत्रु का सामना करना पड़ा है, जिसका नाम है— आतंकवाद, जो मज़हबी कट्टरवाद द्वारा पोषित है। इसका मुख्य केंद्र भारत के पड़ोस में है। आतंकवाद एशिया तथा पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, लोकतंत्र तथा बहुधर्मी समाजों के लिए सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभरा है। अनुभवों से पता चलता है कि आतंक न तो सीमाओं को मानता है और न ही आत्मसंयम के दायरे का सम्मान करता है। इसकी संहारक-क्षमता तथा घिनौने उद्देश्यों के बारे में विश्व को उस समय पता चला जब 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमरीका पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। किंतु भारत दो दशकों से आतंकवाद को झेल रहा है। भारत में हम आतंकवाद का मुकाबला आत्मसंयम की उस रेखा से कर रहे हैं, जो हमने अपने चारों ओर खींची हुई हैं। हमें फिर इस बारे में ये आश्वासन सुनने को मिले हैं कि इस रेखा को लांघने नहीं दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि इन आश्वासनों की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होगा।

एशिया और विश्व की सुरक्षा प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने संगठित होकर निर्णायक ढंग से तथा तेजी से इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। इस लड़ाई में किसी भी राष्ट्र के लिए आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी दुष्कृत्य का समर्थन करने अथवा आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। साफ और सच्ची बात यह है कि निर्दोष पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्याओं के दोष से कथित शिकायतों की दुहाई देकर अथवा कारणों अथवा मौजूदा परिस्थितियों को नजरअंदाज करके नहीं बचा जा सकता।

आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र परिषद् की प्रस्ताव-संख्या 1373 विशेष रूप से किसी राष्ट्र को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक और राजनीतिक समर्थन देने के नाम पर आतंकवाद को मदद देने से रोकती है। इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन एशिया में विश्वास का माहौल पैदा करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय सिद्ध होगा। 'सीका' को विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए जिन उपायों को सक्रिय रूप से उठाना

देना चाहिए, उनमें आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग तथा लोगों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करना शामिल हैं। हमें चाहिए कि हम एशिया के सभी क्षेत्रों और उनके बीच व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यम तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव-संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते है। भारत का पहले से ही यह विचार रहा है कि इन सभी क्षेत्रों में घनिष्ठ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोग से जहां एक ओर एशिया महाद्वीप में खुशहाली और प्रगति लाई जा सकेगी, वहीं विवादों का भी समाधान हो सकेगा। यही उम्मीद हमें हमारे सभी पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और विश्वास के संबंध विकसित करने के हमारे ठोस प्रयासों को आगे ले जाती है।

राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच अल्प-विकास और असमान विकास हमेशा से ही झगड़े और विवाद का कारण रहे हैं। इसलिए जिस तरह से शांति अपने आप में एक लक्ष्य है, उसी प्रकार हमें संतुलित विकास को भी इसके लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वस्तुत: गरीबी दूर करना तथा संतुलित विकास करना अपने आप में विश्वास का माहौल पैदा करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। इस प्रकार एशिया के विकास की पहल को 'सीका' प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। इसे एशिया के अधिक विकसित देशों को कम विकसित देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सभ्यता व सांस्कृतिक आदान-प्रदान

आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते समय हम कभी-कभी विश्वास का माहौल पैदा करने के उपाय के रूप में अपनी संस्कृति और सभ्यता के आदान-प्रदान के महत्त्व को कम आंकने लगते हैं। प्रकृति ने एशिया को सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बनाया है, किंतु इसकी सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति इसकी विविध सभ्यताएं तथा आध्यात्मिक विरासत है। विश्व के लगभग सभी धर्मों—हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, कंफयूसियन आदि का मूल स्थान् एशिया ही है। ये सभी धर्म यहीं फले-फूले हैं। यह धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यताई विविधता हमें बांट नहीं सकती, बल्कि जिस प्रकार हम अपने धर्म के औचित्य पर गर्व करते हैं, उसी प्रकार यदि हम सभी धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सहिष्णुता और समान आदर के सिद्धांत का पालन करें तो यह विविधता हमारी एकता का एक सशक्त आधार बन सकती है। एशिया की सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता का गहरा प्रभाव हमारे महाद्वीप की सुरक्षा चुनौतियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। एशिया के देश औपनिवेशवाद के विभिन्न अनुभवों से गुजरे हैं। शीत-युद्ध की दहशत का अलग ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है।

एशिया में शांति व सुरक्षा

यह याद रखना भी जरूरी है कि एशिया में चार घोषित परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इनमें विश्व की कुछ सबसे बड़ी सेनाएं हैं। गैर-एशिया की नौसेनाएं एशिया के समुद्री जल में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं। इस महाद्वीप में ऐसे देशों की बहुत

बड़ी संख्या है, जो मिसाइलों का उत्पादन और निर्यात करते हैं। वास्तव में, शीत-युद्ध के बाद एशिया में सेनाओं पर होने वाले खर्च में तीव्र वृद्धि हुई है। इसलिए 'सीका' को ऐसे कुछ विश्वसनीय नियम बनाने होंगे, जिनसे एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिले और देशों की विभिन्न चिंताओं का समाधान हो तथा उनके हितों की रक्षा हो। इनमें एक महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि परमाणुसंपन्न राष्ट्र परमाणु ब्लैकमेल न करें। भारत ने पहले परमाणु हमला न करने की नीति अपनाई है। हम समझते हैं कि सभी परमाणुसंपन्न राष्ट्र यदि ऐसा ही नियम अपनाएं तो यह एशिया तथा विश्व के लिए विश्वास का माहौल पैदा करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय होगा।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, विश्व-शांति की चाह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग काफी कठिन हो सकता है। आज हमारा विश्व उन मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिन्हें हमने झेला है। किंतु यदि हम अभी से शांति के लिए प्रयास शुरू कर दें तो हमारी भावी पीढ़ियां हमारी ऋणी रहेंगी। हमें चाहिए कि हम उनके लिए ऐसी विरासत न छोड़ें, जिसमें हिंसा हो।

कज़ाकिस्तान के महान दार्शनिक और कवि अबाई ने एक बार कहा था:

''अपने मन की गहराई में झांको और मेरे शब्दों पर मनन करो:
आपके लिए मैं स्वयं तथा मेरी कविता एक पहेली है।
मेरा जीवन संघर्षों में बीता है, हजारों दुश्मनों को मैंने ललकारा है।
किंतु मुझे निष्ठुरता से मत आंकना— क्योंकि मैंने आपका मार्ग प्रशस्त किया है।''

अलमाटी में मैंने इन पंक्तियों पर विचार किया है। इनसे मेरे मन में आशा की किरण जगी है। अबाई की तरह मुझे भी मालूम है कि हमारे सम्मुख एक कड़ा संघर्ष है, किंतु अबाई की तरह मैं भी आशान्वित हूं कि अच्छाई की, बुराई पर जीत होगी तथा आंतक एक दिन अपने हथियार डाल देगा। मैं इसलिए भी आशान्वित हूं कि एशिया और विश्व के लोग भविष्य में शांति, प्रेम, भाई-चारे और सहयोग के माहौल में जिएंगे।

□

इराक से संबंधित स्थिति पर वक्तव्य

पिछले कुछ सप्ताहों से इराक से संबंधित हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत हमेशा से इराक मुद्दे का शांतिपूर्ण हल ढूंढने के पक्ष में रहा है। खाड़ी में शांति और खुशहाली से भारत का महत्त्वपूर्ण हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों के साथ लंबे अरसे से हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध चले आ रहे हैं। खाड़ी देशों में 35 लाख से अधिक भारतीय लोग काम कर रहे हैं, जिनकी खैरियत तथा सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय है। उनके द्वारा भेजा जाने वाला धन हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा एकत्र करने का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। भारत के 60 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात इस क्षेत्र से किया जाता है। खाड़ी के देश हमारे लिए निर्यात की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।

भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपने संकल्प 1441 में सर्वसम्मति से लिये गए उस निर्णय की वैधता को मानता है, जिसमें इराक को हथियारों से मुक्त कराने तथा इराक-कुवैत तथा पड़ोसी देशों की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने का प्रावधान किया गया है। संकल्प 1441 में ऐसे निरीक्षणों की कड़ी व्यवस्था की गई है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मांग को पूरा किया जा सके कि इराक से व्यापक विनाश के हथियारों का समाप्त किया जाये। हमारा मानना है कि इराक को निरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए तथा सुरक्षा परिषद् के सभी संबंधित प्रस्तावों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यदि सहयोग में तेजी आई होती तो यूनाइटेड नेशन्स वेरिफिकेशन ऐंड इन्स्पेक्शन कमीशन तथा इंटरनेशनल एटॉमिक इनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को इस बात का प्रमाण दे सकते थे कि इराक ने संकल्प 1441 का पालन पूर्ण रूप से किया है।

इराक में हथियार निरीक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाए इस बारे में सुरक्षा परिषद् को ही निर्णय लेना चाहिए। इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर पूरी तरह अमल करने के उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाये जाने वाले उपायों—दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इस उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक सामूहिक निर्णय द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यदि और अधिक समय देने से तथा और स्पष्ट मानदंड

संसद में इराक की स्थिति पर दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली 12 मार्च, 2003

तैयार करने से संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में किसी निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सकती हो तो हम समझते हैं कि इस विकल्प के लिए भी एक मौका दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद् के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे। इसके अंतिम निर्णय से संयुक्त राष्ट्र की वैधता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि हो। यदि एकतरफा निर्णय हावी होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को गहरी चोट पहुंचेगी, जिससे विश्व-व्यवस्था के लिए घातक परिणाम होंगे। इसलिए भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो।

भारत ने इराक में कठिन मानवीय स्थिति के बारे में विभिन्न अवसरों पर अपनी चिंता जताई है। इराक की जनता एक दशक से भी अधिक समय से घोर अभावों और कठिनाइयों में जीवन बीता रही है। हम हमेशा यही कहते आये हैं कि इराक सुरक्षा परिषद् के संबद्ध संकल्पों के प्रावधानों का पालन पूरी तरह से करता है तो उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया जाना चाहिए।

हालांकि हम संपूर्ण मानव जाति के हित में यही आशा करते हैं कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, फिर भी मेरी सरकार ने किसी भी विपरीत परिस्थिति से निबटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। इस समय इराक में 50 से कम भारतीय नागरिक हैं तथा उन सभी लोगों को सलाह दी गई है कि आने वाले दिनों में वे इराक छोड़ दें। इस बात की कम संभावनाएं हैं कि युद्ध की आशंका से पड़ोसी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित होना पड़ेगा। फिर भी, यदि आवश्यक हुआ तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय लोगों को वहां से लाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि कच्चे तेल के आयात में कोई बड़ी बाधा आने की आशंका नहीं है। फिर भी, यदि थोड़े समय के लिए कीमतें बढ़ती भी हैं तो भारत के पास कच्चे तेल के आयात पर आने वाली अधिक लागत को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार मौजूद है। □

मानवाधिकारों के सम्मान की नई संस्कृति

मानवाधिकारों की अवधारणा उन महान सभ्यताओं और धर्मों के बुनियादी सिद्धांतों में हमेशा निहित रही है, जो प्राचीन काल में एशिया में जन्मे और सदियों से जिन्हें यहां पाला-पोसा गया। ये सभ्यताएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, क्योंकि मानवीय गरिमा, कल्याण और चहुंमुखी विकास ही इनके आवश्यक मुद्दे रहे हैं।

एशिया के साथ भारत का जुड़ाव जीवन के प्रति हमारी भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण को पुख्ता करने में सहायक सिद्ध हुआ है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और लोकाचार ने हमेशा व्यापक अर्थों में मानवाधिकारों का प्रचार किया है। हमारी संस्कृति ने विभिन्न समुदायों के बीच सभी की खुशहाली के सुनिश्चित मार्ग के रूप में शांति, भाईचारे, संतुलित विकास और सहयोग के मूल्यों को बढ़ावा दिया है। विश्वव्यापीकरण, जिसमें राष्ट्रों और समुदायों द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के कुछ समान नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करने की बात कही जाती है, उसके वास्तविक रूप लेने से बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः' के आदर्शों की घोषणा कर दी थी।

इस तरह मानवाधिकारों के प्रति भारत की समझ और समर्थन उतना ही सार्वभौम है, जितने प्राचीन मानवाधिकार हैं। आधुनिक युग में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता-आंदोलन के दौरान यही बात प्रकट हुई। भारत के संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में समाहित किया गया है। हमारे यहां सशक्त संसदीय लोकतंत्र है, जिसके संस्थान कार्यपालिका के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर गर्व है, जिसकी स्थापना सन् 1993 में की गई और जिसे अपेक्षित स्वतंत्रता दी गई। अधिकतर राज्यों ने राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोगों का भी गठन किया है। ये संस्थान, सतर्क सभ्य समाज तथा पूर्ण स्वतंत्र प्रेस मिलकर लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा में बड़ी अदालतों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों में पूरक भूमिका अदा करते हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद एक ऐसे युग की शुरुआत हुई, जिसमें दुनिया भर में तीन मूलभूत आदर्शों—लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों का बोलबाला

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम की सातवीं बैठक में भाषण, नई दिल्ली; 11 नवंबर, 2002

दिखाई दिया। एशिया-प्रशांत क्षेत्र सहित समकालीन विश्व इन तीन शक्तिशाली आदर्शों के परस्पर प्रभाव से संचालित है। इन परस्पर संबद्ध आदर्शों की ताकत से पुरानी मानसिकता बदल रही है। नए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण हो रहा है। सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच अभूतपूर्व ढंग से विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान हो रहा है। फलतः इस बारे में जागरूकता बढ़ी है कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों को अभिन्न समझते हुए हमें व्यापक रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुभव से हमने सीखा है कि सच्चे लोकतंत्र और समानता पर आधारित विकास से ही मानवाधिकारों की पूर्ण रक्षा हो सकती है। लोकतांत्रिक समाज लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनमें संसदीय संस्थान, मीडिया ग्रुप और गैर-सरकारी संगठन होते हैं, जो पूरी शिद्दत के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं और कोई खामी होती है तो उसे साहसपूर्वक उजागर करते हैं। इन समुदायों में जब कभी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रोकथाम करने वाला तंत्र खुद ही सक्रिय हो जाता है और राहत के उपाय स्वतः आरंभ हो जाते हैं। पारदर्शिता के अभाव के कारण अलोकतांत्रिक शासन-पद्धतियों में मानवाधिकारों के हनन की आशंका अधिक होती है।

असंतुलन और विकृतियां

विश्व में, विकास के मामले में भीषण असंतुलनों और विकृतियों के कारण मानवाधिकारों की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा है। ये असंतुलन और विकृतियां, अमीर देशों और जो बहुत अधिक अमीर नहीं हैं, दोनों ही तरह के देशों के भीतर और उनके बीच विद्यमान हैं। इन असंतुलनों से समान अवसर नहीं मिल पाते, जो दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के लिए मानवाधिकारों को पूरा करने की अनिवार्य शर्त है। असंतुलनों के सर्वाधिक दुष्प्रभाव से धरती पर करोड़ों निर्धन मानवीय गरिमा से रहित और नितांत अभाव की स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए—

- क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दुनिया में विकलांग व्यक्तियों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है?
- क्या यह सही नहीं है कि घातक एच आई वी/एड्स के प्रसार से पीड़ित लोगों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है?
- क्या यह जानना मुश्किल है कि अवैध व्यापार का शिकार महिलाओं और बच्चों में लगभग सभी गरीब परिवारों के होते हैं?

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि मानवाधिकारों के हनन में सबसे बड़ी भूमिका गरीबी की है। ऐसे में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि 21वीं सदी में गरीबी का उन्मूलन हो। इसके लिए विश्व स्तर और राष्ट्र स्तर पर विकास-संबंधी गहन अंतराल अवश्य दूर करने होंगे। निःसंदेह यह दायित्व हमारे क्षेत्र और अन्य विकासशील देशों की सरकारों

को निभाना होगा, किंतु विकास का अंतर दूर करने की इससे बड़ी जिम्मेदारी औद्योगिक राष्ट्रों पर निर्भर है।

दुर्भाग्य से मानवाधिकारों पर बहस को प्राय: उन लोगों द्वारा गलत दिशा दी जाती है, जो इस मुद्दे को संकीर्ण और गैर-ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानवाधिकारों की अवधारणा बाहर से आई है। अत: वे अहम्पूर्वक विकासशील देशों को उपदेश देते हैं कि हमें मानवाधिकारों को कैसे बढ़ावा देना है। कभी-कभी यह उपदेश सार्वभौम राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का रूप ले लेता है। इससे इस सलाह को भी प्रोत्साहन मिल सकता है कि विश्व मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप हमें किस प्रकार के सांस्कृतिक समायोजन की आवश्यकता है। 'एशियाई मूल्यों' पर ताजा बहस से यह धारणा प्रकट हुई है कि प्राचीन सभ्यताओं की सांस्कृतिक विरासत की तुलना आज स्वीकृत मानवाधिकार-पद्धतियों की संहिता से नहीं की जा सकती और हमें इससे प्रेरित सिद्धांतों को नामंजूर कर देना चाहिए।

ऐसे लोग भी हैं, जो मानवाधिकारों को कार्यप्रणाली के संकीर्ण अर्थ में समझते हैं या अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों के संदर्भ में राज्य के विभिन्न अंगों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली में रूप में देखते हैं। एक सभ्य और विधि-शासित समाज में राज्य प्रशासनिक तंत्र, जिसका दायित्व न्याय की रक्षा करना है, द्वारा ज्यादतियों और अन्याय को बढ़ावा देना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो राज्य की एजेंसियां अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती हैं और नागरिकों, खासकर निर्धन और कमजोर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। इस तरह की घटनाओं की जांच अवश्य की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, लोकतांत्रिक पद्धतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित व्यवस्था होती है।

लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता होने से मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं आसानी से उजागर हो जाती हैं और लोकतांत्रिक नीतियों से उन पर प्रकाश डाला जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और संस्थानों को अलोकतांत्रिक या कृत्रिम लोकतांत्रिक राष्ट्रों में मानवाधिकारों के हनन, बल्कि अनाचारों के प्रति अधिक सजग रहना पड़ता है, किंतु ऐसी घटनाओं से मानवाधिकारों के प्रभाव-क्षेत्र का प्रारंभ या अंत नहीं होता। इनमें सामाजिक और आर्थिक विकास, राजनीतिक अधिकार, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का हक और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं।

आतंकवाद का खतरा

विश्व संदर्भ में हो अथवा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, मानवाधिकारों पर बहस तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक इसमें आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार का आतंकवाद खतरनाक है, किंतु धार्मिक उग्रवाद से दुष्प्रेरित आतंकवाद विशेष रूप से घातक है। दुनिया में और हमारे क्षेत्र में, दोनों

ही स्थानों पर हाल में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। इंडोनेशिया के शांत द्वीप बाली में बम-विस्फोटों में करीब 200 निर्दोष व्यक्तियों की मौत पर हमारा कलेजा कांप उठा है। मैं अभी कंबोडिया में एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटा हूं। वहां भी विचार-विमर्श में आतंकवाद अहम मुद्दों में से एक था।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो संकट भारत को झेलना पड़ा है और जितने लंबे समय से भारत यह संकट झेल रहा है, वैसा शायद दुनिया के किसी देश ने नहीं झेला है। पिछले दो दशकों में पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में 60,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ चुके हैं। हमें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि जब कुछ लोग निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की हत्याओं को 'स्वाधीनता आंदोलन' की संज्ञा देते हैं।

मैं संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, जिनमें आतंकवाद के सभी कार्यों, पद्धतियों और तौर-तरीकों को 'मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां' बताया गया है। उनमें हर तरह के आतंकवाद (चाहे वह राजनीतिक, वैचारिक, दार्शनिक, जातीय, नस्लीय या धार्मिक, जो भी हो) को अनुचित बताया गया है। इन प्रस्तावों में किसी सदस्य देश को अन्य देश में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल न करने देने की सलाह दी गई है। प्रस्तावों के अनुसार कोई देश ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए धन, प्रशिक्षण, संगठन, उग्रवादी और हथियार नहीं दे सकता। हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि मानवाधिकारों का एकमात्र सबसे बड़ा दुश्मन आज आतंकवाद है, जिसे धार्मिक उग्रवाद द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। यह निर्दोष लोगों की जान लेता है। यह हमारी स्वतंत्रता के प्रतीकों को लक्ष्य बनाता है। जैसा कि हम जम्मू और कश्मीर, उत्तरी आयरलैंड और अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में देख चुके हैं, आतंकवाद ने समूची पीढ़ियों को सहज अस्तित्व, शांतिपूर्ण विकास और आर्थिक तरक्की के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर रखा है।

आतंकवादी समूहों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं। प्रौद्योगिकी के विकास और लोकतांत्रिक समुदायों के खुलेपन का लाभ उठाकर वे नए क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई धैर्य और संकल्प के साथ लड़नी होगी। आतंकवाद का मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए हमें कभी-कभी कड़े फैसले करने पड़ते हैं— यहां तक कि अस्थायी आधार पर अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का उल्लंघन और मानवाधिकारों में कुछ कटौती तक करनी पड़ती है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां शांति और सद्भाव से रह सकें।

हमारे क्षेत्र के और दुनिया के सभी राष्ट्रों का यह दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना मिलकर करें। सभी धर्मों का सम्मान और बहुसमुदायवाद की रक्षा की पहचान दुनिया के सभी देशों के दायित्व के रूप में की जानी चाहिए। यह दायित्व संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं, घोषणा-पत्रों और प्रस्तावों को मंजूरी देकर पूरा नहीं

किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयां और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग जरूरी है।

सार रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि मानवाधिकार निश्चय ही एक आकर्षक अवधारणा है। सभी समुदायों में सभी लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ति एक ऐसा आदर्श है, जिसकी कामना हमें करनी चाहिए और उसे हासिल करने के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए। लेकिन साथ ही हम सभी को उस त्रुटिपूर्ण विश्व के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसमें हम रह रहे हैं। जटिलताओं का स्वरूप भिन्न हो सकता है। लेकिन, वे दुनिया के सभी देशों में विद्यमान हैं और कोई इसका अपवाद नहीं है। यह वास्तविकता मानवाधिकारों के आदर्श मानकों के साथ जीने की राह में व्यावहारिक रुकावटें डालती है।

किंतु अगर मानवाधिकारों के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा है, आडंबरमात्र नहीं है और अगर सरकारें तथा सभ्य समाज विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की नई संस्कृति के निर्माण के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम उस आदर्श को पाने के करीब पहुंच सकते हैं। □

आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करें

मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां आने की तकलीफ गवारा की और दो बातें कहने का मौका मुझे दिया। इस समय मुल्क एक गहरी मुसीबत में से निकल रहा है। अचानक ही मुसीबत पैदा नहीं हुई, धीरे-धीरे इसके लिए वातावरण बनाया जा रहा था, आज जो लोग दहशतगर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं, वे अगर उसी समय बोलते, जब भारत दहशतगर्दी का शिकार हुआ था तो शायद हालत अलग होती। लेकिन तब जिन्हें बोलना चाहिए था वे नहीं बोले। उन्होंने समझा कि दहशतगर्दी अगर हिंदुस्तान में होती है, तो होने दो; हमें इससे क्या लेना-देना है। हम अमन से रहेंगे, चैन से रहेंगे। लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि अगर दहशतगर्दी एक बार फैल जाएगी, अगर आतंक का तरीका एक बार मंजूर कर लिया जाएगा, तो फिर वह कहीं रुकेगा नहीं। वो किसी सरहद को नहीं मानेगा, वो किसी मज़हब को नहीं मानेगा, इनसान की जान की कीमत नहीं समझेगा और खून-खराबे की ओर दुनिया को धकेलेगा।

मैं जब अमरीका गया था तो अमरीका की कांग्रेस, जो उनकी पार्लियामेंट जैसी संस्था है, ने मुझे भाषण देने के लिए बुलाया था। उस समय मैंने कहा था कि हम हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आप अपनी सहानुभूति हमें देते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि हिंदुस्तान दूर है, जम्मू-कश्मीर दूर है, हम तो सात समुंदर पार बसे हुए हैं, हमें कौन परेशान करेगा, हमें कौन हैरान करेगा, हमारे ऊपर कौन अंगुली उठाएगा? और, मैंने कहा था कि यह दहशतगर्दी दूरी नहीं देखती है। और 11 सितंबर को जो कुछ हुआ, आपने उसे देखा। निर्दोष लोग मारे गए। अमरीका में जो भी कांड हुआ है, उसमें अनेक मुल्कों के लोग मारे गए हैं, अनेक मज़हबों के लोग मारे गए हैं, खास तौर से हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा मरने वालों में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा अमरीका में काम कर रहे हैं। कमा रहे हैं, अमरीका को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी अपनी तरक्की के लिए प्रयत्नशील हैं। उस समय अमरीकी कांग्रेस के मेंबरों ने मेरी बात को गहराई से नहीं लिया था। आज क्या हो रहा है—आप देख रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी हमें यह ध्यान रखना

प्रधानमंत्री-निवास पर मिलने आए जनसमूह को दिया गया संबोधन; नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2001

चाहिए कि लड़ाई मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की नहीं है, लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दी कहीं भी फैल सकती है, दहशतगर्दी का कोई भी शिकार हो सकता है, दहशतगर्दी को कोई भी हथियार बना सकता है। यह दुधारा हथियार है, अगर एक तरफ चलेगा तो दूसरी तरफ भी मार कर सकता है। इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। अगर शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, बेइनसाफी हो रही है तो उन सब से लड़ने का तरीका क्या है? क्या·निर्दोष लोगों को मारा जाए? औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए? कहीं लोग आराम से काम कर रहे हैं, शांति से अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं और अचानक उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया जाए, यह तो बेइनसाफी से लड़ने का तरीका नहीं है। जो बेइनसाफी करता है, उससे लड़ा जाए, यह मेरी समझ में आ सकता है, उससे भी लड़ने के और तरीके निकाले गए हैं।

लोग कहते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे और, मेरी तथा उनकी बात हो रही थी तब हमने बहुत लंबी बातें की। मैंने कहा कि मसले ही ऐसे थे, जिन्हें लंबे तौर पर बयान करना जरूरी था। जब उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो लोग आतंक फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वह दहशतगर्द नहीं हैं; वो तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आजादी के लिए तो हम भी लड़े थे। हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा था। गांधीजी ने हमें एक रास्ता दिखाया सत्याग्रह का। जिन्होंने सत्याग्रह के रास्ते को स्वीकार नहीं किया, जो और जद्दोजहद करना चाहते थे, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। मगर अंग्रेजी कौम के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं की। गांधीजी ने कहा—अंग्रेजों से हमारा झगड़ा नहीं है। हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे हैं। अन्याय से लड़ना एक बात है और जैसा मैंने कहा, अन्याय से लड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं। वैसे दुनिया में शांति रहनी चाहिए, शांति के बिना तरक्की नहीं हो सकती। शांति तभी हो सकती है, जब हम यह बात स्वीकार करें कि दुनिया को एक ही रंग में नहीं रंगा जा सकता है। यह एक ऐसा बगीचा है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, वैसी दुनिया भी उसी तरह से बनी हुई है, जिसमें अलग-अलग जुबानें हैं, अलग-अलग मजहब हैं, अलग-अलग पूजा के तरीके हैं, रहन-सहन के अलग-अलग तरीके हैं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग हैं, अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब एक हैं। अलग-अलग मज़हब मानते हैं, मगर मिलकर देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें निराशा ही हाथ लगेगी; जो यह चाहते हैं कि हम सबको एक ही रंग में रंग दें। ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी और को अपनी भाषा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जिसका जो धर्म है; वह उसका पालन करेगा, जिसका जो मज़हब है, वह उस पर चलेगा। उसको जबरदस्ती मज़हब बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

देश में विविधता है, दुनिया में विविधता है और इस विविधता की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी कमजोरी नहीं है। यह हमारी ताकत है, 100 करोड़ का हिंदुस्तान आज

अगर एक सूत्र में बंधा हुआ खड़ा है तो इसका कारण यही है कि हमने विविधता में एकता देखी है और विविधता को हमने बढ़ाया है। और, एकता को मजबूत किया है। आप आज़ाद हैं, जिस रास्ते पर जाना जाहें, जा सकते हैं। ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। लेकिन जब जबरदस्ती बात मनवाई जाती है, हथियारों के बल पर मनवाई जाती है तो मानवता पीड़ित होती है, शांति भंग होती है और फिर तनाव के बीज बोए जाते हैं। मैंने विरोधी दलों के नेताओं की बैठक की थी, अन्य पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया था और एन.डि.ए.के. नेताओं को भी बुलाया था। फिर पूछा था कि आज देश की यह हालत है, दुनिया की यह हालत है। बताइए हम जिस नीति पर चल रहे हैं, वह ठीक हैं या नहीं, आपकी क्या सलाह है? और, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि सभी राजनैतिक दलों ने, जिनके मतभेद हैं, अलग-अलग राय हैं, इस सवाल पर एक राय थी कि हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। हमें दहशतगर्दी को परास्त करना है। इसमें पार्टी की दीवारें रास्ते में रुकावट नहीं पड़ेंगी। अलग-अलग पार्टियां हैं, मगर देश में अमन रहना चाहिए। अलग-अलग मजहब हैं, मगर देश में शांति रहनी चाहिए और हमने हिंदुस्तान के रूप में दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा है।

अभी अमरीका में जो उपद्रव शुरू हुआ, उसमें एक सिख को गोली मार दी गई। हिंदुस्तान से गए थे, वह जाकर बसे थे। अमरीका में बहुत से हिंदुस्तानी लोग हैं, मगर उनको यह समझकर गोली मार दी गई कि वे 'अरब' हैं। दाढ़ी भी रखते हैं, बाल भी रखते हैं। वैसे, जहां वे रहते थे, वहां उनका असर था, उनको सब जानने वाले थे, मगर किसी ने दूर से आकर शरारत करने के लिए उसकी हत्या कर दी। और, मैंने यह मामला प्रेसीडेंट बुश के सामने उठाया कि अगर आपके देश में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आप दहशतगर्दी से कैसे लड़ेंगे? तो जो दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक होना चाहिए और एक होकर बुराई का मुकाबला करना चाहिए। हम सब परिवार की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से जो टावर बने थे, आपने अखबार में पढ़ा होगा और यह सही खबर है कि करीब ढाई सौ हिंदुस्तानी अभी तक लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद उनका मिलना मुश्किल है। उनका जिंदा रहना तो और भी कठिन है। क्या जुर्म किया था उन्होंने? जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं दहशतगर्दी में। अगर आपकी सियासत की लड़ाई है तो लड़िए। एक चुनाव का तरीका है, जिसके हाथ में हुकूमत है, आप तय कर लीजिए, वोट डाल दीजिए, मारा-मारी से नहीं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो आप लोगों ने चाहा, तब बना हूं। कोई तलवार लेकर तलवार लेकर नहीं बना। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बनूंगा, लोगों को भी कम उम्मीद थी कि मैं ज्यादा दिन रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अभी तक तो हूं। लेकिन मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। इसीलिए देश के नाम जो संदेश मैंने दिया हैं, उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें अपने देश में अमन रखना है, शांति रखनी है। सांप्रदायिक सद्भाव रखना है, हिंदू-मुस्लिम एकता कायम रखनी है। यह हमारी ताकत है। हमारी लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जो इस्लाम का नाम लेकर अपने उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 56वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए, न्यूयार्क, 10 नवंबर 2001

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'सीसा' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अल्माटी, 4 जून, 2002

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'सभ्यताओं के बीच संवादः नये परिदृश्यों की चाह' विषय पर आयोजित सम्मेलन के अवसर पर, नई दिल्ली, 9 जुलाई 2003

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए, 9 जनवरी, 2004

बारहवें 'सार्क' शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, इस्लामाबाद, 5 जनवरी, 2004

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एशिया सोसायटी में भाषण करते हुए,
न्यूयार्क, 22 सितंबर 2003

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बारहवें 'सार्क' शिखर सम्मेलन को संबोधित
करते हुए, इस्लामाबाद, 4 जनवरी, 2004

बातचीत और अमन का रास्ता

आज दुनिया को बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक देश के बाद दूसरा देश, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसमें शामिल हो रहा है। हम तो 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। जम्मू-कश्मीर में फिर चुनाव होंगे। कौन किसके साथ है, इसका फैसला हो जाएगा। मगर थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। जम्हूरियत की चक्की धीमी चलती है, मगर बारीक पीसती है। खून खराबा नहीं होता। उसके लिए गुंजाइश नहीं हो सकती है। सभी दुनिया में रहते हैं, अमन के साथ रहना चाहिए। देश को खुशहाल बनाने की जरूरत हैं। इसलिए आपने देखा कि हम जब कभी मौका आया, अपने पड़ोसी से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़े। जब जरूरत हुई तो बस में बैठकर लाहौर गए। वो बस की यात्रा सफल नहीं हुई तो हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, सहारा नहीं छोड़ा। हमने कहा कि हम दूसरी बार बुलाएंगे और मुशर्रफ साहब को हमने दूसरी बार बुलाया। आगरे में मुलाकात हुई। हम सोचते थे कि ताजमहल का कुछ असर पड़ेगा, लेकिन असर हुआ नहीं। अभी भी हम फिर से इस बात की कोशिश में हैं कि दोनों देशों के संबंध सुधरें। हम पड़ोसी हैं, हमें साथ रहना है। लेकिन इसलिए हमने आगरा में बातचीत में कहा था कि आप दहशतगर्दी की बात छोड़ दीजिए। वे कहने लगे कि लोग फिर कैसे लड़ेंगे ? मैंने कहा—सत्याग्रह से लड़ेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे। अगर वह रास्ता पसंद नहीं तो चुनाव में हरा दें। इस रास्ते को अपनाइए, सर काटने के बजाय, सर गिन लिये जाएं। लेकिन अगर आपको सर काटने का रास्ता पसंद है तो पता नहीं, किसका सर कटेगा, कौन किसको काटेगा, कह नहीं सकते। यह दहशतगर्दी, जैसे मैंने कहा, एक दुधारी तलवार है। और यह एक बार फैलती है तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि देश में शांति रहे।

शरारती लोगों से सावधान

लखनऊ में जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। जाने गईं हैं। किन हालतों में लखनऊ का वाकया हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन 'सिमी' से कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने वाली थी, शांति से गिरफ्तारियां हो रही थीं, सारे देश में गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं, मगर लखनऊ जैसी हालत कहीं नहीं हुई। लखनऊ मेरा चुनाव-क्षेत्र है। और मैं लगातार लखनऊ के साथ संपर्क में हूं। जब पुलिस ने 'सिमी' संगठन के कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो फिर पथराव हुआ, कानून हाथ में लिया गया। पुलिस वालों को चोटें लगीं। फिर गोली चलानी पड़ी। यह बड़े दुख का मंजर है, बड़े अफसोस की बात है। अगर किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है तो अदालत में उसकी अपील हो सकती है। और, हमारे यहां तो कानून ऐसा है कि जिसके सामने एक अलग से ट्राइब्यूनल बनेगा, जो यह देखेगा कि सरकार ने दहशतगर्दी को रोकने के नाम पर जो कदम उठाये हैं, वो ठीक हैं या नहीं। अगर वह ट्राइब्यूनल इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी संगठन के साथ ज्यादती हुई है तो उसको बरकरार रख सकता है, उसको

वापस ला सकता है। उस पर से पाबंदी हटा सकता है। हमारे यहां पर कानून का राज है, फौजी हुकूमत नहीं है। और, इसलिए दहशतगर्दी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो कुछ हुआ, वह अफसोसनाक है। वहां वे पता लगा रहे हैं कि किस तरह से किन लोगों ने शरारत की। देश के भीतर ऐसे लोग हैं, जो इस मौके का फायदा उठाकर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। उनसे होशियार रहने की जरूरत है। वे मजहब का नाम लेंगे, वे बिरादरी की बात करेंगे। वे इस्लाम का झंडा उठाने की बात करेंगे, लेकिन उनसे होशियार रहने की जरूरत है। अमन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। और अगर कोई बेइनसाफी होती है तो उस बेइनसाफी को दूर करने के रास्ते हैं। हमारी अदालतें हैं। और, आप देखते हैं कि अदालतें किस तरह से फैसले कर रही हैं। कोई रुकावट आती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हमारी चुनी हुई पार्लियामेंट है। हमारे यहां कोई फौजी हुकूमत नहीं है। और, जो सरकार ठीक काम नहीं करेगी और लोगों को परेशान करेगी, लोगों के साथ ज्यादती करेगी, लोगों के साथ भेदभाव करेगी, चुनाव आएगा, वोट डाले जाएंगे और उस सरकार का बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। हमारे यहां सरकार टिकती नहीं है। लेकिन नहीं टिकती है तो इसमें सरकार भी दोषी है। लोग तो अच्छी सरकार चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि हम सरकार के नाते अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ इनसाफ कर रहे हैं। हमारे मन में कभी हिंदू-मुसलमान का भेदभाव नहीं रहा। सभी इस वतन के हैं, नागरिक हैं। भारत माता की संतान है। सब एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। रास्ते अलग-अलग हैं, मगर मंजिल एक है। सबको पहुंचना वहीं है, इसलिए अमन रखकर, शांति रखकर अपने देश को चलाएं। इस दहशतगर्दी को परास्त करें। इसको उखाड़ फेंके और कोशिश करें कि देश में फिर से शांति हो, दुनिया में फिर से शांति हो और हम मिलकर दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ें। □

आपसी संबंध

आर्थिक स्थिरता के लिए विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग

सबसे पहले मैं अपनी तथा अपने प्रतिनिधिमंडल की ओर से आपका तथा आपके माध्यम से जमैका की सरकार व जनता को हार्दिक व उदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। आपका सुंदर देश और मित्रवत लोग, हमारे इस समूह की बैठक के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में हमारी बातचीत उपयोग होगी तथा इसके सुखद परिणाम निकलेंगे।

इस शिखर सम्मेलन का केंद्र-बिंदु विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो अनिश्चय से भरी है और कभी-कभी कुछ अस्थिर सी भी हो जाती है। हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि बड़े पैमाने पर पूंजी-प्रवाह का वरदान, प्रवाह के नाटकीय ढंग से बाहर हो जाने पर अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया, रूस और अभी हाल ही में ब्राजील में इसे कमोबेश होते देखा गया है। किसी देश के आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों या उसकी आर्थिक और मौद्रिक नीतियों में संभावित भटकावों के प्रति बाजारों की प्रतिकिया में कोई असामान्यता नहीं होती, लेकिन मुद्रा के मूल्यों में तीव्र उतार-चढ़ाव से विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटता है। जब भी कोई अर्थव्यवस्था इस संकट से घिर जाती है तो उसे उबरने में काफी लंबा समय लगता है। और फिर, यह भी नहीं है कि प्रतिकूल प्रभाव केवल प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को ही झेलने पड़ते हैं। दुनिया में परस्पर निर्भरता के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि आघात के झटके दुनिया भर में महसूस होंगे और कोई भी देश इनसे अछूता नहीं रहेगा। विशेष रूप से यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है, जिनके बाजार, संस्थान और नियामक व्यवस्थाएं अभी भी अपनी शैशवावस्था में हैं।

भारत भी संकट से अछूता नहीं रहा है, जिसने हमारे विदेश-व्यापार, देश में आनेवाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेशों को प्रभावित किया है। लेकिन हम अपने आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम को अपनी जरूरतों के अनुकूल गति व ढंग से जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में 5 से 6 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की उम्मीद है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम आगामी वर्षों में 7 से 8 प्रतिशत की सतत वृद्धि-दर प्राप्त करें। लेकिन हम संतुष्ट होकर नहीं

जी-15 शिखर सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य का हिंदी रूपांतर, मोंटेगो बे, जमैका; 10 फरवरी, 1999

बैठ सकते। सौभाग्य से, विश्व के वित्तीय ढांचे में सुधार की जरूरत के प्रति आज अधिक जागरुकता उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार पूंजी खाता परिवर्तनीयता जैसे मुद्दों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सावधानी बरतने की जरूरत को अधिक समझा जा रहा है। लेकिन व्यापक संस्थागत ढांचे के अभाव में, जिसके तहत सुधार के प्रस्तावों को जांचा-परखा जा सकता हो, यह जरूरी हो गया है कि जी-15 जैसे मंच विभिन्न विकल्पों पर गौर करें।

हमने इस मामले पर कुछ विचार किया है और हम मानते हैं कि ऐसे सुधारों के लिए कुछ व्यापक सिद्धांत होने चाहिए। सार्वजनिक व निजी तथा विकसित व विकासशील देशों, दोनों ही में पारदर्शिता को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। हमें नियम-आधारित एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी, जिससे विश्व के वित्तीय बाजारों में अधिक अनुशासन आए। जहां संकट उत्पन्न हो, वहां देश को तत्काल सहायता की जरूरत होगी। साथ ही संक्रामक प्रभाव को रोकने के लिए फौरन निवारक उपाय करने होंगे। सहायता के लिए संकट से उत्पन्न सामाजिक परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ व्यापक विचार हैं।

अब मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर आता हूं। उरुग्वे दौरे से उत्पन्न अपेक्षाएं दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो पाई हैं। बाजारों तक सार्थक पैठ अभी भी पहुंच के बाहर है, विशेषकर कपड़ा या वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में यह बात काफी सही है। लेकिन डंपिंग-विरोधी, सुरक्षा-उपायों और अन्य कार्रवाइयों के रूप में हम संरक्षणवाद का उभार देख रहे हैं। कुछ एकतरफा व्यापार उपाय भी हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सेवाओं के बारे में बातचीत के लिए हमारा लक्ष्य विकासशील देशों के लिए उपयोगी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नैसर्गिक मानव-आवागमन के संबंध में पर्याप्त उदारवाद हासिल करना होना चाहिए। इन तथा अन्य मुद्दों पर प्रारंभिक बैठक में विचार किया जा सकता है, जिसे हमने तृतीय विश्व व्यापार संगठन की मंत्री-स्तरीय बैठक से पूर्व कराने का प्रस्ताव रखा है।

उदारवाद की प्रवृत्ति का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह है कि विकासात्मक सहयोग की प्राथमिकताएं पृष्ठभूमि में चली गई हैं। फिर भी विकासशील देशों की संरचनात्मक कमजोरियां अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। विकासात्मक सहयोग के महत्त्व को विश्व-कार्यसूची में वापस लाने में जी-15 महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व रोजगार रणनीति विकसित करने की पहल का हम स्वागत करते हैं।

अपने सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है। सौर-ऊर्जा, जीन बैंकों, लघु उद्योगों, कंप्यूटर-प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में भारत कई परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से अमल कर रहा है। हम इन प्रयासों को जारी रखना चाहते हैं। हम अन्य देशों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में भी भाग ले रहे हैं।

विश्व बाजार विशेषज्ञता की शक्तियों द्वारा अधिकाधिक प्रेरित हो रहे हैं। हमारे लिए विशेष महत्त्व के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो अन्य क्षेत्रों में संवेदनशील ढंग से विकास की संभावनाओं को मजबूत बनाते हैं। इसी कारण से हमने जैव प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में जी-15 के संबंधों को प्रगाढ़ करने की एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। आज विज्ञान से नए उत्पाद और नवीन समाधान सामने आए हैं। आनेवाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर होगा, जिससे उत्पादकता, पूंजी से आमदनी, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इंजीनियरी और सूचना विज्ञान में तीव्र विकास के साथ-साथ जैव-प्रौद्योगिकी से जीवों के बारे में मूलभूत अवधारणाओं में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी निश्चित ही सूचना प्रौद्योगिकी और जैव विज्ञानों में प्रगति की शताब्दी होगी। विकासशील देशों को इन क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग के मूर्त कार्यक्रमों को यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया तो इनसे हमारे देशों के नागरिकों के कल्याण और संपन्नता की दिशा में भारी योगदान हो सकेगा। □

भारत और यूरोपीय संघ की आर्थिक एवं वाणिज्यिक साझेदारी

हमारी परिस्थितियों और अनेक विशिष्ट मूल्यों में एक बुनियादी समानता है, जिससे भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी को और मजबूती मिलती है। हम दोनों ही एक बहुध्रुवीय विश्व में व्यापक भूमिका निभाते हैं। हम दोनों ही सशक्त आंचलिक पहचान वाले विशाल, बहुसंस्कृतिनिष्ठ और बहुभाषी संघीय संस्थान हैं। लोकतंत्र के प्रति हमारे मन में समादर है। बहुपक्षीय विचारविमर्श में परामर्श और सर्वसम्मति का महत्त्व हम समझते हैं। और यही वे राजनीतिक मानक हैं, जिनसे हमारी आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक विकास का मार्ग तय होता है।

हमारे संवाद में विश्व के अहम मसलों पर हम चर्चा करते हैं। विश्वशांति और विश्वसुरक्षा के प्रति प्रयास में हम साझीदार हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष जो बड़ी चुनौती है, वह है—गरीबी-उन्मूलन और सतत विकास। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है; हमारे विदेश-व्यापार के एक तिहाई हिस्से का व्यापार उसी के साथ है, और उसकी महत्ता हम भलीभांति समझते हैं। भारत में वह सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। उसका अधिकांश निवेश उच्च-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है।

भारत में अपार संभावनाएं

प्रत्युत्तर में, हमारा सोचना है कि यूरोप महाद्वीप के देशों की सरकारें और व्यापारी-समुदाय भारत में अपार संभावनाएं पाते हैं, बशर्ते उन्हें व्यापारगत सहयोग और आर्थिक अंतर्संबंधों के लिए पर्याप्त अवसर मिलें। भारतीय अर्थव्यवस्था इस कसौटी पर खरी उतर रही है; आज यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1980 से हमारी औसत वार्षिक विकास-दर 5 प्रतिशत से ऊपर रही है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, एक तुलनात्मक अवधि के भीतर यह सर्वकालिक सर्वोच्च विकास-प्रतिमान है। इस वित्तवर्ष की प्रथम तिमाही में हमारी आर्थिक विकास-दर 6 प्रतिशत से अधिक रही है।

यदि 11 सितंबर की लोमहर्षक घटना के बाद, आतंकित विश्व-बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और वस्तुओं के दामों में आती भारी कमी के मद्देनजर बने अनिश्चितता के वातावरण को देखें, तो यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह उपलब्धि हमारे देश

कोपेनहेगन में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार-शिखरवार्ता में दिया गया भाषण; 9 अक्तूबर, 2002

में दावानल की तरह फैलते उस आतंकवाद के बावजूद है, जिसे हमारे देश की सीमा के पास से संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य भारत में राजनैतिक उथल-पुथल, अर्थव्यवस्था-भंग तथा सामाजिक कटुता की स्थिति उत्पन्न कर देना है। लेकिन हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति न्यूनतम स्तर पर है। विगत लगभग 13 मास की अवधि में हुए व्यापार से अर्जित आय से हमारा विदेशी मुद्रा-भंडार विश्व के बड़े विदेशी मुद्रा-भंडारों में आ गया है। औद्योगिक पुनर्निर्माण की दिशा में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। निर्यात ऊंचाइयां छू रहा है। 6 करोड़ टन से अधिक के हमारे खाद्य-भंडार से, हम इस वर्ष कम बारिश की वजह से कृषि-उत्पादनगत कमी का सामना करने में समर्थ रहे हैं।

देश में निवेशक का जो अटल विश्वास बना हुआ है, वह इसी बात से जाहिर होता है कि विगत वर्ष जितनी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, वह अब तक की सर्वोच्च मात्रा है। जैसा दूसरे देशों में होता है, हम अपने विदेशी निवेश संबंधी आधिकारिक आंकड़ों में पुनर्निवेश से अर्जित आय और विदेश-वाणिज्यगत उधारियों को शामिल नहीं करते। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा है कि यदि उक्त आंकड़ों को भी शामिल करके देखें तो भारत में सालाना लगभग 8 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। अर्थात् उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.7 प्रतिशत है, जो अन्य विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक उत्साहप्रद स्थिति है।

सुधारों की गति के विषय में अकसर हमें आलोचना सुननी पड़ती है। किंतु यह स्मरण रखिए कि अपने जिस उपमहाद्वीपीय आकार और जनसंख्या के कारण भारत एक आकर्षक बाजार है, उसी अनुपात में वहां विचारधारा, स्वहितों और आवश्यकताओं की भी वैसी ही विविधता है। आय और जीवनस्तर में वहां भारी असमानताएं हैं। वहां लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित किसी भी सरकार को इस यथार्थ से हमेशा रू-ब-रू रहना होता है। जनता के प्रति जवाबदेही और सामाजिक सोच रखकर ही अपने कार्यों की दिशा तय करनी होती है। ऐसे में अचानक आर्थिक सुधार कर दिया जाए—ऐसा नहीं हो सकता। पहले ज़माने की भाषा और एक अलग तरह के राजनैतिक संदर्भ में कहा जाए, तो हम 'मानवीय दृष्टिकोण वाले आर्थिक उदारीकरण' को लाने के प्रयास में लगे हुए हैं।

हमारी इस सोच की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि जिन देशों ने 1990 के शुरुआती वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, उनमें से भारत अकेला ऐसा देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हुए बिना उच्च वृद्धि-दर से लगातार बढ़ी है। यूरोप ने भी, जब कभी एकात्मकता, विस्तारवाद, एकीभूत मुद्रा तथा एक समान विदेश एवं सुरक्षा-नीति पर बातचीत की है—उसने अपनी महाद्वीपगत विविधता के यथार्थ को महसूस किया है। आपने यही महसूस किया कि केवल, सभी प्रधान हिस्सेदारों को साथ लेकर सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया अपनाकर ही, कोई स्थायी नीति रची जा सकती है। अतएव आप हमारी विचारधारा को भी समझ सकते हैं।

कमियों को दूर करना

आजकल एक फैशन सा हो चला है कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कतिपय वास्तविक या काल्पनिक प्राणियों का रूपकनाम दिया जाए; जैसे, अमुक अर्थव्यवस्था हाथी की भांति, अमुक शेर की भांति या अमुक ड्रैगन की भाँति! भारत की अर्थव्यवस्था की उपमा भी अकसर हाथी से दी जाती है। वैसे, इस उपमा से मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। आखिर हाथी को एक चाल से चलाने के लिए अपने सारे अंगों का समान संचालन करने में थोड़ा समय तो लगता ही है; लेकिन देख लीजिए, एक बार वह चल दिया तो फिर उसका रास्ता बदलना, उसे रोकना या धीमा करना या वापस लौटा देना बड़ा मुश्किल है। और आप सब जानते ही हैं कि जब हाथी चलता है तो पूरा जंगल काँपता है!

बेशक, हमारे विदेशी व्यापारिक साझेदार मित्र कभी-कभी कुछ कमियों की वजह से निराशा अनुभव करने लगते हैं। हम इन्हें सुधारने में लगे हुए हैं। हम व्यवसायियों और मजदूरों, दोनों की आवश्यकताओं को समझकर श्रम-सुधार के लिए राष्ट्रीय सम्मति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च प्राथमिकता वाली आधारसंरचनागत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम अवगत हैं कि विदेशी निवेशकों को अकसर प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेकिन ऐसी दिक्कत सिर्फ भारत भर ही में नहीं है! हम प्रौद्योगिकी संधारित-प्रशासनव्यवस्था (ई-गवर्नेन्स) सहित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत का बढ़ता बाजार

उदारीकृत अर्थव्यवस्था के कारण भारत का बढ़ता बाज़ार और विस्तार तथा विविधीकरण के लिए तत्पर यूरोपीय संघ के प्रयासों ने भारत-यूरोपीय संघ सहयोग की तीव्र बलवती संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारत पारंपरिक उद्योगों, जैसे—इस्पात और वस्त्र को पुनर्गठित करने के लिए यूरोपनिर्मित आधुनिक विनिर्माण-प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित हो सकता है। इसी प्रकार हमारे लघु व मंझोले स्तर के उद्योग-क्षेत्र के बीच परस्पर सहयोग के अवसर हैं। आपकी प्रौद्योगिकी हमारे लागत-नियंत्रित मानव-संसाधनों तथा अन्य संसाधनों के साथ समन्वित रूप से कार्यरत हो सकती है। हम भारत में एक नवीन बौद्धिक संपदा अधिकार-आधारित व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जिससे यहां के किसी भी प्रौद्योगिकी-निर्यातक को विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के पूर्ण अनुपालन में संरक्षण प्राप्त रहेगा।

भारत-यूरोपीय संघ सहयोग

सामाजिक क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ ने गरीबी और पिछड़ेपन पर नियंत्रण पाने की दिशा में सहयोग किया है। हम भारत में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण तथा अलाभान्वित वर्गों के बीच स्वास्थ्य-सेवाओं का विस्तार करने के लिए यूरोपीय संघ के कार्यक्रमों की सराहना करते हैं। नई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों

में यूरोपीय संघ भारत की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सेवा-क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के वस्तुनिष्ठ कारक मौजूद हैं। लेकिन इन अवसरों का इष्टतम लाभ उठाने के लिए यूरोपीय संघ को कार्यकौशलगत-विनिमय के क्षेत्र में भी स्वतंत्र आवागमन की वैसी ही सुविधा रखनी पड़ेगी, जैसी वह पूंजी और सेवाओं के क्षेत्र में रख रहा है।

मित्रो, समतायुक्त विश्व के निर्माण तथा सभी राष्ट्रों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता के प्रति अपनी साझी प्रतिबद्धता की बात किए बगैर, हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग का पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं। विश्व-अर्थव्यवस्था में काफी समय से गिरावट का माहौल है। ऐसा मात्र व्यापार-चक्र के स्वाभाविक परिवर्तन की वजह से नहीं है। इसके मूल कारणों में विश्व-अर्थव्यवस्था का ढांचागत असंतुलन भी है। यह अब एक स्वीकार्य बात है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लगातार विकास का सर्वाधिक विश्वसनीय उत्प्रेरक है—अपने पर्यावरणगत संसाधनों, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक महत्ताओं से रचनात्मक जुड़ाव। इस तरह के जुड़ाव के पीछे मात्र दार्शनिक निजपरायणता हो, ऐसी बात नहीं। ऐसा केवल इसीलिए है कि इसी में हमारा सर्वोत्तम हित है। आज भूमंडलीकरण के लाभों के असमान वितरण के कारण विकास-प्रक्रिया को जो धक्का पहुंच रहा है, उससे विकसित देशों की सतत समृद्धि भी कंपायमान है। भारत और यूरोप के मेधावी विचारकों ने इस बारे में अपना दृष्टिकोण रखा है, तथापि इसे हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। 21वीं सदी में तो हम इस प्रयास में विफल रहने के विकट परिणामों की बात सोच भी नहीं सकते हैं!

विकासशील देशों की चिंताएं

हमें आशा है कि यूरोपीय संघ इन मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं पर ध्यान देगा। शुरुआत के बतौर उच्च कृषिगत-राजसहायता, जिससे कि विकासशील देशों के विकास की संभावनाओं की काफी हानि हो रही है, को विघटित किया जा सकता है। पर्यावरणगत और सामाजिक सरोकारों के नाम पर विकासशील देशों के उत्पादों पर गैर-प्रशुल्कगत निबंधन लगाए जाने से भी गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। इसके बाद ही हम विकास की बात कर सकते हैं। मित्रो, इस वर्ष यूरोप ने एकीभूत मुद्रा अंगीकार करके एक युग-निर्माणकारी कदम उठाया है। शीघ्र ही इसका और विस्तार होगा। हमें उम्मीद है कि ऐसे कदमों से यूरोप की आर्थिक समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। हमें यह भी उम्मीद है कि इससे यूरोप की अपनी आर्थिक गतिविधि में जो स्फुरण उत्पन्न होगा, उससे उसके बाहरी साझीदारों के लिए भी अवसर खुलेंगे। □

नई ऊंचाइयां छूता भारत-रूस सहयोग

भारत और रूस के रिश्ते मजबूत होने और इसके असाधारण ढंग से स्थायी होने की वजह क्या है, यह सवाल अकसर मेरे मन में उठता है। दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत सद्‌भाव कैसे विकसित हो रहा है? एक बात तो तय है कि हमारे दोस्ती रूपी वृक्ष की जड़ें राजनीति या सिद्धांतों के कमजोर धरातल पर नहीं खड़ी हैं। दोनों देशों में हुए राजनीतिक उथल-पुथल और ढांचागत बदलावों के बावजूद दोस्ती गहरी हुई है। शायद इसकी असली वजह भारत और रूस की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घनिष्ठता रही है। दोनों देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की सोच भी एक जैसी दिखी। इन प्रतिभाओं ने दोनों देशों के रुख की नुमाइंदगी की। विज्ञान और तकनीक, साहित्य और कविता, संस्कृति और कला जगत् से जुड़े इन अहम लोगों ने जन-आकांक्षाओं और विश्वव्यापी मसलों को सामने रखा।

मसलन, हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती वर्षों में महात्मा गांधी पर महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय का गहरा प्रभाव था। इसी वजह से महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए। वहीं उन्होंने सत्य, अहिंसा और सामुदायिक सेवा के जरिए आत्मानुभूति से जुड़ी शुरुआती कोशिशों को अंजाम दिया। इसी प्रकार महान भारतीय कवि रवींद्र नाथ टैगोर को वैश्विक शांति, स्नेह और सद्‌भाव की भावनात्मक अपील के लिए रूस में व्यापक तौर पर सराहा और सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व-युद्ध के माहौल में अपनी मृत्यु से ठीक पहले सन् 1941 में उन्होंने कहा था कि आपका देश फासीवादी ताकतों के खिलाफ जीत हासिल करेगा। यह बात सच साबित हुई। इसके लिए आपके देश के लोगों की बहादुरी साधुवाद की पात्र है।

दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपर्क की लंबी परंपरा रही है। इसमें विज्ञान, संस्कृति आदि विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसी सोच देखी गई है। यही सोच मानव-ज्ञान को संपूर्णता प्रदान करती है। इतिहास-पुरुष गेरासिम लेबेदेव उन आरंभिक रूसी विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और बंगला भाषा सीखी। 18वीं सदी के अंत में उन्होंने भारतीय भाषाओं का व्याकरण भी प्रकाशित किया। एफ.आई. शेर्बात्सकी भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के बारे में रूस के अधिक

रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, मॉस्को, 12 नवंबर 2003

ख्यातिप्राप्त जानकारों में से एक थे। ए.पी. बारान्निकोव ने संत कवि तुलसीदास की रचना 'रामचरितमानस' का रूसी अनुवाद किया। आई. पी. मिनायेव के पास संस्कृत और पाली की पांडुलिपियों की समृद्ध लाइब्रेरी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के दो सम्मानित व्यक्तियों बाल गंगाधर तिलक और बंकिम चंद्र चटर्जी से गहरी दोस्ती कायम की। मुझे खुशी है कि भारत को समझने की जिस समृद्ध परंपरा का पोषण इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ और दूसरे संस्थानों ने किया, वह आज भी मौजूद है।

भारत और रूस के बीच कलात्मक, बौद्धिक और दार्शनिक विचार-विमर्श में रोएरिक परिवार का विशिष्ट स्थान है। बीसवीं सदी के महानतम चित्रकारों में एक निकोलाई रोएरिक ने न सिर्फ भारत की यात्रा की, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में अपना आवास भी बना लिया। उनके बड़े बेटे और खोजकर्ता जॉर्ज रोएरिक ने तिब्बत की बौद्ध-परंपरा पर व्यापक कार्य किया। उनके छोटे बेटे स्वेतोस्लाव रोएरिक की जन्म-शताब्दी अगले साल है। वह महान कलाकार थे और बंगलौर में रहे। उनके सुंदर घर के पुनरुद्धार के लिए हम कदम उठा रहे हैं और इसे संस्कृति-पार्क का स्वरूप देंगे। भारत में इंटरनेशनल रोएरिक आर्ट स्कूल की स्थापना की योजना भी हम बना रहे हैं। मुझे इस बात की विशेष तोर पर खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्रित्व काल में हमने रोएरिक परिवार की अमूल्य धरोहर के संरक्षण में अहम योगदान दिया है। यह धरोहर हमारी साझी विरासत है।

सामाजिक विज्ञान के बारे में भारत-रूस संयुक्त आयोग के प्रेरणादायी कार्य की सराहना मैं करता हूं। इस कार्य में आपकी अकादमी ने भारत के समकक्ष संस्थान भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के साथ हिस्सा लिया। भारतीय साहित्य इतने विशाल स्वरूप में शायद ही किसी अन्य विदेशी भाषा में हो। प्राचीन और आधुनिक, दोनों तरह के भारतीय साहित्य का अनुवाद रूसी भाषा में हुआ है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 1400 से ज्यादा रूसी विद्वान और छात्र रूस में हिंदी पढ़ रहे हैं। दो साल पहले जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग आया था, तब मैंने कहा था कि रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भारत के बारे में अध्ययन के लिए सीटों की व्यवस्था कराऊंगा। आज मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि ऐसी सीटों की व्यवस्था कर दी गई है और युवा पीढ़ी इसमें काफी दिलचस्पी ले रही है।

वैज्ञानिक सहयोग

यह हमारे लिए गहरे संतोष की बात है कि भारत और रूस के बीच विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है। आज यह शायद हमारे संपूर्ण संबंधों का सबसे विशिष्ट पहलू है। विज्ञान और तकनीक में सहयोग का समन्वित दीर्घावधि कार्यक्रम दुनिया के सबसे व्यापक द्विपक्षीय कार्यक्रमों में एक है। पंद्रह सालों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 2500 से ज्यादा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान हो चुका है। आधुनिक युग की चुनौतियों को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार वैज्ञानिक शोध के अग्रणी

क्षेत्रों में भी हुआ है। इन क्षेत्रों में जैव तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, पर्यावरण-संरक्षण, दवाओं और नए पदार्थों का विकास शामिल है। ये सब अंतरिक्ष, आणविक ऊर्जा और रक्षा तकनीक में पारंपरिक सहयोग के अतिरिक्त हैं।

सामरिक भागीदारी

भारत और रूस के संबंधों की खासियत यह है कि इनके हर पहलू का लगातार विकास हुआ है। पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्ताओं और सम्मेलन स्तर की बैठकों की संख्या बढ़ी है और नतीजे पहले से ज्यादा लाभदायक रहे हैं। इसमें 21वीं सदी में भारत-रूस सहयोग की व्यापक सोच के विकास में सहायता मिली है। हमारा यह दृढ़ संकल्प मजबूत हुआ है कि भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी न सिर्फ एशिया, बल्कि पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देने का भरोसेमंद कारक है। हमारे मौजूदा प्रयास इस सहयोग को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समर्पित हैं। हमें उम्मीद है कि यह कार्य सहजता से होगा।

इस भरोसे का कारण यह है कि हमारे संबंधों में स्थायित्व और निरंतरता की लंबी परंपरा रही है, जो विश्व में आए अवांछित बदलावों से प्रभावित नहीं हुई है। हमारे संबंधों के बीच कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जो हमें बांट दे। न तो भारत और न ही रूस को एक-दूसरे की ताकत से कोई खतरा है। इसके विपरीत दोनों देशों का यह मानना है कि एक-दूसरे की आर्थिक और राजनीतिक मजबूती दोनों के हित में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रूस के खुले और बेलाग समर्थन से यह स्पष्ट है। सुरक्षा-सहयोग पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व के विकास में दोनों देशों का साझा हित जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एकपक्षवाद का विरोध हम दोनों करते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी

भारत-रूस संबंधों के स्थायित्व का मूल तत्त्व ऐसी संवेदनशीलता रही है, जिसकी मिसाल दी जाती है। दोनों देशों ने एक-दूसरे की चिंताओं का ख्याल रखा है। इसमें सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी शामिल हैं। धार्मिक कट्टरवाद से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ हमारे अभियान में रूस ने लगातार और मजबूत समर्थन दिया है। इसके लिए भारत तहेदिल से शुक्रगुजार है। आतंकवाद का यह खतरनाक पंजा तेजी से फैल रहा है। यह पूरे सभ्य विश्व के लिए खतरा है। भारत और रूस—दोनों की सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय समन्वय और एकता के लिए यह खासतौर पर खतरा है। राष्ट्रपति पुतिन ने तीन साल पहले जब भारतीय संसद् को संबोधित किया था, तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि फिलीपींस से कोसोवो, कश्मीर, अफगानिस्तान और चेचेन्या में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन एक ही हैं।

भारत और रूस बहुजातीय और बहुधर्मी एकता वाले लोकतांत्रिक देश हैं। हिंसा

और असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और सभी जाने-माने लोगों को भूमिका निभानी होगी। इन दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करने हेतु मजबूत कानूनी आधार तथा उपयोगी तंत्र स्थापित की है।

आर्थिक सहयोग

हमारे द्विपक्षीय संबंधों के तहत जिस क्षेत्र में अपेक्षानुकूल प्रगति नहीं हुई है, वह आर्थिक सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की भूमिका बड़ी तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इस बात की चिंता रही है कि हमारे आर्थिक संबंधों की मात्रा और गुणवत्ता इतनी शानदार नहीं है, जितनी राजनीतिक संबंधों की है। भारत और रूस के बीच अद्वितीय सद्भाव को उन्नत, स्पष्ट, मजबूत और आपसी तौर पर हितकारी आर्थिक संबंधों में बदलना चाहिए। इन प्रयासों में हमें सृजनशीलता के साथ जरूरत का भाव दिखाना होगा।

रूस ने खुद को जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में उबारा, कुछ साल पहले परिवर्तन से जुड़ी परेशानियों से निजात पाई, उसकी सराहना भारत ने की है और इन प्रयासों को आत्मसात किया है। इधर भारत भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थ-व्यवस्था के रूप में उभरा है। क्रय-क्षमता स्तर (परचेजिंग-पावर पैरिटी) के मामले में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। ज्ञान-आधारित अर्थ-व्यवस्था के विकास में भारत के तेजी से बढ़ते कदमों ने दुनिया का ध्यान खींचा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सबसे ख्यातिप्राप्त उपलब्धि शायद सॉफ्टवेयर उद्योग में तरक्की रही है।

सूचना-प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं में भारत बेमिसाल है। इसी अकादमी में कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए संस्थान में भारत के सुपर कंप्यूटर 'परम' का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया के दूरसंचार-बाजार में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में सूचना और संचार क्रांति के बाद बायोटेक्नोलॉजी के उभरते क्षेत्र में क्रांति हो रही है। हमारे भौतिक ढांचे, सड़कों, रेलवे, पत्तनों, विमानपत्तनों और ऊर्जा संपदा का से विस्तार और आधुनिकीकरण नियमित ढंग हो रहा है।

समान उद्देश्य

कई आर्थिक और सामजिक समस्याओं के बावजूद भारत जाकर कोई भी देख सकता है कि यह देश आगे बढ़ रहा है। यह देश पहले से ज्यादा मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा है। अब हमने अपने लिए यह लक्ष्य तय किया है कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी तरह राष्ट्रपति पुतिन रूस को दुनिया की महान आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार भारत और रूस—दोनों समान उद्देश्य पाने में जुटे हैं। दोनों को अपने विशाल मानव व प्राकृतिक संसाधनों पर भरोसा है।

हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी तरीकों में से एक दोनों देशों के वैज्ञानिक प्रयासों और व्यापारिक उपक्रमों में तालमेल बिठाना होगा। ऐसा तालमेल न सिर्फ व्यापारिक उपक्रमों, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी लाभकारी होगा। इससे भी अहम बात यह है कि विज्ञान और तकनीक के व्यापारिक रूप से लाभकारी अनुप्रयोगों के जरिये न सिर्फ दोनों देशों को, बल्कि पूरी दुनिया में आम जनता को दैनिक जीवन में फायदा होगा। भारत और रूस ने पूर्व में भी ऐसा किया है। मसलन, आज भारत के दवा उद्योग को अग्रणी शोध और अनुसंधान के साथ नई दवाओं का विकास कम लागत पर करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस उद्योग को मोटे तौर पर कुछ दशक पहले रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग के तहत स्थापित किया गया था। यह भले ही एक मिसाल हो, पर ऐसे अनेक अवसर हो सकते हैं। इन अवसरों का लाभ यथासंभव न उठाया जा सके, इसका कोई कारण मुझे नहीं दिखता। इस अकादमी और भारत में इसके सहयोगी संस्थानों के नियमित संपर्क से ऐसे अवसरों की पहचान की जा सकती है।

मैं इस यात्रा में अपने साथ 95 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति अपने रूसी समकक्षों के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इस तरह मैं भारत और रूस के संबंधों का भविष्य उज्ज्वल देखता हूं। फिर भी मैं एक व्यावहारिक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमें सिर्फ पुरानी गौरवगाथा तक ही नहीं सिमटे रहना चाहिए, अन्यथा हमारे कदम थक जाएंगे। राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमें हमेशा निश्चित राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं निकोलाई रोएरिक के इन शब्दों से अपना भाषण समाप्त करता हूं, जो इस मौके के संदर्भ में सटीक हैं—

''भारतीय दिल रूस की ओर सहज रूप से आकर्षित होते हैं और भारत भी रूसी दिलों को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से खींच लेता है। भारत और रूस का यह आपसी आकर्षण खूबसूरत है। दिल ही समझे दिल का हाल।'' □

उभरती विश्व-व्यवस्था में भारत-अमरीका संबंध

एशिया सोसायटी में पुन: उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। पांच वर्ष पूर्व मैंने आप सबको भारत-अमरीका संबंधों पर संबोधित किया था। तब भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें अमरीका के साथ हमारे संबंध भी शामिल थे। तब भी मैंने कहा था कि भारत और अमरीका स्वाभाविक मित्र हैं। आज उसी विषय पर लौटते हुए, भारत-अमरीकी संबंधों में हुए बदलाव का और उस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, जिसमें यह बदलाव आया है।

शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण एक ऐसे अनोखे युग की उम्मीद जगी थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की छाया न पड़े। विभिन्न मुद्दों पर मतभेद और दृष्टिकोणों पर असहमति भले हो, किंतु बड़ी और उभरती शक्तियों पर संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात पर बहस की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एकध्रुवीय होगी या बहुध्रुवीय। राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय-तथा दायित्व के बीच राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के बीच संतुलन के बारे में प्रश्न खड़े किए जाते हैं। ऐसी बहसें स्वाभाविक हैं, क्योंकि शीतयुद्धोत्तर काल की रूपरेखा अभी हम बना ही रहे हैं।

हमारे समय की एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और आर्थिक अंतर्संबद्धता के कारण राष्ट्र अंतर्निर्भर हो गए हैं। वैश्वीकरण ने हमारे हर क्रियाकलाप पर अपनी छाप छोड़ी है। शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण सुरक्षा और स्थायित्व से परिपूर्ण युग में प्रवेश की उम्मीदें जगी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हमारे समक्ष नई राजनीतिक समस्याएं और सुरक्षा-संबंधी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इन तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद हमारे पास सहमति, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और सहयोग पर आधारित बहुलता और समानता के ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वरूप प्रदान करने का अनूठा अवसर है। ऐसे सहयोगपूर्ण विश्व को विकासोन्मुख बनना होगा, ताकि सबके हितों को समाहित किया जा सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि शीतयुद्ध के बाद बचे रह

एशिया सोसायटी में उपस्थित लोगों के समक्ष दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; अमरीका, 22 सितंबर, 2003

गए और हाल ही में अस्तित्व में आए लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग कायम हो।

आतंकवाद का मुकाबला

दुनियाभर में जारी आतंकवादी हमलों से जाहिर है कि 9/11 की विध्वंसक घटना के बाद, आतंकवाद के विरुद्ध शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध खत्म होने में अभी काफी वक्त लगेगा। इस पर काबू पाने की हमारे दीर्घकालीन कार्यनीति में चार व्यापक तत्त्व होने चाहिए-

क. लोकतांत्रिक देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें। किसी एक देश पर आए खतरे को हर देश पर आया माना जाए।

ख. आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी देशों से उच्चस्तरीय मानदंडों पर खरे उतरने की लगातार अपेक्षा की जाए।

ग. संकल्प में निरंतरता और प्रयोजन में स्पष्टता हो। हमें नीतिगत उद्देश्यों पर ऐसे विवाद नहीं खड़े करने चाहिए, जिनमें आतंकवाद पर भ्रामक स्थिति पैदा हो।

घ. आतंकवाद के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। हमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन, सहिष्णुता आदि आदर्शों (जो हमारी वास्तविक शक्ति हैं) को बढ़ावा देकर लोकतंत्र के आधार का विस्तार करना होगा।

शीतयुद्धोत्तर काल में जनसंहारक अस्त्रों और उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था में भी काफी वृद्धि हुई है। आज इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि कहीं वे आतंकियों के हाथ न लग जाएं। मौजूदा अप्रसार व्यवस्था में जिम्मेदार देशों के निष्पादन पर तो कड़ी नजर रखी जाती है, किंतु ऐसे अस्त्रों का प्रसार करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जाता। जरूरत इस बात की है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाए।

सहयोग और सहभागिता

अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों का ढांचा लगभग साठ वर्ष पूर्व बनाया गया था। अब आज की वास्तविकताओं और भावी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। विकास का मुद्दा हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का केंद्रबिंदु होना चाहिए। हमें यथास्थिति बनाए रखकर वास्तविक परिवर्तन के दीर्घकालिक लाभों को गंवाना नहीं चाहिए।

सहयोग और सहभागिता पर आधारित विश्व-व्यवस्था कायम करने के प्रति हम कितने सचेष्ट हैं, इसके दो ताजा उदाहरण इराक और अफगानिस्तान हैं। दोनों ही मामलों में हमने इन चुनौतियों का सामना जिस प्रकार से किया है, उनका दूरगामी प्रभाव हमारे साझा भविष्य पर पड़ेगा। इराक में हमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति कायम करनी होगी, ताकि वहां राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा-व्यवस्था का कायाकल्प तेजी से किया जा सके। अफगानिस्तान में बॉन प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को हमें पूरा करना होगा और

तालिबान का पूरी तरह सफाया करने में वहां की सरकार की मदद करनी होगी, ताकि पूरे देश को नियंत्रित किया जा सके और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां राष्ट्रीय चुनाव हो सकें। इराक और अफगानिस्तान का भविष्य वहां के नागरिकों के लिए तो महत्त्वपूर्ण है ही, इस पूरे क्षेत्र और विश्व पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़े।

इन विश्वव्यापी चुनौतियों में से कई के बारे में भारत और अमरीका का नजरिया एक सा है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बढ़ते अपने संबंधों को हम एक गतिशील और सहयोगी बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत-अमरीकी संबंधों में भारी परिवर्तन हुआ है। इस संबंध की मूल शक्ति इस तथ्य में निहित है कि हम बुनियादी समानताओं को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति और कई भौगोलिक-राजनीतिक दृष्टिकोणों में साम्यता के कारण हमारे लिए एक-दूसरे के निकट आना संभव हो सका है।

मार्च, 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन और मैंने इस बात पर सहमति जताई थी कि नई शताब्दी में भारत और अमरीका शांति में सहभागी बनेंगे और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की साझा जिम्मेदारी संभालेंगे। नवंबर, 2001 में मैंने और राष्ट्रपति बुश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का निर्णय लिया था। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि इस सहभागिता में समस्त भावी राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की सहज शक्ति हमारे लोकतंत्रों में है और हमें इस शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करनी चाहिए।

भारत में, इस संबंध को मजबूत करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। वस्तुत: लोग अकसर कहते हैं कि प्रगति धीमी है। वे तुरंत, नाटकीय परिणाम और मीडिया के अनुरूप मैत्री के प्रतीक चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि संसद् में विपक्ष में चार दशक रहने के दौरान मैंने एक सबक सीखा है और वह यह कि धैर्य फलदायी होता है। संबंधों में बेहतरी तब होती है, जब शंका और मतभेद के घने बादल छंट जाते हैं। हमें इस दिशा में प्रयास करते रहना होगा और अपने दृष्टिकोण को तात्कालिक हितों से कहीं अधिक व्यापक बनाना होगा।

हाल के समय में भारत-अमरीका वार्ता का दायरा और इसकी बारंबारता काफी बढ़ी है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों के साथ-साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक मुद्दे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वार्ता की परिस्थिति बदली है। अब हम एक-दूसरे से आत्मविश्वासपूर्वक और मित्रवत् बात करते हैं। सम्मान और समानता पर आधारित यह वार्ता खासकर इसलिए सफल है कि हमने यह मान लिया है कि हमारे हितों में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। हम सहमति के मुद्दों पर मिल-जुलकर कार्य करते हैं और अपने संबंधों को अप्रभावित रखकर अपने मतभेदों पर भी खुलकर चर्चा करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी मैत्री अधिक परिपक्व हो रही है।

हितों की नई पहचान

पहली बार हमने महत्त्वपूर्ण रक्षा-सहयोग किया है। हमारे सशस्त्र बलों ने संपर्क स्थापित किया है और हम लगातार अभ्यास तथा बढ़ती जटिलताओं से संबंधित आदान-प्रदान कर रहे हैं। आतंकवाद, राष्ट्रेतर अपराध तथा साइबर अपराध हम दोनों के लिए चिंता के विषय हैं और हमने इन क्षेत्रों में भी करार किए हैं। भारत और अमरीका चिकित्सा, प्रदूषणरहित ऊर्जा तथा उन्नत सामग्री सहित विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि अग्रणी क्षेत्रों में संयुक्त अन्वेषण कर रहे हैं। नागरिक अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा नागरिक नाभिकीय सुरक्षा संबंधी समझौते की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। सूचना-प्रौद्योगिकी और ज्ञान-आधारित नई आर्थिकी के कारण हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। भावी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए हमारी बढ़ती सहभागिता हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

दोनों देशों के संपर्क केवल सरकार या सरकारी स्तरों पर व्यापक नहीं है। शैक्षिक संस्थानों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, कार्यालयों और घरों, यहां तक कि साइबर अंतरिक्ष में भी भारतीय और अमरीकी अपने हितों के अनुरूप नई पहचान कायम करने की दिशा में अग्रसर हैं। हमें करीब लाने में भारतीय-अमरीकी समुदाय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाती रहेगी। अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और उद्यम के बलबूते, भारतीय-अमरीकी देश के सबसे अमीर अल्पसंख्यक के रूप में उभरे हैं। खासकर सूचना-प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, प्रबंधन और औषधि के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों ने अमरीकी प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने भारत-अमरीकी सहभागिता में अवसरों के बारे में देश में भारी जागरूकता सृजित की है।

आर्थिक संबंध

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पिछले दस वर्षों में इसमें दोगुनी वृद्धि हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक दशक से भी कम अवधि में यह चौगुनी हो जाएगी। क्रयशक्ति की दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 90 बिलियन अमरीकी डॉलर है और इसमें हर पखवारे एक बिलियन डॉलर की वृद्धि हो रही है। हमारा विदेशी व्यापार दहाई लगभग अंकों की दर से बढ़ रहा है। हमारे विदेशी कर्जों में तेजी से कमी आ रही है। हमारी मुद्रास्फीति-दर कम है और ब्याज-दर में भी कमी आ रही है। हाल के महीनों में व्यापार के क्षेत्र में आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। हमारा खाद्यान्न-भंडार 30 मिलियन टन से ज्यादा है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात काफी कम था, लेकिन अब यह प्रतिवर्ष 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास की ओर तेजी से अग्रसर भारत के बुनियादी तत्त्व विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हमारी सहभागिता को सुदृढ़ करेंगे। भारत के आर्थिक

विकास के कारण निवेश और संयुक्त उद्यमों के नए अवसर सृजित हुए हैं, जो हमारे आर्थिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण में सहायक होंगे। दोनों ही देश यह मानते हैं कि आर्थिक सहभागिता के बड़े कार्यनीतिक महत्त्व हैं।

स्वाभावत: 21वीं सदी के लिए भारत-अमरीकी संबंध का स्वप्न रातोरात साकार नहीं किया जा सकता। हम दोनों को अपने आंतरिक प्रतिरोध, पुरानी आदतों तथा पारंपरिक दृष्टिकोण से ऊपर उठना होगा। कुछ मुद्दों पर अपने पूर्वाग्रहों को हमें त्यागना होगा। सुरक्षा और प्रसार के मुद्दों पर अपने पुराने मतभेदों को हमें सुलझाना होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित भी करना होगा कि अल्पकालिक दृष्टिकोण अपनाकर हम भारत-अमरीका संबंधों के दीर्घकालिक लाभ न गंवा दें। इन बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों को बुद्धिमता और दूरदर्शिता से काम लेते हुए भारत-अमरीका सहभागिता की अवश्यंभावी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमने ऐसे संबंध की नींव रख दी है। हमारी सरकार इसके लिए कृतसंकल्प रहेगी। राजनीतिक, आर्थिक और कार्यनीतिक आमेलन से इस परिवर्तन की गति बढ़ेगी। परिपक्व, वास्तविक और सशक्त भारत-अमरीका संबंध इस सदी में उभरती विश्व-व्यवस्था पर जबर्दस्त असर डाल सकते हैं। □

भारत-तुर्की द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा

इस्तान्बूल के इस ऐतिहासिक नगर में आना हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है। आपके पर्यटक गाइड ने हमें बताया कि यह विश्व में अकेला ऐसा शहर है, जो दो महाद्वीपों तक फैला है। अपने संक्षिप्त नगर-प्रवास के दौरान हमने यहां पूर्व और पश्चिम की विरासत की प्रभावी झलक देखी। हमने उन विविध संस्कृतियों की छाप भी यहां देखी, जिन्होंने इस पत्तन से होकर यात्रा की है, जब यह 'सिल्करूट' का एक जीवंत समुद्री संगम स्थल हुआ करता था।

इस्तान्बूल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अपना विशिष्ट महत्व पुनः प्राप्त किया है। आज यह तुर्की की व्यापारिक राजधानी है, जहां से देश का 40 प्रतिशत विदेश-व्यापार संपन्न होता है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय संपदा यहां विद्यमान है। इस मायने में यहां भारतीय और तुर्की व्यवसायियों की बैठक आयोजित करना बिलकुल तर्कसंगत बात है। मैं कामना करता हूं कि आपकी बातचीत सफल हो और आप लाभप्रद समझौते करें। तुर्की की मेरी बेहद संतोषजनक यात्रा की यह अंतिम कड़ी है। तुर्की के नेताओं के साथ मेरी बैठकें सौहार्दपूर्ण और फलप्रद रही हैं। अपने द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भरने की आवश्यकता के प्रति हमारा दृष्टिकोण समान है। यह देखकर मैं उत्साहित हुआ हूं।

एक जीवंत साझेदारी

भारत और तुर्की के बीच लंबे समय से कायम मैत्रीपूर्ण संबंध को हमारे दोनों देशों की क्षमतानुसार, एक जीवंत, पुनरूर्जित आर्थिक साझेदारी की शक्ल दी जानी चाहिए। न कवेल वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार में ऐसा हो बल्कि दोनों ओर से निवेश, किसी अन्य देश में परियोजना लगाने, वैज्ञानिक शोध में सहयोग, नवीन प्रौद्योगिकियों के संयुक्त वाणिज्यीकरण तथा अन्य कई क्षेत्रों में भी ऐसा हो।

हमने इस पर सहमति व्यक्त की है कि हम इस कार्यसूची पर आगे कार्य करने के क्रम में, अपने आर्थिक कार्य मंत्रालयों के माध्यम से एक विशेष द्विपक्षीय कार्यदल गठित करेंगे। इस कार्यदल को अभी तक अन्वेषणार्थ-शेष संभावना के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि इन्हें बेहतर तरीके से कैसे विकसित

भारत-तुर्की व्यापारिक बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; इस्तान्बूल, 19 सितंबर, 2003

किया जाए। यह दल आपसी सहयोग के माध्यम से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए दोनों देशों की सरकारों को नीतिगत उपाय भी सुझाएगा। इस काम को अविलंब करने के लिए हमने यह व्यवस्था रखी है कि यह कार्यदल छह महीने के भीतर दोनों देशों की सरकारों को अपनी सिफारिशें पेश करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस दल की युक्तियां रचनात्मक तथा दूरदर्शितापूर्ण होंगी। तथापि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय की समर्पित भागीदारी और समर्थन के बगैर इस प्रयास में इष्टतम सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने दृष्टिकोण और अनुभव से जनित रचनात्मक विचारों के साथ आगे आना होगा।

क्षमता का उपयोग

आपके प्रधानमंत्री श्री एर्दोगान के साथ बातचीत के दौरान हम इस बात पर सहमत हुए कि यद्यपि विगत वर्ष हमारा व्यापारिक कारोबार तेजी से बढ़कर लगभग 650 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तथापि पूरी क्षमता का उपयोग होना अभी बाकी है। हमने जो पहला लक्ष्य रखा है, वह है—सन् 2005 तक 1 बिलियन डॉलर का करोबार। अभी भी यह हमारी संभावनाओं को देखते हुए काफी कम है। मुझे विश्वास है कि द्विपक्षीय कार्यदल, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, व्यापार बढ़ाने के बारे में अपने सुझाव देगा। फिर भी, कुछ ऐसे स्पष्ट और बुनियादी क्षेत्र हैं, जिनकी पहचान तो तत्काल की जा सकती है।

पहला क्षेत्र है—व्यापारिक सुविधा-संबंधी आधार संरचना को मजबूत करना। इस्तान्बूल और दिल्ली के बीच कल जो विमान-सेवा बहाल हुई है, वह एक-दूसरे के देश में यात्रा करने, जिनमें व्यापारिक यात्राएं भी शामिल हैं, की सुविधा का पहला महत्त्वपूर्ण कदम है। सीधा जलपोत-संपर्क तथा सरल बैंकिंग प्रणाली कायम करना एक प्राथमिक आवश्यकता है। जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने आयात-निर्यात बैंकों और निर्यात-ऋणकारी संस्थाओं के बीच संपर्क और बढ़ाकर आगे चलें। एक अन्य स्पष्ट सी समस्या है — उपलब्ध अवसरों के बारे में हमारे व्यापारिक समुदायों में जानकारी का अभाव। यह समस्या दोनों देशों में एक सी है।

अंतर को पाटा जाए

विगत शताब्दी के गत दशक में जब से भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किए हैं, तब से हमारी औसत वार्षिक विकास-दर 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है और क्रय-शक्ति साम्य के नजरिए से भारत की अर्थ-व्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। हमने भूमंडलीकरण के लिए स्वयं को तैयार करके शुल्कगत और गैर-शुल्कगत बाधाओं को काफी कम किया, विदेशी निवेशकों के लिए पूर्ण पूंजी-खाता परिवर्तन की सुविधा रखी और अंतर-सीमा चालू खाता लेन-देन को खोल दिया। आधार-

संरचना को आधुनिकीकृत करने के हमारे संकल्पित प्रयास में शामिल हैं — 13000 कि.मी. लंबाई के चार लेन राजमार्गों का निर्माण, व्यापक पत्तन-विकास कार्यक्रम और तापविद्युत, जलविद्युत तथा परमाणुविद्युत-क्षमता का वर्धन।

शिक्षा और मानव-संसाधन विकास के क्षेत्र में हमारे निवेश ने हमें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक तथा तकनीकी श्रमशक्ति बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी प्रगति ने हमें ज्ञानक्रांति के द्वार पर पहुंचा दिया है और हमारे आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज किया है। हमारे पास तेजी से बढ़ता हुआ एक मध्यम वर्ग है — आज की स्थिति में लगभग 300 मिलियन की संख्या वाला, जो न सिर्फ वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधकीय श्रमबल उपलब्ध कराता है, बल्कि एक विशाल और बढ़ते हुए बाजार की रचना भी करता है। तथापि विश्व के देशों में — तुर्की में भी — इन अदम्य तथ्यों की जानकारी कम ही है। इससे ही हमारे व्यापार में वर्तमान भारी असंतुलन का पता लग जाता है, अन्यथा तुर्की की जितनी क्षमता है और आधार संरचनागत उद्योगों में उसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जो अग्रता हासिल है, उसको देखते हुए भारत में तत्संबंधी कितनी ही तुर्की परियोजनाएं लग जानी चाहिए थीं।

इसी तरह से देखा जाए तो, भारतीय व्यापारिक बिरादरी में भी कितनों को तुर्की के प्रभावशाली आर्थिक रिकॉर्ड की जानकारी है? दो वर्ष पूर्व आर्थिक संकट के दौर में तुर्की अर्थ-व्यवस्था ने विकट स्थिरता का परिचय दिया था और प्राकृतिक आपदाओं तथा आसपास छाए युद्ध व अस्थिरता के संकट के बीच भी विकास की स्थिति पुनः हासिल की। तुर्की के आर्थिक सुधारों ने अपनी गतिशीलता को बरकरार कर लिया है। इस क्षेत्र में आधार संरचनागत उद्योगों से लेकर विविध गतिविधियों तथा सेवाओं के मामलों में तुर्की अपनी महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक उपस्थिति दर्ज कराता है।

अब आपको मैं दो ऐसे उदाहरण देता हूं, जो बताते हैं कि अभी हमारे बीच जानकारी का कुछ अभाव है, जिसे पाटे जाने की आवश्यकता है-

- भारत, मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमरीका को, लगभग 10 बिलियन डॉलर मूल्य के सभी प्रकार के सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्यात करता है। तथापि ऐसे निर्यात में तुर्की का हिस्सा प्रायः नगण्य ही है।
- तुर्की गए हमारे व्यापारिक शिष्टमंडल ने वस्त्र, रसायन, दुपहिया वाहनों और भेषज के क्षेत्रों में सहयोग के बड़े अवसरों की संभावना पाई है।

नियमित संवाद

संक्षेप में कहना यही है कि हमारे व्यापारिक समुदायों के बीच और यात्राओं, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं और व्यापार-मेलों व प्रदर्शनियों के माध्यम से अधिकाधिक संवाद-संपर्क होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज सुबह भारत-तुर्की संयुक्त व्यापार परिषद् का एक सत्र हुआ और अभी मेरी यात्रा के समय इस्तान्बूल में एक भारतीय

उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। इन प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसी गतिविधियां लगातार जारी रहें, मात्र उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान ही न हों।

मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के अंत में दिल्ली में लगने वाले भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तुर्की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदार है। मुझे उम्मीद है कि तुर्की का व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत् इस अवसर का लाभ उत्साहपूर्ण ढंग से उठाएगा और भारतीय बाजार में तुर्की-विशेषज्ञता तथा तकनीकी विज्ञता का भरपूर प्रदर्शन करेगा, जिसमें इस सबकी भारी मांग है, परंतु अभी जिसकी पूर्ति अन्य जगह से हो रही है।

वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार

भारत और तुर्की दोनों ही ऐसी जगह अवस्थित हैं, जहां से आर्थिक अवसर बढ़ने की अनुकूलता है। तुर्की यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के संगम-स्थल और उत्तर अफ्रीकी तट तथा काला सागर को जोड़ने वाले जलमार्ग पर अवस्थित है। मध्य एशिया से लेकर भूमध्य सागर तट तक की भूमि वह क्षेत्र है, जहां हमारे वाणिज्यिक हित तथा वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंध समानता रखते हैं।

साधारण वाणिज्यिक सूझ कहती है-कि हमारे उद्यमी वर्ग को इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। विस्तारशील यूरोपीय बाजार में पैठ बनाने के लिए भारतीय व्यापार तुर्की को एक कार्यकेंद्र के रूप में देख सकता है। भारत स्वयं करोड़ों उपभोक्ताओं से भरा एक बढ़ता बाजार है और उसके जरिए दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े क्षेत्र में पैठ बनाई जा सकती है। आर्थिक सहयोग को तीव्रतापूर्ण ढंग से बहु-आयामी बनाने के लिए भारत और तुर्की में अन्य वास्तविक स्थितियां भी हैं। हमारे दोनों देशों में स्थिरता का माहैल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कानून के राज का सम्मान रखने की परंपरा है। निवेश-सुरक्षा तथा व्यापार-प्रोत्साहन के लिए हमारे पास पर्याप्त विधिक तंत्र है। हमारे यहां प्रभावशाली विनियामक निकाय तथा स्वतंत्र न्याय-प्रणाली हैं।

अपने वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार के लिए हमारे पास द्विपक्षीय समझौते करने की व्यवस्था है। हमारे व्यापारिक संघों ने अपने पारस्परिक संबंध बढ़ाए हैं। कल जब मैंने यह सुना कि भारतीय उद्योग परिसंघ अब तुर्की में एक कार्यालय खोलने का विचार कर रहा है, तो मुझे हर्ष हुआ। इस तरह देखा जाए, तो मजबूत आर्थिक संबंध निर्मित करने का एक समुचित आधार उपलब्ध है। मेरे कहने का — और वस्तुतः मेरी तुर्की यात्रा का — संदेश यही है कि हमें अपने संबंधों को गुणात्मक रूप से एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पारस्परिक क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर आधारित भावी भारत-तुर्की साझेदारी की एक दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है। अपनी इस यात्रा में मैं आश्वस्त हुआ हूं कि इस तरह की योजना की इच्छा दोनों

देश रखते हैं।

सरकारें आवश्यक आधार-संरचना निर्मित करके और अपेक्षित विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करके इस प्रक्रिया को केवल प्रोत्साहित और व्यवस्थित भर कर सकती हैं। इसके बाद यह व्यापार-मंडलों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बीड़ा उठाएं। मुझे उम्मीद है कि अपनी चर्चा के समय आप लोग इस ओर ध्यान देंगे। मैं यह भी आशा रखता हूं कि दोनों देशों का व्यापार-मंडल तथा उद्योग-जगत् इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत संपर्क तथा संवाद करता रहेगा। □

भारत-सिंगापुर के बीच आर्थिक भागीदारी

इस असाधारण नगर-राज्य के व्यवसायी-समुदाय को संबोधित करते हुए मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। निर्यातोन्मुख विकास की नई आर्थिक रणनीति अपनाकर ही कुछ दशक पूर्व प्रभुसत्तासंपन्न राज्य का रूप लेने वाले इस राष्ट्र का कोई दूसरा उदाहरण आधुनिक इतिहास में नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कमजोर व छोटे आकार का यह देश अधिक संपन्न देशों की श्रेणी में आ गया है और स्वयं को एशिया एवं विश्व के अद्वितीय राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। सिंगापुर की यह प्रशंसा उचित ही है कि अपने नागरिकों की औसत आय की दृष्टि से यह अपने पूर्ववर्ती औपनिवेशिक शासक देशों से अधिक संपन्न है। आपकी प्रतिभाशाली जनता की, बदलते आर्थिक परिवेश के अनुसार स्वयं को बदल लेने की क्षमता वास्तव में अनुकरणीय है। लेकिन सिंगापुर के विकास मॉडल के रूप में जो बात प्रभावोत्पादक है, वह है व्यापार के फूलने-फलने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण और उद्यमियों के विचारों को लाभप्रद व्यापार में बदलने के प्रयास में सरकार और शीर्ष के नेताओं की भूमिका — पहले पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतर्गत और अब प्रधानमंत्री गोह के अंतर्गत।

भारत और सिंगापुर के बीच समानताएं

भारत और सिंगापुर के व्यापार के बारे में समान विचार हैं। हमारे उद्यमियों में भी सफल होने का समान उत्साह है। हमें भी अंग्रेजों से इसी तरह की कानूनी और करार की व्यवस्था विरासत में मिली है। दोनों देशों ने मानवीय पूंजी के विकास में काफी निवेश किया है और वे तेजी से ज्ञान-केंद्रित समाज में बदल रहे हैं। सिंगापुर निर्माण, व्यापार और वित्तीय सेवाओं का ऊर्जा-केंद्र है और अब 'हाई-टेक' क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह बात सिंगापुर को 'ज्ञान-द्वीप' बनाने की आपकी दूरदर्शिता से स्पष्ट है। मुझे बताया गया है कि आप इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रतिभा को आकृष्ट करना चाहते हैं, ताकि इस क्षेत्र में तेजी से ठोस रूप धारण कर रहे प्रतियोगी परिवेश में भी सिंगापुर की चामत्कारिक उपलब्धियों को बनाए रख सकें। अगर ऐसा है, तो आप भारत के साथ लाभदायक, सतत और संतोषप्रद भागीदारी की अपेक्षा कर सकते हैं।

जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत भी अनेक 'हाई-टेक' क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर व्यवसायियों ने भारत तथा अमरीका—दोनों जगह

इंडियन बिजनेस फोरम में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; सिंगापुर, 8 अप्रैल, 2002

सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब हम जैव-प्रौद्योगिकी, बायो-इनफॉर्मेटिक्स, नई दवाओं के विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्य नए विकसित हो रहे क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहां बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और प्रतिभा-संपन्न व्यवसायी हैं और साथ ही, अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं का विशाल तंत्र भी है। ज्ञान अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विश्व की अनेक प्रमुख कंपनियां पहले ही भारत में विशाल प्रयोगशालाएं स्थापित कर चुकी हैं। इनमें ये विश्वव्यापी योजनाओं पर भारतीय प्रतिभा का उपयोग कर रही हैं। भारत में अनेक अन्य सेवाओं में चोटी के व्यवसायी हैं—चिकित्साशास्त्र से प्रबंधन और अभियांत्रिकी से लेकर कानूनी सलाह-सेवा तक। अगर विश्व अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने के लिए सिंगापुर भारतीय व्यवसायियों का उपयोग करके अपने सेवा-क्षेत्र को और मजबूत बनाए तो यह उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि नई शताब्दी में उत्कृष्ट शिक्षा अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख वाहक होगी। हम भारत की विश्व में मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिक और प्रबंध संस्थानों की शाखाएं यहां स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। ये संस्थाएं विश्व भर के प्रतिभासंपन्न युवकों को आकृष्ट कर सकती हैं और उन्हें ज्ञान-आधारित व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च मूल्य के अवसरों से लाभ उठाने का प्रशिक्षण प्रदान कर सकती हैं।

व्यापक आर्थिक सहयोग

इसलिए हमारे दो देशों के भावी आर्थिक विकास की गति में बेहतर सामंजस्य की संभावना है। आज भारत और सिंगापुर के कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के सामने मिलकर हमारी आवश्यकताओं एवं आपकी शक्ति और आपकी आवश्यकताओं एवं हमारी शक्तियों—को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का ऐतिहासिक अवसर है। केवल तभी, हम भारत और सिंगापुर के बीच अधिक आर्थिक सहयोग की असीम संभावनाओं को पूरी तरह प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की कुछ संभावनाओं को कुछ जोखिम भरे विभिन्न उद्यमों, जैसे—कंटेनर वेयरहाउस, होटल, आवासीय परिसर, बंदरगाह, अन्य निर्माण-परियोजनाओं और, विशेष रूप से उल्लेखनीय सूचना प्रौद्योगिकी, के जरिए पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। लेकिन अनेक अन्य अवसरों का अभी उपयोग किया जाना है।

आज सुबह हम एक संयुक्त अध्ययन दल स्थापित करने पर सहमत हुए, जो भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर विचार करेगा। इससे हमें व्यापार सुविधा सेवाओं, सीमा-शुल्क में सहयोग, बौद्धिक संपदा, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग आदि सहित विस्तृत आर्थिक विषयों की श्रृंखला पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इस दल की स्थापना एक महीने में कर दी जाएगी और हमारा उद्देश्य एक वर्ष के भीतर समझौता कर लेने का होना चाहिए। पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन जाने की सिंगापुर की सफलता पर मुझे आश्चर्य है। हम सिंगापुर से, विशेष रूप से अवकाश

और कन्वेंशन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सुबह, प्रधानमंत्री गोह और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों को मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के नए तरीकों की खोज करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह दिलचस्प विचार भारत और सिंगापुर, दोनों में व्यापारियों को नए आकर्षक अवसर प्रदान करेगा। जैव-प्रौद्योगिकी एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज सुबह हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत-सिंगापुर जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाए। इससे फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ निर्माण व पर्यावरण और प्रौद्योगिकी आदि विविध क्षेत्रों में हमें मिल कर अनुसंधान करने और व्यापारिक लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनके पास विशाल विकसित भू-क्षेत्र है। आपकी कृषि जैव प्रौद्योगिकी फर्में इस भूमि का लाभदायक सहमति प्रपत्र इस्तेमाल कर सकती हैं। आज हमने दूरसंचार के क्षेत्र में एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। यह बात उत्साहवर्धक है कि इस क्षेत्र की संभावनाएं पहले ही आकार लेने लगी हैं। इसका एक बेहतर उदाहरण है सिंगापुर टेलीकॉम और भारत की भारती टेलीकॉम के बीच ब्रांड-बैंड समुद्री टेलीकॉम संपर्क। भारत विश्व में अधिक तेजी से बढ़ते टेलीकॉम बाजारों में से एक है, जहां हर घंटे एक हजार टेलीफोन लाइनें बिछाई जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि सिंगापुर द्वारा इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने में हम दोनों को लाभ होगा।

मित्रो, सिंगापुर की अर्थ-व्यवस्था ने कठिन परिस्थितियों में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित की है, और एक बार फिर अपने व्यापारियों की विलक्षण शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। आशा है कि 'ईयर ऑफ दी हॉर्स' के दौरान पिछले वर्ष की कठिनाइयों का अंत हो जाएगा। भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने भी अपेक्षाकृत स्वस्थ विकास-दर बनाए रख कर स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने का गुण प्रदर्शित किया है। हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आशा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ेगी। वर्ष 1997-98 के एशियाई संकट के दौरान भी भारत की विकास-दर 6 प्रतिशत रही। इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का बुनियादी आधार मजबूत है और दीर्घकालिक निवेश करने वालों के लिए भारत अच्छा स्थान है।

वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन

इसलिए इस समय, जबकि हमारे दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, यह सही वक्त है कि हम अपनी आर्थिक भागीदारी को बढ़ती विकास-दर से लाभ पाने के लिए मजबूत बनाएं। भारत और सिंगापुर के कुल व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष यह 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़कर 3.9 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हाल के वर्षों के दौरान भारतीय अर्थ-व्यवस्था के द्वार खुलने

और विदेशी मुद्रा-नियंत्रण कानूनों में वर्तमान उदारीकरण के बाद अधिकाधिक भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश करना चाहती हैं। इस संबंध में सिंगापुर प्रमुख स्थान है। अनेक भारतीय कंपनियां प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रीय बिंदु और सेवा-केंद्र होने के कारण सिंगापुर में काम शुरू करना चाहती हैं।

हम न केवल अपने दो देशों के बीच, बल्कि संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इस वर्ष नवंबर में होने वाली पहली भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इससे हमें आसियान सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार करने में सहायता मिलेगी। पिछले ही सप्ताह भारत, म्यांमार और थाईलैंड ने तीनों देशों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग के निर्माण का फैसला किया है। यह राजमार्ग भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में हमारे वृहत्तर सांस्कृतिक पड़ोसियों के साथ परंपरागत आर्थिक एवं जन-जन के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सिंगापुर आसियान में हमारा सबसे बड़ा वाणिज्यिक सहयोगी है। मुझे विश्वास है कि भारत-आसियान वाणिज्य में वृद्धि से सबसे अधिक लाभ सिंगापुर के व्यापारियों को होगा।

आकर्षक अवसर

मुझे जानकारी है कि विदेशी व्यापारियों के अनुसार भारत में व्यापार करने की दृष्टि से धीमी गति है। दुर्भाग्यजनक भागीदारी के कुछ विफल उदाहरणों के कारण आपको भविष्य के और अधिक आकर्षक अवसरों को देखते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार व्यापार पर नियंत्रण को कम करने और बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अनेक उपाय कर रही है। अनेक राज्य सरकारें भी सुधार के एजेंडा को लागू कर रही हैं और व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे कंपनियां, जो भारत में लंबी अवधि के लिए पूंजी लगाने हेतु तैयार हैं, पहले ही लाभ प्राप्त कर रही हैं। मित्र देश दक्षिण कोरिया की अनेक कंपनियों को देखिए, जिन्होंने थोड़े ही समय में भारत में उल्लेखनीय बिक्री-लक्ष्य प्राप्त किया है। उनके कुछ ब्रांडों ने भारत में सुपरिचित नाम का दर्जा पा लिया है। हमने शहरी बुनियादी सुविधाओं, समन्वित नगरों और शहरी परिवहन में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है। इन सबमें सिंगापुर विश्व-प्रणेता है। इसलिए हमें आशा है कि वर्तमान 40 करोड़ अमरीकी डॉलर के स्थान पर सिंगापुर भारत में कहीं अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करेगा। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत कम है। प्रसंगवश मैं आपको यह बता दूं कि यह अब तक सिंगापुर से मंजूर कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक-तिहाई से कम है।

मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा को जारी

रखने और अधिक आकर्षक प्रतयक्ष विदेशी निवेश की व्यवस्था बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, कुछ ही दिन पूर्व घोषित की गई नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत हमने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड) को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया है। सिंगापुर के उद्यमियों को मैं निमंत्रित करता हूं कि वे इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जांच बारीकी से करें। हमें विश्वास है कि ये क्षेत्र अतिरिक्त विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। इस नई नीति को लागू करने में हम आपकी विशेषज्ञता और अनुभव से लाभान्वित होना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि शंघाई के बाहर पुडोंग में सिंगापुर ने जो किया है, उसे आप भारत में कुछ स्थानों पर दोहराएं, न केवल एसईजेड में निवेश करके, बल्कि उन्हें चलाकर। चूंकि आपके देश में भूमि दुर्लभ साधन है, अतः एसईजेड में हमारी नई नीति आपको सिंगापुर के बाहर 'लघु सिंगापुर' बनाने का अवसर प्रदान करती है। आपके पास भारतीय भागीदारों के साथ विशेष रूप से निजी क्षेत्र में सहयोग करने की क्षमता है। आप एसईजेड में अपनी व्यापारिक योजनाओं के अनुसार बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं और उनका स्वामित्व धारण कर परिचालन कर सकते हैं। हमारे हाल के बजट में विकास करने वालों को एसईजेड में आयातमुक्त उपकरण लगाने की अनुमति दी गई है। हमने पुराने संयंत्र और पूंजीगत मशीनरी आयात करने के नियम भी शिथिल कर दिए हैं। इससे सिंगापुर के उन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जो अन्यत्र स्थापित होना चाहते हैं। इन सबसे आपके निवेशकों को विलक्षण आर्थिक लाभ होगा। इस तरह के एसईजेड से भारत में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे, जो हमारी आर्थिक नीतियों का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

मित्रो, अपने भाषण में पहले मैंने भारत और सिंगापुर के बीच अनेक समानताओं का उल्लेख किया था। मैं एक और महत्त्वपूर्ण समानता का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे दोनों देश बहुजातीय और बहुधार्मिक हैं। सिंगापुर भारतीय मूल के अनेक निवासियों का घर है। वे भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और भाषायी समुदायों के हैं। यह विविधता भारत की एकता और शक्ति का गौरवशाली स्रोत हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत में शांति, मैत्री और सामाजिक सहयोग के आदर्शों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के प्रति हम वचनबद्ध हैं। ये आदर्श किसी भी देश की स्थिरता और प्रगति की आधारशिला होते हैं। भारत में पिछले दिनों हुई कुछ दुर्भाग्यजनक घटनाओं से आप चिंतित न हों। इस तरह की घटनाओं पर विजय पाने का लचीलापन और स्वाभाविक योग्यता भारत में है।

अंत में, भारत और सिंगापुर के आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में आपने जो दिलचस्पी ली है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। □

त्रिनिदाद एवं टोबेगो के साथ मैत्री

भारत और आपके खूबसूरत देश के बीच संबंध बहुत पुराने, सन् 1854 से हैं, जब भारत से 225 अनुबंधित मजदूरों को लेकर पहला जहाज 'फतेल रजाकक' यहां पहुंचा था। स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि उपनिवेशों में रह रहे सभी लोगों के लिए थी। इसी भावना से हमने आपके देश के साथ सन् 1948 में कूटनीतिक संबंध कायम किए। तब आपका देश स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था।

भारत और त्रिनिदाद तथा टोबेगो के लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं, जिनकी नींव हमारी साझी विरासत में है। इन मैत्री-संबंधों के समारोह के लिए हमारे राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा सन् 1995 में यहां आए थे। हमारे दोनों देशों में बहुजातीय और बहुधर्मी समाज शांति और सद्भाव से रह रहे हैं। हमारे लोकतांत्रिक आदर्श भी एक जैसे हैं। मैत्री, विश्वास और सद्भाव ने भारत और त्रिनिदाद व टोबेगो के बीच की काफी बड़ी भौगोलिक दूरी को पाट दिया है।

जनवरी, 1997 में हमारे गणतंत्र-दिवस समारोह में मुख्य आतिथि के रूप में आपकी ऐतिहासिक यात्रा से हमारे संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। पिछले दो वर्षों में किए गए कई समझौतों और उन्हें लागू करने के लिए दोनों सरकारों के एकजुट प्रयासों से हमारे संबंध विस्तृत और विविधतापूर्ण हुए हैं। परस्पर लाभप्रद सहयोग की संभावनाएं काफी व्यापक हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा से विश्वास और मैत्री के हमारे संबंध और मजबूत होंगे।

आज दिन में राष्ट्रपति रॉबिन्सन के साथ मेरी बड़ी उपयोगी बातचीत हुई तथा हमने परस्पर हित के मसलों पर विचार-विनियम किया। विपक्ष के नेता श्री पैट्रिक मैकिंग तथा कई सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के साथ भी मेरी बैठकें हुईं। इन वार्त्ताओं से इस क्षेत्र को मैं और बेहतर समझ पाया हूं।

महामहिम! आज सुबह हमने संयुक्त रूप से 'महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान' की नींव रखी। पूरे हो जाने पर यह भवन हमारी चिरस्थायी मैत्री का एक जीता-जागता उदाहरण होगा। दरअसल आपकी सरकार द्वारा दी गई अस्थायी जगह पर पिछली जनवरी से ही यह संस्थान काम कर रहा है। संगीत, नृत्य और हिंदी भाषा के भारतीय शिक्षक इस समय संस्थान में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह संस्थान केवल भारतीय संस्कृति

पोर्ट ऑफ स्पेन में स्वागत-समारोह में दिया गया भाषण; 8 फरवरी, 1999

के शिक्षण का संस्थान नहीं है, बल्कि इसकी कल्पना एक ऐसे सम्मिलन-स्थल के रूप में की गई है, जहां सभी जातीय समूहों और धर्मों के लोग एक साथ मिल बैठें और अंतर समझें तथा एक-दूसरे का सम्मान करना सीखें। संस्कृति को कभी भी विभाजक ताकत के रूप में नहीं माना गया, बल्कि यह तो एक ऐसा मंच है, जहां लोग एकसाथ बैठ सकें।

हमारे सांस्कृतिक संबंधों का आधार तो उचित तथा मजबूत है, लेकिन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध अभी भी शैशवावस्था में है, लेकिन बढ़ रहे हैं। हमारी दूरियां अधिक हैं, लेकिन अत्यंत द्रुत संचार के इस युग में यह हाथ-पर-हाथ धरे रहकर बैठे रहने का बहाना नहीं है। यह देखकर हमें खुशी हो रही है कि त्रिनिदाद और टोबेगो की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है और समूचे कैरिबियाई क्षेत्र में यह सबसे बड़ी और अत्यधिक औद्योगीकृत है। महामहिम! आपका छोटा-सा देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यहां के लोग परिश्रमी और समर्पित हैं। भारत आपके देश के साथ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग का इच्छुक है, जहां भारतीय तेल निगम अपने क्रियाकलापों को दृष्टितम करने के लिए त्रिनिदाद और टोबेगो के साथ सहयोग कर सकता है, ताकि नुकसान तथा ईंधन व उपयोगिताओं की खपत में कमी के जरिए रिफाइनरी के कामकाज में सुधार हो और उत्पादों की ढुलाई और वितरण की एक सुरक्षित व किफायती प्रणाली विकसित की जा सके।

इसी प्रकार, अपने आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए हमारी दोनों सरकारें कई कदम उठा सकती हैं और उठा भी रही हैं। आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में अंगूस्त्रा बिटर्स तक बेहतर पहुंच की लंबे अरसे से चली आ रही आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आज सुबह हमारी दोनों सरकारों ने दुहरे कराधार से बचने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उससे निजी निवेश के प्रवाह में तेजी आएगी।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपकी सरकार को दिलचस्पी के विविध क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों के हुनर को बेहतर बनाने में भारतीय तकनीक और आर्थिक कार्यक्रम उपयोगी लगा है। महामहिम! सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित आपके मानव-संसाधनों को उन्नत बनाने में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करने में हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी दोनों सरकारों ने आवास और मानव बस्ती विकास के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में कल होने वाले कम लागत के आवास-केंद्र का उद्‌घाटन लोगों के लाभार्थ विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण है। यहां से मैं जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाऊंगा, जहां विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रति हम अपनी वचनबद्धता को दुहराएंगे।

देशों में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भारत का रिकॉर्ड जग-

जाहिर है। हमने विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम किया है। त्रिनिदाद व टोबेगो और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा सहयोग किया है। विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार-प्रक्रिया में इन हितों को बढ़ावा देने में हम आपके देश के और घनिष्ठ सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

महामहिम! आपका देश कैरिबियाई देशों की एसोसिएशन और कैरीकाम की सदस्यता के माध्यम से अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। हमने देखा है कि कैरिबियाई देशों में आपकी बात सम्मानपूर्वक सुनी जाती है और आपकी सलाह मानी जाती है। हमारे क्षेत्र में भी क्षेत्र के देश 'सार्क' में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग के प्रति वचनबद्ध है।

महामहिम! आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर गर्मजोशी से किए गए सत्कार के लिए मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। मैं त्रिनिदाद व टोबेगो से अपनी छोटी, परंतु लाभदायक यात्रा की स्मृतियां लेकर जाऊंगा। मैं अपनी मैत्री की नींव पर परस्पर हितकारी संबंधों का एक सुदृढ़ ढांचा बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। □

विकासशील देशों के अनुकूल व्यापार-सुधार को गति मिले

सबसे पहले मैं इस उत्कृष्ट पहल के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता के लिए मंच मिला है। मैं पिछले कुछ समय से विकास के संबंध में एक व्यापक वार्ता कराने की मांग करता आ रहा हूं और यह बैठक उस दिशा में पहला बड़ा कदम हैं। ऐसी बड़ी तथा उच्चस्तरीय बैठक की उत्कृष्ट व्यवस्था करने तथा तहेदिल से हमारा आतिथ्य-सत्कार करने के लिए फ्रांस सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम होगी। स्विट्जरलैंड सरकार ने सीमा की उस तरफ जो व्यवस्था की है, उसके लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रपति जी, इस बैठक के दौरान जिन विषयों का उल्लेख पहले किया गया है, उनमें से कुछ पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हँ —

यह बिलकुल स्पष्ट है कि लगभग दो वर्ष पहले दोहा में हुई सहस्त्राब्दी विकास बैठक के संबंध में अब तक की प्रगति से विकासशील देश बहुत ही निराश हैं। मैं समझता हूं कि हमें दोहा बैठक के निष्कर्षों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कुछ मानक निर्धारित करने चाहिए, ताकि विश्व-व्यापार व्यवस्था की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमें जिन क्षेत्रों में ऐसे मानक निर्धारित करने की जरूरत है, उनमें ये शामिल हैं-

- विकासशील देशों के निर्यात में शुल्क तथा गैर-शुल्क बाधाओं को तेजी से दूर करना।
- व्यापार में व्यवधान पैदा करने वाली कृषि सब्सिडियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त तथा कृषि निर्यात की बाधाओं को दूर करते समय विकासशील देशों के करोड़ों किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों की बेरोकटोक आवाजाही के लिए वीज़ा तथा गैर-वीज़ा संबंधी बाधाओं को दूर करना।
- औषधियों तक विकासशील देशों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।

जी-8 देशों की बैठक में दिए गए भाषण का मूल पाठ, एवियान; फ्रांस 1 जून, 2003

गरीबी-उन्मूलन

मुझे खुशी है कि इन बैठकों में अफ्रीकी देशों की मदद करने के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसी सुविधाएं समान परिस्थिति वाले अन्य विकासशील देशों को भी दी जानी चाहिए। गरीबी, बीमारी, कुपोषण तथा भुखमरी किसी महाद्वीप, देश, रंग अथवा जाति में फर्क नहीं करते। इनसे निपटने हेतु की जाने वाली कार्रवाई में भी ऐसा कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए।

विकासशील देशों में गरीबी-निवारण तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक संसाधनों की जरूरत है, जिन्हें केवल इन देशों की बचत से ही नहीं जुटाया जा सकता। इसके लिए बाहरी सहायता की भी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मॉन्टेरी तथा जोहान्सबर्ग की प्रतिबद्धताओं का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। हमें अत्यधिक कर्ज में डूबे निर्धन देशों के लिए ऋण-माफी की पहल को भी बढ़ावा देना होगा तथा इसका विस्तार करना होगा। विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए हमें इन उपायों से भी आगे देखना होगा। हमें संसाधनों के उस अनियंत्रित बहाव की समस्या पर भी ध्यान देना होगा, जिसके कारण विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था चरमरा सकती है, जैसा कि पूर्वी एशिया संकट से हुआ था।

संसाधनों तक पहुंच

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी-प्रवाह पर थोड़ा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचना होगा, ताकि इस राशि को विश्व के विकास हेतु निधियों में जमा किया जा सके। इससे अस्थिर पूंजी-संचालन पर रोक लगेगी तथा विकास के लिए काफी मात्रा में संसाधनों का सृजन होगा। मैं जानता हूं कि इस विचार को अव्यावहारिक बताते हुए इसे निरस्त करने के लिए अनेक तकनीकी समस्याओं को सामने लाया गया है, किंतु यह प्रस्ताव इतना सक्षम है कि इसको अमल में लाने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा हेतु ब्रिटेन के हाल ही के सुझाव तथा एशियन बॉन्ड्स के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री की पहल पर भी हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही विकास-परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध कराने हेतु गारंटी प्रणाली के रूप हैं।

ऐसी अवधारणाएं विकासशील देशों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करने में मददगार सिद्ध हो सकती हैं। तथापि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुपक्षीय विकास-वित्त के लिए दशकों से सावधानीपूर्वक बनाई गई ठोस व्यवस्थाओं की इस प्रक्रिया में उपेक्षा न हो।

स्वच्छ विकास-कार्यक्रम

दुर्भाग्य से क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि न होने से विकासशील देशों को *carbon credits* (कार्बन क्रेडिट्स) के बदले में निवेश और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए *Clean Development Mechanism* (स्वच्छ विकास-कार्यक्रम) आगे नहीं बढ़ सका है। इससे विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की ग्रीन-हाउस गैसों का उत्सर्जन *(Green House Gas intensities)* को कम करने के लिए उनके अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा-संरक्षण के अनेक कार्यक्रमों में गंभीर अड़चनें पैदा हुई हैं। यदि क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में विलंब होता है तो हमें *Clean Development Mechanism* के कार्यान्वयन के और तरीके ढूंढ़ने होंगे।

इसी तरह, जैव-विविधता-संबंधी समझौता *(Convention on Biological Diversity)* विकासशील देशों को उनके जैव-विविधता के संसाधनों के बदले में प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने में विफल रहा है। मैं समझता हूं कि हमें विकासशील देशों को उनके जैव-विविधता के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रयोक्ता-शुल्क लगाने की अवधारणा पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, समुदायों के परंपरागत ज्ञान को बहुमूल्य बौद्धिक संपदा के रूप में समझा जाना चाहिए। वे हजारों वर्षों से इस तरह के ज्ञान के विकास और संरक्षण के लिए व्यावसायिक प्रयोक्ताओं से क्षतिपूर्ति के रूप में शुल्क वसूल कर सकते हैं।

विश्व-पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण

शायद हमें विश्व-पर्यावरण संसाधनों पर प्रयोक्ता-शुल्क लगाने की पद्धति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना चाहिए, जिससे विकास हेतु निधियां जुटाने के साथ-साथ विश्व-पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। विश्व-पर्यावरण के संरक्षण तथा आर्थिक विकास हेतु संसाधनों का सृजन पूरी तरह साथ-साथ चल सकते हैं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम पहले भी अकसर इन लक्ष्यों के बारे में कहते आए हैं, किंतु अब इन्हें हासिल करने की नितांत आवश्यकता है।

यदि हम इन लक्ष्यों को हासिल करने हेतु तेजी से कार्य नहीं करेंगे तो अधिकतर विकासशील देशों में आगे किसी व्यापार के उदारीकरण अथवा पर्यावरण-संबंधी उपायों के लिए राजनीतिक समर्थन हासिल करना असंभव हो जाएगा। □

पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध

भारत-चीन साझेदारी की पूरकता

चीन के इस प्रमुख विश्वविद्यालय 'यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना' का इतिहास घटनापूर्ण रहा है, जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अकादमिक परंपरा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए 3000 कि.मी. से ज्यादा का प्रवास भी शामिल है।

आप भी भारत के साथ विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। हम आभारी हैं कि कई दशक पूर्व इस विश्वविद्यालय ने प्रो० तान युन शान को शांतिनिकेतन भेजा था। उन्होंने ही हमारे महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर को विश्वभारती विश्वविद्यालय में मशहूर 'चीन भवन' स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, जिसका कुलपति बनकर मैं गौरवान्वित हूं।

आज इस विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र को समर्थन देने का संकल्प लेकर हम उस कर्ज को कुछ हद तक उतार रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी-अभी उस केंद्र का उद्घाटन किया और इसके पुस्तकालय में प्रतीकात्मक प्रारंभिक दान दिया है। मेरी सरकार इस केंद्र में भारत से दो संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए तैयार है। इसे चलाने पर होने वाले खर्चे के मद में हमने प्रथम पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का अंशदान करने का संकल्प लिया है। इस केंद्र के 1 छात्र के लिए हम भारत में समुचित संस्थान में वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वित्तपोषण कर सकते हैं। इस केंद्र के सर्वोच्च स्थान प्राप्त प्रथम तीन छात्रों के लिए हम वार्षिक पुरस्कारस्वरूप तीन सप्ताह के भारत-दौरे का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि भारत-चीन सांस्कृतिक संबंध के आधुनिक जन्मदाता तान युन शान की स्मृति में इस पुरस्कार का नाम तान युन शान पुरस्कार रखा जाए। इस केंद्र के लिए हर आवश्यक सहायता देते हुए हमें प्रसन्नता होगी।

भारत और चीन के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने की हमारी मौजूदा कोशिश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अध्ययन केंद्र जैसी पहल खासतौर से स्वागत-योग्य है। हमारे दोनों देशों की सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से हैं और हमारे संबंध दो सहस्राब्दी से भी ज्यादा पुराने हैं। वाणिज्य के जरिए हम सिल्क रूट से जुड़े थे, किंतु इसके कारण हमारे संगीत, धर्मग्रंथों और साहित्य का मुक्त प्रवाह भी सरल हुआ था। भारत में बुद्ध द्वारा प्रसारित संदेशों को लाखों चीनियों ने अपनाया। समुद्री व्यापार के जरिए हम निकट संपर्क में बने रहे और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ हमारी संस्कृतियों का संगम हो पाया।

चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, बीजिंग; 23 जून, 2003

किंतु कालांतर में ऐसे चरण भी आए, जब हमारी सभ्यताओं को आत्मपरीक्षण करना पड़ा और एक-दूसरे से हमारा नियमित संपर्क टूट गया। बाद के वर्षों में दोनों देशों को औपनिवेशिक आक्रमण झेलने पड़े और अनेक प्रकार की चीजों से वंचित रहना पड़ा, जिसके कारण यह प्रवृत्ति और गहरी हो गई। शीतयुद्ध की काली छाया और उसके परिणामस्वरूप दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पैदा हुई कड़वाहट का भी असर भारत और चीन पर पड़ा। एक-दूसरे से सापेक्षिक अलगाव से लेकर हम संबंध-विच्छेद तक की स्थिति से गुजरे।

आपसी समझदारी और साझेदारी

कुछ दशक पूर्व तक मौजूद घोर अविश्वास के दौर से हम निर्णायक तौर से उबर चुके हैं। आपसी समझदारी फिर से बहाल करने, सहयोग के आधार को विस्तार देने और अपनी पूरकताओं के वचन को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं।

आपसी समझदारी फिर से कायम करने के इस कार्य में भारतीय अध्ययन केंद्र महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मूलतः इतिहास, भाषा और साहित्य-संबंधी भारतीय विद्या में आपने विद्वत्ता प्राप्त की है। मेरा सुझाव है कि आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी पांडित्य प्राप्त करें। दूरी के कारण, पुराने अनुभवों के आधार पर, हास्यापद और घिसी-पिटी छवि को बल मिलता है। अकादमिक आदान-प्रदान और समकालीन अध्ययन सूचना तथा अवधारणाओं से संबंधित कमियों को पूरा करने में सहायक होते हैं। आप अपने केंद्र को लाओ जी के ज्ञान और समझदारी के आदर्श से परिपूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा था—

''बाहर गए बिना भी संभव है
संपूर्ण विश्व को समझना और
अदृष्ट को देख पाना
खिड़की खोले बिना भी''

हम जानते हैं कि हम किस मोड़ से यहां तक पहुंचे हैं। आइए, हम यह बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें कि आज हम कहां हैं और भविष्य में साथ-साथ कहां तक जा सकते हैं। हम एक-दूसरे को जितना बेहतर समझ पाएंगे, साथ-साथ कुछ कर पाने की संभावनाएं उतनी ज्यादा रहेगी।

साझी शक्ति

भारती-चीन साझेदारी की साझी शक्ति और पूरकता से इनकार नहीं किया जा सकता—

- हम विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं।
- हमारी अर्थव्यवस्थाएं विश्व की अधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में

से हैं। चीनी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। आज विश्व के किसी भी आर्थिक मंच पर चर्चा का केंद्र ये दोनों देश हैं।

- हम दोनों के बाजार महाद्वीप आकार के हैं, जिनमें विशाल अर्थव्यवस्थाओं के लाभ मौजूद हैं।
- हमारे समक्ष महाद्वीपीय आकार के देशों की समस्याएं भी हैं, इनमें असमान विकास, व्यापक आय विषमताएं और संभाव्य डिजिटल डिवाइड शामिल हैं। विकासात्मक अनुभवों का आदान-प्रदान उपयोगी हो सकता है।
- दोनों देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्ञान अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं।
- हमारी शक्तियों में सौहार्द्रपूर्ण संतुलन है। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी, प्रबंध तथा वित्तीय सेवाओं में भारत की शक्ति की तुलना हार्डवेयर, निर्माण और उद्योग के क्षेत्र में चीनी विशेषज्ञता से की जा सकती है।
- इस माह के प्रारंभ में एवियन में संपन्न ग्रुप-8 देशों के साथ विकासशील देशों की व्यापक चर्चा में भारत और चीन—दोनों मौजूद थे। हमारे दृष्टिकोण में एकरूपता चौंकाने वाली थी। यदि हम मिल-जुलकर कार्य करें तो हमें नजरंदाज करना दुनिया के लिए नामुमकिन होगा।
- भारत और चीन बार-बार कहते रहे हैं कि वे सहयोगपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था के पक्ष में हैं। आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमें हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपेक्षित छवि की मर्यादा को फिर से बहाल करने में अपनी भूमिका अदा करनी है।

द्विपक्षीय संबंध और व्यापार

दोनों देश अधिकाधिक संपर्क रखकर आपसी विश्वास और समझ बढ़ाने के प्रयास करते रहे हैं। हाल के वर्षों में विविध क्षेत्रों में हमारा सहयोग काफी बढ़ा है। नब्बे के दशक के प्रारंभ में हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 200 मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 5 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। भारतीय व्यवसाय और उद्योग चीनी व्यवसाय की शुरुआती सांस्कृतिक और वाणिज्यिक शंकाओं से उबर चुके हैं और अपने संपर्कों को मजबूत बना रहे हैं। दौरे पर आए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का आकार और उसका वैविध्यपूर्ण स्वरूप इसका निर्णायक प्रमाण है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन में भारत का निवेश लगभग 65 मिलियन डॉलर है।

भारत-चीन वार्ता में केवल दोतरफा ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, सुरक्षा, पर्यावरण तथा सततशील विकास जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के भीतर हमारे हितों और वैश्वीकरण से जुड़ी चिंताओं में समानताएं बढ़ रही हैं। विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों में हमारे सहयोग और तालमेल का विस्तार नित नए क्षेत्रों में हो रहा है। विश्व बैंक की आधारिक संरचनागत ऋण नीतियों को अधिक युक्तिसंगत बनाने के

लिए हमारी मिली-जुली कोशिश इस प्रकार की प्रभावी संयुक्त कार्रवाई का छोटा, किंतु महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

किंतु, जैसा कि मैंने पहले कहा, मानव-संसाधन, आर्थिक शक्ति और प्रौद्योगिकीय कौशलबहुल में दोनों देशों ने अपनी अपार संभावनाओं की दिशा में अभी शुरुआत ही की है। आपके वरिष्ठ नेता श्री देंग जियाओपिंग ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी एशियाई सदी ही हो सकती है, बशर्ते भारत और चीन—दोनों साझा रूप से ऐसा चाहें। इसे साकार करने के लिए हमें एक दूसरे की पूरक शक्तियों के प्रति सजग रहना चाहिए। विवादास्पद खींचतान से बचना चाहिए और अपने संसाधनों का सार्थक उपयोग करना चाहिए। हमारे बीच इतना विश्वास और इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम उन तत्त्वों से दूर रह सकें, जो हमें विभाजित रखना चाहते हैं।

भावी संबंधों की आधारशिला

इस परिप्रेक्ष्य में मैं उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, जिसे अकसर भारत और चीन के बीच 'शत्रुता' के रूप में प्रचारित किया जाता है। भारत और चीन दो बड़े विकासशील देश हैं और उनकी विकास की अवस्था कमोबेश समान है। वे एक-दूसरे के पड़ोसी हैं और विकास की एक जैसी राह पर चल रहे हैं। उनकी आर्थिक प्राथमिकताएं तुलनीय हैं और राजनीतिक आकांक्षाएं समान हैं। ऐसे में भारत और चीन की तुलना करना स्वाभाविक है। मानव-स्वभाव की यह एक अनिवार्य विशिष्टता भी रही है कि वह दो निकट व समान पड़ोसियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का भाव रखता है। किंतु हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निर्णायक प्रतिद्वंद्विता का फर्क साफ तौर पर समझना होगा। मौजूदा विश्व में भी आपको ऐसे देशों के उदाहरण मिल जाएंगे, जिनके बीच स्वस्थ तथा सौहार्द्रपूर्ण आर्थिक व वाणिज्यिक प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद करीबी राजनीतिक समन्वय बना हुआ है। आर्थिक पूरकताएं सुदृढ़ हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों में सौहार्द्र पैदा हुआ है। विकासशील विश्व, विशेषकर उसके ये दो देश इन अनुभवों से सबक लेकर काफी लाभ उठा सकते हैं। हमें इस सहज वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारे बीच मतभेद की कोई खास वजह नहीं है और हम दोनों एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इन सरल और ठोस सिद्धांतों को ही भावी भारत-चीन साझेदारी की आधारशिला बनाया जाना चाहिए।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

वास्तविकता यही है कि सीमा-विवाद सुलझे बगैर पड़ोसियों के संबंध वास्तविक अर्थों में सौहार्द्रपूर्ण नहीं हो सकते। कुछ दशकों की शिथिलता के बाद भारत और चीन ने कुछ वर्ष पूर्व इस महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया था। हमने अच्छी प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों' का पालन कर, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संजीदगी दर्शाकर और समानतापूर्ण व्यवहार करके

इस प्रक्रिया को हम तेज कर सकते हैं, ताकि इस मतभेद को दरकिनार कर सकें। प्रीमियर वेन जियाबाओ से चर्चा करने के बाद मैं उत्साहित हूं कि दोनों देश इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

यही हमारी नियति है और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। यदि हम ऐसा करें तो हम निकट सहयोग को सही अर्थों में साकार कर सकते हैं, जिसका जीवंत चित्रण गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने इन शब्दों में किया है:

''जब भोर की पहली किरण फूटती है, तभी हम अपनी चारदीवारी और अपने वैयक्तिक जीवन की अनन्यताओं से मुक्त होते हैं। तभी हम इस प्रकाश से परिचय कर पाते हैं, जो सबके लिए है—हमेशा। और एक-दूसरे को जानना, जीवन में सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना भी तब ही संभव हो पाता है।''

भारत और चीन यह लक्ष्य पा सकते हैं। □

प्रशांत-एशिया क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन

हम सभी भारतवासियों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत में 24 वर्षों के अंतराल के बाद प्रशांत-एशिया ट्रैवल एसोशिएशन (पाटा) का वार्षिक सम्मेलन फिर हो रहा है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली आधी शताब्दी, विशेषकर पिछले कुछ दशकों में प्रशांत-एशिया क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आए हैं। औपनिवेशिक शासन के काले दिनों को पीछे छोड़ते हुए इस क्षेत्र के देश एक स्वतंत्र, आत्मविश्वास से भरपूर और निरंतर प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य का पुनर्निर्माण स्वयं कर रहे हैं। इनमें से कई देश सफलता, व्यापार और प्रौद्योगिकी, उद्योग और नवपरिवर्तन के पर्याय बन गए हैं। मैं पिछले सप्ताह सिंगापुर में था और मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि पिछले औपनिवेशिक शासक देश की तुलना में आज इस देश में प्रति व्यक्ति आय कहीं अधिक है।

यदि प्रशांत एशिया क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है तो उसके साथ ही इसके पर्यटन परिदृश्य में भी बदलाव आया है। आज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के केंद्र हैं और सारे विश्व से बड़ी संख्या में पर्यटक इन स्थलों पर आते हैं। लगभग सभी देश पर्यटकों के आकर्षण के अपने परंपरागत स्थलों का विकास कर रहे हैं और कई नए स्थलों को इनमें जोड़ा जा रहा है। निश्चय ही इस क्षेत्र के समृद्ध और समृद्धि की ओर अग्रसर, दोनों तरह के देशों के आर्थिक विकास के लिए पर्यटन एक शक्तिशाली साधन बन गया है। यदि सिंगापुर समृद्धि का उदाहरण है तो कंबोडिया, जहां मैं पिछले सप्ताह गया था, समृद्धि की ओर अग्रसर देश का एक ज्वलंत उदाहरण है। मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कंबोडिया में विशेषकर अद्भुत अंगकोर मंदिरों के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले पांच वर्ष के दौरान 50,000 प्रतिवर्ष से बढ़कर पांच लाख प्रतिवर्ष हो गई है।

मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण हैं। और वे हर तरह के पर्यटन को समाहित करते हैं। इनमें स्मारक, पहाड़, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, मनोरंजन तथा आध्यात्मिक पर्यटन शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन देशों की संबंधित सरकारों ने अभिनव नीतियों और आधारभूत सुविधाओं के जरिए इस बदलाव को लाने

प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन के 51वें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली: 15 अप्रैल, 2002

के लिए बहुत कुछ किया है, तथापि इस क्षेत्र में भ्रमण और पर्यटन उद्योग के असाधारण विकास का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा) को जाता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के बाद शांति स्थापित होने पर वर्ष 1952 में हवाई द्वीपसमूह में इसके प्रथम सम्मेलन के बाद से पाटा ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को एक मंच पर लाने में एक अग्रणी और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे बताया गया है कि पर्यटन क्षेत्र में यह पहला संगठन है, जिसने इस क्षेत्र में पर्यटन केंद्रों के संवर्धन और विपणन में निजी-सार्वजनिक सहभागिता के फायदों को समझा था।

सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन

पाटा ने पिछली आधी सदी के दौरान अपने समर्पित नेतृत्व और प्रभावशाली कार्यों के जरिए पर्यटकों को जानकारी देने के क्षेत्र में और साथ ही पर्यटन स्थलों के पर्यावरणात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकास में किसी अन्य ट्रैवल संगठन की तुलना में कहीं अधिक कार्य किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्र संघ ने सन् 2002 को 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ ईको-टूरिज्म ऐंड माउंटेंस' के रूप में घोषित किया है। मैं स्थायी और पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन के विकास के लिए पाटा के इन प्रयासों की हार्दिक सराहना करता हूं। पर्यटन के विकास के लिए हमारे द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों का केंद्रबिंदु भी पारिस्थितिकी संतुलन होना चाहिए। इस जिम्मेदारी का निर्वाह सरकार, बुनियादी सुविधाओं और आतिथ्य व्यवसाय के क्षेत्र में निजी व्यवसायियों, मास मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों और स्वयं पर्यटकों के बीच सुनियंत्रित और बहुधा स्वनियंत्रित भागीदारी के निर्माण से किया जा सकता है।

भारत पर्यटन में वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि यदि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन करना है तो यह क्षेत्र हमारे लिए अति महत्त्वपूर्ण है। हमारे पास प्राचीन और आधुनिक, दोनों तरह के पर्यटन-स्थल मौजूद हैं। हम हवाई अड्डों और विमान-सेवाओं, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, होटल, परिवहन, पर्यटन सर्किटों के विकास, स्मारकों का संरक्षण और रख-रखाव, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन से संबंधित अन्य सभी क्षेत्रों में विस्तार तथा बुनियादी संरचना के आधुनिकीकरण के लिए बहुत बड़ी धनराशि का निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि भारत के किसी भी भाग में आने वाले पर्यटक अपना सबसे बेहतरीन समय यहां गुजारें। निस्संदेह हमें अपने से अधिक सफल मित्र देशों से बहुत कुछ सीखना है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी 40 देश ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान से लाभ उठा सकते हैं।

आतंकवाद की चुनौतियां

आपकी एसोसिएशन अपनी स्थापना की दूसरी अर्द्ध-सदी में प्रवेश कर रही है। अब इसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। इनमें से कुछ चुनौतियां सिर्फ पर्यटन

से ही संबंधित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक जैसी हैं। ये हमारे समाज की सुरक्षा और बेहतरी से संबंधित हैं। यहां मैं प्रमुख रूप से आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कोई भी महाद्वीप और देश इस समस्या से या इसके दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। अमरीका पर 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमलों से पड़ने वाले प्रभाव से यह स्पष्ट हो जाता है। नागरिक उड्डयन उद्योग विशेषकर ट्रैवल और पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा। हमारा देश पिछले दो दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। सभी यह भली-भांति जानते हैं कि कैसे जम्मू-कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवाद ने पर्यटन को दुष्प्रभावित किया है।

अब समय आ गया है कि विश्व में पूरा पर्यटन उद्योग आतंकवाद तथा उग्रवाद के खिलाफ अभियान को तेज करे। मैंने पहले भी कहा था—और आज फिर जोर देकर कह रहा हूं कि हम सभी को जानना चाहिए कि क्यों आतंकवाद पर्यटन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जिस तरह आतंकवाद पर्यटन का दुश्मन है, ठीक वैसे ही पर्यटन अपने सार्वत्रिक प्रभावों के जरिये आतंकवाद व उग्रवाद का सफाया करने में समर्थ है। जहां आतंकवाद असहिष्णुता और अहंकार पर फूलता-फलता है, वहीं पर्यटन सहिष्णुता और भाईचारे को जन्म देता है। आतंकवाद के सामने मानवीय जीवन की कोई कीमत नहीं है। इसके विपरीत पर्यटन हमें प्रकृति की सभी खूबसूरत चीजों और मानव-जीवन को संरक्षित करने की शिक्षा देती है। आतंकवाद ने धर्म और समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। पर्यटन इन बाधाओं को तोड़ता है। आतंकवाद बहुवाद से घृणा करता है, जबकि पर्यटन इसका आदर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

समय के साथ-साथ छोटे होते और एक-दूसरे पर ज्यादा निर्भर होते विश्व में पर्यटन हमें अंतर्राष्ट्रीय नजरिया विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही इसकी बदौलत हम अपने-अपने देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, यह गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, महात्मा गांधी और शांति के अन्य पुजारियों की भूमि रहा है। हम इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि विभिन्न देशों के बीच शांति, मैत्री तथा भाईचारे को प्रोत्साहन देना व विभिन्न धर्मों और नस्लों के बीच सूझबूझ और समझदारी पैदा करना नई सदी में पर्यटन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विश्व पर्यटन संगठन का भी यही मुख्य संदेश है। मैं आशा करता हूं कि आपका सम्मेलन हमारे क्षेत्र और विश्व में पूरी ताकत से इस संदेश का प्रसार करेगा।

इस अवसर पर मेरी एक और चिंता है और मुझे आशा है कि आप में से अधिकतर लोग उस बारे में मुझसे सहमत होंगे। मैं ट्रैवल और पर्यटन ऑपरेटरों से आग्रह करता हूं कि वे कम समय में लाभ कमाने की संकीर्ण दृष्टि से कारोबार को न देखें। जरूरत से ज्यादा व्यावसायिकता विशेष रूप से प्रभावी विनियामक प्रणाली की अनुपस्थिति में

नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकती है। पर्यावरण क्षति और परंपरागत सामाजिक मूल्यों का पतन, पर्यटन की वृद्धि को असंतुलित कर सकते हैं। यह उसी कहानी की तरह होगा, जिसमें सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को ही मार दिया जाता है। हमारे अपने देश में हमारे पास कुछ ऐसे पर्यटन केंद्रों के उदाहरण हैं, जो अनियोजित और अस्थायी वृद्धि के कारण स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए आपके सम्मेलन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे की उत्कृष्ट प्रणालियों से परस्पर सीखना चाहिए। हम किस प्रकार पर्यटन-संवर्द्धन योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी से सक्रिय भागीदार बना सकते हैं? हम कैसे विशेष रूप से पर्यटन-केंद्रों के अंदर और आसपास अच्छे निगम शासन को प्रोत्साहित कर सकते हैं? हम कैसे अव्यवस्था को रोक सकते हैं और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं? ऐसे और इस तरह के कई अन्य प्रश्न हमारे सामने हैं, जिनका उत्तर हम परस्पर विचार-विमर्श करके ढूंढ सकते हैं।

पर्यटन का संयुक्त संवर्धन

इन दिनों एक अवधारणा तेजी से प्रचलित हो रही है। वह यह कि किस प्रकार संयुक्त पर्यटन सर्किट का विकास व विपणन किया जाए? उदारहण के लिए, हालांकि सिंगापुर का पर्यटन उद्योग काफी विकसित है, लेकिन प्रधानमंत्री गोह ने मुझसे कहा कि वे भारत और सिंगापुर का संयुक्त पर्यटन पैकेज तैयार करना चाहते हैं और इसे संयुक्त रूप से बढ़ावा भी देना चाहते हैं, ताकि एक देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक हिस्सा दूसरे देश की अलग किस्म की विशेषताओं का अनुभव लेने के लिए आकर्षित किया जा सके। क्षेत्रीय बौद्ध तीर्थ सर्किट के बारे में सोचा जा सकता है, जिससे भारत का अपना बौद्ध तीर्थ सर्किट दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के अन्य बौद्ध तीर्थ सर्किटों से जुड़ सकता है। यहां क्षेत्रीय रामायण सर्किट को विकसित करने की भी संभावना है और भारत, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में सूफीवाद केंद्रों को जोड़ने के पैकेज की भी संभावना है।

यहां इस क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के कई अतिरिक्त कारण भी मौजूद हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिक से अधिक एशियाई समृद्ध हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। हमें यह कोशिश करनी होगी कि चीन व मलेशिया से अधिक पर्यटक भारत आएं। इसी तरह, ज्यादा भारतीय कंबोडिया व वियतनाम की यात्रा करें। मुझे बताया गया है कि हर वर्ष लगभग दो लाख भारतीय बैंकांक जाते हैं। यदि इनमें से पांच से 10 प्रतिशत पर्यटकों को न्यूनतम खर्च पर अंगकोर मंदिरों में जाने के लिए तैयार कर लिया जाए तो वे प्राचीन समय से चले आ रहे भारत-इंडोचीन सांस्कृतिक संबंधों से अवगत हो सकेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त प्रयासों के जरिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देना जरूरी है। हम सभी आगे बढ़ सकते हैं, यदि अधिक से अधिक पर्यटक,

विशेष रूप से हमारे अपने पर्यटक एक-दूसरे के देशों की यात्रा करें। इन सबके साथ, यह पर्यटकों के लिए लाभदायक होगा कि उन्हें कम खर्च पर भ्रमण का मौका मिल सके। भारत जैसे देश के लिए यह अतिरिक्त लाभ वाली स्थिति होगी। रोजगार-सृजन हमारी आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हैं और पर्यटन क्षेत्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा और हुनर के विभिन्न स्तरों पर कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काफी संभावनाएं रखता है।

समापन से पूर्व मैं यह कामना करता हूं कि आपकी भारत-यात्रा सुखदायी और स्मरणीय रहे। एक नजर में आप भी पर्यटक हैं, जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हुए हैं और हम परंपरागत भारतीय रीति से सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कहा गया है-'अतिथि देवो भव', अतिथि को हम देवता की तरह मानते हैं।

मैं पाटा का सम्मेलन आयोजित करने के लिए नई दिल्ली का चयन करने के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है आप शीघ्र ही भारत वापस आएंगे, जैसे पहले आए थे। □

भारत-आसियान सहभागिता की अपार संभावना

मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि मैं आज यहां आसियान, पूर्वी एशिया तथा भारत के प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ हूं। मैं इस पहले आसियान व्यापार तथा निवेश शिखर सम्मेलन के आयोजकों को बधाई देता हूं। इस तरह के सम्मेलनों के आयोजन से हमारे देश में व्यापार और उद्योग के बीच परस्पर विचार-विमर्श के बहुमूल्य अवसर प्राप्त होते हैं तथा सरकार और उद्योग के बीच भावी योजनाओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान होता है।

जहां 20वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था, पूंजी-संचय, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और श्रमशक्ति पर आधारित थी, वहीं 21वीं शताब्दी में यह ज्ञान और मानव-पूंजी के आधार पर जानी जाती है। यह अवधारणा उभर कर सामने आ रही है कि इस शताब्दी में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एशिया की अलग पहचान होगी। एशिया के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेधाशक्ति, हमारे व्यापारियों और उद्योगपतियों की कर्मशीलता, हमारी बौद्धिक और मानव-संसाधन पूंजी, ये सभी बातें इसी अवधारणा की पुष्टि करती हैं। एशिया की बढ़ती आर्थिक क्षमता यहां की उपयुक्त जनसंख्या के कारण अधिकाधिक सशक्त हो रही है। अब यह शीत-युद्ध द्वारा खींची गई विभाजन-रेखाओं से प्रभावित नहीं हो रही है।

भारत, आसियान और पूर्वी एशिया के दूसरे देश इसी प्रवृत्ति का एक हिस्सा हैं। आसियान पहले से ही आर्थिक एकीकरण के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चीन, जापान और कोरिया इनमें से प्रत्येक के साथ भी आसियान के सुविकसित और विविध आर्थिक संबंध हैं। इस मामले में भारत राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कुछ पीछे रह गया है। लेकिन अब इस स्थिति में तेज़ी से बदलाव आ रहा है और आज मैं आपके समझ भावी भारत-आसियान सहभागिता की अपार संभावनाओं का प्रस्ताव पेश करता हूं।

भारत की शक्तियां

गत 12 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष औसत वृद्धि 6 प्रतिशत रही है, जो विश्व के कई दूसरे देशों से काफी अच्छी है। हमारे यहां ब्याज-दरें कम हो रही हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रित है और विदेशी मुद्रा-भंडार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले

एशिया के वित्तीय संकट से भारत अछूता था। अगले पांच वर्षों में हमने 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। चूंकि हमारा आर्थिक आधार व्यापक है, अतः भारत की सतत—और यहां तक कि त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए दोहन की अच्छी संभावना है।

हमारे विचार ही निर्णय के रूप में समाने आते हैं, अकसर इनमें त्रुटियां होती हैं। कभी-कभी वे आधे-अधूरे भी होते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक परंपराएं सुविदित हैं, लेकिन वे भारत के केवल एक पहलू को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त एक और भारत भी है वह है 21वीं सदी का भारत, जिसकी अभी पहचान नहीं बन पाई है। इस नए भारत की कई सबलताएं हैं-

क. यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है और यह मुख्यतः स्वदेशी दक्षता और घरेलू उद्यम पर आधारित है।

ख. यहां पर घरेलू बाजार निरंतर बढ़ रहा है और यह सुगम्य है। आयात और निवेश-संबंधी अड़चनें दूर हो रही हैं। हम बाजार के विस्तार का एक उदाहरण लेते हुए कह सकते हैं कि गत कुछ महीनों में यहां प्रतिमाह मोबाइल फोन के लगभग 20 लाख कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आयात-शुल्क भी धीरे-धीरे आसियान के बराबर हो रहा है और विदेशी निवेश की सीमा में भी वृद्धि हो रही है।

ग. भारत में अंग्रेजीभाषी, अनुसंधान और विकास की दक्षता से युक्त, प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण और प्रबंधकीय क्षमताओं से भरपूर समृद्ध मानव-संसाधन हैं।

घ. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में कुछ विशेष क्षमताएं हैं। भारत विश्व के तीन देशों में से एक है—दूसरे देश अमरीका और जापान हैं—जिनके पास स्वदेश में विकसित और निर्मित सुपर कंप्यूटर हैं। यह विश्व के छह देशों में से एक है, जो अपने उपग्रह बना सकता है और उन्हें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है।

ङ. ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का अग्रणी देश हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं में भारत की अति महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने या तो यहां अपने कार्यालय खोल रखें हैं या फिर भारतीय गुणवत्ता सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अपना कारोबार कर रही हैं।

च. भारत की वित्तीय व्यवस्था काफी सुदृढ़ और पारदर्शी है। यहां के बैंक और बीमा क्षेत्रों का प्रबंधन उत्तम होने के साथ-साथ यहां का पूंजी बाजार भी सशक्त है। कागज़ी कार्यवाहीरहित, कंप्यूटरचालित हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुल कारोबार की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।

देश की प्रगति की ओर

भारत आज प्रगति की ओर अग्रसर देश है। यहां एक साथ कई चीजें तेज़ी से बदल रही हैं। निश्चय ही यहां सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई है। इससे एक सामाजिक—सांस्कृतिक क्रांति भी हुई है, जिसने हमारे करोड़ों देशवासियों को शक्तिसंपन्न

बनाया है, हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है और हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाया है। देश में जनसंख्या के मामले में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, यहां पर युवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमारे देश की 54 प्रतिशत जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है। इससे हमारी अपेक्षाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और यहां पर युवाओं का एक नया शक्तिशाली वर्ग अस्तित्व में आया है, जो आशावादिता और महत्त्वाकांक्षा से भरपूर है। यह युवा वर्ग असीमित ऊर्जा से युक्त है और संपत्ति, सफलता तथा समृद्धि के अवसरों की तलाश में है। इन सबका मिला-जुला असर यह हुआ कि देश में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति आई है और अब लोगों का दृष्टिकोण रक्षात्मक और अंतर्मुखी नहीं रहा है, अपितु वे बहिर्मुखी और आत्मविश्वास से भरपूर हैं तथा वे भाग्य भरोसे न रहकर और आशंकाओं को दरकिनार कर चुनौतियों का सामना करने और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं।

व्यापक सहयोग

भूमंडलीकरण के इस युग में आज भारत आसियान के साथ भागीदारी का इच्छुक है। आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक और आर्थिक कारोबार में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी इसमें और अधिक वृद्धि की गुंजाइश है। एक वर्ष पूर्व प्रथम भारत-आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि भारत-आसियान के बीच 10 बिलियन डॉलर का जो वार्षिक व्यापार होता है, वह हमारी डेढ़ अरब की संयुक्त आबादी की तुलना में कोई बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हम यहां प्रतिवर्ष डेढ़ अरब डॉलर की वस्तुएं और सेवाएं पैदा कर रहे हैं। तब से हमारे व्यापार में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं, लेकिन इस बारे में मेरी टिप्पणी अभी भी सही है।

भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग हेतु रूपरेखा समझौता, जिसके बारे में हम गत वर्ष से बातचीत कर रहे थे, में हमने इस तथ्य को स्वीकार किया है। व्यापार को और अधिक सरल बनाने के लिए हम व्यापार और निवेश-संबंधी अड़चनों को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही, भारत नए आसियान सदस्यों की चिंताओं के प्रति भी सजग है। हम सी.एल.एम.वी. देशों को निर्यात वस्तुओं पर शुल्क में एकतरफा छूट दे रहे हैं। हम दीर्घकालीन व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक 'अर्ली हार्वेस्ट' योजना शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएँ तो सन् 2007 तक हम 30 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार कर सकते हैं और 10 वर्षों के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

संभावित क्षेत्र

हमारे देश के सर्वोच्च वाणिज्य और उद्योग संगठनों द्वारा किए गए एक अध्ययन में ऐसे पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं सन्निहित सॉफ्टवेयर अथवा उद्योग आधारित आवश्यकताओं में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा कर रही हैं। आसियान देश भारत में गुणवत्ता सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अपना कारोबार कर सकते हैं। आज दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश अपने अधिकतर सूचना प्रौद्योगिक उत्पाद पश्चिम देशों से आयात करते हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इनमें से अधिकतर उत्पाद भारतीय उप-ठेकेदारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसका परिणाम दोहरे नुकसान, एक तो आप ज्यादा मूल्य देते हैं, दूसरे भारत को बहुत कम मूल्य मिलता है, के रूप में सामने आता है।
- भारत का वित्तीय सेवा उद्योग काफी तेजी से फैल रहा है। यहां के बीमा क्षेत्र से नियंत्रण हट रहा है और प्राइवेट कंपनियों तथा विदेशी बैंकों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। आसियान के निवेशकर्त्ताओं को वैयक्तिक वित्तीय सेवाओं, बीमा और कॉरपोरेट बैंकिंग में बहुत ही आकर्षक अवसर मिलेंगे। भारत वित्तीय कारोबार के लिए एक अतिरिक्त विश्व केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। यह उद्योग इसलिए सुदृढ़ है कि यहां इसके उत्पादों की लागत कम होती है, पर वे गुणवत्ता में उच्च होते हैं। ब्रैंडेड और पेटेंट दवाइयां इस उद्योग के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आ रही हैं। आसियान भारत से कम कीमत वाली औषधियों को या तो आयातित कर सकता है, या भारत में औषधि-निर्माण केंद्र स्थापित कर सकता है।
- नियंत्रण में ढील देने और निर्यात-अवसरों में वृद्धि से भारतीय मनोरंजन व्यवसाय लाभान्वित हुआ है। टी.वी. कार्यक्रमों का निर्माण तथा एनिमेशन सॉफ्टवेयर निर्यात हेतु संयुक्त उद्यम भारत और आसियान देशों के लिए सुनहरे अवसर उपलब्ध कराता है।
- भारत ने त्वरित आर्थिक विकास के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष बल दिया है। इसके लिए हमारे दूरसंचार उद्योग के सभी खंडों पर से नियंत्रण को समाप्त करना तथा राजमार्गों, पुलों, बंदरगाहों, विमानपत्तनों और समागम केंद्रों का उन्नयन शामिल है। इनमें तथा कुछ दूसरे क्षेत्रों में कई आसियान कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं। यहां एशियाई व्यापार के लिए कई और अवसर भी उपलब्ध हैं।

विनियमों को अनुकूल बनाना

मुक्त व्यापार तथा मुक्त आर्थिक कारोबार के लिए यह आवश्यक है कि हम वीजा सहित यात्रा से संबंधित विनियमों और नियंत्रणों की समीक्षा करें, उनमें परिवर्तन करें और उन्हें एक-दूसरे के अनुकूल बनाएं। इस क्षेत्र में नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वायु, समुद्र, सड़क और रेलमार्गों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना होगा। व्यापारिक कार्यकलापों और पर्यटन उद्यमों को अधिक लाभकर बनाने के लिए हमें पर्यटन केंद्रों के परा-क्षेत्रीय संपर्क विकसित करने होंगे, ताकि एशिया के

व्यापारिक केंद्रों और पर्यटन-स्थलों से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके।

मैं भारत की निवेश व्यवस्था के बारे में संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां की निवेश-व्यवस्था बहुत ही उदार और पारदर्शी है और इससे हम जैसे लोकतांत्रिक देशों को फायदा हो रहा है। आपसी हितों के टकराव को दूर करने में जो कठिनाइयां आती हैं, उनके कारण कभी-कभी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन किसी खुली, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आम बात है। हम निरंतर अपने विनियमनों और प्रक्रियाओं में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, यदि आप हमारे विदेशी निवेशकों के अनुभव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भारत में पूंजी-निवेश पर लाभ अन्यत्र की तुलना में आमतौर पर ज्यादा है। यहां लाभ का प्रत्यार्पण भी दूसरे कई देशों की तुलना में आसान है।

क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध

निवेशकों को एक बात समझनी होगी कि भारत एक विशाल देश है और इसकी विविधता अपने आप में अनूठी है। विपणन और निवेश संबंधी रणनीतियां, जो संभवत: अन्यत्र सफल हों, उन्हें भारत में लागू करने के लिए उनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। जो इस मर्म को समझ गए हैं, वे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वे कंपनियां, जिन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं की मन:स्थितियों को समझ लिया है, वे व्यापार में सफलता प्राप्त कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि सफल निवेशक अकसर अपने प्रतिस्पर्धियों को हतोत्साह करने के लिए जानबूझकर भारत की एक निराशाजनक तस्वीर बनाते रहते हैं ताकि वे यहां के अत्यधिक लाभकर बाजार में प्रवेश न पा सकें।

कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में गतिरोध के बावजूद हमारा उद्देश्य एक नियम-आधारित और युक्तियुक्त बहुपक्षीय व्यापारी प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन जब तक इस आदर्श पर अमल नहीं होता, तब तक क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध हमारे लिए तुरंत लाभ का सौदा है, विशेषकर भौगोलिक रूप से सटे हुए इस क्षेत्र के लिए। क्षेत्रीय व्यापारिक व्यवस्थाओं से विश्व मुक्त व्यापार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा में उतरने से पहले हमें अपने घरेलू उद्योग और कृषि क्षेत्र में व्यापार को सीखने-समझने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त होगा।

गैर-एशियाई लोग एशिया को भविष्य के प्रमुख बाजार के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भविष्य में यह एक विनिर्माण-केंद्र के रूप में तथा सेवाओं के विश्व प्रदाता के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगले 50 वर्षों में जैसे-जैसे विकसित देशों की वर्तमान जनसंख्या उम्रदराज़ होती जाएगी, वैसे-वैसे इस अंतर को भरने के लिए एशिया से एक युवा और सुशिक्षित कार्यबल सामने आएगा। एशियाई देशों को अपनी परस्पर कार्यक्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि वे पेश आ रही चुनौतियों से अधिकतम लाभ उठाएं। भारत-आसियान सहभागिता को इस प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, ताकि हम वास्तव में 21वीं सदी को एशिया की सदी बन सकें। □

दीर्घजीवी भारत-जापान संबंध

भारत और जापान के संबंधों को बढ़ाने में भारत-जापान संसदीय संघ में जो अथक प्रयास किए गए हैं, हम उनकी हार्दिक सराहना करते हैं। भारत-जापान समाज के सदस्यों, जो यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह देखकर मैं अभिभूत हूं कि अन्य संसद् सदस्यगण और भारत-प्रेमीजन भी यहां हमारे साथ हैं। आप सबकी उपस्थिति से भारत-जापान संबंधों के प्रति आपकी गहरी निष्ठा ही प्रदर्शित होती है। मेरे साथ आए शिष्टमंडल और मेरे स्वयं के लिए जापान में बिताए गत चार दिन बड़ी विशिष्टता के दिन रहे। हमारे मेजबानों की गर्मजोशी और भावभीनी सहृदयता से युक्त वातावरण में हमने काफी चर्चाएं की। मैं अत्यंत उत्सकुता से महामहिम महाराज से अपनी भेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत लौटते हुए हम दीर्घजीवी भारत-जापान सहभागिता की एक नवीन रूपरेखा अपने साथ ले जाएंगे, जो वैश्विक यथार्थों के संदर्भ में अपने वास्तविक स्वरूप को अवश्य साकार करेगी।

ऐतिहासिक संबंध

अकारण इतिहास के दृष्टांत लेने का मेरा विचार नहीं है, किंतु अतीत की ओर एक साधारण दृष्टि डाल लेना हमें फिर से यह याद दिलाने में सहायक होगा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों की यात्रा कैसी रही, ताकि हम अधिक बेहतर ढंग से यह विचार कर सकें कि अब हमें यहां से आगे किस दिशा में बढ़ना है। संभवत: भारत से निर्यातस्वरूप जापान आने वाली सर्वप्रथम वस्तु थी बौद्ध स्मृतिचिह्न और धर्मग्रंथ, जो भारत से 14 शताब्दियों पूर्व यहां के नारा स्थित होर्यूजी मठ में पहुंचे। आप जैन संप्रदाय के जिन धर्माध्यक्ष दारूमा के प्रति आदर-दृष्टि रखते हैं, उन्हें हमारे यहां 'बोधि धर्म' कहा जाता है। एक शती पहले ही हमारे देशों के मनीषी रवींद्रनाथ टैगोर और तेनशिन ओकाकुरा ने अस्तित्व विषयक आध्यात्मिक एकसूत्रता का जयघोष किया था। फिर, लगभग आधी शती द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के पश्चात्, पूर्व न्यायमूर्ति राधाविनोद पाल के प्रयासों से हमारे देश पुन: निकट आए। भारत और जापान के मध्य शांति और मित्रता के संधिसूत्र से ही भारत ने यह दृढ़ अभिशंसा व्यक्त की कि सामूहिक सनफ्रांसिस्को शांति-संधि में जापान को योग्य सम्मान तथा गरिमा प्रदान नहीं की गई। हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्षों में अधिकांश बार जापान ने भारत की अनेक विकासात्मक

जापानी सांसदों के साथ एक बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, तोक्यो, [illegible] दिसंबर, [illegible]

परियोजनाओं में मुक्तहस्त से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

तथापि इस परिदृश्य पर कुछ अवसरों पर सलवटें भी उभरीं। इनमें से कुछेक का कारण शीतयुद्धजनित संकीर्ण मानसिकता और बेवजह कृत्रिम विभाजन रहे। अधिक समय नहीं हुआ, हमारे संबंधों में कुछ बातों को लेकर थोड़ा ठहराव भी आ गया था, किंतु हमारी पुरातन संस्कृतियों की दीर्घजीविता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा मालिन्य कम समय ही रहा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृतियां हमारे रक्षकों की भांति हमारे पीछे विद्यमान हैं। अब हम विचार करें कि हमें यहां से किस ओर बढ़ना है ? क्या हमारी सहभागिता वाकई ठोस है अथवा वह मात्र अतीत के गौरव और भविष्य की सामान्योक्तियों की सूची भर है ?

समानताएं एवं एकरूपताएं

ऐसे कुछ तथ्य हैं, जिन पर अवश्य ध्यान देना होगा वे हैं—

- भारत एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जापान सबसे समृद्ध देश।
- हमारे दोनों देश कार्यशील तथा जीवंत लोकतंत्र हैं, जहां ऐसा सामाजिक समुदाय है, जो सद्‌भाव और सर्वसम्मति में विश्वास रखता है, बजाय परस्पर-विरोध के।
- हमारी अर्थव्यवस्थाएं बाजारोन्मुखी और बड़े पैमाने पर संपूरक हैं।
- शांति और स्थिरता के संबंध में हम एक जैसी इच्छा रखते हैं; हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा उसके निर्णयकारी स्वरूप को और अधिक प्रतिनिधिक होना चाहिए।
- हमारी महत्त्वपूर्ण सुरक्षागत समानताएं हैं तथा स्पष्टतः इससे रणनीतिगत समान एकरूपताएं भी हैं। 11 सितंबर की दारुण घटना के पश्चात् इनमें से अधिकांश की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है।
- हमारे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोगात्मक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन करते हैं।
- भारत और जापान दोनों ही एक ऐसे आदर्श विश्व की अभिधारणा रखते हैं, जिसमें जनसंहारकारी हथियारों का स्थान न हो।

हमने इन्हीं उद्देश्यनिष्ठ वास्तविकताओं को तब लक्ष्य किया था, जब गत वर्ष अगस्त माह में हमने 21वीं सदी में भारत-जापान वैश्व सहभागिता की बात की थी। तब यह मात्र शुभेच्छा या राजनैतिक भाषण कला का प्रदर्शन नहीं था। गत वर्ष के दौरान हमारे देशों के बीच उच्चस्तरीय दौरे किए गए, हमने एक व्यापक सुरक्षा-संवाद स्थापित करने की घोषणा की, प्रतिरक्षा विनियम पुनः आरंभ किया और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर परस्पर समरूप धारणाएं रखीं, जिनमें से आतंकवाद से मुकाबला करने के मामले पर समान विचारधारा का होना शामिल था। सितंबर में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञता-आधारित उद्योग के अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई। यह केवल हमारे दोनों देशों की सरकारों का ही काम नहीं है कि आपसी समझ और

बहु आयामी सहभागिता बढ़े, बल्कि यह भावना हमारे समाज में सभी वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। इस कार्य में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की विशेष और महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारी संसदों के संपर्क-संबंधों और पारस्परिक समझ विकसित करने के प्रयासों की हम सराहना करते हैं।

भिन्न दृष्टिकोण

कुछ मामलों में हमारे दृष्टिकोणों में भिन्नता है। यह स्वाभाविक ही है, परंतु इससे हमारी समानता और एकरूपताओं की शक्ति कम नहीं होती। हाल ही में, जब सन् 1998 में भारत ने नाभिकीय शक्ति परीक्षण किए तो हमारे बीच असहमति उत्पन्न हुई। हमारे मन में जापान की जनता की भावनाओं के प्रति गहरा सम्मान है; आपने हिरोशिमा और नागासाकी की भीषण मानवीय त्रासदी को प्रत्यक्ष अनुभव किया है।

वर्षों पहले मैंने हिंदी में लिखी अपनी एक कविता में झकझोर देने वाले इस हत्याकांड पर क्षोभ प्रकट करते हुए प्रश्न किया था-

जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का
आविष्कार किया था
वे हिरोशिमा नागासाकी के
भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर
रात को सोए कैसे होंगे?

मैं आपको यह बता दूं कि आज भी, जब भी इस त्रासद घटना की वार्षिक तिथि आती है तो भारतीय संसद् में हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रखा जाता है। इस मामले पर आपकी भावना को हम समझते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं कि हमारी जगह आप होते तो क्या करते? यदि आप यह कल्पना करके देखें तो हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे पड़ोस में हथियारों के जमावड़े और शीतयुद्ध से हमें मिले सबक के परिप्रेक्ष्य आप निश्चय ही हमारे निर्णय को उचित ठहराएंगे। मुझे संतोष है कि अंततः अधिकांश विश्वसमुदाय को इस दृष्टि से अपने कार्य की जरूरत का बोध कराने में हम सफल रहे हैं।

पुनः, यदि आप हमारी आध्यात्मिक परंपराओं को देखें, हमारे स्वतंत्रता-संघर्ष के प्रेरक आदर्शों को देखें, महात्मा गांधी के 'अहिंसा के सिद्धांत तथा शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए भारत के सुविचारित अभियानों की ओर दृष्टि डालें तो नाभिकी हथियारों से मुक्त विश्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आप अवश्य ही समझ सकेंगे। और फिर, हमारा मतवैभिन्न समान लक्ष्य की ओर केंद्रित मार्ग के एक खंड पर थोड़ा विचलन के अलावा कुछ नहीं है। हमारे द्विपक्षीय हित हमारे मतांतर से कहीं अधिक भारी ठहरते हैं। किसी मुद्दा विशेष पर थोड़ी मतभिन्नता की ओर ध्यान दें-इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि एशिया के दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाए।

11 सितंबर को घटित जघन्य आतंकवादी कृत्य ने पुन: यह आवश्यकता उभार दी है कि हमारे देशों जैसे बहुसमाजी लोकतांत्रिक राष्ट्र धर्मांधता और असहिष्णुता की प्रवृत्तियों से अपनी जीवनधारा को बचाने के लिए सहयोग करें। हमारे बीच सुरक्षा-सहयोग, हमारे साझा वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध हमारे गठजोड़ का महत्त्व अब और अधिक बढ़ गया है।

आर्थिक सहयोग

दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन से उठे कुछ मुद्दों से वैश्वीकरण के विषय में कतिपय अन्य चिंताएं भी उभरती हैं, जो विश्व में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बढ़ जाने और कम विकसित देशों को दरकिनार कर देने से संबद्ध हैं। विकास-प्रक्रिया में भारत के अनुभवों और विकासशील देशों को सहायता देने की जापान की दीर्घमान्य परंपरा के चलते भारत और जापान मिलकर विकास की अवधारणा पर विश्व-संवाद के परिप्रेक्ष्य में मूल्यवान योगदान कर सकते हैं।

21वीं सदी में भारत-जापान सहभागिता के सर्वाधिक सशक्त स्तंभों के रूप में आर्थिक सहयोग की बात आती है। भारत अपने आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण के मध्य में है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आयात-निर्यात नीति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप उदारीकृत किया है। हमने सड़क, दूरसंचार, पत्तन-निर्माण और विद्युत क्षेत्रों में किए जाने वाले विदेशी निवेश पर लाभार्जन बढ़ाने के लिए एक नई नीति तैयार की है। सरकारी क्षेत्र के नॉन स्ट्रेटजिक उपक्रमों के निजीकरण को गति दी जा रही है। यहां तक कि हमने अपने प्रतिरक्षा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को भी निजी निवेश के लिए खोल दिया है।

कभी-कभी हमारे जापानी मित्रों को यह लगता होगा कि हम अपने यहां सुधारों को अपेक्षित या धीमे कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत के आकार और विविधता वाले देश की अर्थव्यवस्था तथा उस जैसे लोकतांत्रिक राज्य, जहां विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक समूह अपने हितों का संरक्षण और पोषण करने की विधिसम्मत मांगें करते हैं, के लिए ऐसा होना संभवत: अपरिहार्य ही है, किंतु हमने अडिग भाव से यह प्रक्रिया जारी रखी है और सुधारों को आगे बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रीय सर्वानुमति को और अधिक दृढ़ किया है। हम विदेशी निवेश संबंधी मंजूरियों और उसके कार्यान्वयन के बीच आने वाले प्रक्रियागत व्यय अवरोधों को भी दूर कर रहे हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आई क्रांति ने भारत-जापान सहयोग के क्षेत्र में उत्साहजनक अवसर उत्पन्न किए हैं। हार्डवेयर के क्षेत्र में जापान की असंदिग्ध कार्यकुशलता के साथ यदि भारत के प्रभावी लागत और नवोन्मेषी सॉफ्टवेयर कौशल को मिला लिया जाए, तो निश्चय ही परिणाम बहुत उपादेय होगा। मैं आशा करता हूं कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सहभागिता को आगे और संवेग प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे दोनों देश सूचना-प्रौद्योगिकीकर्मियों और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता को

अधिक उदार भाव से वीसा और कर-राहत देने की दिशा में सहमत हो सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे बीच अद्‌भुत पूरकता की स्थिति बन रही है। इससे कई देशों के भीतर उनके वैदेशिक संपर्क में उठती डिजिटल विभाजन की यह समस्या कि विश्व समाज का कुछ हिस्सा तो प्रौद्योगिकी के ज्ञान से भरपूर हो और शेषांश लगभग इससे अपरिचित, पर नियंत्रण पाने में सहयोग के अवसरों का पथ भी प्रशस्त होता है। 'डिजिटल विभाजन' अथवा प्रौद्योगिकी ज्ञान संपन्नों और इससे विपन्नों के बीच संवाद की समस्या, विकसित और विकासशील दोनों श्रेणियों के देशों में ही ही है। इस समय की आवश्यकता यह है कि नई प्रौद्योगिकियों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए उद्यमीय वाणिज्यिक रणनीतियां विकसित की जाए। हमारे विशालकाय देश भारत के प्रत्येक हिस्से में सन् 2008 तक सूचना प्रौद्योगिकी का बोध कराने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने की दिशा में हमने वहां पहले ही ऐसी सरकारी-निजी भागीदारियां चलाने की योजना बनाई है। हम इस अद्वितीय उद्यम में सहभागी बनने के लिए भारत के निगमित क्षेत्र की ओर से जापान के निगमित क्षेत्र को आमंत्रण देते हैं—इससे उत्पन्न प्रभाव हमारे दोनों देशों की भी सीमाओं को पार करके एक नई ऊंचाई तक जाएंगे। हम साथ मिलकर डिजिटल विभाजन को एक डिजिटल अवसर बना सकते हैं, सबके लिए प्रौद्योगिकी-संपन्नता के एक अनूठे अवसर के रूप में।

मैंने आज बहुत स्पष्टवादिता से आपको यह बताने का प्रयास किया कि हम किस कारण से अपनी प्रकृत सहभागिता में विफल संभावनाएं देखते हैं। हमें एक-दूसरे को भ्रमहीन दृष्टि से और हमारे सांस्कृतिक अनुभवों, स्ट्रैटिजिक कन्वरजेन्स तथा आर्थिक अवसरों की परिपक्व समझ सहित देखना होगा। प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी और जापानी नेताओं के साथ बातचीत के पश्चात् हुए मेरे विश्वास का कारण है कि जापान भी हमारे बीच वैश्य भागीदारी को एक नई शक्ति प्रदान करने के लिए वैसे ही उत्सुक है, जैसे हम स्वयं इस अवसर के अर्जन हेतु भारत जापान के साथ अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। □

आसियान और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्त्व

सिंगापुर एक कृतसंकल्प और आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में विश्व-मंच पर दक्षिण-पूर्वी एशिया का महत्त्व बढ़ाने में योगदान किया है और इस समूचे क्षेत्र को उल्लेखनीय आर्थिक नेतृत्व और गतिशीलता प्रदान की है।

पिछले एक दशक में सिंगापुर के साथ भारत के संबंधों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन अभी विस्तृत संभावनाएं हैं, जिनका दोहन किया जाना अभी बाकी है। पुरानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सिंगापुर काफी मजबूत और नई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र है। परंपरागत अर्थव्यवस्था में भारत की कुछ जरूरतें हैं और नई अर्थव्यवस्था में कुछ सक्षमता है। यही वजह है कि हमारे हित परस्पर संबद्ध हैं। जैव-प्रौद्योगिकी इसका एक उदाहरण है। जैव-संसाधनों का स्वदेशी आधार अल्प होने के बावजूद सिंगापुर ने एक बड़े जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास कर लिया है। भारत को उसकी फार्मास्युटिकल प्रगति और व्यापक आधार वाली जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षमताओं के चलते कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी समझा जा सकता है, किंतु एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जहां कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं है और दोनों देशों के लिए आपसी लाभ के अनुसंधान और व्यापार-भागीदारी की व्यापक संभावनाएं हैं।

सिंगापुर ने हाल ही में इए क्षेत्र में बहु-आयामी और बहु-स्तरीय आर्थिक सहयोग भागीदारी आरंभ की है। यह नए युग की वास्तविकताओं और नई अर्थव्यवस्था के प्रति नया दृष्टिकोण है। इस तरह के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय प्रयासों से दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया में वाणिज्यिक परिदृश्य बदल रहा है। मेरा मानना है कि भारत को अपने पूर्वी पड़ोसी देश में विकास के ऐसे अवसरों का मार्गदर्शक और भागीदार बनना चाहिए।

आर्थिक सहयोग के अलावा भी बहुत कुछ है, जिसके लिए दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। हमें आतंकवाद से लड़ना होगा, जो न तो सत्ता का सम्मान करता है और न ही आकार पर ध्यान देता है। यहां तक कि सिंगापुर के अनुशासित और व्यवस्थित समाज को भी हाल में इस तथ्य का ज्ञान हुआ। हमारे जो साझा समुद्री क्षेत्र हैं, उनकी रक्षा में हमारी महत्त्वपूर्ण भागीदारी है। इसी तरह समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक और आतंकवादी हिंसा पर काबू पाने में दोनों देश परस्पर सहयोग करेंगे। हमें

'वार्षिक सिंगापुर व्याख्यान 2002' के अवसर पर दिया गया भाषण; सिंगापुर, 9 अप्रैल, 2002

मिलकर प्रतिबद्ध ढंग से इन चीजों से निबटना होगा। इसके लिए अनुभव, जानकारी और खुफिया सूचनाओं का निरंतर आदान-प्रदान करना होगा।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के व्यापक कैन्वस पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इस क्षेत्र की सभ्यता के साथ भारत के संबंध एक सहस्त्राब्दी से अधिक पुराने हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम संस्कृति और वाणिज्य के माध्यम से जुड़े रहे हैं। भारत, चीन और क्षेत्रीय तटवर्ती केंद्रों, जैसे—सिंगापुर ने एशिया के फूलते-फूलते व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास को अंजाम दिया है। भारत तथा पूर्वी एशिया के बीच मानवीय अनुभवों के आदान-प्रदान और आध्यात्मिक अंतर-संपर्क का अमिट प्रभाव क्षेत्रीय कला, वास्तुकला, भाषा और संस्कृति पर पड़ा है। भूगोल का यह बुनियादी सत्य है कि भारत आसियान का प्रथम पड़ोसी है। म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ हमारी स्थलीय और समुद्री सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह मुख्य भारत-भूमि की तुलना में कुछ आसियान राष्ट्रों के अधिक करीब है। पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग भारत की मुख्य भूमि और इसके द्वीपीय भू-भागों से होकर गुजरते हैं।

हम भली-भांति जानते हैं कि आजादी के बाद शुरू के कुछ दशकों में हमने अपनी संबंधसूत्रता का पूरा लाभ नहीं उठाया। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि प्राथमिकता में कमी थी। यह वास्तव में उस आर्थिक विचारधारा, राजनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा परिकल्पनाओं की भिन्नता थी, जो शीत-युद्ध ने हम पर थोप रखी थी। सौभाग्य से अब हम इस जकड़न से बाहर आ चुके हैं।

शीत-युद्ध की समाप्ति से भारत-आसियान सहयोग बढ़ने के बीच की रुकावटें दूर हो गई हैं। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ता-भागीदार, 1995 में पूर्ण वार्ता-भागीदार और 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बना। हमारी वार्ता-भागीदारी बड़ी सक्रिय रही है। हमने हमेशा विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्रों में भारत की ताकत को संबद्ध आसियान प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आसियान के साथ संबंध बढ़ाने में भारत की रुचि का प्रमाण देने के लिए हम संयुक्त रूप से 'भारत-आसियान विजन 2020' विकसित कर रहे हैं, जो वांछित आपसी लक्ष्यों को हासिल करने का आधार होगा।

हमारे क्षेत्र के राष्ट्र आज अपनी अर्थव्यवस्थाओं में नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने और उन्हें अपनाने की दिशा में अग्रसर हैं। हम ज्ञान-क्रांति के उत्केंद्र में हैं। इससे हमें ऐतिहासिक अक्षमताओं पर काबू पाने और निरंतर विकास के स्तरों के बीच समय का अंतराल समाप्त करने का एक बड़ा अवसर मिला है। हमारे सभी देशों ने प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो प्रभुत्व हासिल कर लिया है। महत्त्वपूर्ण यह है कि हम क्षमताओं में पुनरावृत्ति या प्रतिस्पर्धा की बजाय आपसी तालमेल का लाभ उठाने में सहयोग करें। पूरक सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं के बीच संपर्क इसका केवल एक

उदाहरण है। हमें ऐसी अनेक संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए।

मौजूदा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को देखते हुए भी हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अधिक सक्रिय होकर क्षेत्रीय आधार पर मांग पैदा करें और उन्हें पूरा करें, ताकि विदेशी बाज़ारों की संतृप्त अवस्था के असर से हम बच सकें। क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र और आसियान निवेश क्षेत्र जैसे प्रस्तावों में यही लक्ष्य झलकता है। भारत इस दिशा में परस्पर लाभदायक भागीदारी का इच्छुक है। भारत ऐसे रचनात्मक अंतर-संपर्कों को बढ़ावा देगा, जिन्हें हम शिखरस्तरीय बहुपक्षीय वार्ता के लिए प्रभावकारी मानते हैं। भारत इसी परिप्रेक्ष्य में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के इंतजार में है। इस बारे में सिंगापुर की वैचारिक समानता हमारे लिए मूल्यवान है और हम भारत-आसियान वार्ता के उसके संकल्पबद्ध प्रस्ताव का तहे दिल से स्वागत करते हैं।

हम उप-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से क्षेत्र में विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के प्रगतिगामी तर्क को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम मीकांग-गंगा-सहयोग का जोरदार समर्थन करते हैं, जिससे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और भारत के बीच सहयोग बढ़ेगा। आसियान के एकीकरण के प्रयास के प्रति भी हम संकल्पबद्ध हैं, खासकर चार नए सदस्यों को आसियान में शामिल किए जाने का हम स्वागत करते हैं। हमने एक संचार नेटवर्क के विकास के प्रयास में सहायता की पेशकश की है, जिसमें राजमार्ग, रेलवे, नदी-नौवहन और बंदरगाह सुविधाएं शामिल होंगी। हमने भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच सड़क-संपर्क हेतु एक और उपक्षेत्रीय पहल की है।

विकास और सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों की पहचान करना अनिवार्य है। एक अरब की आबादी वाले भारत को एशिया प्रशांत से संबद्ध किसी भी क्षेत्रीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनना होगा। क्षेत्र के प्रत्येक बड़े देश के साथ हमारे संबंध रचनात्मक और बहु-आयामी हैं। यह बात आसियान के पूर्वी-एशियायी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में भी सही है।

चीन के साथ हम आपसी लाभ के आधार पर संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। जापान के साथ हमने 21वीं सदी में विश्वव्यापी भागीदारी, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। कोरिया गणराज्य व्यापार और निवेश का एक बहुमूल्य भागीदार है। रूस के साथ हमारी सामरिक साझेदारी सशक्त है। अमरीका के साथ हमारे संबंधों के दायरे में अब आपसी सरोकार के व्यापक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व व्यापीकरण की मुख्यधारा के साथ तेजी से एकीकृत होती जा रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमारे संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस घनिष्ठता से क्षेत्र में विकास, शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बल मिलेगा। एशिया प्रशांत समुदाय के साथ भारत की संबद्धता एक भौगोलिक सत्य और राजनीतिक यथार्थ है। भारत को अपनी

पहचान और महत्ता सिद्ध करने के लिए किसी क्षेत्रीय संगठन की औपचारिक सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है।

आतंकवाद और गैर-सैनिक खतरों से निपटना

भारत और आसियान को आपसी लाभ के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को नया आयाम देने के लिए अब राजनीतिक तथा सुरक्षा-संबंधी बातचीत में तेजी लानी होगी। हमारे सामने सुरक्षा के कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ने बड़े नाटकीय ढंग से हमारी चेतना को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह बिलकुल साफ हो गया है कि आतंकवाद का मुकाबला केवल विश्वव्यापी और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन विश्व के, एक गांव के रूप में तब्दील हो जाने से यह भी जरूरी हो गया है कि सुरक्षा के प्रति गैर-सैनिक खतरों से भी बड़े पैमाने पर निपटा जाए। गरीबी और भोजन तथा ऊर्जा के अभाव से समुदायों की स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। जनसंख्या-बढ़ोतरी, क्षय रोग और एड्स जैसी बीमारियों का तीव्र प्रसार, पर्यावरणीय ह्रास और साइबर अपराध जैसे मुद्दे गंभीर चिंता के विषय हैं। समुद्री डकैती, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और नशीले पदार्थों का खतरा भी हमारे क्षेत्र पर मंडरा रहा है।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले दस देशों में से सात एशिया में हैं। युद्ध के लिए तैयार सबसे बड़ी सेनाएं, परमाणु हथियार संपन्न चार घोषित राष्ट्र और मिसाइलों का उत्पादन और निर्यात करने वाले देश भी यहां हैं। महाद्वीप की सभ्यता-संबंधी और राजनीतिक विविधता से भी अस्थिरता पैदा होती है। एक ओर यह अनुमान लगाया गया है कि अगले पच्चीस वर्षों में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 57 प्रतिशत एशिया के हिस्से में होगा, तो दूसरी ओर यंह भी अनुमान है कि वे आर्थिक समस्याएं, जो पहले पहल 1997 में उभर कर सामने आई थीं, फिर सिर उठा सकती हैं। अर्थव्यवस्था के इन अनुमान न लगाये जा सकने वाली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण भी एक समस्या है, जिसके सुरक्षा-संबंधी आयाम हैं। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर इन समस्याओं का कोई कारगर समाधान संभव नहीं है। इन पर समग्र दृष्टि से विचार करते हुए क्षेत्रीय आधार पर और सहयोग की भावना से निपटा जाना चाहिए। लेकिन अन्य महाद्वीपों के ओ.एस.सी.ई., ओ.ए.एस. और ओ.ए.यू., जैसे राजनीतिक सामरिक सहयोग संगठनों से अलग एशिया में अब तक सुरक्षा-संबंधी कोई साझा ढांचा नहीं है। इस तरह का सुरक्षा संबंधी साझा ढांचा अब धीरे-धीरे उभर रहा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है। आसियान क्षेत्रीय मंच का केंद्रबिंदु दक्षिण पूर्व एशिया है और यह संगठन सुरक्षा-संबंधी वार्ता के लिए एक अनोखे मंच के रूप में विकसित हो रहा है।

पिछले दशक के रुझानों से संकेत मिलता है कि इस नई शताब्दी में टेक्नोलॉजी की शक्ति और विश्वव्यापी प्रसार वाली आर्थिक प्रणाली का बोलबाला रहेगा। ऐसे में

यह निश्चित है कि विश्व का सामाजिक आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र एशिया में स्थानांतरित हो जाए। एशिया प्रशांत क्षेत्र को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी। इसके लिए व्यवस्थाओं की सहकारी प्रणाली कायम करनी होगी, जो बदलाव को स्थिरता प्रदान करेगी। जातीय व राष्ट्रवादी हिंसा तथा उग्रवाद की खुराक से पनपने वाले आतंकवाद रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हैं। इनको हटाना और दूर करना जरूरी है। विविधतापूर्ण संस्कृति वाले बहुलवादी लोकतंत्रों को इन बुराइयों से सबसे अधिक खतरा है। इसका वास्तविक कारण यह है कि ये आतंकवादी समाज द्वारा लोगों को दी गई स्वतंत्रताओं का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आतंकवाद को समर्थन और प्रश्रय अलोकतांत्रिक समाजों और तानाशाही शासन प्रणालियों द्वारा ही दिया जाता है। लोकतंत्र जनता के संकल्प और इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें आंतरिक शक्ति और लचीलापन होता है, जिससे वे आतंकवाद की बुराई का प्रतिरोध कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वालों और इससे अनभिज्ञ लोगों के बीच बढ़ती खाई की वजह से आमदनी-संबंधी असमानताएं बढ़ रही हैं। इससे निपटना भी जबर्दस्त चुनौती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही असमानताओं से निपटने के लिए विकास की आंतरिक शक्ति जुटाई जा सकती है, और विश्व व्यापीकरण द्वारा छोटी सी अवधि में पैदा की गई भारी असमानता को दूर किया जा सकता है। इसलिए अगर 21वीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी बनाना है तो हमारे क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल करें। □

भारत-थाईलैंड सहयोग

भारत और थाईलैंड के सर्वोच्च व्यापार और उद्योग संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रतिष्ठित शख्सियतों की इस बैठक को संबोधित करने का अवसर देने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बाली की हाल की यात्रा के दौरान मुझे आसियान-भारत व्यापार व निवेश सम्मेलन में शामिल होने का सुअवसर मिला था, जिसमें आसियान देशों और भारत के संयुक्त व्यवसायी-समूह शामिल थे। आपमें से भी कुछ लोग वहां थे। लगभग एक महीने पहले ही हमने भारत में भारत-आसियान व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें भी थाईलैंड समेत आसियान देशों का जबरर्दस्त प्रतिनिधित्व था। दो माह पूर्व उप-प्रधानमंत्री कॉर्न ने भारत का दौरा किया था, जिसमें उनके साथ 100 से ज्यादा व्यापारिक प्रतिनिधि और थाईलैंड के आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारीगण शामिल थे।

सहयोग और समझदारी

बहुत कम अंतराल पर हुए इन आयोजनों की सफलता से पता चलता है कि हाल के वर्षों में भारत-आसियान आर्थिक संबंधों में कितनी प्रगति हुई है। प्रौद्योगिकीय विस्तार, वैश्वीकरण के प्रसार और आसियान देशों तथा भारत की अर्थव्यवस्थाओं की पूरक शक्तियों और जरूरतों के कारण व्यापार, उद्योग और सरकारें नए अवसरों के प्रति सजग हो रही हैं।

इसमें भारत-थाईलैंड आर्थिक सहयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे मामले में पहली वजह तो भौगोलिक रही है। हमारी समुद्री सीमाएं मिलती हैं। इस तथ्य की ओर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की मुख्य भूमि की तुलना में थाईलैंड के अधिक निकट है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि 'पूरब की ओर चलो' की अपनी नीति के तहत भारत सबसे पहले उस देश पर अपना ध्यान केंद्रित करे, जो हमारे पूर्वी द्वीपों के एकदम पास है।

हम दोनों देशों की परंपराएं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लगाव एक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस ऐतिहासिक विरासत को हमने समकालीनता से जोड़ने की दिशा में काम किया है। हमारे उच्चस्तरीय संपर्कों में वृद्धि के कारण दोतरफा समझदारी और

भारतीय और थाई चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्री की व्यापारिक बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, बैंकॉक; 10 अक्तूबर, 2003

परस्पर जागरूकता बढ़ी है। हमारा संपर्क राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

आर्थिक पूरकताएं

भारत और थाईलैंड के बीच हित और आर्थिक पूरकताओं का महत्त्वपूर्ण संगम है। मैं उनमें से पांच का उल्लेख यहां करना चाहता हूं—

- थाइलैंड के लिए भारत में विशाल घरेलू बाजार उपलब्ध है तथा थाई व्यापारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आम लागत वाला उच्च कुशल विनिर्माण आधार उपलब्ध है। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बीच थाईलैंड वाणिज्यिक सेतु का कार्य कर सकता है।
- पत्तनों, विमानपत्तनों, राजमार्गों और शहरी सुविधाओं सहित आधारिक संरचना क्षेत्र में थाईलैंड की दक्षता इन क्षेत्रों में हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का कौशल थाईलैंड की तेजी से विकसित हो रही हार्डवेयर क्षमताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। जैव-प्रौद्योगिकी में जैव-विविधता के साथ बढ़ती हमारी कुशलता का सामंजस्य दोनों देशों के लिए उपयोगी हो सकता है।
- भारत उन छह देशों में से एक है, जो अपने अंतरिक्ष-अनुसंधानों में पूरी तरह सक्षम हैं। उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण, ट्रैकिंग, प्रक्षेपण और नियंत्रण के क्षेत्र में इसे पूर्ण महारत हासिल है। विकासात्मक उपयोग के लिए भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दक्षता हमने प्राप्त कर ली है।
- विश्वस्तरीय पर्यटन-सुविधाएं उपलब्ध कराने में थाईलैंड के असाधारण कौशल का लाभ भारत उठा सकता है। थाईलैंड के हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए भारत में जबर्दस्त संभावनाएं हैं — खासकर दोनों देशों की जनता के साझा हित से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में।

इस प्रकार के सम्मेलन में हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार की पूरकताओं को व्यावहारिक रूप क्यों नहीं दिया जा सकता है। हमारा मौजूदा व्यापार कारोबार महज एक बिलियन डॉलर का है, जो संभावनाओं से काफी कम है।

व्यापार और निवेश

यदि हम दोनों देशों में हुए निवेश-संबंधी आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि संभावना और वास्तविकता के बीच भारी अंतर है। सकल पूंजी आयातक देश भारत ने थाईलैंड में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। थाईलैंड ने भारत में महज 700 मिलियन डॉलर का अनुमोदित निवेश किया है। यदि वास्तविक निवेश पर नजर डाली जाए, तो यह आंकड़ा 70 मिलियन डॉलर से भी कम बैठता है। प्रधानमंत्री तक्षिण ने वाणिज्यिक लाभ के लिए 'त्वरित गति से आगे बढ़ने के सिद्धांत' पर अमल करने की इच्छा जताई है। भारत का बाजार 1 बिलियन लोगों का है और यहां विश्व का दूसरा

सर्वाधिक कुशल श्रमबल मौजूद है; इसलिए यहां संभावनाएं अपार हैं। मेरा सुझाव है कि त्वरित विकास के आदर्श को ठोस विकास से जोड़ा जाए। इसलिए भारत थाईलैंड के लिए निवेश का तर्कसंगत लक्ष्य है।

अपनी इस यात्रा के दौरान हमने अपनी सहभागिता को उच्चतर स्तर पर ले जाने के संबंध में चर्चा की है। हमने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें द्विपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने संबंधी ढांचागत समझौता शामिल है। हमने पर्यटन और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग संबंधी अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते में व्यापार और निवेश-संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण बाधाएं दूर होंगी। कुछ उत्पादों के लिए हमने तटकर में तुरंत कमी लाने हेतु अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। हमें इसका विस्तार करना होगा। मुझे पता है कि द्विपक्षीय तटकर में कमी की गति से कुछ लोग हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। व्यवसायियों को भी यह गति काफी धीमी या तेज मालूम पड़ेगी, जिसकी व्याख्या वे अपने हित के अनुरूप करेंगे। कुछ कहेंगे कि इससे कम तटकर हो ही नहीं सकता, जबकि कुछ अन्य कहेंगे कि इतना ज्यादा पहले कभी नहीं रहा। इसलिए यह संतुलन की एक नाजुक समस्या है। आगे बढ़ने की गति को हमें परस्पर सुविधानुसार रखना होगा।

संपर्क को हमें बढ़ाना होगा, ताकि आर्थिक सहयोग की गुणवत्ता बढ़े। बैंकॉक से हमारे चार महानगरों — दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच रोज उड़ान भरने के लिए भारत ने थाई एयरवेज को अधिकार दिया है। भारत के 18 अन्य नगरों को / से भी असीमित उड़ानों का प्रस्ताव हमने किया है। प्रधानमंत्री तक्षिण से यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि थाईलैंड भी भारत के समक्ष ऐसे प्रस्ताव रखेगा। हमारे द्विपक्षीय पर्यटन समझौते से पर्यटन आदान-प्रदान को बल मिलेगा। हम पर्यटकों को एशियाई स्थानों के प्रति और अधिक आकर्षित करने के लिए परा-क्षेत्रीय पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं। प्रारंभ के तौर पर हम अंडमान समुद्र में पोर्टब्लेयर और फुकेत के बीच सह-नगरीय संबंध स्थापित करेंगे।

गहन आर्थिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे व्यावसायिक समुदायों के बीच किस स्तर तक संपर्क कायम हो पाता है। संपर्क बढ़ाने, आम जनता के बीच आदान-प्रदान तेज करने तथा सहभागिता के स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए दोनों सरकारों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वास्तविकता यह है कि व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों में वृद्धि व्यावसायिक समुदाय के प्रयासों से ही हासिल की जा सकती है।

उपलब्ध अवसरों की पहचान के लिए आपसी संलग्नता और पारस्परिक आदान-प्रदान अधिक होना चाहिए। आपको व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और व्यापारिक गतिविधियों में शिरकत करनी चाहिए। हमारे साझा पड़ोस में बाज़ार विकसित करने के लिए आपको कार्यनीतिक गठबंधन बनाना होगा। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में स्वतः तेजी आएगी, बशर्ते

उनमें व्यावसायिक हित निहित हों। यदि ऐसा हुआ तो सरकार को व्यापार संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

यह सुखद है कि भारत 'पूरब की ओर चलो' की नीति अपना रहा है तो थाईलैंड 'पश्चिम की ओर चलो' की नीति। हमारी साझेदारी केवल आर्थिक नहीं है। हमारी अवस्थिति ऐसी है कि हम पश्चिम एशिया से ऊर्जा की आपूर्ति पूर्वी देशों के लिए करवा सकते हैं। लिहाजा इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहयोग में भी हमारे हित महत्त्वपूर्ण हैं। इन सबसे व्यवसाय को भारी बढ़ावा मिल सकेगा। भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग परियोजना ऐसा ही एक उदाहरण है।

थाईलैंड के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है कि सहयोग को बहुआयामी बनाने के प्रति दोनों सरकारें वचनबद्ध हैं। इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए हमें सरकार - उद्योग सहभागिता को सुदृढ़ करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की चर्चा और भावी व्यापार-सम्मेलनों से इस सहभागिता को और समृद्ध करने के रास्ते खुलेंगे। □

विविध

भारतीय संस्कृति : जोड़ने वाली शक्ति

लोकतंत्र हमारे लिए महज एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यह भारतीय सभ्यता और लोकाचार का एक अभिन्न अंग है। आज भारत न केवल एक परिपक्व और जीवंत लोकतंत्र है, बल्कि भारतीय मूल के लोग भी विश्व में जहां कहीं भी रह रहे हैं, इसे बढ़ावा देने में लगे हैं। आपका सम्मेलन इस बात का प्रमाण है।

आपका स्वागत करना, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए अलग से एक संतोष की बात है। मैं चार दशकों से अधिक समय भारतीय संसद् की सेवा करते आ रहा हूं। विदेशों में काम कर रहे और रह रहे भारतीय मूल के अपने भाइयों और बहनों के साथ मैंने घनिष्ठ रूप से विचार-विमर्श किया है। इस बातचीत से सदैव ही मुझे व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों पर हैरानी होती है।

लेकिन आज मैं एक विशेष जन-समूह से उन भारतीयों से बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने-अपने देशों की संसदीय प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ी है। आप लोग हमारे लिए विशेष हैं, क्योंकि भारत से बाहर रहने वाली भारत की ये संतानें अब अपने साथ नागरिकों का विश्वास जीत रही हैं। मित्रो, मुझे आप पर गर्व है। किसने कल्पना की थी कि सात समुंदर पार के देशों में मेहनत करने के लिए भारत छोड़कर आए हमारे पूर्वजों के बेटे और बेटियों, पोते व पड़पोते आज विधायक होंगे। किसने कल्पना की थी कि एक-दूसरे से इतने भिन्न देशों में किसी दिन भारतीय मूल के लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।

आपने इसकी कल्पना की और आपने यह कर दिखाया। विधायक बनने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आपके निर्वाचक भिन्न राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोग हैं। फिर भी उन्होंने आपको निर्वाचित करने का फैसला किया, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं।

सच में यह सफलता की एक ऐसी कहानी है, जिसकी कोई सानी नहीं है। कई अन्य देशों में डाएस्पोरा है, लेकिन यह भारतीय डाएस्पोरा है, जो नंबर एक तो इस ग्रह के लगभग सभी देशों में बसा; दूसरे, वहां पर लगभग हर पेशा अपनाया; तीसरे, जो कुछ भी किया, उसमें शानदार सफलता मिली। और अंत में, इन उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने भारत के साथ हमारी साझी मातृभूमि के साथ अपने भावात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखे हैं।

भारतीय मूल के सांसदों के सम्मेलन में दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 28 नवंबर, 1998

भारत से गए व्यक्ति जहां भी हैं और जो भी वह कर रहे हैं, उसे अच्छा क्यों किया ? इसका कारण यह है कि आत्मसात करने और एकरस हो जाने की प्रवृत्ति भारतीयों को जन्मजात प्राप्त होती है। हमारे धर्मग्रंथों ने हमें सिखाया है : वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात् पूरा विश्व एक परिवार है। इसका अर्थ है कि जब हम विदेशों में बसते हैं, तो हम अपनी जड़ों से कटे नहीं होते और हम दूसरी संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को स्वीकार कर सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं।

हमारी संस्कृति और हमारे धर्मग्रंथों में ज्ञान-पिपासा पर जोर दिया गया है। इसलिए हरेक ज्ञानाधारित उद्योग में भारतीय इतनी सफलता से काम कर रहे हैं। कंप्यूटरों में, विज्ञान में, प्रबंधन में, कानून में, चिकित्सा में और अन्य सभी पेशों में भारतीय मूल के लोगों ने अपने लिए और भारत के लिए नाम कमाया है।

हमारी संस्कृति में कौशल प्राप्त करने पर भी बल दिया गया है। भारत के दक्ष भवन-निर्माताओं, मैकेनिकों, बढ़ई और तकनीशियनों का विश्व के कई हिस्सों में सम्मान किया जाता है। विशेष तौर पर खाड़ी के देशों में इन्होंने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया है। दरअसल, भारत के लिए विदेशी मुद्रा-अर्जन का सबसे बड़ा स्रोत तो विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला धन है।

चाहे ज्ञानाधारित पेशा हो, व्यापार और वाणिज्य हो या कुशल नौकरियां हों या विधायिकाओं में आप हों, आपकी सफलता का राज क्या है ? निश्चित ही आपकी मेहनत है, आपमें से हरेक आज जहां है, दूसरों की अपेक्षा अपने कड़े परिश्रम से पहुंचा है।

भारतीय अपने पेशे में सबसे चतुर, सबसे होशियार व्यापारियों और सबसे अधिक मेहनत करने वाले अप्रवासियों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज विश्व को यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत की ये संतानें राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। 19वीं शताब्दी में वो 100 विधायक हैं, जिनमें 86 मंत्री हैं, चार अपनी राष्ट्रीय असेंबलियों में स्पीकर हैं और दो प्रधानमंत्री हैं। गुयाना में डॉ. छेटी जगन, मॉरीशस में एस. रामगुलाम और अनिरुद्ध जगन्नाथ, त्रिनिदाद में नूर मोहम्मद हसन अली नेतृत्व के अपने गुणों के कारण ही सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं।

भारतीय सांसदों की संख्या में वृद्धि के कई स्थानीय कारण भी हैं। लेकिन मूलतः भारत का होना आपका सबसे तगड़ा कारण होगा। भारत के लोगों में आम सहमति प्राप्त करने, विविध विचारधाराओं में समायोजन और समरसता लाने तथा दूसरों पर रौब न गांठने के गुण जन्मजात आ जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में 50 वर्षों में मैंने जो भी सफलता अर्जित की है, उनके पीछे यही कारण है।

प्रिय बहनो और भाइयो, आप लोग अलग-अलग देशों में रहते हैं। सांसदों के रूप में अपने-अपने देशों में आप लोग प्रभावशाली रूप से जनमत बनाने वालों में से

हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण सच्चाइयां आप जानें और उन्हें अपने निर्वाचकों तक ले जाएं।

मेरी सरकार आर्थिक सुधारों को गहन बनाने, व्यापक बनाने और फैलाने के लिए वचनबद्ध है। कई कठिनाइयों और दबावों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंध अच्छी तरह किया है। ऐसे समय में, जब एशिया तथा दूसरी जगहों के कई देश वित्तीय उठापटक के प्रभावों को झेल रहे हैं, तब भारत ने अपनी आर्थिक प्रणाली में स्थिरता और लचीलापन दर्शाया है।

अर्थव्यवस्था में मौजूदा ढिलाई एक अस्थायी दौर है। भारत में विदेशियों के लिए, विशेषकर भारतीय मूल के लोगों के लिए निवेश और व्यापार, दोनों के ही बढ़िया अवसर मौजूद हैं।

इस संदर्भ में, हाल ही में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्डों के निर्गम के प्रति भारतीय मूल के लोगों की शानदार प्रतिक्रिया पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन बॉन्डों से हमें चार अरब डॉलर से भी अधिक की राशि जुटाने में मदद मिली। मुझे विश्वास है कि भविष्य में जब हम विदेशों में बसे भारतीयों के लिए ऐसे ही निवेश के अवसर उत्पन्न करने का फैसला करेंगे, तब भी आपकी ऐसी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी।

साथ ही, मैं यह भी चाहूंगा कि भारत में उपलब्ध अवसरों के बारे में आप अपने-अपने देशों में निवेशकों और व्यापारियों में जागरुकता पैदा करें।

एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दे की भी चर्चा मैं करना चाहता हूं। 11 मई को भारत ने परमाणु-परीक्षण किए और भारत परमाणु हथियार-संपन्न देश बन गया। यह कदम हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के साथ-साथ ताकतवर देश की हैसियत से विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में योगदान करने के लिए उठाया था।

सदैव की भांति हम अभी भी विश्व-शांति के आदर्शों के प्रति समर्पित हैं। हमने घोषाणा की है कि हमारे परमाणु हथियार पूरी तरह आत्मरक्षार्थ हैं। हम कभी भी इनका इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे और न ही किसी गैर-परमाणु हथियार देश के खिलाफ कभी इनका प्रयोग करेंगे।

कुछ देशों ने हमारे इस कदम की आलोचना की और हम पर आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए। भारत ने दिखा दिया है कि किसी धमकी या प्रतिबंध के आगे हम झुकेंगे नहीं। समय के साथ-साथ वे लोग भी, जो पहले हमारी आलोचना करते थे, अब हमारे फैसले को और निरस्त्रीकरण के बारे में हमारे पक्ष को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं।

फिर भी विदेशों में लोगों को, विशेषकर राजनीतिज्ञों, मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग को परमाणु मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में बताने की बड़ी जरूरत हैं। संवाद और शिक्षा के इस प्रयास में हाथ बंटाने का आग्रह मैं आपसे करता हूं।

यहां पर मैं विश्व में शांति और आम सहमति बनाने के भारत के प्रयासों की भी चर्चा करना चाहता हूं। 1950 के दशक में कोरिया और वियतनाम से लेकर 1990

के दशक में कंबोडिया और इराक तक भारतीयों ने शांति-स्थापना में मदद की है। बोस्निया और सोमानिया में भारतीय शांतिसेना की सेवाएं उत्कृष्ट रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अकसर भारतीयों से संवेदनशील पदों को संभालने के लिए कहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना में बहुराष्ट्रीय शांतिसेना के प्रथम कमांडर-इन-चीफ एक भारतीय थे। इराक में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में एक भारतीय ने वहां तनाव कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन सबसे मेरी इस बात को बल मिलता है कि हर जगह भारतीयों में भिन्न पृष्ठ-भूमियों के लोगों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के गुण रहे हैं।

मित्रो, हम सब भारत माता की संतान हैं। अपने-अपने देशों में आपकी उपलब्धियों की मैं सराहना करता हूं और उनके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं यही आशा करता हूं कि बेहतर ढंग से अपना कार्य करके आप अपना, अपने गृहदेश का और भारत माता का गौरव बढ़ाएं। जितने आप सफल होंगे, उतने ही बेहतर आप भारत के सद्भावना राजदूत सिद्ध होंगे।

मैं आप सबके और आपके परिवारों के भारत में सुखद प्रवास की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं। □

दोस्ती का माहौल बनाएं

कल आए थे, आज जा रहे हैं। दुनिया का यही तरीका है। लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। आया भी अकेला नहीं था। मेरे साथ एक प्रतिनिधिमंडल आया है। भारत के चुने हुए लोग, अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमाने वाले मेरे साथ आए हैं। मुझे 24 घंटे मिले। लेकिन इन 24 घंटों में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली और लाहौर की दूरी कुछ कम हो गई है। हम कुछ नजदीक आ गए हैं। कुछ भरोसा बढ़ गया है। साथ मिलकर चलने के लिए कदम में कुछ तेजी आ गई है।

जैसा मैंने कल कहा, मैं जानबूझकर बस से आना चाहता था। पहले इरादा वाघा की सीमा से मियां साहब से मिलकर वापस जाने का था। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजे से लौट जाएं, ये भी कोई बात हुई। घर के भीतर तक आना चाहिए।

लाहौर की कई यादें मेरे दिमाग में हैं। मैं पहली बार नहीं आया हूं और आखिरी बार भी नहीं आया हूं। पहली दफा जब मैं आया, अंग्रेजों का राज था। मैं कोहाट बन्नू तक गया था। हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस समय 'अनारकली' देखी थी। बाद में जब वजीरे खारजा बनने के बाद आया तो राज में पंजाब के गवर्नर साहब से मैंने कहा था कि मेरा जो ऑफिशियल प्रोग्राम है, उसमें 'अनारकली' जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती, मगर अनारकली जाए बिना मैं दिल्ली वापस कैसे जा सकता हूं। तब रात में मेरे लिए 'अनारकली' जाने का खास इंतजाम किया गया था। इस बार मैं नहीं गया, क्योंकि और नई कलियां खिल गई हैं।

24 घंटे के भीतर हमने कुछ फैसले किए हैं, अच्छे फैसले किए हैं। मुझे भरोसा है कि आपको पसंद आएंगे। दुनिया हैरान है और हम भी कभी-कभी सोच-सोच कर संकोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम दौड़ में पिछड़ क्यों रहे हैं? कल मियां साहब ने भी यह सवाल उठाया था। यह सवाल हम सब को कुरेदता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। साम्राज्यवाद समाप्त हो गया। कहते हैं कि वह ऐसा राज था, जिसमें सूरज नहीं डूबता था। मगर सूरज के देखते-देखते वह राज डूब गया। बेड़ियां टूट गईं। हथकड़ियां छूट गईं। जब तक हम पराधीन थे, गुलाम थे, यह कहकर अपना मन बहला लिया करते थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। हर बात के लिए हम

पाकिस्तान-यात्रा के दौरान आयोजित अभिनंदन समारोह में दिया गया भाषण; लाहौर, 21 फरवरी, 1999

कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे।

आज दुनिया कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारा मन भी नया बहाना गढ़ने को तैयार नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है। प्रकृति ने दौलत लुटाई है यहां। इतनी बड़ी आबादी है, जनबल हैं, मेहनती किसान हैं, पसीना बहाने वाले मजदूर हैं, थोड़ी-सी आमदनी में घर को कुशलता से चलाने वाली गृहणियां हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व जमाने वाले नौजवान हैं—फिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं? कल प्रधानमंत्री ने मेरी कविता की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें उद्धृत कीं—'जंग न होने देंगे'। यह कविता वजीर बनने के बाद नहीं लिखी गई है, पहले लिखी गई थी—

भारत-पाकिस्तान पड़ोसी साथ-साथ रहना है।
प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है।
तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा है,
रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है।
जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे।
जंग न होने देंगे।

मगर इसके पहले का एक छंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं—

क्यों हमें जंग रोकना है?
क्यों हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं
जिनमें जंग न हो।
अमन हो, शांति बनी रहे।
हथियारों पर भी खर्च न हो,
जितनी जरूरत का है, उतना ही हो।

उस समय मैंने लिखा था—

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी

इस दुनिया में जिंदगी से बढ़कर क्या नियामत हो सकती है, जिंदगी से बढ़कर और वरदान क्या हो सकता है। कभी-कभी हम जिंदा रहते हुए भी यह नहीं समझते कि जिंदगी की कितनी कीमत है, जिंदगी कितनी अनमोल है।

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी,
हमें चाहिए शांति सृजन की है तैयारी।
('सृजन' माने निर्माण)
हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी,
हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी।
हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से

ऐसा नहीं कि हम निठल्ले बैठे हैं। निठल्ले बैठना भी नहीं चाहिए। हम जूझेंगे,

लेकिन किससे जूझेंगे? पड़ोसी से नहीं, आपस में नहीं।

हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से,
आगे आकर हाथ बंटाए दुनिया सारी।

हम दुनिया को दावत दे रहे हैं—आइए, हमारी मदद करिए, साथ मिलकर चलिए। हम जानते हैं कि हमें अपना विकास खुद करना होगा। अपने पैरों पर खड़े रहना होगा। मगर दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम अपने को टापू नहीं बना सकते। एक-दूसरे की मदद लेनी चाहिए। एक-दूसरे की सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। हम दुनिया को दावत दे रहे हैं कि आइए—

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी,
हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी।
हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से,
आगे आकर हाथ बंटाए दुनिया सारी।
हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे।
जंग न होने देंगे।

आप में से कोई पूछ सकता है कि जब आपने ऐसी कविता लिखी, जंग न होने देंगे — यह ऐलान कर दिया तो पोखरण में परमाणु-विस्फोट करने की क्या जरूरत थी? यह सवाल उठ सकता है, उठना चाहिए। इस पर खुले दिल से बातें होनी चाहिए। हमने पोखरण-विस्फोट हमले के लिए नहीं किया, बचाव के लिए किया है। हम तीन बार लड़ाइयों में फंस चुके हैं। हम हमेशा के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में परमाणु-विस्फोट हुआ था। उसके बाद भारत इंतजार करता रहा। हम उम्मीद करते रहे कि यह हथियार दुनिया में समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ओर नहीं बढ़ी। हथियार और संगीन होते गए, धारें और पैनी होती गईं। कुछ लोग इस काम में लगे रहे। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ सोचने की जरूरत है। अणुशक्ति का उपयोग शांति के लिए हो, यह बहुत जरूरी है, मगर विनाश के लिए इसका उपयोग कोई न करे, इसका इंतजाम भी जरूरी है।

विस्फोट करने के बाद हमने ऐलान कर दिया कि अब हम विस्फोट नहीं करेंगे। हमने यह भी ऐलान कर दिया कि हम एटमी हथियारों का उपयोग करने वाले पहले देश नहीं होंगे। खुद उपयोग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। हमने यह भी कहा कि जिनके पास एटमी हथियार नहीं हैं, उनके खिलाफ हम एटमी हथियार काम में नहीं लाएंगे। नैम, जिसकी बैठक अभी दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, के सदस्य के नाते हमने इस बात को फिर दोहराया है कि एक वक्त का ढांचा बनाकर सारे एटमी हथियारों को खत्म करने का काम शुरू होना चाहिए। जरूरत क्या है एटमी हथियारों की? किसी जमाने में इन हथियारों, एटमी हथियारों ने एक रोल अदा किया होगा बैलेंस ऑफ टेरर का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना खर्चा हो रहा है, होड़ लगी है— आज

इस सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। हमने तय किया है कि हम अपने ख़यालात का तबादला करते रहेंगे। भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, यह आपस में पता नहीं है। अगर पता लग रहा है तो दूसरों से लग रहा है। दूसरे पूछते हैं कि क्या आपको मालूम नहीं है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है? इस हालत को बदलने की जरूरत है।

विश्व में जनमत बनाना पड़ेगा। यह जरूरी है कि इस संबंध में भारत और पाकिस्तान मिलकर काम करें। दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अमन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब चिंगारी का खेल नहीं चलेगा। छोटी सी चिंगारी आग में बदल सकती है। आग सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है। चिंगारी को रोकना होगा। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी—इनके निराकरण की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा। किस तरह से हम पिछड़ रहे हैं? जिस तरह का जीवन जीना चाहिए, उस तरह का जीवन लोग जी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए शांति चाहिए। शांति के लिए जो मसले हैं, उनको हल करने की जरूरत है। मसले हल करने के लिए भरोसे का माहौल पैदा करने की जरूरत है, विश्वास का वातावरण बनाने की जरूरत है।

सवेरे यह सवाल उठा कि मुझे मीनारे-पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम बन गया था। मैं जाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों की राय थी कि अगर मैं वहां गया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर मेरी मोहर लग जाएगी। मैंने कहा, क्या मतलब है इसका? क्या पाकिस्तान मेरी मोहर से चलता है? पाकिस्तान की अपनी मोहर है और वह चल रही है। लेकिन शक इतना गहरा है। हो सकता है कि मैं वापस जाऊं तो मुझसे सवाल किए जाएं कि आप गए थे ऑफिशियल विजिट पर, मीनारे-पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत थी? मैं जवाब दूंगा। मेरे जवाब से लोग संतुष्ट होंगे, मैं यह भी जानता हूं। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन मुझे मीनारे-पाकिस्तान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी बहस का एक मुद्दा बन गया है। यह ठीक है कि हम बंटवारा नहीं चाहते थे। मैंने आपसे कहा, जब मैं यहां आया, तब सारा हिंदुस्तान एक था, अंग्रेज राज कर रहे थे। मैं कोहाट बन्नू तक गया था। वह हिंदुस्तान हमारी आंखों में है।

देश का बंटवारा हुआ। देश अलग-अलग राज्यों में बंटा, अलग-अलग राष्ट्रों में बंटा। हमारे दिल में घाव लगा। अब घाव भर गया है। दाग़ जरूर बाकी है। लेकिन वह दाग़ हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें मिलकर साथ रहना है। और साथ रहने के लिए मिलकर चलना जरूरी है।

पाकिस्तान फूले-फले, हम चाहते हैं और हम फूले-फलें, यह आप भी चाहते होंगे। इतिहास बदला जा सकता है, मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। ज्योग्राफी नहीं बदली जा सकती। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम अच्छे पड़ोसी के नाते रहें। 1977-78 में भी हमने शुरुआत की थी, आपको याद होगा। दोनों

देशों के बीच आना-जाना आसान कर दिया था। लोग अभी तक उस बात को याद करते हैं। हम फिर वह काम करने जा रहे हैं। आज कुछ फैसले हुए हैं। मैं एकतरफा उनका ऐलान नहीं करूंगा। वक्त आने पर उनका ऐलान होगा। लोग परिवार वालों से मिलने नहीं जा सकते। हाई कमीशन में भीड़ लगी है। दरवाजे वक्त पर खुलते हैं, वक्त पर बंद होते हैं। और अगर बेवक्त कोई मुसीबत आ जाए तो? और आती है मुसीबत। ख़बर देकर थोड़े ही आती है। लेकिन मिलने के लिए जा नहीं सकते हैं। अगर पहुंच भी गए तो भी जिस शहर का वीजा बनाया है, उससे दूसरे शहर जाना है तो फिर पुलिस तस्वीर में आ जाती है। और पुलिस के साथ क्या-क्या आ जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस वाले मेरी बात सुन रहे हैं, वह बुरा न मानें। जो यहां मौजूद हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। पर इस चीज के बारे में भी सोचा जाना चाहिए।

लोग मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं। समुद्र में भटक जाते हैं। हवालात में पहुंच जाते हैं। मछली पकड़ने की बजाय खुद पकड़ में आ जाते हैं। हमने तय किया है कि ऐसे लोगों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों के तय करने मात्र से बात नहीं बनेगी — यह मैं साल भर प्रधानमंत्री बने रहने के बाद समझ गया हूं। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन हम करेंगे, यह हमने तय किया है। हमारा फैसला है। स्थिति बदलनी चाहिए। हवा में और तरह की रंगत आनी चाहिए। दोस्ती की जरूरत है। दोस्ती के लिए भरोसे की जरूरत है।

मैं चाहता था कि सरदार जाफ़री साहब मेरे साथ आते। मगर वह आ न सके। उनका एक शेर आज मैंने यहां के एक अंग्रेजी अखबार में देखा—

तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश
हम आएं सुबहे बनारस की रोशनी लेकर
फिर उसके बाद यह पूछें कि कौन दुश्मन है।

बहुत दिन दुश्मनी हो ली। अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। हमने पाकिस्तान के साथ-साथ सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। अभी श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड के बारे में। बंगलादेश के साथ हमने नहरी पानी का समझौता किया है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि दिल्ली से लाहौर बस चल रही है तो अब ढाका से कलकत्ता तक भी बस चलने वाली है। एक बस नहीं है। बस करो, यह भी नहीं है। अभी तो शुरुआत करनी है। दोस्ती से कभी जी नहीं भरता है। हां, दुश्मनी से ऐसा मुकाम आ जाता है, जब दिल कहता है कि अरे, छोड़ो।

दुनिया में आर्थिक संबंधों का विकास हो रहा है। हम पाकिस्तान के साथ भी व्यापार के, आर्थिक संबंधों में विस्तार के कदम उठाना चाहते हैं। अगर आपके पास बिजली ज्यादा है, तो हम खरीदना चाहेंगे। जरा भाव ठीक होना चाहिए। बाढ़ और तूफ़ान

के बावजूद गेहूं की हमारी फसल अच्छी हुई है। हमने मियां साहब से कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत दूर से गंदुम ला रहे हैं। हम आपके दरवाजे पर गंदुम पहुंचा देते हैं। और चीजें हैं, गिना नहीं रहा हूं।

मसले हल होंगे। मसले ठीक होने के लिए ठीक वातावरण बनाना चाहिए। कुछ कदम हिम्मत के साथ उठाने पड़ेंगे। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। जहां तक हिम्मत के साथ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे और मेरे साथियों को कमजोर नहीं पाएंगे। पीछे हटते हुए नहीं पाएंगे। जब पोखरण में एटमी विस्फोट करने का फैसला हुआ तो मुझे लोगों ने मेरी ही कविता याद दिलाई थी। मैं हिरोशिमा गया था। मैंने नागासाकी का दृश्य देखा था। वहां बम चलाने की जरूरत नहीं थी। वहां लड़ाई खत्म हो गई थी। मित्र देश जीत गए थे। वह आत्मरक्षा के लिए चलाया गया एटमी हथियार नहीं था। आज वे लोग भुगत रहे हैं।

मेरी कविता का शीर्षक था — हिरोशिमा की कविता। एक शायर के दिल की पीड़ा थी। और इसलिए जब एक गंभीर फैसला किया गया, तब भी मेरा दिमाग साफ था। और आज भी दिमाग साफ है। हमें मिलकर 'एटमी वेपन फ्री वर्ल्ड' का निर्माण करना है। हम अपने एटमी हथियारों को काम में लाएं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

लेकिन इसके लिए दोस्ती का माहौल चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी 24 घंटे की यात्रा इस तरह का माहौल बनाने में मदद करेगी। मैंने कहा कि दिल्ली और लाहौर की दूरी थोड़ी सी कम हो गई है। ये दूरी हमें और कम करनी है। और केवल लाहौर की ही नहीं, सारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच नजदीकी लानी है। मुझे विश्वास है कि इन सबमें पाकिस्तान के वजीरे आजम का सहयोग और उनके साथियों का सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम का सहयोग मिलेगा। और हम मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे।

आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मन में जो आशाएं जगी हैं, उन आशाओं को हम लोग मिलकर पूरा कर सकें और साउथ एशिया में एक नया वातावरण और नई हवा पैदा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। □

अनिवासी भारतीय : भारत के सच्चे राजदूत

आज शाम आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं घर से दूर, दूसरे घर में हूं।

मैं न केवल अपने देश के भाई-बहनों से मिल रहा हूं, बल्कि अमरीका में भारतीय समुदाय के कुछ ऐसे चोटी के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपने-अपने व्यवसायों में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं।

मुझे बताया गया है कि आज शाम का यह समारोह मेरे सम्मान में आयोजित किया गया है। लेकिन मैं इसे आप लोगों को सम्मान देने के एक मौके के रूप में देखता हूं। और इसके कई उचित कारण भी हैं।

मैं जब भी विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीयों से मिलता हूं, तब मुझे गर्व का अनुभव होता है और भारत के भविष्य के सुदृढ़ होने के बारे में मेरा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। दुनिया-भर में आपकी उपलब्धियों ने दिखा दिया है कि भारतीयों की क्या क्षमताएं हैं।

चाहे व्यापार हो, प्रबंध हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चिकित्सा-जगत् हो या फिर कौशल-आधारित तकनीकी व्यवसाय हो, जिस देश में भी भारतीयों ने काम करना पसंद किया है, वहां उन्होंने अपना एक खास स्थान बनाया है।

ऐसा करके आपने अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाई है। देश के लिए आप कीमती विदेशी मुद्रा लाए हैं। हाल ही में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्डों की जबर्दस्त सफलता जरूरत के समय भारत के विदेशी मुद्रा-भंडार को मजबूत करने की आपकी तत्परता का प्रमाण है। यह आपकी देशभक्ति का प्रतीक है।

सबसे महत्त्व की बात यह है कि आपने अतिथि देश में अपनी मातृभूमि के लिए एक अच्छी छवि बनाई है।

आप अपनी पेशेवर सामर्थ्य, अपनी रचनात्मक कार्य-शैली और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना किसी भी सामाजिक, आर्थिक परिवेश में समरस होने की अपनी क्षमता की वजह से अलग-अलग समुदायों के चहेते बन गए हैं। आज जिस विश्व रूपी गांव में हम रह रहे हैं, उसमें बहुसंस्कृतिवाद ने निरंतर प्रगति के लिए एक महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपना स्थान बना लिया है।

भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच दिया गया भाषण; न्यूयार्क, 26 सितंबर, 1998

आपको बधाई देने का एक और कारण है। मुझे बताया गया है कि यहां उपस्थित महानुभावों में अमरीका में कई भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हैं। यहां जिस विविधता के दर्शन मुझे हो रहे हैं, वह भारतीय समाज की पहचान वाली विविधता की प्रतिछाया है।

लेकिन आप लोग भारत की विविधता को ही नहीं, बल्कि उसकी निहित अटूट एकता को भी प्रतिबिंबित करते हैं। आप भारत के विविध प्रदेशों से आए हैं, अलग-अलग धर्मों को मानते हैं तथा अलग-अलग मातृभाषाएं बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी राजनीतिक आस्थाएं भी भिन्न हों।

लेकिन जब भारत ने परमाणु-परीक्षण किए थे, तब आपने हमारा जो तगड़ा समर्थन किया था, यहां उसके स्मरण से मुझे प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमने वो फैसला किया था। और फिर, हम इसे विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के एक उत्प्रेरक के रूप में भी देखते हैं। भारत सदैव से शांति का पक्षधर रहा है। नई ताकत और आत्मविश्वास से भारत इस मिशन को जारी रखेगा।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शुरुआती झिझक के बाद, अमरीका और पश्चिम के अधिकाधिक लोगों ने भारत की नई प्राप्त परमाणु-क्षमता के प्रति विश्व की, विशेषकर अमरीका की सोच बदलने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

ऐसे युग में, जहां विदेशों के साथ मैत्री-संबंध कायम करने के लिए आमने-सामने का व्यक्तिगत राजनय एक अत्यंत ही शक्तिशाली माध्यम बन गया हो, तब आप विदेशों में भारत के सच्चे मायनों में गैर-सरकारी राजदूतों की भूमिका निभा रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि दूत के रूप में आप लोग जानने को उत्सुक होंगे, शेष विश्व की तरह कि भारत में क्या हो रहा है।

दोस्तो, आज जिस विश्व में हम रह रहे हैं, वह बड़ी तेजी और नाटकीय ढंग से बदल रहा है, और भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। स्वयं मैं भी भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में चल रहे परिवर्तन का परिणाम हूं। अभी मैं केंद्र में पहली गैरकांग्रेसी सरकार का प्रमुख हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख है, फिर भी यह सत्ता में कई पार्टियों के साथ भागीदारी कर रही है।

भारतीय राजनीति में यह एक नया ही प्रयोग है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की सराहना में यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में जो भी प्रयोग हुए हैं, वे शांतिपूर्ण तथा संविधान के ढांचे के भीतर ही हुए हैं। अशांत जम्मू-कश्मीर राज्य में हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से लोकप्रिय शासन बहाल करने में कामयाब हुए हैं।

भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अमरीका में इस तथ्य का प्रचार आप कारगर ढंग से करें, जहां के लोगों, संस्थानों और मीडिया की गहरी आस्था लोकतंत्र में है।

एक और बात है, जिसके बारे में आपको और अमरीकी समाज के प्रमुख घटक, दोनों को जानकारी होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की और मेरी अपनी सरकार

की यह वचनबद्धता है। भारत सदैव से ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, है और रहेगा, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान मिलेगा और समान रूप से उन्हें देखा जाएगा तथा देश किसी एक धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाया जाएगा।

सर्व पंथ समभाव से हमारा यही आशय है। हमारे राष्ट्रवाद में सभी धर्म आते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी सभी धर्म समाहित हैं।

मैं अकसर कहता आया हूं कि इस अनूठी भारतीय भावना में समझी गई धर्म-निरपेक्षता की भावना तो हमें घुट्टी में पिलाई गई है। मेरी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। इस संबंध में किसी आशंका या प्रेरित प्रोपेगेंडा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की वचनबद्धता एक ऐसी चीज है, जो सरकारों के बदलने के साथ-साथ बदला नहीं करता है। इस प्रक्रिया को उल्टाया नहीं जा सकता। मेरी सरकार सुधार-प्रक्रिया को व्यापक, गहन और मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

निजी क्षेत्र को हम एक उपयोगी साझेदार के रूप में देखते हैं। मेरी सरकार सात से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद-वृद्धि-दर प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और तेज करने का हर संभव प्रयास करेगी। आपको पता ही है कि हमने नीति-निर्माताओं और व्यापार व उद्योग के प्रख्यात प्रतिनिधियों के बीच गहन व निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर एक मंच बनाया है।

यह उन पहलों की शृंखला का एक प्रयास है, जो हम यह शक्तिशाली संकेत भेजने के लिए करेंगे कि निवेश करने और व्यापार करने के लिए भारत एक अच्छा स्थान है।

मैं यह भी कह दूं कि अपनी सुधार-प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम दो महत्त्वपूर्ण बातों से प्रेरित रहेंगे। पहली, हम ऐसी प्रगति चाहते हैं, जिसमें रोजगार के अवसर व समता की भावना हो। हम रोजगारविहीन विकास नहीं चाहते, जिससे अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी हो।

निर्धनतम, अत्यंत शक्तिविहीन और अत्यंत वंचित भारतीय का भविष्य सुधारना और इस लक्ष्य को कम-से-कम समय में प्राप्त करना भारत में शासन करने वाली किसी भी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक कार्य होता है। स्वाभाविक है कि मेरी सरकार के सामने सबसे प्रमुख कार्य यही है।

दूसरी, भारी मात्रा में विदेशी निवेश का स्वागत करने और विश्व-अर्थव्यवस्था के साथ अधिकाधिक जुड़ने के साथ-साथ हम अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर ही ऐसा करेंगे। आप जानते हैं कि भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है, जो कई एशियायी देशों को अस्थिर कर देने वाली आर्थिक उथल-पुथल से अपेक्षाकृत अछूता रहा है।

एशियायी बाजारों में आए संकट के अनुभव, जिसके प्रभाव अन्यत्र भी देखे जा

रहे हैं, ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि विश्व की वित्तीय प्रणाली को भी बड़े स्तर पर पुनर्गठन की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि सुधार-प्रक्रिया को सुधारने के विश्व-प्रयास में भारत के अनुभव का सकारात्मक योगदान हो।

दोस्तो, भारत की आर्थिक कायापलट का जो महान यज्ञ हमने आरंभ किया है, उसमें अनिवासी भारतीय समुदाय के लिए क्या भूमिका मैं देखता हूं ? ईमानदारी से, उनकी भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

आपके अनुभव, आपकी विशेषज्ञता, आपके ज्ञानाधार और आपके पास उपलब्ध अतिरिक्त धन भारत के लिए अत्यंत मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन सिद्ध हो सकते हैं। हम भारत में ही उत्साहवर्द्धक स्थितियां बनाना चाहेंगे, जो आपको प्रेरित करे, ताकि परस्पर लाभ के आधार पर आप देश में इन संसाधनों को ला सकें। हम नियमों और पद्धतियों को सरल बनाएगे और पारदर्शी बनाएंगे। हम आने वाले विलंब को कम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सफल हों।

जब विदेश में आप इतने शानदार तरीके से सफल हो सकते हैं, तो उतने ही शानदार तरीके से आपको अपनी मातृभूमि में सफलता क्यों नहीं मिलेगी ?

मित्रो, मैं जानता हूं कि अमरीका में आपकी सफलता का एक प्रमुख क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य ज्ञानाधारित उद्यमों का है। भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में महाशक्ति बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को जबर्दस्त बढ़ावा देने का फैसला किया है।

इस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया गया है। इसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर हम सॉफ्टवेयर-निर्यात, हार्डवेयर-डिजाइन और विनिर्माण, बुनियादी दूरसंचार-संरचना, इंटरनेट पहुंच को व्यापक बनाने, कंप्यूटर शिक्षा तथा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कई दूरगामी कदम उठा रहे हैं।

नए निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए राज्यों और शहरों में एक तरह से होड़ लगी हुई है। मेरे हिसाब से सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवरों और व्यापारियों के लिए अमरीका आदर्श परिचालन-प्रणाली उपलब्ध कराता है, जिसमें वे अगर मुझे कंप्यूटर शब्दावली अपनाने की अनुमति दी जाए, तो वे 'लॉग इन' कर सकते हैं।

शायद सबको कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय अभियान 'ऑपरेशन नॉलेज' की सफलता में आपका योगदान सबसे अधिक स्पष्ट हो सकता है।

यदि आपमें से प्रत्येक व्यक्ति भारत में अपने गांव या शहर को एक स्कूल या कॉलेज को गोद लेने का फैसला कर ले और वहां कंप्यूटर तथा कंप्यूटर-शिक्षा उपलब्ध कराए, तो हम इस लक्ष्य को बड़ी तेजी से प्राप्त कर लेंगे। आप स्वयं से ऐसा कर सकते हैं या फिर भारत में मौजूद गैर-सरकारी संगठनों के विशाल नेटवर्क के जरिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

दोस्तो, मैंने कहा था कि आप घर से दूर घर का अनुभव मुझे कराते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे भारत के उन्नत भविष्य के प्रति आश्वस्त कराते हैं। आज जब मैं उस देश की भूमि पर खड़े होकर आपसे यह सब कह रहा हूं, जिसने इस सदी पर राज किया है, तो मुझे 21वीं सदी में भारत का महान भविष्य साफ दिख रहा है, क्योंकि हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक मजबूत, समृद्ध और भारी विश्व-शक्ति के रूप में उभरने के लिए हमारे पास आर्थिक क्षमता और संसाधन है।

निस्संदेह हमारे देश के सामने कई भयावह समस्याएं हैं और मेरा इरादा आपके सामने अभाव की तस्वीर खींचना नहीं है। लेकिन एक राष्ट्र, एक जन के रूप में एकजुट होकर हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस ऐतिहासिक प्रयास में, इस राष्ट्रवादी प्रयास में, मैं अमरीका तथा विश्व के अन्य सभी देशों में रहने वाले भारतीय बहनों और भाइयों को हमारी एकता और हमारे इरादे को मजबूती प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

मिलकर हम कामयाब होंगे। □

भारत की परमाणु नीति

माननीय सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा 6 जून, 1998 को पारित प्रस्ताव के बारे में मालूम होगा। इस संबंध में देश की स्थिति के बारे में, मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं।

हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद् ने जिस तरह से जो प्रस्ताव तैयार और पारित किया है, वह अपने उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से अनुपयोगी है। प्रस्ताव में परमाणु अप्रसार के बारे में कई संदर्भ दिए गए हैं। जैसा कि सदन में मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के उत्तरदायी और प्रतिबद्ध सदस्य हैं। प्रस्ताव में हमसे परमाणु हथियारों के परीक्षण-संबंधी कोई भी विस्फोट न करने को कहा गया है। भारत के मामले में ऐसे किसी आग्रह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही स्वेच्छा से प्रतिबंध लगा दिया है। हमने इस वचन को कानूनी बाध्यता में बदलने के तौर-तरीकों का पता लगाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। और फिर, जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमने स्पष्ट कर दिया है कि विखंडनीय सामग्री प्रतिबंध संधि के बारे में बहुपक्षीय बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन, ऐसी बातचीत से पहले ही विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर एकतरफा रोक लगाने के बारे में हमसे वचनबद्ध होने की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाए रखते हुए हम परमाणु सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारा रिकार्ड एकदम साफ है और ऐसे कई देशों से बेहतर भी है, जो परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी) पर हस्ताक्षरकर्ता हैं या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं या फिर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं।

फिर भी, प्रस्ताव में किया गया आग्रह कि हमें अपने परमाणु कार्यक्रम या प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम रोक देने चाहिए, हमें स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में निर्णय उचित व उत्तरदायी ढंग से हमारे अपने आंकलन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा लिया जाएगा। यह अधिकार, जो हम अपने लिए मांगते हैं, कोई नई बात नहीं है, यह प्रत्येक प्रभुसत्तासंपन्न राष्ट्र का अधिकार है तथा एक ऐसा अधिकार है, जिसे पिछले 50 सालों से इस देश की हरेक सरकार ने मजबूती से बनाए रखा है।

प्रस्ताव की एक जबर्दस्त कमी यह है कि इसमें इस बात को एकदम छोड़ दिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में संसद में दिए गए वक्तव्य का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 8 जून 1998

गया है कि परमाणु अप्रसार का मसला कोई क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि इसे भेदभाव रहित विश्व संदर्भ में देखना होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था—अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस निर्णय का हवाला तक नहीं है, जिसमें न्यायालय ने परमाणु हथियारों की तर्कसंगति पर उंगली उठाई थी और उन्हें समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत करने का आग्रह किया था। इस सदन में रखे गए 'भारत की परमाणु नीति का विकास' संबंधी पत्र में हमने परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि परमाणु हथियारों वाले अन्य देशों, जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना पसंद किया है, के विपरीत भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ऐसी पहल करने के लिए तैयार है, जो सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए विश्वव्यापी संधि की दिशा में शुरुआत कर सकें। हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु-परीक्षणों को शांति और स्थायित्व के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह भ्रमित और अनावश्यक है। हमारी नीतियों को इस रूप में, सरकार द्वारा हाल ही में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण ढांचे और क्षेत्रीय संदर्भ, दोनों ही में घोषित रचनात्मक प्रयासों को नजर-अंदाज कर दिया गया है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। हमारे परीक्षण तो एक दोषपूर्ण परमाणु अप्रसार व्यवस्था के कारण जरूरी हो गए थे। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से इस धारणा को अस्वीकार करते हैं कि इनसे क्षेत्रीय या विश्वव्यापी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकार ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार-संबंधी सभी मसलों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ सार्थक बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। पिछले सप्ताह विशेष दूत श्री बृजेश मिश्र ने इस संबंध में पेरिस और लंदन की यात्रा की। उन्होंने दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम स्तरों पर बातचीत की। अन्य देशों के साथ भी वार्ता की योजना है। ये वार्ताएं एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखी जानी चाहिए, जिनसे भारत की स्थिति की बेहतर समझ पैदा होगी।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारत ने सदैव ही पाकिस्तान के साथ परस्पर विश्वास और एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभकारी संबंधों की कामना की है। मैं दोनों सदनों में कह भी चुका हूं और मैं दुहराना चाहूंगा कि एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान, भारत के हित में है। हमारे आपसी संबंधों की हमारी कल्पना-शक्ति मसलों के समाधान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करने वाले सहयोग को एक स्थायी ढांचे के निर्माण के प्रयासों से भविष्य तक भी जाती है। मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को लिखा कि हमें अपने अतीत, पुरानी अवधारणाओं का कैदी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। मैं आज भी उनसे कहता हूं कि आइए, बीती बातों को भुला दें; अपने बच्चों, पोते-पोतियों के कल्याण के बारे में सोचें।

पाकिस्तान के साथ हम सीधे द्विपक्षीय वार्ता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। इसमें देश की दृढ़ धारणा और विश्वास झलकता है कि निरंतर और रचनात्मक ढंग से सीधी बातचीत के जरिए ही हम अपने परस्पर संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर पर पुन: यथाशीघ्र बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छा दुहराना चाहता हूं। शांति व स्थायित्व (विश्वासोत्पादक उपायों सहित), जम्मू-कश्मीर, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा सीमा-पार आतंकवाद समेत वार्ता के विषय पहले ही पहचाने जा चुके हैं। इन वार्ताओं की औपचारिकताओं के बारे में हमारे प्रस्ताव इस वर्ष जनवरी से पाकिस्तान के पास पड़े हैं। हमें उनके जवाब की प्रतीक्षा है। हमने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुरक्षा परिषद् ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर की चर्चा की है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है और इससे यह वास्तविकता बदल नहीं जाती कि कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, जिस तरह कश्मीर का उल्लेख प्रस्ताव में किया है, उसकी ओर खींचना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने माना है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए और कश्मीर सहित अन्य लंबित मामलों को परस्पर स्वीकार्य समाधानों से निपटाया जा सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। □

परमाणु हथियार—आत्मरक्षार्थ

मैं सदन को उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो घटनाएं सत्रावसान के दौरान घटी हैं। 11 मई, 1998 को भारत ने तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए। 13 मई को दो और भूमिगत परीक्षण करके परीक्षणों की योजनाबद्ध शृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूंगा कि यह सदन उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षाकर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे साथ शामिल हो, जिनकी अद्वितीय सफलता ने हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, अपने इस वक्तव्य के अलावा, मैं भारत की 'परमाणु नीति का विकास' शीर्षक के अंतर्गत दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

सन् 1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था, तब परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया था। हमने शीत-युद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार कर दिया तथा गुटनिरपेक्षता के और कठिन रास्ते को चुना। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि परमाणु शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत की सुरक्षा, अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ था और है।

पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान करने की पहल की। 2 अप्रैल, 1954 को लोकसभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ने कहा था, ''परमाणु, रासायनिक और जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने हेतु नहीं किया जाना चाहिए।'' उन्होंने परमाणु शस्त्रों के निषेध और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। इस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया।

सन् 1965 में गुटनिरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा था, जिसके अंतर्गत परमाणु शस्त्र से संपन्न देश

परमाणु-परीक्षणों की सफलता पर संसद् में दिया गया वक्तव्य; नई दिल्ली, 27 मई, 1998

अपने शस्त्रागारों का परित्याग करने के लिए सहमत हों, बशर्ते अन्य देश भी इस प्रकार के शस्त्रों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने में संयम बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया गया। 60 के दशक में 'हमारी सुरक्षा चिंताएं' और बढ़ गईं। हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी मांगी, लेकिन जिन देशों से यह मांग की गई थी, वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, हमने स्पष्ट कर दिया था कि अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में हम असमर्थ हैं।

5 अप्रैल, 1968 को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया था कि हमारा आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ही पूर्णत: हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे। वह संक्रांति काल था और उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था।

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय हमारे आधारभूत उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में हमने अपनी परमाणु-क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। व्यापक परीक्षण-प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उसका भी सर्वसम्मति से स्वागत किया था।

इसी बीच 80 और 90 के दशकों में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप से ह्रास दिखाई दिया। हमारे आस-पड़ोस में परमाणु शस्त्रों की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद और परोक्ष युद्ध का भी शिकार हुआ है।

विश्व स्तर पर परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक और अपरिवर्तनीय कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके बजाए, अप्रसार संधि को उन पांच देशों के हाथों में परमाणु शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए अनिश्चित काल तक बिना शर्त के विस्तारित किया गया।

ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी, जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया, वह थी—हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे, जिन्होंने इस देश को विचारों तथा व्यवहारों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अग्रसर किया है।

भारत एक परमाणु शस्त्र संपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते हैं, और न ही कोई ओहदा है, जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा

प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छठवें भाग वाले इस भारत का अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाती है। हमारा इरादा आक्रमण के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करना नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल-प्रयोग नहीं कर सकता है। हमारा इरादा हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है।

विगत काल में हमने कई पहल की हैं। हमें खेद है कि अन्य परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्रों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वस्तुत: यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो हमें अपने वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमाणु हथियारों पर रोक के लिए वार्ता शुरू करने का आह्वान करने में हम आगे रहे हैं तथा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार निपटा जा सके, जिस प्रकार जैविक हथियारों और रासायनिक हथियारों से संबद्ध समझौतों के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे।

भारत परंपरागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता प्रकट करती है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाने का इरादा रखती है।

हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। हमने न तो 1974 में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन किया है। 1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्षों तक संयम बरतने का अपने-आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि संयम से सामर्थ्य बढ़ता है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकता। हाल ही में भारत द्वारा किए गए परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई संतुलित थी, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी।

तत्पश्चात सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इन पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा को विधिवत औपचारिक रूप प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है।

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अवगत है। हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। इससे यही नहीं प्रकट होता कि यह निर्णय सही था, अपितु यह भी जाहिर होता है कि हमारे देश को संक्रेद्रित नेतृत्व की आवश्यकता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा-

आवश्यकताओं पर ध्यान दे। इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप में करने का संकल्प लेता हूं। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्‌गारपूर्ण समर्थन से अत्यधिक खुशी मिली है। उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्‌गार व्यक्त किए हैं। भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। आने वाले कठिन समय में भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन की आशा हम करते हैं।

अपनी स्वाधीनता के इस 50वें वर्ष में हम इतिहास के यादगार क्षणों में हैं। सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने पांच दशकों तक हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरंतर सफल हुई हैं। इस मतैक्य को कायम रखना जरूरी है, क्योंकि हम अगली सहस्त्राब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मेरे वक्तव्य में तथा सदन के सभा-पटल पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की चर्चा विस्तार से की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और भावी कार्रवाइयां प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाए कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा। विजयोल्लासवाद से बचते हुए हमें अपने साझे उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करना चाहिए कि जैसे ही नई सहस्त्राब्दी में हम प्रवेश करें, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उचित स्थान मिले। □

बरसों का प्रयास सफल हुआ

आज सारा देश उन वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है, इंजीनियरों को, फौज के हमारे अफसरों को और जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। सारे देश की शक्ति इस परमाणु-परीक्षण के सफल प्रयोग के रूप में प्रकट हुई, बरसों का प्रयास सफल हुआ।

भारत की परंपरा आक्रमणकारी की, अन्याय की, अत्याचारी की नहीं रही है। भारत की परंपरा बलिदान की रही है, समर्पण की रही है, सम्मान की रक्षा के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में कूदने की रही है। हमें बार-बार हमलों का शिकार होना पड़ा। हम हमला करने कहीं गए नहीं थे। लेकिन हम विभाजित थे, बंटे थे, अपने-अपने दायरे में सीमित थे, इस कारण हमने अपनी आजादी बार-बार खोई। लेकिन यह भी सच है कि लड़ाई के लिए हमारी तैयारी हमेशा चलती रही, लड़ाई हमेशा चलती रही। देश की रक्षा के लिए, हर धर्म की रक्षा के लिए हमने जो तलवार उठाई, उसको तब तक म्यान में नहीं जाने दिया, जब तक हमने विजय प्राप्त नहीं कर ली।

पिछले 8-10 सालों में पंजाब ने जो कुछ भुगता, आप कहानी जानते हैं। अब पंजाब में शांति है। हम आशा करते हैं कि हमें शांति बनाए रखने में सफलता मिलेगी। कोई बाहर से आकर हमारी शांति भंग नहीं करेगा। हम कहीं दूसरे देश में जाकर उसकी शांति को भंग करें, ऐसा नहीं होगा। हम पड़ोसी के साथ पड़ोसी के धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी हमारे देश में दखल दे, शांति को भंग करने की कोशिश करे तो फिर अपनी रक्षा करना, अपनी हिफाजत करना हमारा काम है और हम यह कर रहे हैं। इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परमाणु बम को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है। विनाश का उद्देश्य नहीं है, आत्मरक्षा का उद्देश्य है। अब हमारे पड़ोसी ने भी विस्फोट कर दिया है और हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं, जो कहते हैं—आपने किया, इसलिए उन्होंने किया। हमने कहा कि यह बताइए कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? क्या 16 दिन में परमाणु अस्त्र बनाए जा सकते हैं? प्रक्षेपास्त्र छोड़े जा सकते हैं?

यह बरसों की तैयारी थी। यह बात हम इसलिए भी जानते हैं, क्योंकि हमें भी काफी समय लगा है तैयारी करने में। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना था कि हम

प्रधानमंत्री-निवास पर लोगों के समक्ष दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 30 मई, 1998

पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें, सफल परीक्षण कर लें, तभी हम देश को यह विश्वास दिला सकते हैं कि देश हमसे जो चाहता है, वो हमने पूरा किया। हमने उन्हें मौका दिया। अब दुनिया में सभी घातक हथियार खत्म हो जाएं, इस प्रयत्न में हम और तेजी लाएंगे। कुछ देश यह तो चाहते हैं कि और देश उनकी तरह के हथियार न बनाएं, मगर वो खुद अपने हथियारों को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उलटे उन्हें और पैना करने में लगे हुए हैं। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं।

गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, ''मैं किसी से डरता नहीं हूं, मगर मैं किसी को डराता भी नहीं हूं, मैं निर्भीक हूं।'' निर्भीकता सारे संसार को अपने साथ लेकर चलने की शक्ति है। आज दुनिया में भाईचारे का जो वातावरण है, वो हमारी वास्तविक पूंजी है, वो हमारी वास्तविक शक्ति है। इसमें फूट डालने की कोशिश हो रही है। परमाणु बम को लेकर बरनाला साहब हाउस में कह रहे थे, सदन में कह रहे थे—प्रचार किया जा रहा है कि यह हिंदू बम है। यह लोगों में दरार डालने की कोशिश है। जिन्होंने यह परीक्षण किया, उनमें मुसलमान भी थे, डॉ० अब्दुल कलाम। इसमें और धर्मों के लोग भी थे। यह देश की रक्षा के लिए बना है। किसी को इस तरह के भ्रम में नहीं आना चाहिए।

पंजाब में हिंदू और सिख एकता मजबूत हो, सारा देश एकता के बंधनों में दृढ़ता से बंधे, अपनी रक्षा करे और अपनी रक्षा करने के साथ-साथ सारे संसार में रक्षा का एक माहौल बनाने की कोशिंश करे। भाइयो, इसकी बहुत जरूरत है। आज देश में एक नई चेतना है, एक नई स्फूर्ति है, इसमें हम सब लोग अपना-अपना काम दृढ़ता से करें, ईमानदारी से करें, इसकी आवश्यकता है।

मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं और सरदार अमरीक सिंह जी, जो हमारे सहयोगी हैं लोकसभा में, उनका विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरा सम्मान किया। हाथ में तलवार दी है, यह तलवार हमेशा न्याय की रक्षा में चलेगी, इनसाफ के लिए उठेगी। इस तलवार से कोई गलत काम नहीं होगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। □

शांति और विकास के प्रति भारत का दृष्टिकोण

मैं समझ रहा था कि कल हमने पार्लियामेंट में अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए आप मुबारकबाद देने आए हैं। लोग समझते थे कि बजट में ऐसा बोझ डाला जाएगा, लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें चिंता है, हमें फिक्र है कि किस तरह से देश में खुशहाली लाई जाए, किस तरह से देश में रहने वाले हर इनसान के लिए अच्छी जिंदगी का इंतजाम किया जाए। इसके लिए, खेती के लिए पैसा बढ़ाया गया है। तालीम पर ज्यादा जोर देने का फैसला हुआ है। नए बोझ न डाले जाएं और पुराने बोझ को कुछ हलका किया जाए, इस तरह के निर्णय भी हुए हैं।

आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को साफ किया कि पेट्रोल के दाम में चार रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ एक रुपया की बढ़ोतरी हुई है। हमने डीजल को नहीं छुआ है। रसोईघर की गैस को महंगा नहीं किया है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सब दबावों को सहने की ताकत रखती है, हिम्मत रखती है।

जहां तक पोखरण का सवाल है, हमने जो कुछ किया है, अपने बचाव के लिए किया है, किसी पर हमले के लिए नहीं किया है। 24 साल पहले 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण में पहला आणविक विस्फोट किया था। 24 साल हम इंतजार करते रहे कि हमें विस्फोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में जो विस्फोट हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। जो एटमी हथियार जमा किए जा रहे हैं, उनकी जमाखोरी रुकेगी और वो हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको गिनाना नहीं चाहता कि पिछले 24 सालों में किन देशों ने कितने विस्फोट किए। वे हमें उपदेश देते रहे, अमन का पाठ पढ़ाते रहे और खुद तैयारी करते रहे, नए-नए हथियार बनाते रहे और पुराने हथियारों को पैना करते रहे और सारी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा करते रहे।

हमने जब देखा कि हमारे आस-पास एटमी हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, अमन के खतरे में पड़ने का डर है तो हमने फैसला किया कि हम अपने वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को इस बात की इजाजत दें कि वो मुल्क को इस लायक बना सकें कि उस हद तक एटमी परीक्षण कर सकें, जिस हद तक हिंदुस्तान के बचाव के लिए और अमन को

प्रधानमंत्री-निवास पर लोगों के समक्ष दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 2 जून, 1998

बनाए रखने के लिए जरूरी हो। यह काम पोखरण में पूरा हो गया। हमने ऐलान कर दिया कि अब हम परमाणु-परीक्षण नहीं करेंगे।

हमने कुछ और भी कदमों का ऐलान किया है। दुनिया के जिन मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं—वे पांच बड़े-बड़े मुल्क हैं—उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने हथियारों को खत्म करने का प्रोग्राम बनाएं, जिससे हिंदुस्तान और उसके आस-पास अमन हो। इतना ही काफी नहीं है, सारी दुनिया में अमन हो। देखें, दुनिया वाले इस समझदारी की आवाज को सुनते हैं या नहीं। दुनिया में बैठकें होती हैं, तकरीरें की जाती हैं, सम्मेलन बुलाए जाते हैं, मगर एटमी हथियार खत्म करने की तरफ कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता।

पोखरण ने एक बार सारी दुनिया को झकझोर दिया है, खासकर जो बड़े मुल्क हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि न्यूक्लियर डिसार्मामेंट के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। हम एटमी निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं। हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं, अपने पड़ोस में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिसमें एटमी हथियार न हों, लोगों का ध्यान रोजमर्रा की कठिनाइयों को कम करने की ओर लगे, देश में खुशहाली आए, हरेक के पास रोजगार हो, गरीबी और अमीरी की खाई पटे, सबको इनसाफ मिले, सबकी रक्षा हो।

आज भारत में सब ओर शांति है, कोई तनाव नहीं है। जुनून को भड़काने वाले भाषण नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम तो सीमा पर तो शांति बनाए रखना चाहते ही हैं, देश के भीतर भी शांति बनाए रखना चाहते हैं। हरेक नागरिक की हिफाजत हो, कोई मजहब माने, कोई भाषा बोले, किसी सूबे में रहे, कोई धंधा करे, कोई काम करे, मगर जिंदगी सबकी अनमोल है, जिंदगी की हिफाजत होनी चाहिए। जिंदगी को सजाया-संवारा जाना चाहिए और जिंदगी के रास्ते में जो कांटे बिछे हैं, उनको निकाला जाना चाहिए और हरेक की जिंदगी में फूल बिछ जाएं, ऐसे हालात बनाने चाहिए। ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। लेकिन हमने मुश्किल काम को आसान करने का फैसला किया है। इसे पूरा करने का फैसला किया है।

आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम देश में एकता बनाए रखें, यह जरूरी है। देश में अमन रहे, यह बहुत आवश्यक है। भाईचारा बढ़े, हम सब लोग मिल-जुलकर अपने सवाल हल करें, यह सब सरकार की कोशिश है। आप इस कोशिश में हिस्सा बंटाएं। □

विश्व-मंच पर भारत

दूसरे 'प्रवासी भारतीय दिवस' के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर पुनः आप सबके बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज से ठीक एक वर्ष पहले के उस अवसर की मधुर यादें अभी भी मेरे मन में ताजा हैं, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई तथा पंडित रविशंकर के सितार की जुगलबंदी ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने मिलकर संगीत का ऐसा समा बांधा, जो हृदयस्पर्शी और आत्म-विभोर करने वाला था। आज भी हमने वैसी ही मंत्रमुग्ध करने वाली जुगलबंदी डॉ० एल. सुब्रमनियम एवं सुल्तान खान की जोड़ी से सुनी। यह हमें स्मरण कराता है कि प्रवासी भारतीय दिवस अपने आप में 2 करोड़ 20 लाख भारतीय प्रवासियों और उनकी मातृभूमि तथा भारतवासियों और भारतवंशियों के बीच जुगलबंदी का ही समारोह है।

एक साथ मिलकर हम एक वैश्विक भारतीय परिवार बनाते हैं। इकट्ठे मिलकर हम घोषणा कर रहे हैं कि भारत उदय (SHINING INDIA) विश्व-मंच पर आ खड़ा हुआ है, एक ऐसा भारत, जो अपने गौरवशाली अतीत को फिर से पाने; और न केवल पाने, बल्कि उससे आगे बढ़कर एक आर्थिक शक्तिपुंज (economic powerhouse) और उच्च स्तर पर मानवता के सर्वांगीण विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के रूप में उभरेगा। मैं गुयाना के महामहिम राष्ट्रपति श्री भरत जगदेव का स्वागत गर्मजोशी से करता हूं। वे भारतवंशियों की नई पीढ़ी के एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दूसरे प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के हमारे अनुरोध को सहर्ष और शीघ्रता से स्वीकार कर लिया।

प्रवासी भारतीयों की सफलताएं

मैं उन सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्हें इस वर्ष के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष हमने कल्पना चावला को मरणोपरांत पुरस्कार दिया है। वे उन मूल्यों की प्रतीक थीं, जिनका गुणगान हमारे प्रवासी भारतीय करते हैं। भारत की बेटी अमेरिका की एक अनुकरणीय नागरिक बनीं और उससे आगे ब्रह्मांड की नागरिक बन गईं। करनाल से अंतरिक्ष तक की उनकी यात्रा भारतीय युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी—निस्संदेह पूरी दुनिया के युवाओं को भी। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि उनके पति इस पुरस्कार को लेने के लिए हमारे बीच

दूसरे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली; 9 जनवरी, 2004

यहां मौजूद हैं। बारह प्रवासी भारतीयों को *प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान* से अलंकृत कर हम पूरी दुनिया में फैले समूचे भारतवंशियों को सम्मानित कर रहे हैं। आपकी बहुविध सफलताएं और उपलब्धियां प्रत्येक भारतीय को प्रसन्नता और गर्व से भर देती हैं।

उदाहरण के लिए—किसने सोचा होगा कि कभी एक भारतीय अमेरिकी की औसत आमदनी अमेरिका के राष्ट्रीय औसत से 50 प्रतिशत ज्यादा हो जाएगी। और वह भी तब, जब साठ व सत्तर के दशक में वहां गए अधिकतर भारतीय प्रवासियों की जेब 10 डॉलर से ज्यादा की राशि नहीं थी। कौन सोच सकता था कि प्रवासी भारतीयों से आने वाली पचपन हजार करोड़ रुपए की लगभग आधी राशि की विदेशी मुद्रा हमारे अकेले एक प्रदेश—केरल के करीब पच्चीस लाख प्रवासी भाइयों और बहनों से प्राप्त होगी? दुनिया के सबसे संपन्न क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र में आज लगभग समूचे सेवा-क्षेत्र को भारतीय तकनीशियन, नर्सें, अध्यापक और अन्य प्रशिक्षित भारतीय संभाल रहे हैं।

भारत की उपलब्धियां

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है और इसमें भारत में रह रहे भारतीयों और भारत से बाहर रह रहे भारतीयों की उपलब्धियां शामिल हैं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता, जब पश्चिमी देशों में कोई यह समाचार या टिप्पणी न छपती हो कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं के लिए पसंदीदा जगह के रूप में भारत उभरा है। कभी-कभी इसे भारत में नौकरियों की कमी के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह भय सही नहीं है। आज दुनिया के अत्यंत प्रतिस्पर्धी बाजार में यह स्वाभाविक है कि कंपनियां और संगठन प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध मानव-संसाधनों का प्रयोग इस ढंग से करें कि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। भारत की प्रशिक्षित मानव-शक्ति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं के जरिए जो कुछ प्रदान किया जा रहा है, वह भारत तथा सेवा लेने वाले देशों—दोनों के लिए फायदे का सौदा है।

ये सब उपलब्धियां आपके कठिन परिश्रम, योग्यता, ईमानदारी और जिस देश में आप रह रहे हैं, उसके प्रति आपकी वफादारी के फलस्वरूप प्राप्त की जा सकी हैं। ये गुण पूरी दुनिया में भारतवंशियों की आम विशेषताएं माने जाते हैं। इन विशेषताओं और अर्जित की गई सफलताओं ने निस्संदेह आपके अपने देशों में भारतीय समुदाय का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। लेकिन सामूहिक रूप से भारतवंशियों ने दुनिया में भारत की छवि को और चमकाया है।

मित्रो, जब हम भारतवंशियों की बढ़ती सफलताओं और उपलब्धियों पर आनंदित हो रहे हैं, तब यह भी जरूरी है कि हम अपने पूर्वप्रवासी भारतीयों द्वारा सहे गए दर्द और तकलीफों को न भूलें। मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप-समूह, फीज़ी आदि अनेक देशों में हमारे पूर्वजों को करारबद्ध या गिरमिटिया मजदूरों के रूप में ले जाया गया था। उनके प्रति किया गया अन्याय भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय

के रूप में आज भी विद्यमान है, परंतु इसके साथ-साथ तंगहाली के विरुद्ध उनका दृढ़-निश्चयी संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हमारे पूर्वज अभाव और शोषण के शिकार हुए तो हमारे बच्चे और उनकी पीढ़ियां न्याय और विश्वबंधुत्व पर आधारित मानव-विकास के एक नए युग और समृद्धि के संवाहक होंगे।

तेजी से होता आर्थिक विकास

एक वर्ष के बाद हम यहां एकत्र हुए हैं। इस अवधि के दौरान भारत ने कई क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज किया है। सन् 2003 में हम विश्व में सबसे अधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो चुके थे। सन् 2004 में हम 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि-दर के अपने लक्ष्य के करीब आ गए हैं। पिछले महीने हमारा विदेशी मुद्रा-भंडार सौ बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अब हम अपने विदेशी ऋणों का भुगतान समय से पूर्व कर रहे हैं। बाहरी देशों से सहायता लेने वाला भारत आज दूसरे देशों को सहायता दे रहा है। यह बहुत समय पहले की बात नहीं है, जब भारत में कई लोग प्रतिभा-पलायन का रोना रोते थे। आज बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त और सफल भारतीय व्यावसायिक इसलिए भारत लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि भारत अब स्वयं ही अवसरों और उपलब्धियों का देश बन गया है। विदेशी कंपनियां तथा व्यापार-जगत् आज एक महत्त्वपूर्ण उभरते बाजार के रूप में भारत की ओर देख रहे हैं तथा वे यहां निवेश करने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही साथ, एक विपरीत स्थिति भी देखने को मिली है। सन् 2003 में अनेक भारतीय कॉरपोरेट्स, ग्लोबल प्लेयर्स के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने विदेशों में न केवल भारी निवेश किया है, बल्कि विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है।

वैश्विक सुअवसर

इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय कॉरपोरेट्स को इसके बाद से अपने कुल कारोबार के शत-प्रतिशत तक विदेशों में निवेश करने की अनुमति होगी। यह निवेश वे या तो किसी विदेशी संयुक्त उद्यम के जरिए अथवा किसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। वर्तमान प्रतिबंधों, जिनमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम सीमा शामिल है, को अब समाप्त किया जा रहा है। इसी तरह, हमने भारतीय कॉरपोरेट्स को कृषि-क्षेत्र में विश्व स्तर पर जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें वाकई प्रोत्साहन मिलेगा। तदनुसार विदेश में सीधे अथवा किसी विदेशी शाखा के माध्यम से कृषि कार्यकलाप चलाने के लिए भारतीय कॉरपोरेट्स पर लगी मौजूदा पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। इससे भारतीय कंपनियां जहां वैश्विक सुअवसरों का लाभ उठा सकेंगी, वहीं वे भारत में अपनाने के लिए प्रौद्योगिकीय तथा अन्य दक्षताएं भी हासिल कर सकेंगी।

आकर्षक संभावनाएं

जैसा आप जानते हैं, भारत की विदेश नीति सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। मैं अभी इस्लामाबाद में सार्क देशों की महत्त्वपूर्ण शिखर बैठक में भाग लेकर लौटा हूं। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) के नतीजे से इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात होगा। इनके साथ-साथ, आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों से विश्व-समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इनसे भारतीयों और प्रवासी भारतीयों, दोनों के लिए नई आकर्षक संभावनाएं और अवसर भी खुले हैं। तेजी से विकसित हो रहे इन अवसरों तथा संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान मैं आप सभी से करता हूं।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगामी वर्षों में भारत लंबे और निर्भीक कदम उठाकर विश्व को और अधिक आश्चर्यचकित कर देगा। निस्संदेह हम अपने समक्ष मौजूद कई कठिन चुनौतियों से वाकिफ़ हैं। गरीबी को तेजी से समाप्त करना। हम अपना नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य मानते हैं। इसी के साथ-साथ यह सन् 2020 तक भारत को एक पूर्णतया विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पहली जरूरत भी है। इस प्रयास में हम आपके विचार, आपके सुझाव तथा आपकी भागीदारी चाहते हैं और इससे अधिक हम आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं।

वायदों को पूरा करने का प्रयास

पिछले वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया है। हाल ही में हमने नागरिकता-संशोधन विधेयक पारित कराया है, जो सोलह देशों के प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन करने की संभावना प्रदान करता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सोलह देशों का चयन इसलिए किया गया, क्योंकि इनकी कानूनी प्रणाली दोहरी नागरिकता की अवधारणा से मेल खाती है। और इन देशों में भारतीय मूल के लोगों का काफी अधिक प्रतिनिधित्व है। उन भारतीय कामगारों के कल्याण की चिंता हमें हमेशा रही है, जो ज्यादा पारिश्रमिक की खोज में सुदूर देशों की यात्रा करते हैं। गत वर्ष इसी मंच से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए 'प्रवासी भारतीय बीमा योजना' नामक एक अनिवार्य बीमा योजना 25 दिसंबर, 2003 से आरंभ की गई है।

किसी भी भारतीय माता-पिता के लिए अपने बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय होती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के जिन भारतीय कामगारों के बच्चे भारत में हैं, वे अब शिक्षण संस्थानों के विभिन्न विषयों में 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों में से एक-तिहाई आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, खाड़ी देशों के प्रवासी भारतीयों के बच्चों के प्रवासी

भारतीय शुल्क (NRI fees) का भुगतान नहीं करना होगा। निवासी नागरिकों के समान ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय केंद्र

डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की एक और महत्त्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार कर मुझे एक घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैंने आपमें से कई लोगों को यह कहते सुना है कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय की बहुआयामी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थायी केंद्र होना चाहिए। तदनुसार सरकार ने नई दिल्ली में एक प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त निर्णय आपकी इस अपेक्षा को पूरा करेगा। इस केंद्र के लिए हम एक उपयुक्त भूखंड और 25 करोड़ रुपए का आरंभिक अनुदान प्रदान करेंगे। इसे चलाने का दायित्व एक स्वायत्तशासी निकाय को सौंपा जाएगा, जो प्रवासी भारतीय सदस्यों से अतिरिक्त संसाधन भी जुटाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे बंदरगाहों और जगहों पर संस्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएं, जहां से बड़ी संख्या में भारतीय लोग विदेशों के लिए प्रस्थान करते हैं।

पूर्वजों की भूमि से परिचय

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस सम्मेलन का एक मुख्य विषय युवाओं से जुड़ा है। हमें दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के युवाओं की योग्यता और क्षमता पर पूरा भरोसा है। साथ ही आपकी तरह हम भी यह महसूस करते हैं कि उनको अपने पूर्वजों की भूमि से परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि वे देख सकें, समझ सकें और उनकी भारतीयता को आत्मसात् कर सकें। अत: हमने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष विभिन्न देशों से दूसरी या तीसरी पीढ़ी के 50 युवा भारतीयों को दो सप्ताह के लिए भारत-यात्रा पर आमंत्रित किया जाएगा। ये युवा 'प्रवासी भारतीय दिवस समारोह' में भाग लेने के साथ-साथ भारत के दो-तीन अन्य प्रदेशों का दौरा भी कर सकेंगे।

मित्रो, आप तब दिल्ली आए हैं, जब यहां सर्दियां काफी हैं। लेकिन जहां तक भारत की उपलब्धियों और संभावनाओं का संबंध है, आप देख सकते हैं — सभी ओर बसंत छाया हुआ है। पूरी दुनिया भारत की ओर प्रशंसा और आशा भरी निगाहों से देख रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र तेजी से चहुंमुखी विकास कर रहा है। आज के सिकुड़ते विश्व में सभ्यता का उद्गम अनेकता में एकता की प्रयोगशाला बन रहा है। अपनी विदेश-यात्राओं के दौरान कहीं भी भारतवंशियों के साथ बातचीत करते समय मैंने उन्हें कहते हुए सुना है कि एक भारतीय होने के लिए इससे अच्छा समय पहले कभी नहीं था और भारत में भी ऐसा सर्वोत्तम समय कभी नहीं था।

जिन देशों में आपने अपना घर बनाया है, वहां पर आप हमारे राजदूत हैं। भारत

से आपके संपर्कों और मातृभूमि में अपने रुतबे के कारण आप इस विशिष्ट स्थिति में हैं कि अपने रहने वाले देशों में लोगों को यह बता सकें कि भारत क्या है और क्या हो सकता है ? अत: मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि आप वहां एक महत्त्वपूर्ण राजदूत की भूमिका निभाएं। इन शब्दों के साथ, मैं दूसरे 'प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन' का शुभारंभ करता हूं और इसकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। □

बेहतर विश्व के निर्माण हेतु प्रयासरत

यह मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि नई दिल्ली में 'सभ्यताओं के बीच संवाद' पर आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्‌घाटन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है।

हाल के वर्षों में 'सभ्यताओं के बीच संवाद' की अवधारणा ने विश्वभर के राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और संस्कृतिप्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। यह अब धारणा अपने आप में कोई अनूठी नहीं है। विश्व-इतिहास में मनीषियों ने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की पृष्ठभूमि वाले देशों के बीच संवाद और सहयोग के विचार को सदैव प्रमुखता दी है। भारत के प्राचीन काल और आधुनिक काल के ऋषिगण और संत भी एक ऐसे विश्व की कल्पना करते रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों को सम्मान प्राप्त हो तथा वे विश्ववाद की अवधारणा को मूर्त रूप देने में सहायक हों। उदाहरण के लिए, वेद हमें यह सिखाते हैं कि विश्व में जो कुछ भी अच्छा है और जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका संचय करना चाहिए।

आ नो भद्रा : क्रतवो यन्तु विश्वत:

सभी दिशाओं से हमें सद्‌विचार प्राप्त हों। मेरे विचारानुसार 'सभ्यताओं के बीच संवाद' की अवधारणा को दो कारणों से एक नया संदर्भ प्राप्त हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व एक विख्यात लेखक ने भविष्य में 'सभ्यताओं के संघर्ष' के बारे में अपने विचार लिपिबद्ध किए थे। लेकिन उनके ये विचार निश्चय ही दोषपूर्ण और निराधार थे। उनमें इस बात को नहीं समझा गया कि सभ्यताएं आपस में कभी टकराती नहीं हैं या टकरा नहीं सकतीं। यह उन विचारों में सबसे बड़ा दोष था। सभ्य होने का तात्पर्य ही है संघर्ष से बचना और सभी विवादों तथा विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करना। सभी सभ्यताएं एक समान मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती हैं और मानव एकता तथा शांति, न्याय, सत्य और मित्रता हेतु अपनी समान आकांक्षाओं के लिए हम इन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती हैं और मानव एकता तथा शांति, न्याय, सत्य और मित्रता हेतु अपनी समान आकांक्षाओं के लिए हम इन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए लालायित

'सभ्यताओं के बीच संवाद : नए परिदृश्यों की चाह' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्‌घाटन भाषण, नई दिल्ली; 9 जुलाई, 2003

रहते हैं। इस तरह सभी सभ्यताएं मानव को सभ्य बनाती हैं। किसी भी सभ्यता की परिभाषा का निहितार्थ यही है।

सभ्यताओं का समागम

यहां हमें सभ्यता और इतिहास के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। मानव-इतिहास शांति और प्रगति के साथ-साथ संघर्ष और टकराव की गाथा है। यह सभी देशों और महाद्वीपों के बारे में सच है। इसके विपरीत जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं, तब हम अनिवार्य रूप से विभिन्न समाजों में स्वमानवीकरण के उन प्रयासों की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक विधानों, संस्कृतियों, कला, दर्शनशास्त्र, विज्ञान, कृषि, उद्योग और जनसामान्य के प्रतिदिन के सामाजिक कार्यकलाप के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी किए जाते हैं।

तथापि, हमें उस योग्य लेखक को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने भविष्य में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही है। उसकी पुस्तक के इस उत्तेजना पैदा करने वाले शीर्षक ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जिसके तर्क इसमें कही गई बात से पूरी तरह विपरीत हैं। मानवजाति का भविष्य 'सभ्यताओं के मध्य संघर्ष' द्वारा तय नहीं होगा, अपितु जैसा कुछ लोगों ने इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहा है, मानवता भविष्य में 'सभ्यताओं का सामंजस्य या समागम' देखेगी। लेकिन यह सब अपने आप नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम सबको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रयास करना होगा। मैं समझता हूं कि 'सभ्यताओं के बीच संवाद' से संबंधित नई दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन और इसके पहले हुए इसी तरह के अन्य सम्मेलन बेहतर विश्व के निर्माण के इस गंभीर प्रयास के ही भाग हैं।

मित्रो, एक तथ्य और भी है, जो हमें इस तरह के संवाद की ओर खींच लाया है। तीन वर्ष पहले जब हमने एक नई सदी और नई सहस्राब्दी में प्रवेश किया था, तब हम सबने महसूस किया था कि आज हम जिस विश्व में रह रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां जिस विश्व को विरासत में पाएंगी, वह विगत के विश्व से पूरी तरह अलग होगा। व्यापार और प्रौद्योगिकी ने देशों और संस्कृतियों के बीच पूर्वकाल की बाधाओं को ध्वस्त कर दिया है। दुनिया ने अब एक विश्वग्राम का रूप ले लिया है। कुछ लोग इसे 'विश्व बाजार' कहना चाहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर एक अपूर्व हलचल महसूस करने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है।

संशय

वर्तमान स्थिति में दो विरोधाभास हैं। पहला है विश्व के निर्धनों की अपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं तथा विश्व के धनाढ्यों की प्रचुरता से पूर्ण आवश्यकताओं के बीच अत्यधिक अंतर का जारी रहना; और दूसरा विरोधाभास है कि आज जहां एक ओर

मनुष्य को भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी अभिन्न मनुज की घोर अवहेलना की जा रही है, जो एक पूर्ण मानव बनने के लिए लालायित है। हमने अब तक जितनी भी भौतिक प्रगति की है, हम इसको बड़ी तीव्रता से अनुभव करते आए हैं कि इस प्रगति में कहीं कोई बहुमूल्य चीज, मानवीय तत्त्व छूट गया है। हम अनुभव करते हैं कि इतनी अधिक प्रौद्योगिक प्रगति के बावजूद हम अभी वैसे नहीं हो पाए हैं, जैसे हम हो सकते थे; जिस कार्य के लिए मनुष्य की रचना की गई है, वह हम अभी नहीं कर पाए हैं। हम एक ऐसे आदर्श समाज का सपना देख रहे हैं, जो सहयोग पर आधारित और सामूहिक रूप से कार्य करने वाला हो और जहां प्रत्येक उत्पादन का लक्ष्य मनुष्य की तन, मन और आत्मा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना हो। एक ऐसा समाज, जहां मनुष्य अपने अंतरतम में शांति अनुभव करे, विश्व में शांति को पाए जबकि आज दोनों ही उससे दूर हैं।

इसलिए पर्यावरण के विनाश तथा परंपराओं के नष्ट होने से व्यथित और विश्व में हिंसा की प्रतिदिन की खबरों से संज्ञाशून्य आज का मनुष्य कुछ उत्तरों की तलाश में है। गत शताब्दी के भयावह युद्धों के बाद विश्व के कुछ भागों में निरंतर जातीय संघर्ष हो रहे हैं और धर्म के नाम का दुरुपयोग कर हाल में आतंकवाद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसके कारण अब व्यक्ति इन वाक्यों से प्रभावित नहीं होता - कि ''गलत या सही - ''मेरा देश, मेरा देश'', ''हम, इतिहास में महानतम'', और ''मेरा धर्म, असली धर्म''। और इन उत्तरों की तलाश उसे अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के सार को समझने तथा अपने साथ मानव के धर्म, संस्कृति और सभ्यता की मूलभूत बातों को जानने के लिए प्रेरित करती है और वह पाता है कि विश्व में उत्तरोत्तर पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। 'सभ्यताओं के बीच संवाद' की इस नई अवधारणा के पीछे समाधान और शांति की यही उत्कट अभिलाषा कार्य कर रही है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां

यह बहुत ही आशाजनक संकेत हैं। 'सभ्यताओं के बीच संवाद' की अवधारणा इतनी व्यापक है कि आज मानव जाति के समक्ष जो प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां हैं, वे सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए कि युद्ध और हिंसा से रहित भविष्य कैसे सुनिश्चित हो; स्थिर विकास कैसे प्राप्त किया जाए, ताकि पर्यावरण के लिए औद्योगिकीकरण एक अभिशाप न बन सके, विकास के साथ अति आवश्यक सांस्कृतिक आयाम को कैसे जोड़ा जाए, विभिन्न राष्ट्रों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और कलात्मक धरोहर को कैसे संरक्षित किया जाए, विशेषकर ऐसे छोटे समुदायों की, जो भूमंडलीकरण के नाम पर एकरूपता की अंधी दौड़ से वास्तव में चिंतित हैं, और किस तरह मानवाधिकार, आर्थिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता तथा एक संवेदनशील और जिम्मेदार सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। यह जानना भी हमारे लिए इतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली और जनसंचार के माध्यम

किस तरह हमारे समाज में, विशेषकर बच्चों में, सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।

मेरा मानना है कि इस संवाद-प्रक्रिया को और अधिक व्यापक, गहन और स्थायी बनाकर हम इन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। संवाद जितने अधिक अर्थपूर्ण और व्यापक होंगे, सभ्यताओं और राष्ट्रों के बीच समझ भी उतनी ही गहरी होगी और जितनी अधिक गहरी समझ होगी, राष्ट्रों के बीच सहयोग और सद्भावना भी उतनी ही अधिक सुदृढ़ होगी। और यदि राष्ट्रों में प्रबल सहयोग तथा सद्भावना की इच्छा होगी तो हथियारों और सैनिक रणनीतियों पर अपने संसाधनों को व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संवाद को बढ़ावा देना

यहां पर मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी 'संवाद की संस्कृति' आरंभ करनी चाहिए, ताकि विवादास्पद मुद्दे बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किए जा सकें। संवाद लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। लोकतंत्र में संवाद की आवश्यकता होती है और वह इसके लिए हमें निर्दिष्ट भी करता है। अपने घरेलू मतभेदों में कोई देश जितना अधिक सामंजस्य बिठा लेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने की उसकी क्षमता में उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है।

विशिष्ट अतिथियों और प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने में भारत की प्राचीन परंपरा और दीर्घ अनुभव से सभी लोग भली-भांति परिचित हैं। कई शताब्दियों से भारत अपने यहां विभिन्न तरह की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाता रहा है, तथापि इस अनेकता में भी भारत ने एकता की एक रेशमी डोर पिरो रखी है। ऐसा मुख्यत: इसलिए है, क्योंकि जहां एक ओर भारत ने लोगों की विचार और धर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखा है, वहीं दूसरी ओर उसने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहयोग की अटूट परंपरा को भी बढ़ावा दिया है।

सभी धर्मों की समान बातें

संभवत: प्राचीन व्यापार-मार्ग के संगम-स्थल विश्व के दूसरे भागों में रहे हों, लेकिन विभिन्न धर्मों के संगम-स्थल सदैव भारत में ही रहे हैं। यहां जिन धर्मों का उद्भव हुआ है, उनके अलावा भारत ने यहूदियों, सीरियाई ईसाइयों कैथोलिक, पारसी, मुसलमानों तथा दूसरे मतावलंबियों का भी स्वागत किया है। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत अपने सदियों पुराने सर्वपंथ समभाव के आदर्श पर कायम है। मेरा सुझाव है कि धर्मनिरपेक्षता के इस सिद्धांत, जो भारत के संविधान में समाविष्ट है, को सभी देशों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। सहिष्णुता एक विश्वव्यापी आदर्श होना चाहिए। इससे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के अनुयायियों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

पारसी लोग, जो एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं,

इस सम्मेलन के साथ ही पारसी धर्म के 3000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों की झलक देने के लिए यहां पर एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। वास्तव में यह प्रदर्शनी भारत में सहिष्णुता की दीर्घकालीन परंपरा के लिए सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि है। पारसी लोग हमारे देश की कुल जनसंख्या का 0.01 प्रतिशत भी नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व पारसी धर्म और संस्कृति की महानता को पहचाने और उसकी रक्षा तथा पुनरुत्थान में सहायता करे। भारत सरकार ने इस प्रदर्शनी के आयोजन में पूरी मदद की है और शीघ्र ही इसे देश के दूसरे भागों में भी लगाया जाएगा।

सतत मानव-प्रगति

मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में विचार-विमर्श हेतु भाग लेने के लिए लगभग 50 देशों के मंत्री तथा उच्चस्तरीय आधिकारिक शिष्टमंडलों के अलावा कई प्रख्यात विद्वान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए हैं। कल इस सम्मेलन के समापन सत्र में जिस 'नई दिल्ली घोषणा' को अंगीकार किया जाएगा, वह चालू संवाद-प्रक्रिया के लिए काफी महत्त्वपूर्ण होगी।

संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरी संस्थाओं के तत्त्वावधान में अब तक 'सभ्यताओं के बीच संवाद' के इस तरह के जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उनके निष्कर्षों को सदस्य राष्ट्रों की विदेशी और घरेलू नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों की संसदों और सरकारों को यह बताया जाना चाहिए कि वे इन निष्कर्षों को अपने कानूनों और नीतियों में किस तरह शामिल करें। अत: मैं आपसे ऐसे मूल्यवान आदर्शों, सुझावों और सिफारिशों की आशा रखता हूं, जो आपके विचार-विमर्श के दौरान उठने वाले मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आगामी प्रयासों के लिए एक रूपरेखा का कार्य करेंगे।

एक गौरवपूर्ण और अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में हम भारतवासी 'सभ्यताओं के बीच संवाद' के इस महान उपक्रम में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न देशों, संस्कृतियों और धर्मों पर तथा उनके बीच यह संवाद कितना अधिक लाभदायी होगा, यह कर दिखाने के लिए हम अपने दायित्व का निर्वाह करने हेतु तैयार हैं। सहिष्णुता को बढ़ावा देने तथा मानव जाति की एकता के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत ऐसी बहुलताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने में हम अपनी भूमिका निरंतर निभाने के लिए तैयार हैं, जो नई सदी में सतत मानव-प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण भाग होंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। □

विश्व बंधुत्व की वाहक—हिंदी

विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सूरीनाम में पधारे सभी विद्वानों, विदुषियों और मनीषियों को मेरा अभिवादन। सभी हिंदी प्रेमियों और सूरीनाम में बसे भारतवंशियों को मेरा नमस्कार।

मैं शासकीय कार्यों में अपनी व्यस्तता के कारण इस सम्मेलन में शामिल तो नहीं हो सका हूं, लेकिन मेरा मन आप के साथ है। सूरीनाम के लोगों से मिलने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। भारत और सूरीनाम के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध हैं। भारतीय मूल के लोगों ने यहां अपनी सभ्यता और संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है। सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारत आये थे। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध और गहरे हुए हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं सूरीनाम के राष्ट्रपति को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे।

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। विश्व में वही राष्ट्र प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र होता है जिसे अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों पर गर्व होता है। हम अपनी भाषा के माध्यम से ही अपने साहित्य, संगीत तथा सभ्यता से परिचित हो सकते हैं।

भारत एक प्रजातांत्रिक तथा पंथ-निरपेक्ष राष्ट्र है जहां अनेक मतावलम्बी एवं बहुभाषा-भाषी लोग रहते हैं और हिंदी उनके बीच एक संपर्क भाषा का काम कर रही है। यह करोड़ों लोगों में भावनात्मक संबंध बनाने की पूर्ण क्षमता रखती है। यह एक ओर जहां हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रतिबिम्बित करती है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की धरती पर सांस्कृतिक एकता की पावन गंगा भी प्रवाहित कर रही है। हिंदी ने देशी और विदेशी भाषाओं के अनेक शब्दों को अपने में समाहित करके अपने आपको भाषायी और साहित्यिक रूप से समृद्ध किया है। आज यह करोड़ों लोगों की बोलचाल की भाषा बन गई है।

आज हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व के कोने-

---

सूरीनाम में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया गया संदेश; पारामारिबो, 6 जून, 2003

कोने में पहुंच चुकी है। आप जैसे हिंदी विद्वानों और विदेशों में बसे हमारे भाई-बहनों ने विश्व स्तर पर हिंदी का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है। विदेशों में इसके माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो रही है।

यदि हम पूरी निष्ठा से हिंदी की प्रगति तथा प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं, जब हिंदी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशिष्ट और गौरवमय स्थान बना लेगी। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में हिंदी के उन्नयन तथा विश्व स्तर पर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सार्थक चर्चा होगी तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को परिलक्षित किया जाएगा।

मेरी कामना है कि आप सभी सुधीजनों के माध्यम से विश्व में हिंदी तथा भारतवर्ष की कीर्ति फैले और हमारी विश्व-बंधुत्व की भावना संसार के कोने-कोने तक पहुंचे।

□

राष्ट्र के नाम...

स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

एक नया भारत, कि जिसमें एक नया विश्वास हो
जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो
हो जहाँ सम्मान हर एक जाति, हर एक धर्म का
सब समर्पित हों जिसे, वह लक्ष्य जिसके पास हो
एक नया अभिमान अपने देश पर जन-जन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से
कर रहा हमको नमन, यह विश्व भी उस पार से
पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ
मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से
एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

भूख जो जड़ से मिटा दे, वह उगाना है हमें
प्यास ना बाकी रहे, वह जल बहाना है हमें
जो प्रगति से जोड़ दे, ऐसी सड़क ही चाहिए
देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें
एक नया संगीत देखो आज तो कण-कण में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

अटल बिहारी वाजपेयी

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ISBN : 81-230-1176-8 मूल्य: 150.00 रुपये